[2020] 11 एस. सी. आर 1001

विद्या द्रोलिया और अन्य

वी.

दुर्गा व्यापार निगम

(2019 की सिविल अपील संख्या 2402 आदि)

14 दिसंबर, 2020

[एन. वी. रमना, संजीव खन्ना और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 8 और 11-न्यायिक समीक्षा के तहत अधिकार क्षेत्र-दायरा और इसका दायरा-आयोजित: प्रति संजीव खन्ना, जे.-न्यायपालिका का दायरा न्यायालय यू/एस की समीक्षा और अधिकार क्षेत्र। 8 और 11 समान है, लेकिन अत्यंत सीमित और प्रतिबंधित-न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है यू/एस. एस. अधिकारिता का चरण। 8 और 11, जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित है कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं है, तो अमान्य है। या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं-अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें जब संबंधित विवाद गैर-मध्यस्थता स्पष्ट रूप से तर्क योग्य है; जब इसमें विचार किया जाता है संक्षिप्त कार्यवाही अपर्याप्त और अनिर्णायक होगी; जब तथ्यों का विरोध किया जाता है और जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है-यह अदालत के लिए एक छोटे मुकदमे या विस्तृत सुनवाई में प्रवेश करने का चरण नहीं है। समीक्षा ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके -इस चरण में न्यायालय को सत्यनिष्ठा की पुष्टि करने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है और एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की प्रभावकारिताप्रति रमण, जे.-धारा 8 और 11 का एक ही दायरा है अर्थात। संदर्भ स्तर पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप-आमतौर पर विषय एस. एस. के स्तर पर मामले की मध्यस्थता का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 8 और 11, जब तक कि यह डेडवुड का एक स्पष्ट मामला नहीं है-जब तक कि किसी पार्टी ने स्थापित नहीं किया है न्यायालय को मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा या एक नियुक्त करना होगा मामले के रूप में मध्यस्थ हो सकता है अर्थात 'जब संदेह हो, तो संदर्भ लें' - मध्यस्थता समझौते की प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए अदालत के दायरे में केवल (i) क्या मध्यस्थता समझौता था लिखित रूप में; (ii) क्या ऐसा समझौता इसके बदले में निहित था पत्र, दूरसंचार आदि (iii) क्या मुख्य संविदात्मक मध्यस्थता समझौते की सामग्री को पूरा किया गया था; और (iv) दुर्लभ अवसरों पर, क्या विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य है।

मध्यस्थता:

मध्यस्थता समझौते में विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है, चार गुना परीक्षण तब होता है जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय (i) आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित है जो व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित नहीं है जो आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न होते हैं; (ii) तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसका एर्गा ऑम्नेस प्रभाव होता है, केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है और आपसी निर्णय उचित नहीं होगा।और प्रवर्तनीय; (iii) राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित है और इसलिए आपसी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा; (iv) स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य कानूनों के अनुसार गैर-मध्यस्थता-हालांकि, ये परीक्षण जलरोधक विभाग नहीं हैं-मकान मालिक-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित किरायेदार विवाद परीक्षणों के अनुसार मध्यस्थता योग्य हैं।उपरोक्त-हालाँकि, ऐसे विवाद, यदि विशिष्ट न्यायालय या मंच को विशेष अधिकार क्षेत्र देने वाले किराया नियंत्रण कानून द्वारा कवर किए जाते हैं, तो मध्यस्थता नहीं होगी-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882।

कार्य और दस्तावेज़:

मध्यस्थता समझौता-की व्याख्या-आयोजित: मध्यस्थता समझौते की व्याख्या के बारे में दृष्टिकोण इस पर निर्भर करेगा विभिन्न कारक जैसे भाषा, पक्ष, संबंधों की प्रकृति, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें समझौता किया गया था, आदि-शुद्ध वाणिज्यिक विवादों के मामले में, व्याख्या का अधिक उपयुक्त सिद्धांत उदार निर्माण का होगा क्योंकि एक-स्टॉप निर्णय के पक्ष में अनुमान है।

सिद्धांत/सिद्धांत:

'पृथक्करण' और 'सक्षमता-सक्षमता' के सिद्धांत पर चर्चा की गई।'चुनाव' का सिद्धांत-की प्रयोज्यता। ' सेकंड लुक 'सिद्धांत-की प्रयोज्यता। विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

फैसला:

आरईएम में निर्णय और व्यक्तिगत रूप से निर्णय-के बीच अंतर-चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश:

' समझौता '-का अर्थ।

' मध्यस्थता समझौता '-का अर्थ।

' कानूनी संबंध '-का अर्थ।

' लिखित में मध्यस्थता समझौता '-का अर्थ।

' अस्तित्व '-का अर्थ। ' परीक्षा '-का अर्थ।

' मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व '-का अर्थ।

‘ मध्यस्थता '-का अर्थ।

' प्रथम दृष्टया '-का अर्थ।

निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए और अपील और एस. एल. पी. का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः

पर संजीव खन्ना, जे. (अपने और कृष्ण मुरारी, जे. के लिए):

न्यायालयों या कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक मंच द्वारा निर्णय के विकल्प के रूप में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य के विवाद। पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का न्यायालयों/सार्वजनिक मंच पर निर्णय लेने के अपने कानूनी अधिकार को छोड़ देते हैं। मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संविदात्मक अधिकार देता है -विवादों का न्यायनिर्णयन करें और पक्षों को बाध्य करें। [पैरा 10] [1047-जीएच]

1.2 अभिव्यक्ति 'मध्यस्थता समझौता' किया गया है

एस की उप-धारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित। 2 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) का अर्थ एक समझौता है।

जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम में 'समझौता' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे परिभाषित किया गया है [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुबंध अधिनियम, 1872 ('अनुबंध अधिनियम') की धारा 10 में, अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किए गए अनुबंधों के रूप में, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं। एक मध्यस्थता समझौते को अनुभाग में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश को पूरा करना चाहिए।

7 मध्यस्थता अधिनियम। [पैरा 10 और 11] [1048-ए-एच; 1049-ए-बी]

1.3 अनुबंध अधिनियम की धारा 28 में कहा गया है कि समझौते

कानूनी कार्यवाही के प्रतिबंध में अमान्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण (1) विशेष रूप से उन अनुबंधों को बचाता है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति इस बात पर सहमत होते हैं कि किसी भी विषय या विषयों के वर्ग के संबंध में कोई विवाद, या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता समझौते को उद्देश्यपूर्ण आदेशों को पूरा करना चाहिए एक समझौते के रूप में अर्हता

प्राप्त करने के लिए अनुबंध का कानून। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के खंड (जी) और (एच) में कहा गया है कि कोई समझौता नहीं

कानून में लागू करने योग्य समझौता अमान्य है और कानून में लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है। एक अनुक्रम के रूप में, यह इस प्रकार है कि एक मध्यस्थता समझौता जो कानून में लागू करने योग्य नहीं है, अमान्य है और कानूनी रूप से मान्य नहीं है। [पैरा 11] [1049-डी-ई]

1.4 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) यह आदेश देती है कि मध्यस्थता समझौता विवादों के संबंध में होना चाहिए।

एक परिभाषित कानूनी संबंध से उत्पन्न होना, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं। अभिव्यक्ति 'कानूनी संबंध', जिसे फिर से मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ है एक ऐसा संबंध जो कानूनी दायित्वों और कर्तव्यों को जन्म देता है और इसलिए, एक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार संविदात्मक या गैर-संविदात्मक भी हो सकते हैं। गैर-संविदात्मक विवादों के लिए एक अलग या प्रस्तुत मध्यस्थता की आवश्यकता होगी।

यातना, प्रतिपूर्ति, वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन या कार्रवाई के किसी अन्य गैर-संविदात्मक कारण में उत्पन्न कार्रवाई के कारण के आधार पर समझौता। [पैरा 12] [1049-एफ-जी; 1050-ए]

मध्यस्थता पर रसेल, 24 वां संस्करण #2-004-संदर्भित

को।

1.5 धारा 7 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि मध्यस्थता खंड एक अलग समझौते के रूप में या एक भाग के रूप में हो सकता है।

अंतर्निहित या किसी अन्य अनुबंध का। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के खंड (3) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम होगा।

दुर्गा व्यापार निगम

लिखित रूप में, यानी समझौते का लिखित रूप में प्रमाण दिया जाना चाहिए। खंड (4) द्वारा 'लिखित रूप में मध्यस्थता समझौता' शब्द में पत्रों, तारों के आदान-प्रदान द्वारा कोई भी समझौता शामिल होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मेल या संचार जो समझौते या दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

जिसमें एक पक्ष समझौते के अस्तित्व का दावा करता है और दूसरा पक्ष इससे इनकार नहीं करता है। धारा 7 की उप-धारा (5) में कहा गया है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के अनुबंध में संदर्भ एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करेगा यदि -

1.6 मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में सवाल तब भी उठते हैं जब संदर्भ का विरोध करने वाला पक्ष याचिका दायर करता है - निष्पादन द्वारा अनुबंध के निर्वहन में संशोधित दायित्वों की स्वीकृति या स्पष्ट या निहित सहमति द्वारा सरल समाप्ति द्वारा मूल या 'समझौते और संतुष्टि' के प्रतिस्थापन में एक नए अनुबंध में प्रवेश करके अनुबंध का नवीनीकरण। इस आधार पर संदर्भ के लिए आवेदन का विरोध करते हुए आरोपमुक्त करने की इसी तरह की याचिका दायर की जा सकती है कि दावा लंबे समय से वर्जित और मृत है या कोई बकाया विवाद नहीं है क्योंकि पक्षों ने भाग स्वीकार कर लिया है।

अंतर्निहित/मूल अनुबंध में मध्यस्थता खंड इसके साथ समाप्त हो जाता है। [पैरा 14] [1050-डी-एफ]1.7 मध्यस्थता अनुबंध का मामला होने के कारण, पक्षों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने और सीमित करने के लिए सीमाएं तय करने का अधिकार है।

और मध्यस्थ का कानूनी अधिकार। एक मध्यस्थता समझौता किसी भी विवाद को शामिल करने के लिए व्यापक और व्यापक हो सकता है या विशिष्ट विवादों तक सीमित हो सकता है। मध्यस्थ की अधिकारिता के दायरे का मुद्दा हमेशा तब उत्पन्न होता है जब मध्यस्थता वाले विवादों की गणना की जाती है या मध्यस्थता समझौते में निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं -

'अपवादित मामलों' के मामले में बहिष्करण। मध्यस्थता समझौता वैध हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता समझौते में व्यक्त पक्षों की इच्छा को देखते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण, [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाद का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मध्यस्थता के दायरे के बारे में पक्षों की इच्छा एक व्यक्तिपरक कार्य है और पार्टियों के लिए व्यक्तिगत। [पैरा 15] [1050-जी-एच; 1051-ए]

1.8 एक निर्णय निर्णायक की औपचारिक अभिव्यक्ति है।

पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों का निर्णय। निर्णय दो तरीकों से काम कर सकता है, रेम या व्यक्तिगत रूप से। आर. ई. एम. में एक निर्णय किसी व्यक्ति या चीज़ की स्थिति को निर्धारित करता है जो मुकदमेबाजी के लिए एक पक्ष के विशेष हित से अलग है।

और इस तरह का निर्णय सभी व्यक्तियों के पक्ष में और उनके खिलाफ निर्णायक साक्षय है, चाहे वे पक्षकार हों, गोपनीय हों या मामले के अजनबी हों। इस तरह का निर्णय "स्वयं संपत्ति के भाग्य का निर्धारण करता है" और निर्णय के साथ असंगत संपत्ति में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य करता है, भले ही उनकी अनुपस्थिति में घोषित किया गया हो। इसके विपरीत, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय ", हालांकि यह हो सकता है

एक पक्ष से संबंधित, केवल पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है। आर. ई. एम. में निर्णयों और व्यक्तिगत रूप से निर्णयों के बीच अंतर उनकी शक्ति को आर. ई. एम. में निर्णय के रूप में बदल देता है, यानी आर. ई. एम. में निर्णय दुनिया के खिलाफ आर. ई. एम. के रूप में काम करेगा, और व्यक्तिगत रूप से निर्णय केवल आर. ई. एम. के रूप में काम करेगा।

विवाद में पक्षों के खिलाफ। रेम में अभिव्यक्ति के अधिकारों का उपयोग। 99 ' आर. ई. एम. में अधिकारों और व्यक्तिगत रूप से अधिकारों के बीच अंतर-खेल के कारण गैर-मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए "व्यक्तिगत रूप से अधिकार" सही नहीं हो सकते हैं। कई बार, आर. ई. एम. में एक अधिकार के परिणामस्वरूपव्यक्तिगत रूप से प्रवर्तनीय अधिकार। [पैरा 30] [1061-डी-ई; 1062-बी-ई]

G.C.Cheshire और पीएम नॉर्थ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बाय नॉर्थ और फॉसेट (लंदनः बटरवर्थ) 1992-संदर्भित।

तंत्र, जो केवल मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है। दूसरी ओर कानून द्वारा स्थापित न्यायालय डिफ़ॉल्ट रूप से अधिकार क्षेत्र का आनंद लेते हैं और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए आपसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यस्थम न्यायाधिकरण जो कानून की अदालतें नहीं हैं या राज्य के तत्वावधान में स्थापित नहीं हैं, वे कार्य नहीं कर सकते हैं।न्यायिक रूप से ताकि उन लोगों को प्रभावित किया जा सके जो मध्यस्थता विद्या ड्रॉलिया और अन्य v से बाध्य नहीं हैं।

दुर्गा व्यापार निगम

खंड। मध्यस्थता तब अनुपयुक्त होती है जब इसका सर्वव्यापी प्रभाव होता है,

अर्थात्, यह उन व्यक्तियों के अधिकारों और देनदारियों को प्रभावित करता है जो मध्यस्थता समझौते से बाध्य नहीं हैं। समान रूप से विवाद समाधान के विकेंद्रीकृत तरीके के रूप में मध्यस्थता तब अनुपयुक्त होती है जब विषय वस्तु या तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में किसी विवाद के लिए एक अदालत या मंच के समक्ष सामूहिक निर्णय की आवश्यकता होती है। एक वर्ग के रूप में कुछ विवाद, या कभी-कभी दिए गए तथ्यों में विवाद, केवल सामूहिक मुकदमेबाजी की कार्यवाही के माध्यम से कुशलता से हल किया जा सकता है। मध्यस्थता की संविदात्मक और सहमतिपूर्ण प्रकृति इसके दायरे और दायरे को रेखांकित करती है। किसी समझौते से प्राप्त होने वाला अधिकार और शक्ति हस्ताक्षर न करने वालों के खिलाफ बाध्यकारी और अप्रभावी नहीं हो सकती है। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता उन स्थितियों में सुस्त और अव्यवहारिक होगा जब विषय वस्तु या विवाद तीसरे पक्ष के अधिकारों और हितों को प्रभावित करता है या दूसरों की उपस्थिति के बिना, एक प्रभावी और लागू करने योग्य निर्णय संभव नहीं है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य बिना अनावश्यक विवादों का न्यायसंगत, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

देरी और कम से कम खर्च के साथ, अपंग और विकृत हो जाता है जब उन व्यक्तियों के अधिकार और देनदारियाँ जिन्होंने सहमति नहीं दी है मध्यस्थता प्रभावित होती है या गैर-पक्षों को शामिल करके

विवादों का सामूहिक समाधान आवश्यक है। सार्वजनिक मंचों के विकल्प के रूप में मध्यस्थता समझौते को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब यह व्यर्थ, अप्रभावी हो और इसका कोई परिणाम न निकले। [पैरा 31] [1062-जी; 1063-ए-ई]

प्रो. स्टावरोस ब्रेकोलाकिस-'मध्यस्थता पर: निरंतर गलत धारणाएँ और चिंता के नए क्षेत्र '-संदर्भित

को।

मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य के लिए कार्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग तक विस्तारित होंगे, जिनमें शामिल हैं - वाणिज्य और आर्थिक, सभी रूपों में कानून, कराधान, प्रतिष्ठित क्षेत्र और पुलिस शक्तियां जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा, क्षमा प्रदान करना आदि शामिल हैं, जैसा कि [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वाणिज्यिक गतिविधियाँ, आर्थिक रोमांच और कल्याणकारी गतिविधियाँ। इसी तरह, राज्य के निर्णय और न्यायनिर्णायक कार्य जिनमें विवाह की वैधता, नागरिकता, कंपनियों का समापन, पेटेंट का अनुदान आदि जैसे जनहित तत्व हैं, गैर-मध्यस्थ हैं, जब तक कि किसी नियामक या न्यायनिर्णायक तंत्र के संबंध में क़ानून या तो स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से न हो।

निहितार्थ मध्यस्थता की अनुमति देता है। इन मामलों में विवाद समाधान में राज्य का एकाधिकार है। [पैरा 32] [1063-एफ-जी; 1064-ए-बी]

सामान्य कारण वी। भारत संघ, (1999) 6 एस. सी. सी. 667: [1999] 3 एस. सी. आर. 1279; कृषि उपज बाजार

समिति v. अशोक हरिकुनी एंड अदर (2000) 8 एस. सी. सी.

61 : [2000] 3 पूरक। एस. सी. आर. 379 पर भरोसा किया।अजार रायब-सार्वजनिक नीति की रूपरेखा को परिभाषित करना

अपवाद-मध्यस्थता के लिए एक नया परीक्षण-संदर्भित

को।

1.11 मध्यस्थता को बाहर करने के निहित विधायी इरादे को देखा जा सकता है यदि यह प्रतीत होता है कि क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व पैदा करता है और निर्दिष्ट न्यायालयों या उस ओर से विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जाने वाले अधिकार और दायित्व के निर्धारण का प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न अदालत

या न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जो इस तरह से सशक्त और अनन्य अधिकार क्षेत्र के साथ निहित हैं। इसलिए, केवल दीवानी अदालत के विकल्प के रूप में एक विशिष्ट मंच का निर्माण या दीवानी अदालत को निर्दिष्ट करना, अंतर्निहित गैर-मध्यस्थता के निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। एक विशिष्ट न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण या एक सार्वजनिक मंच का निर्माण हालांकि प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, यह जवाब देने और यह तय करने के लिए निर्णायक परीक्षा नहीं हो सकती है कि क्या मध्यस्थता निहित रूप से वर्जित है। निहित गैर मध्यस्थता तब स्थापित की जाती है जब अनिवार्य कानून द्वारा पक्षों को निर्दिष्ट न्यायालय या निर्दिष्ट सार्वजनिक मंच द्वारा निर्णय लेने से रोक दिया जाता है। कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति उपचार पर जोर देता है, उसे कानून में बताए गए मंच के समक्ष और किसी अन्य मंच के समक्ष अपना उपचार प्राप्त करना चाहिए। [पारस 33 और 34] [1065-सी-एफ]

धूलाभाई आदि। मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य

[1968] 3 एस. सी. आर. 662 पर भरोसा किया।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

वॉल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कं. बनाम हॉक्सफोर्ड 9

[1859] 6 सी. बी. (एनएस) 336-संदर्भित।

एक विकल्प के रूप में अनिवार्य कानून और मध्यस्थता। इसके विपरीत और किसी दिए गए मामले में जब प्रतिकूलता और विसंगति होती है, तो मध्यस्थता के लिए चयन और चुनाव के अधिकार से इनकार किया जाता है। इसके लिए "कानून के पाठ, विधायी इतिहास, और मध्यस्थता और कानून के अंतर्निहित उद्देश्य के बीच 'अंतर्निहित संघर्ष' की प्रकृति और विशेष अधिकारों के प्रकार और अदालतों या सार्वजनिक मंच को इन अधिकारों और पारित आदेशों को प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए दी गई शक्ति और अधिकार के संदर्भ में जांच करने की आवश्यकता है। जब मध्यस्थता ऐसे अधिकारों को लागू और लागू नहीं कर सकती है या पुरस्कार को कानून द्वारा प्रदान और अनिवार्य तरीके से लागू और लागू नहीं किया जा सकता है, तो अदालतों या सार्वजनिक मंच की वरीयता में मध्यस्थता चुनने के चुनाव के अधिकार को या तो पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है या इसमें कटौती की जा सकती है। संक्षेप में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व पैदा करता है और निर्दिष्ट न्यायालय या इस प्रकार गठित सार्वजनिक मंच द्वारा प्रत्येक अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है, और क्या उपचार नागरिक के सामान्य क्षेत्र से परे हैं।अदालतें निर्धारित की जाती हैं। जब उत्तर सकारात्मक होता है, तो विशेष कारण के अभाव में मध्यस्थता को प्रतिकूल माना जाता है। विवाद गैर-मध्यस्थ है। [पैरा 34] [1066-ई-एच; 1067-ए-बी]

ट्रांसकोर वी. भारत संघ और एक अन्य (2008) 1 एस. सी. सी. 125: [2006] 9 पूरक। एससीआर 785; एम. डी. फ्रोजन फूड्स

एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य v. हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (2017) 16 एससीसी 741: [2017] 13 एससीआर 800; इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य (2018) 14 एस. सी. सी. 783: [2018]

1 एससीआर 1096-पर निर्भर।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सतपाल सिंह बख्शी, 2013 (134)

डी. आर. जे. 566 (एफ. बी.)-खारिज [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जेनिफर एल. पेरेसी, अनुमान को कम करना

मध्यस्थता-संदर्भित।

1.13 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) में दो उपखंड हैं जो दोनों अदालत को अलग करने की शक्ति के साथ मान्यता देते हैं।

भारतीय कानून की नीति या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है। स्पष्टीकरण 2 अदालतों को चेतावनी देता है कि वे समीक्षा न करें इस प्रश्न की जांच करते समय कि क्या कोई पुरस्कार कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है, मामले के गुण-दोष पर। इसलिए, भारत की सार्वजनिक नीति और एक विषय के साथ संघर्ष

विवाद का मामला जो मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, दो अलग-अलग और स्वतंत्र आधार हैं जिन पर अदालत निर्णय को रद्द कर सकती है। [पैरा 39] [1072-बी-डी]1.14 गैर-मध्यस्थता के संदर्भ में सार्वजनिक नीति सार्वजनिक नीति को संदर्भित करती है जैसा कि अधिनियम में परिलक्षित होता है, अर्थात

अधिनियम निर्दिष्ट न्यायालय या विशेष मंच को अनन्य अधिकारिता प्रदान करता है और मध्यस्थता का सहारा लेने से रोकता है। सार्वजनिक धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (ii) के संदर्भ में नीति अधिनियम, अधिकारों को परिभाषित करने और तय करने की सार्वजनिक नीति को संदर्भित करती है।

और दायित्व, और मध्यस्थ द्वारा उन अधिकारों और दायित्वों का अनुप्रयोग। क़ानूनों का एक सार्वजनिक उद्देश्य होता है या

नीति जो विधान के पीछे आधार और उद्देश्य है। मामले के गुण-दोष के लिए अनिवार्य कानून के लागू होने का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का अधिकार छीन लिया गया है। अनिवार्य कानून को लागू करने के लिए एक विशेष मूल नियम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह मध्यस्थता को बाधित नहीं करेगा।

निहित गैर-मध्यस्थता के लिए अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ निषेध की आवश्यकता होती है, जो तब होता है जब कोई क़ानून विशेष अधिकार या दायित्व देता है और निर्णय और प्रवर्तन के लिए एक विशेष मंच बनाता है या निर्धारित करता है। अ.

अदालत की तरह मध्यस्थ भी गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच करते समय क़ानून के पीछे की सार्वजनिक नीति से समान रूप से बंधा होता है।

सार्वजनिक विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

मध्यस्थता न होने के मामले में नीति न्यायालय या निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा स्थापित विशेष मंच को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने से संबंधित होगी। गैर-मध्यस्थता प्रश्न नहीं हो सकता है

यह जांच कर जवाब दिया कि क्या क़ानून का कोई सार्वजनिक नीति उद्देश्य है जो निश्चित रूप से प्रत्येक मूर्ति का होगा। मध्यस्थता के पक्ष में एक सामान्य धारणा है, जो नहीं है

केवल इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि विवाद अनिवार्य कानून की प्रयोज्यता से व्याप्त है। मध्यस्थ द्वारा सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारत में कानून की मौलिक नीति का पालन करने में विफलता के आधार पर निर्णय को रद्द कर दिया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं था। [पैरा 39] [1072-ई-एच; 1073-ए-बी]

1.15 यह सरासर तर्कहीन और पूरी तरह से गलत होगा

अविश्वास और मध्यस्थता को त्रुटिपूर्ण और घटिया निर्णय प्रक्रिया के रूप में मानना जो किसी कानून के सार्वजनिक नीति पहलुओं से निपटने के लिए अनुपयुक्त है। अदालतों की तरह मध्यस्थ भी कानून की सार्वजनिक नीति के अनुसार विवादों को हल करने और उनका फैसला करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं। सार्वजनिक नीति का पालन करने में विफलता की संभावनाकिसी विधान में विचार, जो अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता को बाहर नहीं करता है, मध्यस्थता समझौते को अधिलेखित करने और रद्द करने का आधार नहीं बना सकता है। यह

यह मध्यस्थता अधिनियम के पीछे सार्वजनिक नीति के उद्देश्य में परिलक्षित विधायी इरादे के विपरीत और विफल होगा। मध्यस्थता इसके काफी फायदे हैं क्योंकि यह पक्षों को अपनी पसंद का मध्यस्थ चुनने की स्वतंत्रता देता है, और यह अनौपचारिक, लचीला और त्वरित है। सरलता, अनौपचारिकता और अभियान मध्यस्थता की पहचान हैं। मध्यस्थों को निष्पक्ष होना आवश्यक है और

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधिदेश की शर्तें और मध्यस्थता अधिनियम के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य औरधारा 8 और 11 की अनिवार्य भाषा, पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थता खंडों को लागू किया जाना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 की भाषा आकस्मिक प्रकृति की है। मध्यस्थता अधिनियम एक पारदर्शी, [2020] 11 एस. सी. आर. के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायसंगत, और न्यायालय के निर्णय के लिए न्यायसंगत विकल्प। सार्वजनिक नीति हल करने और निपटाने के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित और मजबूत करना है।

आर्थिक, वाणिज्यिक और नागरिक विवाद। समय-समय पर किए गए संशोधनों ने मुद्दों को संबोधित किया है और मध्यस्थता प्रक्रिया में अपर्याप्तताओं और खामियों को ठीक किया है। मध्यस्थों सहित हितधारकों को यह आश्वस्त करना है कि मध्यस्थता इस प्रकार है -

न्यायालय के निर्णय के रूप में निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष। यह भी न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अनुभाग के चार कोनों के भीतर सीमित अधिकार क्षेत्र का चुनिंदा रूप से लेकिन प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। 34 (2) (ख) (ii) स्पष्टीकरण 1 और 2 के साथ पढ़ें और लागू कानून की मौलिक नीति के साथ किसी भी टकराव की जांच करें। [पैरा 41] [1074 ए-जी]

1.16 यह निर्धारित करने के लिए कि मध्यस्थता समझौते में विवाद की विषय वस्तु कब मध्यस्थता योग्य नहीं है, चार गुना परीक्षण है (1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय वस्तु आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित है, जो व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित नहीं है जो आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न होते हैं। (2) जब कार्रवाई का कारण

और विवाद की विषय वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करती है; इसका सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है; केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है, और पारस्परिक

न्यायनिर्णयन उचित और प्रवर्तनीय नहीं होगा। (3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय संबंधित होता है - राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्य और इसलिए पारस्परिक निर्णय अप्रवर्तनीय होंगे; (4) जब विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य क़ानून (ओं) के अनुसार गैर-मध्यस्थ हो। ये परीक्षण जलरोधक डिब्बे नहीं हैं; वे डवटेल और ओवरलैप करते हैं, हालांकि जब समग्र और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है तो यह निर्धारित करने और सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कब

भारत में कानून के अनुसार, कोई विवाद या विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है।

केवल तभी जब उत्तर सकारात्मक हो कि विवाद का विषय गैर-मध्यस्थ होगा। हालांकि, उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। [पैरा 45] [1077 ए-ई] 1.17 गैर-मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि दिवाला या अंतर-कंपनी विवादों को एक केंद्रीकृत मंच द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, चाहे वह अदालत हो या एक विशेष मंच, जो अधिक कुशल होगा और पूरे मामले को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने का

पूरा अधिकार क्षेत्र होगा। वे भी रेम में क्रियाएँ हैं। इसी तरह, विद्या ड्रॉलिया और अन्य का अनुदान और जारी करना v.

दुर्गा व्यापार निगम

पेटेंट और ट्रेडमार्क का पंजीकरण संप्रभु या सरकारी कार्यों के भीतर आने वाले अनन्य मामले हैं और इनका सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। इस तरह के अनुदान एकाधिकार अधिकार प्रदान करते हैं। वे गैर-मध्यस्थ हैं। आपराधिक मामले फिर से मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि वे राज्य के संप्रभु कार्यों से संबंधित हैं। इसके अलावा, आपराधिक कानून का उल्लंघन राज्य के खिलाफ अपराध है न कि केवल पीड़ित के खिलाफ। विवाह के विघटन, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि से संबंधित वैवाहिक विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं क्योंकि वे संप्रभु कार्यों के दायरे में आते हैं और उनका कोई वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य नहीं है। निर्णयों का सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। प्रोबेट, टेस्टामेंटरी मैटर आदि से संबंधित मामले रीम में कार्य हैं और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक घोषणा हैं।

और इसलिए गैर-मध्यस्थ हैं। [पैरा 46] [1077-जी-एच; 1078-ए-सी] 1.18 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित मकान मालिक-किरायेदार विवाद मध्यस्थता योग्य हैं क्योंकि वे किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हैं।

व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित है जो रेम में अधिकारों से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के कार्य आम तौर पर तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं या केंद्रीकृत निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं या इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मकान मालिक-किरायेदार विवादों को तय करने वाला एक पुरस्कार निष्पादित किया जा सकता है और दीवानी अदालत के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक-किरायेदार विवाद राज्य के अविभाज्य और संप्रभु कार्यों से संबंधित नहीं हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता को बाधित नहीं करते हैं। स्थानांतरण

संपत्ति अधिनियम का, अन्य सभी अधिनियमों की तरह, एक सार्वजनिक उद्देश्य है, अर्थात, मकान मालिक-किरायेदार संबंधों को विनियमित करना और मध्यस्थ उन प्रावधानों से बाध्य होगा, जिनमें ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो

और किरायेदारों की रक्षा करें। इसलिए मकान मालिक-किरायेदार विवाद मध्यस्थता योग्य हैं क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम मध्यस्थता को प्रतिबंधित या पूर्वनिर्धारित नहीं करता है। हालांकि, मकान मालिक-किरायेदार विवाद किराया नियंत्रण कानून द्वारा कवर और शासित नहीं होंगे जब विशिष्ट अदालत या मंच को विशेष अधिकारों और दायित्वों को लागू करने और तय करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है। इस तरह के अधिकारों और दायित्वों को केवल न्यायनिर्णित और लागू किया जा सकता हैनिर्दिष्ट न्यायालय/मंच, और मध्यस्थता के माध्यम से नहीं। [पारस 48 और 49] [1078-ई-एच; 1079-ए-बी]

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर

, (2013) 1 एस. सी. सी. 641:

[2012] 13 [2020] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 एस. सी. आर. 102; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम। आफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी. 751: [2018] 14 एस. सी. आर. 791; ए. अव्यासामी बनाम। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एससीसी 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521; प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम बॉम्बे एंड अदर्स के कमलेकर शांताराम वाडके (1976) 1 एस. सी. सी. 496: [1976] 1 एससीआर 427; वी. एच. पटेल एंड कंपनी एंड अदर्स बनाम हीरूभाई हिमाभाई पटेल और अन्य (2000) 4 एस. सी. सी. 368: [2000] 3 एस. सी. आर. 113; अब्दुल कादिर समशुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक और एक अन्य आकाशवाणी 1962 एससी 406: [1962] एस. सी. आर. 702; एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड बनाम। एचएसबीसी पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड 2021 (4) एससीसी 713; राशिद रजा बनाम। सदफ अख्तर (2019) 8 एस. सी. सी. 710-- पर भरोसा किया।

(2017) 10 एससीसी 706: [2017] 10 एससीआर 139; एन.राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर और अन्य, (2010)

1 एससीसी 72: [2009] 15 एस. सी. आर. 371-खारिज

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 358; सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम। जयेश एच. पांड्या और एक अन्य (2003) 5 एससीसी 531: [2003] 3 एस. सी. आर. 558; डेक्कन पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। रीजेंसी महावीर 2021 (4) एससीसी 786 का उल्लेख किया गया है।

टेलस कम्युनिकेशंस इंक. बनाम। अब्राहम वेलमैन (2019) एस. सी. सी. 19 (कैन. एल. आई. आई.) मित्सुबिशी मोटर्स कार्पोरेशन बनाम। सोलरक्रिसलर प्लाईमाउथ इंक, 473 यू. एस. 614 एस. सी. टी. 3346 (1985) (यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, 2 जुलाई 1985)-संदर्भित

वेंडरबिल्ट जर्नल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ, वॉल्यूम। 36 , सं. 4, अक्टूबर 2003, पृ. 1115-1136 ' कौन तय करता है

मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र? पृथकता और क्षमता विद्या द्रोलिया और अन्य v.

दुर्गा व्यापार निगम

जॉन जे. बार्सिलोना तृतीय द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्षय में क्षमता'; वाणिज्यिक कानून और अभ्यास

इंग्लैंड में मध्यस्थता (दूसरा संस्करण। 1989) मस्टिल और बॉयड द्वारा; रेडफर हंटरन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और गैरी बी. बोर्निन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन;

मध्यस्थता पर एक दूसरा नज़र: दृष्टिकोण

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड में मध्यस्थता और

पैट्रिक एम. बैरन और स्टीफन लिनिगर द्वारा जर्मनी;

कानूनों का संघर्ष 98,7 वां संस्करण। 1974 आर. एच. ग्रेवसन द्वारा-संदर्भित।

2.1 गैर-मध्यस्थता का मुद्दा तीन चरणों में उठाया जा सकता है। सबसे पहले, न्यायालय के समक्ष संदर्भ के लिए एक आवेदन पर

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 या लंबित न्यायिक मामलों पर रोक लगाने के लिए

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यवाही और संदर्भ; दूसरा, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष; या तीसरा, स्तर पर अदालत के समक्ष।

पुरस्कार या उसके प्रवर्तन को चुनौती देना। [पैरा 51] [1079 डी-एफ]

2.2 गैर-मध्यस्थता के सवाल का फैसला कौन करता है? ए

न्यायक्षेत्र संबंधी प्रश्न एक तकनीकी कानूनी मुद्दा है, और बूटस्ट्रैपिंग और भ्रम से बचने के लिए तथ्यों पर लागू होने पर स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यह संदेह कि निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र किसके पास है, कई मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा डाल सकता है, भटक सकता है और देरी कर सकता है। कुछ हद तक, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि अधिनियम मध्यस्थ को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्देश स्तर पर और निर्णय के बाद की कार्यवाही में तय करने के लिए कितना अधिकार क्षेत्र देता है। यह उनके द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र पर भी निर्भर करता है।

कार्यक्षेत्र के साथ-साथ क्या विषय वस्तु मध्यस्थता में सक्षम थी, समाप्ति, नवीनता, हताशा और तथ्यों पर विवादित होने पर 'सहमति और संतुष्टि' के मामले में संभावित अपवाद के साथ, पहले या बाद में निर्धारित और तय किया गया था अदालतों द्वारा संदर्भ चरण। सिद्धांत यह है कि अदालत [2020] 11 एस. सी. आर.

एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और यह कि मध्यस्थता समझौते के विषय के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए हैं। हालाँकि, इस स्तर पर न्यायालय विवादों के गुण-दोष या स्थिरता से चिंतित नहीं होगा। अवरोधक रणनीति, निर्णय और गैर के अंतिम निर्णय को रोकने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद

संदर्भ स्तर पर मध्यस्थता के मुद्दे हमेशा रुकेंगे, पटरी से उतरेंगे और वर्षों तक अदालतों में कार्यवाही को विफल कर देंगे। [पैरा

53] [1080 - ए-डी]

2.4 UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित मध्यस्थता अधिनियम ने इस उद्देश्य के साथ एक पूरी तरह से नया नियम पेश किया वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों में मध्यस्थता को एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में बढ़ावा देना जो समकालीन आवश्यकताओं के लिए निष्पक्ष, उत्तरदायी और कुशल हो। मध्यस्थता अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना और कम करना है। तदनुसार, गैर-मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की वैधानिक शक्तियों को बढ़ाया गया और अलगाव और क्षमता के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जबकि अदालतों ने निर्णय के बाद की चुनौती कार्यवाही में 'दूसरी बार देखने' के लिए कुछ शक्ति बरकरार रखी। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में

रेफरल चरण में, इस न्यायालय के विचार अलग-अलग हैं और न्यायालय के फैसलों के कानूनी प्रभाव को संशोधित करने और मिटाने के लिए वैधानिक संशोधन किए गए हैं। [पैरा 54] [1080-डी-एफ]

2.5 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के लिए, अलग करने के सिद्धांत को अधिनियमित करता है

अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध से मध्यस्थता समझौता। खंड (ए), कानूनी कल्पना द्वारा, एक मध्यस्थता खंड को एक स्वतंत्र दर्जा देता है जैसे कि यह एक स्वतंत्र समझौता है, भले ही यह

केवल एक खंड है और अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध का एक अभिन्न अंग है। खंड (बी) एक कानूनी नियम तैयार करता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का एक निर्णय जो यह मानता है कि मुख्य अनुबंध अमान्य है, वह न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। मुख्य अनुबंध के अस्तित्व या अयोग्यता या निरसन के लिए सफल चुनौती में आवश्यक रूप से मध्यस्थता समझौते के समान निष्कर्ष शामिल नहीं है, बशर्ते कि अदालत संतुष्ट हो कि मध्यस्थता खंड पर सहमति हो गई थी।

मध्यस्थता समझौते को केवल उस आधार पर टाला जा सकता है जो सीधे मध्यस्थता समझौते से संबंधित हो। अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध के लिए चुनौती के बावजूद, अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध में मध्यस्थता खंड के लिए जीवित रहता है

विवादों का निर्धारण करना। यह सिद्धांत बूट-स्ट्रैपिंग को रोकता है क्योंकि यह मुख्य रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए है न कि अदालत के लिए कि वह अस्तित्व, वैधता और रद्द करने के मुद्दों पर निर्णय ले।

अंतर्निहित अनुबंध। पृथक्करण का सिद्धांत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को रेफरल अदालत द्वारा प्रश्नों के पूर्व निर्णय के बिना अंतर्निहित अनुबंध के अस्तित्व, वैधता या निरसन पर शासन करने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है। [पैरा 81] [1116-ए-ई]

दामोदर घाटी निगम बनाम। के. के. कर (1974) 1 एस. सी. सी. 141: [1974] 2 एस. सी. आर. 240; भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , ए. आई. आर 1959 एस. सी 1362: [1960] एससीआर 49 -

संदर्भित किया गया।

फियोना ट्रस्ट एंड होल्डिंग कॉर्प। वी. प्रीवालोव (2007) 1 ऑल ई. आर. (कॉम) 891: 2007 बस एल. आर. 686 (सी. ए.); बकये चेक कैशिंग इंक. कार्डेग्ना 163 एल एड 2 डी 1038: 46 यूएस 440 (2006): 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 14; प्राइमा पेन कॉर्प. वी. फ्लड एंड कोंक्लिन एम. एफ. जी. कं. एल एड दूसरा 1270; 388 यू. एस. 395 (1967): 1967 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 160; साउथलैंड कार्पोरेशन। वी. कीटिंग, 1984 एससीसी ऑनलाइन

यूएस एससी 19-संदर्भित।

मध्यस्थता के बारे में: स्टावरोस ब्रेकोलाकी द्वारा लगातार गलत धारणाएँ और चिंता के नए क्षेत्र; इमैनुएल

गैल्लार्ड और यास बैनिफेटेमी का नकारात्मक प्रभाव

योग्यता-योग्यता: मध्यस्थों के पक्ष में प्राथमिकता का नियम; जॉन जे. बार्सिलोना III, पेपरशीर्षक 'मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र का निर्णय कौन करता है?

पृथकता और क्षमता-में क्षमता

प्रो. द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्षय'। बकये के बाद मध्यस्थता कानून के पृथकता सिद्धांत में स्टीफन जे. वेयर

कैशिंग, इंक.-संदर्भित की जाँच करें।

2.6 सक्षमता-सक्षमता के सिद्धांतों के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ होते हैं। एक सकारात्मक निहितार्थ के रूप में, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों को सक्षम घोषित किया जाता है और कानून द्वारा शासन करने के लिए अधिकृत किया जाता है [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों का निर्णय लें। व्यक्त नकारात्मक प्रभाव के मामले में, क़ानून शासन करेगा और इसका पालन किया जाना चाहिए। निहित नकारात्मक प्रभाव आवश्यक रूप से रेफरल चरण में अदालत द्वारा हस्तक्षेप को कम करता है और बाधित करता है

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए निहितार्थ। नकारात्मक प्रभाव के अनुसार, रेफरल स्तर पर अदालतों को गुण-दोष पर निर्णय नहीं लेना है, सिवाय इसके कि जब कानून द्वारा अनुमति दी गई हो।

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, गैर-मध्यस्थता के ऐसे प्रश्न। न्यायालयों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ऐसी प्राथमिकता

यह आंशिक और सीमित हो सकता है जब कानून पहली नजर के रेफरल चरण में कुछ या प्रतिबंधित जांच का प्रावधान करता है। [पैरा 83] [1117-जी-एच; 1118-ए-बी]

2.7 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए स्वीकार करती है और उसे सशक्त बनाती है

मध्यस्थता समझौते की वैधता सहित गैर-मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में आपत्तियों पर निर्णय सहित। उप-धारा (2) के अनुसार मध्यस्थता का विरोध करने वाले पक्ष को मध्यस्थता के समक्ष न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर आपत्ति उठानी चाहिए।

न्यायाधिकरण, बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं। तथापि, नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी या

जैसे ही मामला उठे, उसे उठाया जाए। हालांकि, मध्यस्थ उप-धारा (4) के अनुसार, न्यायाधिकरण को उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि से परे अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में याचिका स्वीकार करने का अधिकार है।

धारा (2) और (3) यदि यह समझती है कि विलंब उचित है। के अनुसार

उप-धारा (5) का अधिदेश जब उप-धारा (2) और (3) के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही जारी रख सकता है और मध्यस्थता पारित कर सकता है।

पुरस्कार। पीड़ित पक्ष को विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम की धारा 34 के तहत इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।

दुर्गा व्यापार निगम

कार्यवाही करें और एक पुरस्कार दें, भले ही इसके तहत एक आवेदन होधारा 8 की उप-धारा (1) न्यायालय/मंच के विचाराधीन है। इसलिए, न्यायिक कार्यवाहियों की लंबितता भी

न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए आगे बढ़ने और निर्णय देने के लिए स्वयं कोई बाधा नहीं है। [पैरा 84] [1118-सी-एच]

2.8 अधिनियम की धारा 34 तीसरे चरण में लागू होती है।

पुरस्कार के बाद जब पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन दायर किया जाता है। धारा 34 के तहत, एक पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है-(i) यदि मध्यस्थता समझौता कानून के अनुसार मान्य नहीं है जिसके लिए पक्षकार अधीन है; (ii) यदि पुरस्कार उन विवादों से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे में नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामले पर निर्णय होता है; और (iii) जब विवाद का विषय अभी लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, सक्षमता-सक्षमता सिद्धांत, अपने नकारात्मक प्रभाव में, पक्षों के लिए द्वार खुला छोड़ देता है

तीन मुद्दों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को चुनौती दें।

नकारात्मक प्रभाव पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन केवल तीन मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्राथमिकता देता है। न्यायालयों का मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत तीन पहलुओं पर 'दूसरा विचार' है। [पैरा 85] [1119-ए-डी]2.9 रेफरल स्तर पर अदालतें मंत्रिस्तरीय कार्य नहीं करती हैं। जब वे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के संदर्भ में आपत्तियों का निर्णय लेते हैं तो वे न्यायिक कार्यों का अभ्यास और प्रदर्शन करते हैं। धारा 8 न्यायालयों को निर्दिष्ट करती है कि वे

मध्यस्थता के लिए पक्षकार, यदि की गई कार्रवाई एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, जब तक कि यह नहीं पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामले को पक्षकारों द्वारा रखे गए मामले के गुण-दोष के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना है। यह एक वैध मध्यस्थता समझौते के तहत मुकदमे के प्रथम दृष्टया मध्यस्थ होने के विषय तक सीमित है। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है कि इन पहलुओं पर दावे प्रामाणिक हैं। जब पृथक्करण और क्षमता क्षमता के सिद्धांतों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है, तो बिना उलझे हुए रेफरल अदालत पक्षों को [2020] 11 एस. सी. आर. का पालन करने के लिए मजबूर करेगी।

जब तक कि इसके विपरीत अच्छे और ठोस कारण न हों। [पैरा 86] [1119-डी-जी; 1120-ए-बी]

निर्मला जे. झाला बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2013)

4 एससीसी 301: [2013] 5 एस. सी. आर. 2006-पर निर्भर था।

2.10 प्रथम दृष्टया परीक्षा पूर्ण समीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक परीक्षा है।

स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और गैर-मध्यस्थता विवादों को समाप्त करने के लिए पहली समीक्षा। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और सीधे आगे के मामलों में साइड शाखाओं को काटना है जहां बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए। केवल तभी जब न्यायालय निश्चित हो कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या विवाद /

विषय वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं है, धारा 8 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, अदालत को झंझटों में नहीं फंसना चाहिए और तथ्यों के विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय नहीं करना चाहिए। रेफरल

कार्यवाही प्रारंभिक और संक्षिप्त होती है न कि लघु परीक्षण। यह अनिवार्य रूप से अधिकार क्षेत्र की प्रकृति को दर्शाता है।न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया। [पैरा 87] [1120-बी-डी]

एनसीसी लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्यस्थता

2018 की याचिका संख्या 115 ने 08.02.2019 पर निर्णय लिया; चांदी

ड्राई बल्क कंपनी लिमिटेड बनाम। होमर हुल्बर्ट मैरीटाइम

कंपनी लिमिटेड, (2017) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 44 (कम.)

-

संदर्भित किया गया। सिल्वर ड्राई बल्क कंपनी लिमिटेड बनाम। होमर हुल्बर्ट

मैरीटाइम कंपनी लिमिटेड (2017) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 44 (कम.)

- संदर्भित किया गया है2.11 गैर-मनमानेपन की प्रकृति और पहलू भी हो सकते हैं

रेफरल स्तर पर न्यायालय द्वारा जांच के स्तर और प्रकृति का निर्धारण करना। न्यायालय मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलुओं की, रेफरल स्तर पर और मध्यस्थता समझौते के क्षेत्राधिकार संबंधी पहलुओं की जांच कर सकता है जो उसे लगता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। गैर-मध्यस्थता के मुद्दे को प्रक्रियात्मक और मूल आपत्तियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रक्रियाएं हैं - ' गेटवे प्रश्न 'जो संभवत: मध्यस्थ के लिए कम से कम पहले चरण में निर्णय लेने के लिए होंगे।

भारतीय संदर्भ में, विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी

मुद्दे, अर्थात्, क्या पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्या कोई मध्यस्थता समझौता है औरक्या संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है, दूसरी और तीसरी श्रेणियों/मुद्दों की तुलना में अधिक गहन जांच के अधीन होगा, जो अनुमानित रूप से, असाधारण मामलों को छोड़कर, मध्यस्थ के लिए

तय कीजिए। पहली श्रेणी में इस बात से संबंधित प्रश्न या मुद्दे शामिल होंगे कि क्या कार्रवाई का कारण कार्रवाई से संबंधित है।

व्यक्ति या रेम; क्या विवाद की विषय वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करती है, सर्वव्यापी प्रभाव डालती है, केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है; क्या विषय वस्तु राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित है; और क्या विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक है।

अनिवार्य मूर्तियों के अनुसार गैर-मध्यस्थता निहितार्थ। इस तरह के सवाल शायद ही कभी उठते हैं और जब वे उठते हैं, तो ज्यादातर मौकों पर कानून के सवाल होते हैं। दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को संबंधित विवादों/दावों के गुण-दोष के अंतर्निहित मुद्दों के साथ जोड़ा और जोड़ा जाएगा। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेना होगा। न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है, जबकि यह सचेत रहता है कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करने के लिए है न कि अधिकार क्षेत्र को हड़पने के लिए।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण। रेफरल स्तर पर एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या एक लंबी समीक्षा करने से विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावशीलता को कम करने में बाधा आएगी और देरी होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। अदालत की चुनौती सही राशि और संदर्भ

का पता लगाना है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगी या संयम का प्रयोग करेगी। कानूनी आदेश को रेफरल स्तर पर मध्यस्थता बाधा रणनीति से बचने और पक्षकारों को मध्यस्थता से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है।

मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता है। [पैरा 88] [1122-बी-एच; 1123-ए-बी] [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा

पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267: [2008]

13 एस. सी. आर. 638-पर निर्भर।

ओज़लेम सुस्लर-'द इंग्लिश अप्रोच टू कम्पीटेंस' योग्यता '-संदर्भित।

विस्तृत जाँच की आवश्यकता होती है, मामले को पक्षों द्वारा सहमति से चुने गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतर्निहित तर्क देरी या स्थगन नहीं करना और विलंब और बाधा के लिए एक कारण के रूप में रेफरल कार्यवाही का उपयोग करने से पक्षों को हतोत्साहित करना है। ऐसे मामलों में इस स्तर पर अदालतों द्वारा पूरी समीक्षा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। प्राथमिक और प्रथम न्यायनिर्णायक के रूप में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ मुकदमे का केंद्रीकरण लाभकारी है क्योंकि यह विवादों के त्वरित और कुशल समाधान में मदद करता है। [पैरा 89] [1123-सी-ई] 2.13 न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा और विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा जब यह संतुष्ट हो जाएगा कि प्रतियोगिता के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पहले विवादों का निर्णय लेना चाहिए और गैर-मध्यस्थता पर निर्णय देना चाहिए। इसी तरह, विवेकाधिकार का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष देरी की रणनीति अपना रहा हो और रेफरल कार्यवाही को बाधित कर रहा हो। [पैरा 90] [1123-ई-एफ]

डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन बनाम। यूनियन डेस कॉन्समेटर्स और ओलिवियर डुमोलिन [2007] 2 एस. सी. आर. 801; टीईएलयूएस

कम्युनिकेशंस इंक. वी. अब्राहम वेलमैन (2019) एससीसी

19 (कैनएलआईआई)-संदर्भित

2.14 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अदालत को किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। अनुभाग

(6 - क) धारा 11 में यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय, उप-धारा (4), (5) या (6) के तहत नियुक्ति के चरण में, स्वयं को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रखेगा।

2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) को हटा दिया गया था, लेकिन संस्थागत विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम की एक नई व्यवस्था की शुरुआत को देखते हुए यह चूक की गई है।

दुर्गा व्यापार निगम

न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थता, दिनांक 30.07.2017। [पैरा 91] [1124-डी-ई]

2.15 यह स्वीकार करना गलत होगा कि उप-धारा (6-ए) से धारा 11 को हटाए जाने के बाद पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में अनुपात लागू हो जाएगा। * पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेडविधायी रूप से खारिज कर दिया गया और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6-ए) को हटाने के बाद भी लागू नहीं होगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की छोड़ी गई उप-धारा (6-ए) न्यायालयों को इसके दायरे पर लागू और मार्गदर्शन करती रहेगी -

पहले चरण में अधिकार क्षेत्र, जो कि मध्यस्थता से पहले का चरण है। 2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) को हटाना विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ था और इसके प्रतिस्थापन द्वारा संबंधित है

2019 के अधिनियम 33 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (12), (13) और (14), जो उप-धारा (3ए) के माध्यम से निर्धारित करती है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को नामित करने की शक्ति होगी।

मध्यस्थ संस्थान जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-I के तहत इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, बशर्ते कि जहां एक श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्थान उपलब्ध न हो, संबंधित उच्च न्यायालय कार्य के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखेगा और उसके बाद उच्च न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ के लिए एक मध्यस्थ संस्थान का कर्तव्य निभाएगा। [पैरा 91] [1124-जी-एच; 1125-बी-ई]

मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714: [2019] 12 एससीआर 123 65 -

पर भरोसा किया।

2.16 न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बीच अंतर करना संभव है और

मध्यस्थता समझौते की वैधता। इस तरह की व्याख्या एस में "अस्तित्व" शब्द के सादे अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। 11 मध्यस्थता अधिनियम। हालाँकि, यह समान रूप से संभव है,

न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर, यह मानना कि एक समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि यह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे अदालत द्वारा पक्षों को खारिज करके लागू किया जाएगा

मध्यस्थता। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी जिसमें शामिल हैं

परिभाषा खंड और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रवर्तनीय दस्तावेज़। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कोई समझौता नहीं है कुछ भी। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है। [पैरा 92] [1125-एफ-एच; 1126-ए-सी]

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्रीकंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (2019) 9 एससीसी

209 : [2019] 5 एस. सी. आर. 579 पर भरोसा किया। 2.17 न्यायालय संदर्भ स्तर पर न्यायिक अभ्यास करता है।

शक्तियाँ '। 'परीक्षा', आम बोलचाल में एक साधारण अभिव्यक्ति के रूप में, कुछ खोजने के लिए किसी चीज़ को ध्यान से देखने या विचार करने के कार्य को संदर्भित करता है। इसके लिए व्यक्ति को बारीकी से निरीक्षण करने, स्थिति का परीक्षण करने या सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना और यह कहना अजीब होगा कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, हालांकि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौता कानून और विवाद में अमान्य है।

प्रश्न गैर-मध्यस्थ है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और अधिकार क्षेत्र से परे कार्य नहीं करेगा, यदि वह किसी आवेदन को अस्वीकार कर देता है

संदर्भ, जब मध्यस्थता खंड स्वीकार किया जाता है या बिना संदेह एक नाबालिग, पागल के साथ है या एकमात्र दावा एक वसीयत की जांच चाहता है। [पैरा 92 (ii)] [1127-ए-सी]

2.18 अधिकांश विद्वान और न्यायविद स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता समान है।

अधिकांश क्षेत्राधिकार स्वीकार करते हैं और रेफरल स्तर पर गैर-मध्यस्थता पहलुओं पर अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया समीक्षा की आवश्यकता होती है। [पैरा 92 (iii) और (iv)] [1127-सी-डी]

2.19 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 हैं -

पूरक प्रावधान जैसा कि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में आयोजित किया गया था।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य समान है -

पार्टियों को अपने अनुबंध का पालन करने के लिए मजबूर करें और मजबूर करें समझना। ऐसा होने के कारण, दोनों प्रावधानों को समान मानक निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग मापदंड निर्धारित करने के रूप में। धारा 11 यह निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करती है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। धारा 8 में कहा गया है कि संदर्भ के स्तर पर न्यायिक समीक्षा प्रथम दृष्टया अंतिम नहीं है। प्रथम दृष्टया मानक समान रूप से लागू होता है जब की शक्ति

न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, वैध मध्यस्थता का आदेश

धारा 8 में समझौते को धारा 11 के अधिदेश में पढ़ा जा सकता है, अर्थात् 'मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व'। [पैरा 92 (v)] [1127 ई-जी]

2.20 प्रथम दृष्टया न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग

वैधता को शामिल करने के रूप में अस्तित्व उचित है क्योंकि एक अदालत पहला मंच है जो रेफरल के अनुरोध की जांच और निर्णय करता है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पूर्ण "हैंड्स ऑफ" दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और मध्यस्थता को नुकसान पहुंचाएगा। सीमित, फिर भी प्रभावी हस्तक्षेप स्वीकार्य है क्योंकि यह मध्यस्थता में बाधा नहीं डालता है लेकिन इसे प्रभावी बनाता है। सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा का प्रयोग किसी भी तरह से मध्यस्थता की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए क्षमता और अलगाव के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि परेशान करने वाले और तुच्छ मामले हों।

प्रारंभिक चरण में समाप्त करें। [पैरा 92 (vi) और 92 (vii)] [1127-जी-एच; 1128-ए-बी]

2.21 मध्यस्थता समझौते की वैधता के बारे में न्यायिक समीक्षा की प्रथम दृष्टया शक्ति का प्रयोग करने से लागत की बचत होगी और

जब स्पष्ट रूप से कोई औचित्य नहीं है और गैर-मध्यस्थता की याचिका को स्वीकार नहीं करने का एक अच्छा कारण है तो आपत्ति करने वाले पक्षों के उत्पीड़न की जांच करें। [पैरा 92 (viii)] [1128-बी-सी]

सुब्रत रॉय सहारा बनाम। भारत संघ (2014) 8 एस. सी. सी.

470 : [2014] 12 एस. सी. आर. 573; डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम।

गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: [2017] 10 एससीआर 285; एम. आर. इंजीनियर और ठेकेदार निजी

सीमित वी। सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी

696 : [2009] 10 एस. सी. आर. 373-पर निर्भर।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

* एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2005) 8 एससीसी

618 : [2005] 4 पूरक। एससीआर 688; राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड v. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड

(2009) 1 एससीसी 267: [2008] 13 एससीआर 638; ओरिएंटल

बीमा कंपनी लिमिटेड v. नरभेरम पावर एंड स्टील

प्राइवेट लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 534: [2018] 4 एससीआर 826;वल्कन बीमा बनाम। महाराज सिंह (1976) 1 एस. सी. सी. 943:

[1976] 2 एस. सी. आर. 62; मेसर्स। पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई।

सीमित वी। जवाहरलाल के न्यासी मंडल

नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और एक और 2018 (10) एससीसी 525

-

संदर्भित किया गया।

2.22 व्याख्या उचित रूप से आवंटन को संतुलित करती है।

निर्देश स्तर पर न्यायालय और गुण-दोष के आधार पर विवादों का निर्णय करने के लिए मध्यस्थों के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के बीच निर्णय लेने का अधिकार। पहली बार के न्यायिक मंच के रूप में न्यायालय प्रथम दृष्टया परीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है ताकि बिना किसी योग्यता, तुच्छ और बेईमान मुकदमे की जांच की जा सके और उसे खारिज किया जा सके। न्यायालयों का सीमित अधिकार क्षेत्र रेफरल स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर त्वरित, संवेदनशील और कुशल निपटान सुनिश्चित करता है। [पैरा 92 (xi)] [1129-G-H]

2.23 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 (1) में कहा गया है कि

धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि को प्रारंभ किया गया माना जाता है। सीमा कानून प्रक्रियात्मक है और आम तौर पर विवाद होते हैं, तथ्यात्मक रूप से, मध्यस्थ को पाए गए तथ्यों और लागू कानून द्वारा निर्देशित निर्णय लेना होगा। रेफरल स्तर पर अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब यह स्पष्ट हो कि दावे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित और मृत हैं, या कोई विवाद नहीं है। अन्य सभी मामलों को गुण-दोष पर निर्णय के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। विवादित 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' या नोवेशन और 'समझौते और संतुष्टि' के अनुरोध पर बचाव के मामले में भी यही स्थिति होगी। यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि लेन-देन में प्रवेश करते समय वाणिज्यिक व्यक्ति जानबूझकर एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करेंगे जिसके लिए आवश्यक होगा कि अदालत को पहले यह तय करना चाहिए कि अनुबंध को ठीक किया जाना चाहिए या टाल दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम

मामला हो सकता है, और फिर यदि अनुबंध को वैध माना जाता है, तो इसके लिए मध्यस्थ को उत्पन्न हुए मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी। [पैरा 93] [1130-ए-डी]

फिल्ली शिपिंग कं. लिमिटेड बनाम प्रीमियम नाफ्टा उत्पाद

लिमिटेड 2007 यूकेएचएल 40: 2007 बस एलआर 1719 (एचएल) -

संदर्भित किया गया।

2.24 जो वाणिज्य और व्यवसाय के पुरुषों के लिए सच और लागू होता है वह समान रूप से सच नहीं हो सकता है और आम लोगों और उन लोगों के मामले में लागू होता है जो मध्यस्थता खंड के प्रभाव से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं या जिनके पास मानक प्रपत्र अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा बहुत कम विकल्प थे। मध्यस्थता की व्यापक या संकीर्ण व्याख्याएँ

समझौता, काफी हद तक, एक पूर्वव्यापी मध्यस्थता समझौते के कवरेज को प्रभावित कर सकता है। मध्यस्थता समर्थक व्यापक व्याख्या,

आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों पर लागू किया जाता है, और वाणिज्यिक लेनदेन इस दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं कि मध्यस्थता खंड पर सही संविदात्मक भाषा के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और यह क्या कहता है, लेकिन इस संदेह के मामले में कि क्या पक्षों के व्यावसायिक संबंधों के दौरान संबंधित या करीबी विवाद खंड द्वारा कवर किए जाते हैं, यह धारणा है कि ऐसे विवाद हैं:

समझौते में शामिल। प्रतिबंधात्मक व्याख्या दूसरी ओर दृष्टिकोण में कहा गया है कि संदेह की स्थिति में विवादों को खंड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। संकीर्ण दृष्टिकोण

यह इस कारण पर आधारित है कि मध्यस्थता को न्यायालय या न्यायिक प्रणाली के लिए एक अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा दृष्टिकोण व्यापक या प्रतिबंधात्मक व्याख्या से बचना है और इसके बजाय खंड के दायरे के रूप में पक्षों के इरादे को हाथ में मामले की सख्त भाषा और परिस्थिति पर विचार करके समझा जाता है। 'सभी', 'कोई भी', 'के संबंध में', 'से उत्पन्न होने वाले' आदि शब्द मध्यस्थता खंड के दायरे और दायरे का विस्तार कर सकते हैं।

संबद्ध और आनुषंगिक मामले, जब तक कि मध्यस्थता खंड इसके विपरीत सुझाव नहीं देता है, आम तौर पर शामिल किए जाएंगे। [पैरा 94] [1131-बी-ई]

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 534: [2018] 4 एस. सी. आर. 826-पर निर्भर।

2.25 किसी विशेष मामले में मध्यस्थता समझौते की व्याख्या के बारे में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह निर्भर करेगा [2020] 11 एस. सी. आर.

भाषा, पक्षों, संबंधों की प्रकृति, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें मध्यस्थता समझौता किया गया था, आदि सहित विभिन्न कारकों पर। शुद्ध वाणिज्यिक विवादों के मामले में, व्याख्या का अधिक उपयुक्त सिद्धांत होगा

उदार निर्माण के रूप में एक स्टॉप निर्णय के पक्ष में एक धारणा है। [पैरा 94] [1131-एफ-जी]

2.26 इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में 'मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व' अभिव्यक्ति शामिल होगी।

एक मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू, हालांकि न्यायालय रेफरल स्तर पर इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगा। बहस के मामलों में और

विवादित तथ्य, और उचित तर्क योग्य मामला, आदि, न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों को तय करने का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अधिकार है। [पैरा 95] [1131-जी-एच; 1132-ए-बी]

2.27 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा समान है लेकिन

बेहद सीमित और प्रतिबंधित। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर निर्णय का अनुपात,

2016 के अधिनियम 3 द्वारा किए गए संशोधन (23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और 2019 के अधिनियम 33 द्वारा किए गए संशोधनों के बाद भी (09.08.2019 से प्रभावी), अब लागू नहीं हैं। [पैरा 96 (ए) और (बी)] [1132-बी-डी]

एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 688-लागू नहीं होता।

2.28 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत, और

पृथकता और क्षमता-क्षमता का सिद्धांत यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (i) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है। शायद ही कभी एक डिमरर के रूप में अदालत धारा विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम में हस्तक्षेप कर सकती है।

दुर्गा व्यापार निगम

जब तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता के संचालन को बाधित करता हैकार्यवाही। यह अदालत के लिए एक छोटे से मुकदमे या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण लेकिन एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि और उसे बनाए रखना। [पैरा 96 (सी) और (डी)] [1132-डी-एच; 1133-ए-बी]

अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य v. लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2013) 15 एस. सी. सी. 414: [2013] 17 एस. सी. आर. 496; शिन-एत्सु केमिकल कं. लिमिटेड v. अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड और एक अन्य (2005) 7 एस. सी. सी. 234: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 699; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड v. हुंडई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2018) 17 एससीसी

607 : [2018] 12 एस. सी. आर. 1085-पर निर्भर।

ए. आयसामी बनाम। ए. परमशिवम, (2016) 10 एससीसी

386 : [2016] 11 एससीआर 521; कोंकण रेलवे कार्पोरेशन। लिमिटेड और अन्य बनाम। मेहूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2000) 7 एस. सी. सी.201 : [2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 563; कोंकण रेलवे

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और एक अन्य वी। रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (2002) 2 एस. सी. सी. 388: [2002] 1 एससीआर 728; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एनरकॉन जीएमबीएच (2014) 5 एससीसी 1: [2014] 2 एस. सी. आर. 855 68; श्री राम मिल्स लिमिटेड बनाम उपयोगिता परिसर (पी) लिमिटेड, (2007) 4 एस. सी. सी. 599: [2007] 4 एससीआर 279; क्लोरो

, (2013) 1 एस. सी. सी. 641: [2012] 13 एस. सी. आर. 402 संदर्भित है।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. वी. रमना, जे. (सहमत):1. मध्यस्थता सर्वसम्मति का एक रूप है। यह पूरी तरह से

यह पार्टी की स्वायत्तता और समझौते में व्यक्त इरादे पर निर्भर करता है। एक अनुबंध, जिसमें कई खंड शामिल हैं

मध्यस्थता समझौतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वाणिज्यिक संबंधों से संबंधित खंडों, अर्थात प्रत्येक पक्ष के दायित्वों और कर्तव्यों को 'मुख्य अनुबंध' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। कहने के लिए मध्यस्थता समझौता अपने आप में एक अलग अनुबंध है। [पैरा 14] [1137-ई-एफ]2.

मुख्य अनुबंध से मध्यस्थता समझौते की पृथकता, ऐतिहासिक रूप से रोमन कानून में मौजूद थी। प्रारंभिक काल से, मध्यस्थता को संदेह के साथ देखा जाता था, जिसने अनुमति दी

न्यायशास्त्र। [पैरा 15] [1137-एफ-जी]3. भारत में मध्यस्थता को पहले 1899 के मध्यस्थता अधिनियम और बाद में 1940 द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वर्तमान में, मध्यस्थता 1996 के अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें बाद में संशोधन किए जाते हैं। विधायिका का इरादा शासन को 'मध्यस्थता समर्थक' बनाना है। जब भी इस न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण दिया है, तो इसे अनुरूप लाने के लिए परिवर्तनों को पूर्ववत करने की प्रवृत्ति रही है

अंतर्राष्ट्रीय मानक। [पैरा 16] [1137-जी-एच; 1138-ए-बी]

4. पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विवेकाधिकार था, हालांकि

1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद विवेकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, विशिष्ट शब्दों में, विवादों की किसी भी श्रेणी को बाहर नहीं करता है-दीवानी या सुलह।

वाणिज्यिक-मनमानेपन से। आंतरिक विधायी सामग्री वास्तव में इसके विपरीत है। धारा 8 में एक आदेश है कि जहां किसी मामले में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है, जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, पक्षकारों को उसके द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, यदि कोई पक्षकार या मध्यस्थता समझौते में किसी पक्षकार के माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति विवाद के सार पर पहला बयान जमा करने की तारीख के बाद लागू नहीं होता है। एकमात्र अपवाद वह है जहाँ प्राधिकरण पाता है, विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम

प्रथम दृष्टया, कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। धारा 8 में एक सकारात्मक अधिदेश है और न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य करता है। न्यायिक विवेक के तत्व के साथ वितरण करते हुए,

5. वर्तमान स्वरूप में धारा 34 के लिए प्रावधान करने का विधायकों का इरादा, इसके बजाय पुरस्कार की सीमित समीक्षा करना है।एक पूर्ण अपील प्रक्रिया। एक पक्ष जो एक पुरस्कार पर आपत्ति करने का इरादा रखता है, उसे पहले धारा 34 (1) के तहत एक आवेदन दायर करने की आवश्यकता होती है जिसमें एक पुरस्कार की प्रति और अन्य के साथ आपत्तियों का संकेत दिया जाता है।

अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) और (बी) के तहत प्रदान किए गए आधार। इस तरह की पूरी याचिका समय अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत विहित, जिसमें विफल रहने पर अपील को निरर्थक माना जाता है। धारा के तहत निर्धारित सीमा

अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रावधान। अधिनियम की धारा 34 के तहत कई सीमाओं का प्रावधान करना विधायी इरादा है, जिनका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है ताकि भारतीय मध्यस्थता को समयबद्ध और व्यावसायिक रूप से विवेकपूर्ण बनाया जा सके।उसी के लिए चुनें। अधिनियम की धारा 37, धारा 34 के आदेश के साथ-साथ कुछ अन्य निर्दिष्ट आदेशों के खिलाफ सीमित अपील का प्रावधान करती है। [पैरा 25] [1151-जी-एच; 1152-ए-सी] [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. मध्यस्थता की वर्तमान संरचना ऐसी है कि न्यायालय

मध्यस्थता में सहायता और समर्थन करना और निर्णय का मूल भाग मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ना है। अधिनियम के एक स्पष्ट अध्ययन पर, जब भी पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वे अपने विवाद को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त न्यायिक मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होते हैं

हल किया। यदि पक्षों ने मध्यस्थता पर विचार किया है

धारा 34 और 37 (अपील क्षेत्राधिकार) के तहत संस्थान, यदि -पुरस्कार इसके तहत दिए गए आधारों का उल्लंघन है। [पैरा 27 और 28] [1153-ए-डी]

7. अधिनियम की धारा 11 से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं: पहला-अधिनियम की धारा 11 के तहत संदर्भ शक्ति न्यायिक है।

प्रशासनिक नहीं। दूसरा-2015 के मध्यस्थता संशोधन अधिनियम से पहले अधिनियम की धारा 11 के तहत संदर्भ के चरण में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए व्यापक विवेकाधिकार था। तीसरा-अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की शक्ति को सीमित करने के लिए 2015 में संशोधन लागू किया गया था। ये

प्रस्ताव स्पष्ट और बाध्यकारी हैं। [पैरा 43] [1166-डी-एफ]

8. अधिनियम की धारा 8 तब लागू होती है, जब कोई मामला एक पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, और दूसरा पक्ष

ऐसे मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की न्यायालय की सूचना।

इन परिस्थितियों में, न्यायालय किसी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है, इस संतुष्टि पर कि पक्षों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है। 2015 का संशोधन

स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा उपयोग किया जाने वाला परीक्षण प्रथम दृष्टया आधार पर है। इसका प्राथमिक कारण, धारा 16 के तहत कोम्पेटेंज़ कॉम्पेटेंज़ का नकारात्मक प्रभाव है, जो आदेश देता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को पहले किसी भी आपत्ति पर गौर करने की आवश्यकता है।

स्वयं न्यायाधिकरण की अधिकारिता के बारे में। यह इस तथ्य के कारण है कि पक्षकार कार्यवाही का दुरुपयोग कर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं।

गेटकीपिंग तंत्र, कि विधायिका ने एक संतुलन पाया है, जिसमें न्यायालय को एक की वैधता की जांच करने की आवश्यकता है

प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता। [पारस 44 और 45] [1166-एफ-जी] विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम

9. अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत जांच की जाने वाली 'वैधता' की व्याख्या औपचारिक वैधता के रूप में की जा सकती है जैसा कि व्यक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 7 के तहत। ऐसी व्याख्या काम करेगी।

धारा 16 के नकारात्मक पहलू के पूर्ण अनुप्रयोग के रूप में, संदर्भ स्तर पर कदम उठाने के लिए न्यायालय की अधिकारिता सीमित होगी। [पैरा 46] [1167-बी-सी]

10. संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, शब्द

" मध्यस्थता का एक उचित रूप से सटीक और सीमित अर्थ है, जो इस बात से संबंधित है कि क्या राष्ट्रीय कानून या न्यायिक प्राधिकरण के कारण विवादों के विशिष्ट वर्गों को मध्यस्थता से रोक दिया गया है। में।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, मध्यस्थता अदालतों और मध्यस्थों के बीच जटिल संतुलन को भी संदर्भित करती है कि मध्यस्थता समझौते की वैधता जैसे मुद्दों पर प्रारंभिक निर्णय निर्माता कौन होना चाहिए। इन दो अर्थों में से, यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्वाद को स्वीकार करता है, जो कि पोषित विधायी इरादों में से एक है, अर्थात, मध्यस्थता अधिनियम को वैश्विक मार्च के अनुरूप लाना। [पैरा 48] [1167-ई-एफ]

11. भले ही एक न्यायाधिकरण यह समझ में आता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि

कुछ विषय अपने आप में मध्यस्थ होते हैं। इस अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। [पैरा 49] [1167-जी-एच]

12. धारा 34 (2) (बी) इस बात पर आपत्ति जताने के लिए सांविधिक आधार प्रदान करती है कि एक ऐसा पुरस्कार जिसका निपटारा करने में सक्षम नहीं हो सकता है मध्यस्थता, या भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर मध्यस्थता न करने का विधायी इरादा इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि राज्य की गतिविधियों का एकाधिकार एक निजी न्यायाधिकरण का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य की चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, एक पुरस्कार, जिसका तीसरे पक्ष पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसके अनुरूप नहीं होगा

मध्यस्थता की संविदात्मक प्रकृति, जो केवल सहमति देने वाले पक्षों के लिए बाध्यकारी है। हालाँकि, अकेले यह विशेषता स्पष्ट रूप से यह आदेश नहीं देती है कि न्यायाधिकरण पहले सार्वजनिक नीति तर्क के आधार पर किसी दावे पर निर्णय नहीं ले सकता है। चाहे कोई विषय मध्यस्थता कर सकता है या नहीं किया जा सकता है, आवश्यक रूप से एक मामले के आधार पर निपटा जाना चाहिए, न कि एक साहसिक व्याख्या के साथ कि कुछ विषय मामले मध्यस्थता में असमर्थ हैं। [पारस 50 और 51] [1168-ए डी] [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. हालाँकि, सार्वजनिक नीति के अनुरोध को विशेष रूप से पहचाना जाना, अनुरोध किया जाना और दिखाया जाना आवश्यक है कि कैसे

यह पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत है। यह संभव हो सकता है कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में कुछ दावे हो सकते हैं, जो विशेष रूप से सार्वजनिक नीति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं या जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा है, तो संदर्भ के स्तर पर इसका निर्धारण करना बहुत जल्दी होगा क्योंकि इसके लिए वर्तमान मुद्दे की पूरी जांच की आवश्यकता होगी, जो पहले न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए जाने और उसके बाद प्रवर्तन के स्तर पर देखे जाने के लिए अधिक उपयुक्त है। [पारस 51] [1169-सी-ई]

14. एक मध्यस्थता समझौता, आवश्यकता के रूप में

निहितार्थ, इसके साथ एक-स्टॉप तंत्र की धारणा रखें। जब पक्ष मध्यस्थता समझौता करने का निर्णय लेते हैं, तो वे मध्यस्थता से पहले अपने सभी विवादों को लेने के लिए सहमत होते हैं। यह

अनुमान, एक खंडन योग्य अनुमान है। इसलिए, धारा 8 और 11 की व्याख्या पर्याप्त सख्ती के साथ की जानी चाहिए, जिसमें मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए मुद्दों तक सीमित होनी चाहिए। [पैरा 54] [1170-बी-सी]

15. यह अधिनियम स्वयं विवादों की किसी भी श्रेणी को बाहर नहीं करता है।

गैर-मध्यस्थ होने के रूप में। हालांकि, अदालतों ने कुछ विषय मामलों के संबंध में मध्यस्थता को प्रतिबंधित करने के लिए 'सार्वजनिक नीति' कारण का उपयोग किया है। हालाँकि, 2015 के संशोधन के बाद,

मध्यस्थता समझौता। संशोधित भाषा और वैधानिक योजना के अनुरूप, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत संदर्भ के चरण में विषय वस्तु मध्यस्थता की जांच उचित नहीं हो सकती है। अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रवर्तन के स्तर पर न्यायालय द्वारा लिया जाना अधिक उचित है। स्पष्ट मामलों में जहां विषय वस्तु मध्यस्थता स्पष्ट रूप से वर्जित है, न्यायालय को संरक्षित करने के लिए डेडवुड काट सकता है मध्यस्थ प्रक्रिया की प्रभावकारिता। [पारस 59 और 60] [1172-जी-एच; 1173 ए-बी]

16. मध्यस्थों को निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है

विषय वस्तु मध्यस्थता। उन्हें विषय वस्तु विद्या ड्रॉलिया और अन्य v निर्धारित करने के लिए विशिष्ट सार्वजनिक नीति की पहचान करने की आवश्यकता होती है।

दुर्गा व्यापार निगम

17. 'प्रथम दृष्टया' का अर्थ और दायरा, जैसा कि एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।अधिनियम की धारा 8 के तहत सामान्य कानून के साथ-साथ नागरिक कानून प्रणालियों में बहुत भिन्नता है। इस शब्द के कम से कम दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, इसका मतलब है कि एक पक्ष ने प्रथम दृष्टया एक मामला स्थापित किया है जब उसने अपना बोझ पूरा कर लिया है।

साक्षय प्रस्तुत करना। दूसरा अर्थ यह है कि एक पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला तभी स्थापित किया है जब उसने इतना मजबूत प्रदर्शन किया है कि वह अपने पक्ष में अनुमान लगाने का हकदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रारंभिक स्थापना से संबंधित है। एक प्रमाणिक मानक के बजाय अनुमान। [पारस 62 और 63] [1173-सी-जी]

18. संशोधित धारा 8 के तहत प्रदान की गई वैधानिक भाषा का अंतर, जिसमें कहा गया है कि संशोधित धारा 11 (6ए) की तुलना में 'पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करें जब तक कि यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।'

असमानताएँ जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जबकि * शिन-एत्सु मामले और * * डुरो फेलगुएरा मामले में अदालत ने सिफारिश की

हालांकि, धारा 11 के तहत प्रथम दृष्टया एक वैध मध्यस्थता समझौते का पता लगाने के लिए, संशोधित धारा 8 के तहत उपयोग की जाने वाली नकारात्मक भाषा किसी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अनिवार्य है, जब तक कि न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह पता न चले कि कोई वैध मध्यस्थता मौजूद नहीं है। मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व न होने का निष्कर्ष केवल अपील प्रक्रिया के अधीन अंतिम है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए कुछ भी निर्णय लेने की गुंजाइश नहीं है

क्योंकि आगे कोई संदर्भ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है, तो 'प्रथम दृष्टया' वाक्यांश का उपयोग प्रथम दृष्टया मानकों पर स्थापित उदाहरणों के विपरीत है। इस संदर्भ में, न्यायालय केवल ऐसे प्रावधानों को समाप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण विधायी प्रारूपण प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दे सकता है।

जटिलताएँ। [पैरा 65] [1176-बी-ई]

19. इस प्रकार, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना होगा, जिसमें [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह संक्षेप में चित्रित किया जाना चाहिए कि एक पक्ष इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है। यदि कोई पक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उसी के न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सकता है, और इसके बजाय मौखिक और दस्तावेजी उत्पादन की व्यापक जांच की आवश्यकता होती है, तो मामले को पूर्ण परीक्षण के लिए अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। इस तरह

न्यायाधिकरण की शक्ति को न्यायिक हस्तक्षेप के साथ उचित रूप से संतुलित करने के लिए न्यायालय के पास निहित सीमित अधिकार क्षेत्र, पूर्व-संदर्भ स्तर पर आवश्यक है। [पैरा 66] [1176-ई-जी]

20. उपरोक्त प्रावधान में संशोधन का उद्देश्य अत्यंत सीमित परिस्थितियों में मृत लकड़ी को काटना था, जिसमें प्रतिवादी दस्तावेजों और अभिवचनों पर वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को प्रकट करने में सक्षम होता है।

दलों द्वारा उत्पादित। प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण, जिसने इसकी शुरुआत की

धारा 45 के तहत अस्तित्व * शिन-एत्सु मामले को स्पष्ट रूप से घरेलू मध्यस्थता के तहत भी समायोजित किया गया है2015 उचित संशोधनों के साथ संशोधन। [पैरा 67] [1176 जी-एच; 1177-ए]

21. यदि 'अच्छे तर्क योग्य मामले मानक' को एक ऐसे पक्ष के लिए एकीकृत किया जाता है जिसे गैर-अस्तित्व दिखाने की आवश्यकता होती है, तो वही होगान्यायिक सक्रियता के बराबर है। अधिनियम में विदेशी सूत्रीकरणों को एकीकृत करने के ऐसे प्रयासों, जो पहले से ही पर्याप्त न्यायिक व्यक्तिवाद का सामना कर चुके हैं, को रोकने की आवश्यकता है। [पैरा 68] [1177-बी सी]

डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम बंदरगाह (2017) 9 एस. सी. सी.

729 : [2017] 10 एस. सी. आर. 285-निर्भर

22. मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि

कुछ भी जब तक कि ऐसा समझौता संविदात्मक रूप से मान्य न हो। एक मात्र समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जब तक कि यह मूल को संतुष्ट नहीं करता है।

संविदात्मक आवश्यकताएँ, सहमति, विचार, कानूनी संबंध आदि से संबंधित। इसलिए, मध्यस्थता समझौते की प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के दायरे में केवल निम्नलिखित का निर्धारण शामिल है: क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था? या क्या मध्यस्थता

समझौता पत्रों के आदान-प्रदान में निहित था,

दूरसंचार, आदि? क्या मध्यस्थता समझौते के मुख्य संविदात्मक घटकों को पूरा किया गया? दुर्लभ अवसरों पर, क्या विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य है? [पैरा 69] [1178-ए-बी] विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम

मायावती ट्रेडिंग प्रा. लि. लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एससीसी 714: [2019] 12 एस. सी. आर. 123; गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड, [2019] 9 एससीसी 209: [2019]

5 एस. सी. आर. 579 पर भरोसा किया।

इसलिए, न्यायालय के लिए नियम है 'जब संदेह हो, तो संदर्भ दें'। [पैरा 69] [1178-सी-डी] 24. इसके अलावा, धारा 8 में संशोधन अब क्लोरो नियंत्रण मामले में बताई गई कमियों को सुधारता है

घरेलू मध्यस्थता के संबंध में। एक बहु-पक्षीय मध्यस्थता में समूह-कंपनी सिद्धांत या सद्भावना आदि के तहत कुछ पक्ष किसी विशेष मध्यस्थता से बंधे हैं या नहीं, इस संबंध में न्यायिक मुद्दे जटिल तथ्यात्मक प्रश्न उठाते हैं, जिन्हें संभालने के लिए न्यायाधिकरण पर सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है। इस मोर्चे पर धारा 8 में संशोधन भी कम करने के लिए विधायी इरादे का संकेत देता है।

संदर्भ के स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप। [पैरा 70] [1178 डी-एफ]

25. अदालतें, धारा 8 के तहत किसी मामले का विश्लेषण करते समय, उन मुद्दों की पहचान करने का विकल्प चुन सकती हैं जिनके लिए संबंधित निर्णय की आवश्यकता होती है।

मध्यस्थता समझौते की वैधता के लिए। यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता पर निर्णय नहीं दे सकता है, तो न्यायालय को किसी भी आगे के विश्लेषण को रोकना चाहिए और सभी मुद्दों को निपटाने के लिए मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए। [पैरा 71] [1178-एफ-जी]

अधिनियम की धारा 8 या 11, जब तक कि यह डेडवुड का स्पष्ट मामला न हो। न्यायालय को धारा 8 और 11 के तहत एक मामले को मध्यस्थता या मध्यस्थ की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, जब तक कि किसी पक्ष ने वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व न होने का प्रथम दृष्टया (सारांश निष्कर्ष) मामला, संक्षेप में [2020] 11 एस द्वारा स्थापित नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह एक मजबूत मामला है कि वह इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है। [एफएनडी 75] [1179-बी-एच]

*** क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641: [2012] 13 एस. सी. आर. 402; * * डुरो फेलगुएरा, एस. ए. वी. गंगावरम बंदरगाह

(2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एस. सी. आर. 285; मायावती ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एस. सी. सी. 714: [2019] 12 एस. सी. आर. 123; एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड बनाम। एचएसबीसी पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड 2021 (4)एस. सी. सी. 713; बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड (2011) 5 एस. सी. सी. 532; ए. आयसामी बनाम। ए.

परमशिवम (2016) 10 एस. सी. सी. 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी.

751 [2018] 14 एस. सी. आर. 791; गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड v. तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड, [2019] 9 एससीसी 209: [2019] 5 एस. सी. आर. 579 पर भरोसा किया। -

हिमांगनी एंटरप्राइजेज बनाम। कमलजीत सिंह अहलूवालिया,

(2017) 10 एस. सी. सी. 706 [2017] 10 एस. सी. आर. 139; आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम। सिडको लेदर लिमिटेड (2006) 10 एस. सी. सी. 452: [2006]

1 पूरक। एससीआर 528; कोंकण रेलवे कार्पोरेशन। लिमिटेड वी.

मेहूल कंस्ट्रक्शन कंपनी। : [2002] 1 एस. सी. आर. 728; कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। रानी कंस्ट्रक्शन (पी.) लिमिटेड (2002) 2 एस. सी. सी. 388: [2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 563; एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 688; * शिन-एत्सु केमिकल कं. लिमिटेड v.

अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड (2005) 7 एस. सी. सी. 234: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 699; श्री राम मिल्स लिमिटेड बनाम उपयोगिता परिसर (पी) लिमिटेड, (2007) 4 एस. सी. सी. 599: [2007] 4 एस. सी. आर. 279; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267: [2008] 13 एससीआर 638; अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम

लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड, (2013) 15 एससीसी 414: [2013]

17 एस. सी. आर. 496; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 534: [2018] 4 एससीआर 826; वल्कन बीमा बनाम। महाराज सिंह (1976) 1 एस. सी. सी. 943: [1976] 2 एससीआर 62;

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

हुंडई विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य।

(2018) 17 एससीसी 607 [2018] 12 एससीआर 1085; संयुक्त

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। प्राचीन कला का निर्यात

प्राइवेट लिमिटेड (2019) 5 एससीसी 362: [2019] 5 एससीआर 521;

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीन शक्ति

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 424: [2014]

12 एस. सी. आर. 360-संदर्भित।

लंदन स्टीमशिप मालिकों का पारस्परिक बीमाएसोसिएशन लिमिटेड बनाम स्पेन और फ्रांसीसी साम्राज्य

राज्य [2015] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 333; नोबल डेंटन मिडिल

ईस्ट वी. नोबल डेंटन इंटरनेशनल लिमिटेड, [2010] ईडब्ल्यूएचसी

2574 (कॉम.)-- संदर्भित ।मध्यस्थता के कानून पर टिप्पणी, खंड। I, चौथा संस्करण। ,

पी। 317. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा द्वारा; 246 वां कानून

आयोग की रिपोर्ट-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

संजीव खन्ना के निर्णय में, जे। :

[2017] 10 एससीआर 139

खारिज कर दिया गया

पैरा 1

[1981] 2 एससीआर 466

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

(2011) 5 एस. सी. सी. 532

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[2017] 10 एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1999] 3 एससीआर 490

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2016] 7 एससीआर 102

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1968] 3 एससीआर 662

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2018] 14 एससीआर 791

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2003] 3 एससीआर 558

पैरा 16

संदर्भित किया गया।

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया।

पैरा 17

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 96

[2012] 13 एससीआर 402

पर भरोसा किया।

पैरा 17

[2016] 11 एससीआर 521

पर भरोसा किया।

पैरा 24

[1976] 1 एससीआर 427

पर भरोसा किया।

पैरा 26 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020]

[2000] 3 एससीआर 113

पर भरोसा किया।

पैरा

[1999] 3 एससीआर 1279

पर भरोसा किया।

पैरा

[2000] 3 पूरक। एससीआर 379

पर भरोसा किया।

पैरा 3

[2006] 9 पूरक। एससीआर 785

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2017] 13 एससीआर 800

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2018] 1 एससीआर 1096

उस पर भरोसा करें

पैरा:

खारिज कर दिया गया

2013 (134) डी. आर. जे. 566 (एफ. बी)

पैरा

[2009] 15 एससीआर 371

खारिज कर दिया गया

पैरा

[1962] एससीआर 702

उस पर भरोसा करें

पैरा:

उस पर भरोसा करें

पैरा

2021 (4) एस. सी. सी. 713 (2019) 8 एस. सी. सी. 710

उस पर भरोसा करें

पैरा

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

2021 (4) एस. सी. सी. 786

[2000] 2 पूरक। एससीआर 563

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर 728

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2008] 13 एससीआर 638

उस पर भरोसा करें

पैरा:

[2013] 17 एससीआर 496

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2005] 2 पूरक। एससीआर 699

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2019] 12 एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2019] 5 एससीआर 579

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2014] 2 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2018] 12 एससीआर 1085

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2018] 4 एससीआर 826

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1976] 2 एससीआर 62

संदर्भित किया गया है

पैरा

2018 (10) एस. सी. सी. 525

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 2 एससीआर 240

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1960] एससीआर 49

संदर्भित किया गया है

पैरा विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम

5 एससीआर 200

उस पर भरोसा करें

पैरा 86

उस पर भरोसा करें

12 एससीआर 573

पैरा 92

उस पर भरोसा करें

10 एससीआर 285

पैरा 92

उस पर भरोसा करें

पैरा 92

10 एससीआर 373

4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

एन. वी. रमन्ना, जे. :

10 एससीआर 139

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

12 एससीआर 123

1 पूरक। एससीआर 528

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

1 एससीआर 728

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

2 पूरक। एससीआर 563

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

2 पूरक। एससीआर 699

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

4 एससीआर 279

13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

उस पर भरोसा करें

13 एससीआर 402

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

17 एससीआर 496

पैरा 37

उस पर भरोसा करें

10 एससीआर 285

पैरा 38 पैरा 39

4 एससीआर 826

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

2 एससीआर 62

12 एससीआर 1085

पैरा 40

संदर्भित किया गया है

5 एससीआर 521

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

12 एससीआर 123

4) एस. सी. सी. 713

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

उस पर भरोसा करें

पैरा 55

5 एस. सी. सी. 532

उस पर भरोसा करें

11 एससीआर 521

पैरा 56 [2020] 11 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 14 एससीआर 791

उस पर भरोसा करें

पैरा 57

[2014] 12 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

[2019] 5 एससीआर 579

उस पर भरोसा करें

पैरा 69

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2402

2020 से।

उच्च न्यायालय के 07.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के ए. पी. संख्या 286 में कलकत्ता का।

के साथ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 5605-5606 2019 और विशेष

2020 की छुट्टी याचिका संख्या 11877।

मनोज स्वरूप, सुनीत एस. शाह, के. वी. विश्वनाथन, नकुल दीवान,

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देबज्योति बसु, सुश्री सौम्या दत्ता, अजय कुमार, पिनाकिन एम. रावल, पथिक आचार्य, नीलमणि पंत, सुश्री विदिशा स्वरूप, आशीष चौबे, कुमार शिवम, रजित कुमार, गोपाल

शंकरनारायणन, अशोक कुमार जैन, अमर दवे, पंकज जैन, बिजय कुमार जैन, अमित कसेरा, विशाल सिन्हा, मुकुंद राव, राघव शंकर, प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, सुश्री रानू पुरोहित,

संबित नंदा, रोहन नाइक, बिजल एच. छत्रपति, अंजलि पंचायती, सुश्री अवनी शर्मा, प्रभास बजाज, धीरज नायर, सौरव अग्रवाल, कुणाल चटर्जी, पी. सी. शर्मा, टी. आर. बी. शिवकुमार, अंशुमन चौधरी, प्रवर वीर मिश्रा, विभु अंशुमन, सुश्री आकृति डावर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

संजीव खन्ना, जे।यह निर्णय तीन न्यायाधीशों के संदर्भ का निर्णय करता है।

28 फरवरी, 2019 के आदेश में 2019 की सिविल अपील संख्या 2402 में विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम, 1 क्योंकि यह हिमांगनी उद्यम बनाम में व्यक्त कानूनी अनुपात पर संदेह करता है। कमलजीत सिंह अहलूवालिया 2 ने कहा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधानों द्वारा शासित मकान मालिक-किरायेदार विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

2. संदर्भ क्रम पर गहन विचार से पता चलता है कि

जिन मुद्दों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, वे दो पहलुओं से संबंधित हैं जो अलग हैं और फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात्:

((i) गैर-मध्यस्थता का अर्थ और जब विषय वस्तु

विवाद मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम नहीं है; और

2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 358

2 (2017) 10 एस. सी. सी. 706 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

दूसरा पहलू निर्देश स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से भी संबंधित है जब गैर-मध्यस्थता की आपत्ति होती है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन के लिए उठाया गया।

3. हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स को पुनः प्रस्तुत और जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल उठाए गए कानूनी मुद्दों का जवाब दे रहे हैं। हालाँकि, हम संक्षेप में, हिमांगनी उद्यमों में कानूनी तर्क और अनुपात और विद्या द्रोलिया में संदर्भ के क्रम में व्यक्त किए गए विपरीत दृष्टिकोण का उल्लेख करेंगे।4. हिमांगनी एंटरप्राइजेज ने नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक परिसर में एक दुकान से उसे बेदखल करने की मांग करने वाले दीवानी मुकदमे में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिवादी किरायेदार द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। यह मुकदमा किराए के बकाया की वसूली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी था। विचाराधीन किरायेदारी किराया नियंत्रण कानून के तहत संरक्षित नहीं थी और अधिकार और दायित्व संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित थे। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-मध्यस्थता का मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि इसका उत्तर इन निर्णयों द्वारा दिया गया है -

नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड बनाम नवरंग स्टूडियो 3 और बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड में, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था क्योंकि किरायेदारी को बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट, 1947 के तहत संरक्षित किया गया था, यह देखा गया था कि सार्वजनिक नीति के व्यापक विचार पर, मध्यस्थ के पास इस सवाल का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था कि क्या लाइसेंसधारी-मकान मालिक कब्जा लेने का हकदार था। इस विवाद का फैसला विशेष रूप से छोटे कारणों के न्यायालय द्वारा किया जा सकता था, जिसके पास अकेले अधिकार क्षेत्र था। बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली या किरायेदारी मामलों में और जहां किरायेदार को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है,

केवल निर्दिष्ट न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। उक्त अनुपात पर भरोसा करने वाले हिमांगनी एंटरप्राइजेज का मानना है कि हालांकि दिल्ली का किराया

अधिनियम लागू नहीं होता है, इसका पालन नहीं होता है कि मध्यस्थता अधिनियम होगा

3 3 (1981) 1 एससीसी 523 4 (2011) 5 एससीसी 532: (2011) 2 एस. सी. सी. (सिविल) 781 [2020] 11 एस. सी. आर.

लागू होता है ताकि मध्यस्थ को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। यहां तक कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा शासित किरायेदारियों के मामलों में भी, विवाद का विचारण दीवानी अदालत द्वारा किया जाएगा न कि मध्यस्थ द्वारा। किराया अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट को वापस लिया जा सकता है और उसके बाद अधिकार किराया नियंत्रण कानून द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

5. विद्या द्रोलिया में, धारा 11 (6-ए) का उल्लेख करते हुए एक अन्य खंड पीठ ने कहा है कि रेफरल चरण की आवश्यकता केवल 'मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व' की जांच करना है न कि मध्यस्थता समझौते की वैधता की। 246 भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट दोहरे परीक्षण का सुझाव दिया था कि क्या समझौता 'मौजूद' है या 'अमान्य' है, हालांकि धारा 11 (6-ए), जैसा कि अधिनियमित किया गया है, 'मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व' की आवश्यकता है, और पूर्व शर्त है कि मध्यस्थता

समझौता 'अमान्य' नहीं होना चाहिए जिसे जानबूझकर हटा दिया गया था। द.

'मध्यस्थता समझौते की वैधता' और 'मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व' के बीच अंतर करने के लिए धारा 11 (6-ए) के शब्दों को धारा 16 (1) से विपरीत किया गया था। ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. वी. में कुरियन जोसेफ, जे. की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, इस प्रभाव से कि धारा 11 (6-ए) का दायरा सीमित है, केवल यह देखने के लिए कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। विधायी नीति और उद्देश्य नियुक्ति स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को अनिवार्य रूप से कम करना है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 111,114 और 114 ए का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है कि इस अधिनियम और कानून में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पट्टे के निर्धारण, किराए के बकाया आदि से संबंधित विवाद का निर्णय मध्यस्थ द्वारा नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक नीति पर आधारित आधारों को मध्यस्थ के समक्ष उठाया जा सकता है क्योंकि उन्हें अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। मध्यस्थ धारा 114 और 114 ए के प्रावधानों का अच्छी तरह से पालन कर सकता है और सार्वजनिक नीति को लागू कर सकता है।एक वर्ग के रूप में किरायेदारों की सुरक्षा के लिए विचार। बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि आर. ई. एम. में अधिकार बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ प्रयोग करने योग्य अधिकार है और मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि व्यक्तिगत रूप से अधिकारों के मामले में एक ब्याज एक विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ संरक्षित है, और मध्यस्थता के लिए संदर्भित है। इसके अलावा, आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकार हमेशा रहे हैं

मध्यस्थ माना जाता है। नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड में निर्णय अलग था, क्योंकि किराया नियंत्रण कानून लागू होने के कारण, किरायेदारी विवादों का फैसला विशेष रूप से लघु कारण अदालत द्वारा किया जाना था।

बॉम्बे। इस कानून में यह प्रावधान किया गया था कि किसी अन्य अदालत के पास किसी भी मुकदमे, कार्यवाही या ऐसे दावे से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा या

5 (2017) 9 एस. सी. सी. 729 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

सवाल करते हैं। बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. के अनुसार गैर-मध्यस्थ जमींदार-किरायेदार विवादों के रूप में अपवाद केवल उन मामलों/मामलों तक ही सीमित था जिनके द्वारा शासित था: (i) विशेष प्रतिमायें, (ii) जहां किरायेदार को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है और (iii) जहां केवल विशिष्ट न्यायालय हैं।

विवादों को तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम मध्यस्थता को नकारता नहीं है। ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. मीना विजय खेतान और अन्य, 6 यह अभिनिर्धारित किया गया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में विशिष्ट मुद्दों से संबंधित विवादों को संदर्भित करने के लिए कोई निषेध नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य, 8 इस संदर्भ में कि क्या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत विवाद मध्यस्थ थे। न्यास अधिनियम के तहत विवादों को आवश्यक निहितार्थ से गैर-मध्यस्थ माना गया था, क्योंकि न्यास अधिनियम ने न्यास अधिनियम को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की थीं।दीवानी न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, जो एक मध्यस्थ को अधिकार देता है, प्रयोग नहीं कर सकते थे। विमल किशोर शाह के फैसले के बाद एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम में एक अन्य खंड पीठ ने फैसला सुनाया। आफताब सिंह ', एक मामला

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित। यह तर्क देते हुए कि किराया नियंत्रण कानून से छूट वापस ली जा सकती है और उसके बाद मध्यस्थता अधिनियम लागू नहीं होगा, यह माना गया कि यह एक वैध औचित्य और आधार नहीं था कि विषय वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं थी।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों ने मुख्य रूप से हिमांगनी एंटरप्राइजेज और विद्या द्रोलिया में दिए गए तर्क पर भरोसा किया है और

अन्य मामले कानून का उल्लेख किया गया है जिसकी हम बाद में जांच करेंगे। प्रोलिक्सिटी और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, हम संबंधित विवादों और तर्कों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे निपटा जाएगा और

हमारे तर्क के दौरान सराहना की। फिर भी हम यह स्वीकार करें कि मौखिक प्रस्तुतियाँ और संकलन किए गए हैं

अपार सहायता। इसी तरह, गैर-मध्यस्थता और गैर-मध्यस्थता पर विविध विचारों को व्यक्त करने वाली पुस्तकों और लेखों में विद्वानों के लेखन ने हमें कानूनी और न्यायशास्त्र की बारीकियों को उजागर करने में मदद की है औरभारत में मध्यस्थता के घरेलू कानून के संदर्भ में मुद्दों को हल करने का प्रयास करने के लिए विरोधाभास।

6 (1999) 5 एस. सी. सी. 651

8 (1968) 3 एससीआर 6629 9 (2019) 12 एस. सी. सी. 751 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. शुरुआत में हम इस चेतावनी के साथ शुरू करते हैं कि यह निर्णय मध्यस्थता के अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों की जांच और व्याख्या नहीं करता है।

मध्यस्थता अधिनियम का भाग II।

गैर-मध्यस्थता

8. मध्यस्थता के लिए गैर-मध्यस्थता बुनियादी है क्योंकि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र की कमी हो सकती है।कई कारणों से। गैर-मध्यस्थता के कई अर्थ हैं। बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. गैर-मध्यस्थता के तीन पहलुओं को संदर्भित करता है, अर्थात्: -

" (i) क्या विवाद निर्णय लेने में सक्षम हैं और

मध्यस्थता द्वारा समझौता? अर्थात्, क्या विवाद हैं,

उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पक्षों (मध्यस्थ न्यायाधिकरण) द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा हल किया जा सकता है या क्या वे करेंगे

विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों (अदालतों) के दायरे में आते हैं।

((ii) क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आते हैं?

अर्थात्, क्या विवादों की गणना की गई है या उनमें वर्णित किया गया है मध्यस्थता द्वारा तय किए जाने वाले मामलों के रूप में मध्यस्थता समझौता या

क्या विवाद "बहिष्कृत मामलों" के अंतर्गत आते हैं जिन्हें बाहर रखा गया है

मध्यस्थता समझौते के दायरे से।

((ग) क्या पक्षकारों ने विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है?

न्यायाधिकरण। एक विवाद, भले ही यह निर्णय लेने में सक्षम हो मध्यस्थता और मध्यस्थता समझौते के दायरे में आना,

यदि इसे संयुक्त सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है तो यह "मध्यस्थ" नहीं होगा।

मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवाद, या इस तरह के एक संयुक्त की अनुपस्थिति में

विवादों की सूची, में उठाए गए विवादों का हिस्सा नहीं है मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अभिवचन "।

जॉन जे. बार्सिलोना तृतीय ने अपने पेपर 'हू डिसाइड्स द

मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र? पृथकता और योग्यता

अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लेन-देन के संदर्भ में 'अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्षय में क्षमता' ने गैर-मध्यस्थता से संबंधित पहलुओं को सात श्रेणियों में विभाजित किया है:

10 वेंडरबिल्ट जर्नल ऑफ ट्रांसनेशनल लॉ, वॉल्यूम। 36 , नहीं। 4 , अक्टूबर 2003, पी।

1115-1136 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

" चरण 1 #इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि क्या मध्यस्थता को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने की अनुमति है या अदालत के हस्तक्षेप से बाधित है। चरण 1 में, मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष मध्यस्थ के निर्णय के बजाय अदालत की आवश्यकता वाले कानूनी मुद्दों की किसी भी शृंखला को उठा सकता है। इनमें निम्नलिखित में से कोई भी या सभी दावे शामिल हो सकते हैं: (1) पात्र

अनुबंध अमान्य है (एक कारण से जो सीधे मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगा); (2) पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं आया; (3) एक मौजूदा मध्यस्थता समझौता।

या तो औपचारिक रूप से अमान्य है (उदाहरण के लिए, लिखित में नहीं) या भौतिक रूप से अमान्य है (उदाहरण के लिए, अनिवार्य कानून का उल्लंघन); (4) एक विवादित मुद्दा मध्यस्थता समझौते के दायरे में नहीं है; (5) अनिवार्य कानून किसी विवादित मुद्दे को, हालांकि पक्षों के मध्यस्थता समझौते के दायरे में, मध्यस्थता करने से रोकता है (सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताओं से भरे किसी विशिष्ट मुद्दे के संबंध में एक विशेष प्रकार की भौतिक अयोग्यता, जैसे (पूर्व में) अविश्वास या प्रतिभूति धोखाधड़ी); (6) अनुमेय मध्यस्थता के लिए कुछ पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, मध्यस्थता शुरू करने की समय सीमा); (7) मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष ने मध्यस्थता करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है या है

उस अधिकार का दावा करने से वंचित "।

(#चरण 1 रेफरल चरण है।)

9. हिमांगनी उद्यमों में कानूनी अनुपात की वैधता का फैसला इस बात की जांच किए बिना नहीं किया जा सकता है कि कोई विषय या विवाद कब है।

मनमाने ढंग से। गैर-मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें परिणामों को समझने में मदद करेगा। यह तय करने में सहायता करेगा कि क्या न्यायालय या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास गैर-मध्यस्थता के विशेष पहलू को तय करने का अधिकार क्षेत्र है। द. न्यायक्षेत्र कथित गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर कर सकता है। विद्या द्रोलिया में संदर्भ का क्रम इसके लिए विशिष्टता आकर्षित करता है

अस्तित्व के कारण गैर-मध्यस्थता और एक की वैधता के कारण गैर-मध्यस्थता के बीच अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का उद्देश्य

मध्यस्थता समझौता।

10. मध्यस्थता एक निजी विवाद समाधान तंत्र है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पक्ष अपने वर्तमान या भविष्य के विवादों को हल करने के लिए सहमत होते हैं।एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, अदालतों या कानून द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक मंच द्वारा निर्णय के विकल्प के रूप में। पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का न्यायालयों/सार्वजनिक मंच पर निर्णय लेने के अपने कानूनी अधिकार को छोड़ देते हैं। मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संविदात्मक अधिकार देता है

विवादों का न्यायनिर्णयन करना और पक्षों को बांधना। अभिव्यक्ति 'मध्यस्थता [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (2) के खंड (घ) में 'समझौते' को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। की धारा 7 मध्यस्थता अधिनियम में कहा गया है:

समझौता "का अर्थ है पक्षों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। (3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज; (बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं;

या

(ग) दावा और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और नहीं

दूसरे ने इनकार कर दिया।

(5) एक दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ जिसमें एक

मध्यस्थता खंड एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि

मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है।

11. 'समझौता' शब्द को मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 में परिभाषित किया गया है।

संक्षेप में, 'अनुबंध अधिनियम') ", अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किए गए अनुबंधों के रूप में, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ, और इस प्रकार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 10 यह भी निर्धारित करती है कि उपरोक्त आवश्यकताएं भारत में लागू किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेंगी (और स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं की जाएंगी) जिसके द्वारा कोई अनुबंध किया गया हो।

11 1 1 10. कौन से समझौते अनुबंध हैं? — सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किए जाते हैं। इसमें निहित कुछ भी भारत में लागू किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेगा, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाएगा, जिसके द्वारा कोई अनुबंध लिखित रूप में या गवाहों की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है, या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित कोई कानून।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

गवाहों या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी कानून की उपस्थिति में लिखित रूप में किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, एक मध्यस्थता समझौते को अनुबंध अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अधिदेश को पूरा करना चाहिए।

कानून में लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है। एक अनुक्रम के रूप में, यह इस प्रकार है कि एक मध्यस्थता समझौता जो कानून में लागू करने योग्य नहीं है, अमान्य है और कानूनी रूप से मान्य नहीं है। 12. धारा 7 की उप-धारा (1) में आदेश दिया गया है कि मध्यस्थता समझौता एक परिभाषित कानूनी संबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में होना चाहिए, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं। अभिव्यक्ति 'कानूनी संबंध', जिसे फिर से मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ है एक ऐसा संबंध जो कानूनी दायित्वों और कर्तव्यों को जन्म देता है और इसलिए, एक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार संविदात्मक या गैर-संविदात्मक भी हो सकते हैं। 12 1 2 गैर संविदात्मक

12 1 2 कानूनी संबंध के बाद आम तौर पर समाज के न्यायिक और कार्यकारी एजेंटों द्वारा कार्रवाई या गैर-कार्रवाई के रूप में कुछ तत्काल या दूरस्थ परिणाम होंगे जो विशुद्ध रूप से निजी मामलों या अन्य घटनाओं से अलग हैं जिनका कानून से कोई लेना-देना नहीं है। कानूनी संबंध प्रत्येक स्थिति में मौजूद होता है जो न्यायिक कार्रवाई के दायरे में किसी अधिकार की घोषणा या इनकार या मंजूरी या किसी अन्य उद्देश्य को लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक रूप से दावा किया जाता है या किया जा सकता है। वास्तविक व्यवहार में, परिभाषित कानूनी संबंधों के बारे में आपत्ति शायद ही कभी उठाई और परखी जाती है।

13. धारा 7 की उप-धारा (2) का कुछ महत्व है क्योंकि इसमें कहा गया है कि मध्यस्थता खंड एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है याअंतर्निहित या किसी अन्य अनुबंध का एक हिस्सा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के खंड (3) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, यानी समझौते को लिखित रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। खंड (4) द्वारा 'लिखित रूप में मध्यस्थता समझौता' शब्द में पत्रों, तारों, इलेक्ट्रॉनिक मेलों या संचारों के आदान-प्रदान द्वारा कोई भी समझौता शामिल होगा जो समझौते या दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान का रिकॉर्ड प्रदान करता है जिसमें एक पक्ष समझौते के अस्तित्व का दावा करता है और दूसरा पक्ष इससे इनकार नहीं करता है। उप.

समझौता यदि अनुबंध लिखित रूप में है और मध्यस्थता खंड के लिए संदर्भ दिया जाता है जो अनुबंध का एक हिस्सा है।14. एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में सवाल तब भी उठते हैं जब संदर्भ का विरोध करने वाला एक पक्ष नए सिरे से याचिका दायर करता है

निष्पादन द्वारा अनुबंध के निर्वहन में संशोधित दायित्वों की स्वीकृति या स्पष्ट या निहित सहमति से सरल समाप्ति द्वारा मूल या 'समझौते और संतुष्टि' के प्रतिस्थापन में एक नया अनुबंध करके अनुबंध। इस आधार पर संदर्भ के लिए आवेदन का विरोध करते हुए आरोपमुक्त करने की इसी तरह की याचिका उठाई जा सकती है कि दावा लंबे समय से वर्जित है और मृत है या कोई बकाया विवाद नहीं हैं क्योंकि पक्षों ने

आंशिक प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया है या हताशा या अन्यथा के कारण दूसरे पक्ष को पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रदर्शन से मुक्त कर दिया है। विवाद यह है कि

कि एक बार जब मूल अनुबंध समाप्त, परित्यक्त, अस्वीकृत या प्रतिस्थापित हो जाता है, तो अंतर्निहित/मूल अनुबंध में मध्यस्थता खंड इसके साथ नष्ट हो जाता है।

15. मध्यस्थता अनुबंध का मामला होने के कारण, पक्षों को अधिकार क्षेत्र और कानूनी प्राधिकरण को प्रदान करने और सीमित करने के लिए सीमाएं तय करने का अधिकार है। मध्यस्थ का। एक मध्यस्थता समझौता व्यापक हो सकता है और

किसी भी विवाद को शामिल करने के लिए व्यापक या विशिष्ट विवादों तक सीमित हो सकता है। मध्यस्थ की अधिकारिता के दायरे का मुद्दा हमेशा तब उत्पन्न होता है जब मध्यस्थता वाले विवादों की गणना की जाती है या मध्यस्थता समझौते में 'अपवादात्मक मामलों' के मामले में बहिष्करण का प्रावधान होता है। मध्यस्थता

13 मध्यस्थता पर रसेल, 24 वां संस्करण #2-004 विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

समझौता वैध हो सकता है, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण की इच्छा को देखते हुए

मध्यस्थता समझौते में व्यक्त पक्षों के पास विवाद का न्यायनिर्णयन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। मध्यस्थता के दायरे के बारे में पक्षों की इच्छा एक व्यक्तिपरक कार्य है और पक्षों के लिए व्यक्तिगत है।16. एक अन्य पहलू, जिसे पहले उजागर नहीं किया गया था, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम में उक्ति से उत्पन्न होता है। जयेश एच. पांड्या और एक अन्य, 1 4 ए

धारा 8 के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखने का निर्णय, इस आधार पर कि मध्यस्थता अधिनियम में विभाजन करने का कोई प्रावधान नहीं है और

कारण या पक्षकारों, अर्थात वाद/न्यायिक कार्यवाहियों की विषय वस्तु और मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों को विभाजित करें। मुकदमा एक 'मामले' के संबंध में होना चाहिए जिसे पक्ष संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं और जो मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है। 'एक मामला' शब्द, जिसकी व्याख्या की गई थी, यह इंगित करेगा कि मुकदमे का पूरा विषय मध्यस्थता समझौते के अधीन होना चाहिए। का द्विभाजन

वाद में विषय वस्तु या कार्रवाई के कारणों की अनुमति नहीं है और विचार किया। इसी तरह, मुकदमे के पक्षों को बाध्य होना चाहिए

मध्यस्थता समझौता, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम में ऐसे तीसरे व्यक्तियों को मजबूर करने का कोई प्रावधान नहीं है जिन्होंने अदालतों तक पहुंच के अधिकार को छोड़ने और मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य

होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। यह पक्ष की स्वायत्तता और मध्यस्थता की सहमति की प्रकृति का उल्लंघन करेगा। ऐसे मामलों में द्विभाजन के परिणामस्वरूप एक वाद को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा, और दूसरान्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण। यह पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा और अनिवार्य रूप से कार्यवाही में देरी करेगा और मुकदमे की लागत में वृद्धि करेगा, उत्पीड़न का कारण बनेगा और कई बार दो अलग-अलग मंचों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों और आदेशों को जन्म देगा। विषय वस्तु के संबंध में कार्रवाई का कारण मध्यस्थता समझौते के दायरे से संबंधित है और क्या विवाद को मध्यस्थता द्वारा हल किया जा सकता है। आम पक्षों से संबंधित दूसरा आदेश मध्यस्थता प्रक्रिया की अंतर्निहित सीमा को उजागर करता है जो सहमति और आपसी है, एक ऐसा पहलू जिसे हम बाद में देखेंगे।

जाँच करें।

17. बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में उक्ति की व्याख्या करते हुए एक निष्कर्ष निकाला था।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायिक जांच के दायरे और दायरे के बीच अंतर

लंबित दीवानी मुकदमा/न्यायिक कार्यवाही और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता के लिए विवाद के संदर्भ के लिए एक आवेदन। में।

14 (2003) 5 एससीसी 531 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एलन एंड हैमिल्टन इंक. यह देखा गया:

"मध्यस्थता" के मुद्दे की जांच पर या एक निजी मंच द्वारा निर्णय की उपयुक्तता, एक बार जब वह पाता है कि पक्षों के बीच या उनके बीच एक मध्यस्थता समझौता था, और मध्यस्थता के मुद्दे को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ देगा। यदि मध्यस्थ गलत तरीके से मानता है कि विवाद मध्यस्थता योग्य है, तो पीड़ित पक्ष को उस धारा की उप-धारा (2) (बी) (आई) पर भरोसा करते हुए अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके पुरस्कार को चुनौती देनी होगी।

हालांकि, एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और

उसकी, 1 5 सात ई. एस. की संविधान पीठ के बहुमत निर्णय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 की पूरक प्रकृति को देखा था, और कहा है:

“ 16. हम इस स्तर पर इसकी पूरक प्रकृति को देख सकते हैं

धारा 8 और 11। जहां पक्षकारों और एक पक्षकार के बीच मध्यस्थता समझौता होता है, उसे नजरअंदाज करते हुए, न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई दायर करता है और दूसरा पक्ष यह आपत्ति उठाता है कि मध्यस्थता खंड है, न्यायिक प्राधिकरण को उस आपत्ति पर विचार करना होगा और यदि आपत्ति पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए टिकाऊ पाई जाती है। इस धारा में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "होगी" और यह न्यायालय पी. आनंद गजपति राजू बनाम में है। पी. वी. जी. राजू और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन में। लिमिटेड वी. पिंकसिटी मिडवे

पेट्रोलीम ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार वैध मध्यस्थता खंड का अस्तित्व स्थापित हो जाने के बाद न्यायिक प्राधिकरण मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, न्यायिक प्राधिकरण को संदर्भ देने या अस्वीकार करने से पहले अपने समक्ष उठाए गए अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार है, उसे करना है और वह इसके लिए बाध्य है। धारा 11 केवल एक अन्य स्थिति को शामिल करती है। जहां एक पक्ष ने मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में कार्य करने से इनकार कर दिया है, दूसरा पक्ष अधिनियम की धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है।

+5) 8 एस. सी. सी. 618 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

नियुक्त किए गए और प्रथम पक्ष के आक्षेपों के अनुसार, यह अभिनिर्धारित करना असंगत होगा कि मुख्य न्यायाधीश अपने स्वयं के प्रश्न का निर्णय नहीं ले सकते हैं

समानान्तर स्थिति में मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र न्यायिक प्राधिकरण ऐसा कर सकता है। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण को उस प्रश्न का निर्णय करना होता है और निर्णय लेने की उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को प्रश्न का निर्णय करने का कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं है या वह प्रश्न का निर्णय नहीं ले सकता है, तो यह एक विसंगत स्थिति पैदा करेगा कि धारा 8 के तहत एक न्यायिक प्राधिकरण निर्णय ले सकता है, लेकिन धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश नहीं, हालांकि आपत्ति की प्रकृति समान है और एक मामले में आपत्ति को स्वीकार करने और दूसरे में इसे अस्वीकार करने का परिणाम भी समान है, अर्थात् पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजना। हमने जो धारा 11 अपनाई है, उसकी व्याख्या से कोई लाभ नहीं होगा।

इस तरह की विसंगति के लिए जगह। ”

हम स्पष्ट रूप से पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में संवैधानिक पीठ के फैसले के इस कथन से बंधे हैं कि अदालत का दायरा और दायरा

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत अधिकार क्षेत्र समान है। अ.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन में विवादों या दावों को विस्तार से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और संक्षेप में विषय वस्तु या विवाद की व्यापक रूपरेखा का उल्लेख किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाती है और लंबित होती है, वहाँ दावों का विशिष्ट विवरण और

विवादों का आम तौर पर अनुरोध किया जाता है और इसलिए, अदालत या न्यायिक प्राधिकरण को इन विवरणों का लाभ होता है। एक गैर-मध्यस्थ दावे और गैर-मध्यस्थ विषय के बीच अंतर है। पूर्व मध्यस्थता समझौते के दायरे के कारण और तब भी उत्पन्न हो सकता है जब दावा मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम न हो। आम तौर पर विषय वस्तु की गैर-मध्यस्थता कानून में गैर-मध्यस्थता से संबंधित होगी। इसके अलावा, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड के फैसले को क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस अदालत के बाद के फैसले के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. और अन्य। 16 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधन के प्रभाव की इस शर्त के साथ कि संशोधन पहले के किसी भी निर्णय के बावजूद लागू होते हैं, हमारे द्वारा "मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है" शीर्षक के तहत जांच की गई है।

18. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) में कहा गया है:

16 (2013) 1 एससीसी 641 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा 2 (3)-यह भाग उस समय किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगा।

लागू होना जिसके कारण कुछ विवाद नहीं हो सकते हैं

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया "।

मध्यस्थता अधिनियम स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि कुछ

विवाद या विषय मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने में सक्षम नहीं हैं। इसी तरह, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (आई) में कहा गया है कि अदालतें पुरस्कारों को तब अलग कर सकती हैं जब उन्हें पता चलता है कि "मध्यस्थता अधिनियम का विषय"

विवाद मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, दोनों उप-धाराएं स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थ मामलों की गणना या वर्गीकरण नहीं करती हैं या यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को नहीं बताती हैं कि कब कोई विवाद किसी अन्य कानून के आधार पर मध्यस्थ नहीं है। यह न्यायालयों पर छोड़ दिया जाता है कि वे गैर-मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करें। चूंकि, मध्यस्थता से बहिष्कार मुख्य रूप से मामले के कानून का मामला है, हम इस विषय पर मामले के कानून की जांच करके शुरू करते हैं।

19. बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में, प्रश्न पर स्पष्टीकरण देते हुए

किसी विवाद की गैर-मध्यस्थता के बारे में यह देखा गया है:

" 35. मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वैच्छिक रूप से चुने गए निजी मंच हैं।

विवाद के पक्षकार, के स्थान पर अपने विवादों का निर्णय लेने के लिए

अदालतें और न्यायाधिकरण जो इसके तहत गठित सार्वजनिक मंच हैं

देश के कानून। प्रत्येक नागरिक या वाणिज्यिक विवाद, या तोसंविदात्मक या गैर-संविदात्मक, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है,

सार्वजनिक मंचों (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों) द्वारा निर्णय, आवश्यक द्वारा निहितार्थ निजी मंचों के दायरे से बाहर है।

नतीजतन, जहां कारण/विवाद अविवेकी है, अदालत

जहां कोई मुकदमा लंबित है, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा,

अधिनियम की धारा 8 के तहत, भले ही पक्ष सहमत होंऐसे विवादों के निपटारे के लिए एक मंच के रूप में मध्यस्थता पर।

XX

XX

XX

17 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (आई) विद्या द्रोलिया और अन्य v.

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

37. यह देखा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित मामले आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित हैं। आर. ई. एम. में अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से अधिकार से विपरीत है जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित एक हित है। व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई मामले के विषय में पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है, जबकि आरईएम में कार्रवाई संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है।और पक्षकारों के अधिकार, न केवल आपस में बल्कि उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी जो किसी भी समय इसमें रुचि का दावा करते हैं।

संपत्ति। तदनुसार, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय किसी व्यक्ति के खिलाफ एक निर्णय को संदर्भित करता है जो किसी चीज़, अधिकार या स्थिति के खिलाफ निर्णय से अलग है और आरईएम में एक निर्णय एक निर्णय को संदर्भित करता है जो संपत्ति की स्थिति या स्थिति को निर्धारित करता है जो संचालित होता है।

सीधे संपत्ति पर ही। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी के माध्यम से।)38. आम तौर पर और पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत रूप से अधिकारों से संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है; और

आर. ई. एम. में अधिकारों से संबंधित विवादों का निर्णय अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये निजी मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त हैं। हालाँकि यह एक कठोर या कठोर नियम नहीं है। आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित विवाद हैं

हमेशा मध्यस्थ माना जाता है।

सार्वजनिक नीति आदेश देती है और कहती है कि कोई मामला या विवाद गैर-मध्यस्थ है, अदालत धारा 8 (या यहां तक कि धारा 11 के तहत भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है) के तहत एक आवेदन की अनुमति नहीं देगी, भले ही पक्षकार ऐसे विवादों के निपटारे के लिए तंत्र के रूप में मध्यस्थता पर सहमत हों।20. बहिष्करण या गैर-मध्यस्थता जब स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती है तो कोई कठिनाई नहीं होती है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालाँकि, निजी मंच [2020] 11 एस. सी. आर. के दायरे से विषयों या विवादों का बहिष्कार या गैर-मध्यस्थता।

जैसे आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।

21. बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. व्यक्तिगत रूप से कार्यों के बीच अंतर करता है, यानी वे कार्य जो अधिकारों को निर्धारित करते हैं और

मामले के विषय में स्वयं पक्षों के हित, और आर. ई. एम. में कार्रवाई जो संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है। और पक्षकारों के अधिकार न केवल आपस में बल्कि उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं जो किसी भी समय उस संपत्ति में हित का दावा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से अधिकारों को मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है और

आर. ई. एम. में अधिकारों के संबंध में विवादों का निर्णय अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है। बाद की कार्रवाई निजी मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त है। आर. ई. एम. में

अधिकारों से उत्पन्न व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित विवादों को मध्यस्थ माना जाता है। बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में निर्णय के पैराग्राफ 36 में गैर-मध्यस्थता विवादों के कुछ उदाहरणों को संदर्भित किया गया है और कहा गया है:

" 36. गैर-मध्यस्थ विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं: (i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवाला और मामलों को समाप्त करना; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट का अनुदान, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र); और (vi) विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली या किरायेदारी के मामले जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और केवल निर्दिष्ट अदालतों को बेदखली देने या निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।

विवाद "।

22. मकान मालिक-किरायेदार विवाद किराया नियंत्रण कानून द्वारा शासित नहीं हैं, फिर भी वे गैर-मध्यस्थ हैं। बूज़ ऐलन और

हैमिल्टन इंक. का संदर्भ पृष्ठ 28 पर पैरा 2.007 में मध्यस्थता (22 वां संस्करण) पर रसेल को दिया गया था जिसमें लेखक ने कहा है कि अंग्रेजी कानून में कुछ मामले केवल अदालत के लिए आरक्षित हैं और यदि कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण उनसे निपटने का इरादा रखता है तो परिणामी पुरस्कार अप्रवर्तनीय होगा। इन मामलों में शामिल होंगे जहां आवश्यक उपचार का प्रकार वह नहीं है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को देने का अधिकार है। इंग्लैंड में वाणिज्यिक मध्यस्थता के कानून और व्यवहार (दूसरा संस्करण) का संदर्भ दिया गया था। 1989) मस्टिल और बॉयड द्वारा लिखित जिसमें कहा गया है कि कुछ प्रकार के उपचार जो मध्यस्थ द्वारा दिए जा सकते हैं, उनके द्वारा सीमित हैं

सार्वजनिक नीति पर विचार और मध्यस्थ के रूप में पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

और राज्य द्वारा नहीं। मध्यस्थ जुर्माना नहीं लगा सकता, कारावास नहीं दे सकता,किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए प्रतिबद्ध करना या सम्मन की रिट जारी करना और न ही वह किसी तीसरे पक्ष को बाध्यकारी निर्णय दे सकता है और बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आर. ई. एम. में निर्णय। मस्टिल और बॉयड ने अपने 2001 के कम्पेनियन खंड में कहा है कि स्वयंसिद्ध रूप से जो अधिकार पूरी दुनिया के खिलाफ मान्य हैं, वे निजी मध्यस्थता का विषय नहीं हो सकते हैं, हालांकि ऐसे अधिकारों से प्राप्त व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ अधिकारों पर मध्यस्थों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, एक पेटेंट लाइसेंस के तहत अधिकार मध्यस्थता हो सकते हैं लेकिन अंतर्निहित पेटेंट की वैधता मध्यस्थता नहीं हो सकती है। इसी तरह, एक मध्यस्थ जो ए और बी के बीच एक निजी समझौते से अपनी

शक्ति प्राप्त करता है, स्पष्ट रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पेटेंट वैध है या नहीं, क्योंकि किसी और ने उसे निर्णय लेने के लिए अनिवार्य नहीं किया है और ऐसा करने का प्रयास करने वाला निर्णय बेकार होगा।

23. सिविल संहिता के आदेश XXXIV के प्रावधानों का विश्लेषण करना

प्रक्रिया, 1908, बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. का मानना है कि यह आदेश न केवल एक डिक्री के निष्पादन से संबंधित है, बल्कि यह उनकी बंधक प्रतिभूति के संदर्भ में बंधक के मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम फरमानों का प्रावधान करता है। बंधक मुकदमों से संबंधित संहिता के साथ पठित संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बंधक प्रतिभूति या मोचन के अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकारों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे बंधक के पक्षकार हों या नहीं। प्रावधानों का उद्देश्य मुकदमों/कार्यवाहियों की बहुलता से बचना और सभी इच्छुक व्यक्तियों को अपने बचाव और दावों को उठाने में सक्षम बनाना है, जिन पर बंधक मुकदमे में दावे से निपटने के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए। एक प्रारंभिक डिक्री या अंतिम डिक्री पारित करके, अदालत न केवल गिरवी या गिरवी रखने वाले के हितों का निर्णय, समायोजन और सुरक्षा करती है, बल्कि नाबालिग/बंधक, मोचन की इक्विटी के हकदार व्यक्ति, गिरवी संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति, नीलामी-खरीदार और कब्जे वाले व्यक्ति, जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं कर सकता है, के हितों की भी रक्षा करती है। इसलिए, बंधक संपत्ति के फोरक्लोजर या रिडेम्पशन के मुकदमे को सार्वजनिक मंच द्वारा निपटाया जा सकता है।

और किसी निजी मंच द्वारा नहीं।

24. ए. अय्यासामी बनाम में डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ए. परमशिवम और अन्य, 1 8, बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में उक्ति का उल्लेख करते हुए।

उन्होंने दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं:

18 (2016) 10 एससीसी 386 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 35 ..... इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यों का यह वर्ग रेम में संचालित होता है,

जो एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ किया जा सकता है

आर. ई. एम. में अधिकार रहते हुए मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं न्यायालयों और लोक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय दिए जाने की आवश्यकता होती है।

XX

XX

XX

38. इसलिए, विवादों के विभिन्न वर्गों के अलावा जो हैं -

आम तौर पर न्यायालयों द्वारा निर्णय के लिए उपयुक्त माना जाता है

सार्वजनिक मंचों पर, विवादों के ऐसे वर्ग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं

कानून के तहत विशेष मंचों का विशेष क्षेत्र जो प्रदान करता हैसाधारण सिविल न्यायालय के अपवर्जन के लिए अनन्य अधिकारिता।

कि इस तरह के विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं, सामान्य के साथ मेल खाते हैं

सिद्धांत कि एक विवाद जो एक द्वारा निर्णय लेने में सक्षम है

साधारण दीवानी न्यायालय भी मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने में सक्षम है।

सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में न्यायाधिकरण तब ऐसा विवाद नहीं करेगा।मध्यस्थता द्वारा समाधान करने में सक्षम होना।

25. विमल किशोर शाह निजी न्यासों से संबंधित विवादों में,

न्यासियों और न्यास और न्यास अधिनियम के लाभार्थियों को गैर-मध्यस्थ माना गया। संदर्भ आदेश बताता है कि न्यास अधिनियम के तहत विवाद आवश्यक निहितार्थ से मध्यस्थता के योग्य क्यों नहीं हैं, जिसके लिए न्यास अधिनियम की कुछ धाराओं को यह प्रदर्शित करने के लिए संदर्भित किया गया था कि विवादों को मध्यस्थता का विषय कैसे नहीं बनाया जा सकता है। तर्क सचित्र और स्पष्ट करने वाला है: -

" 27 ..... भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 34 के तहत, एक न्यासी,

मुकदमा दायर किए बिना, याचिका द्वारा प्रमुख दीवानी न्यायालय में आवेदन करें। किसी भी विषय पर अपनी राय, सलाह या निर्देश के लिए मूल अधिकार क्षेत्र

न्यास के प्रबंधन या प्रशासन के संबंध में प्रश्न प्रस्तुत करें

धारा में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन संपत्ति।

जाहिर है, एक मध्यस्थ संभवतः ऐसी राय, सलाह नहीं दे सकता है,

या दिशा। धारा 46 के तहत, एक न्यासी जिसने स्वीकार किया है ट्रस्ट, बाद में इसका त्याग नहीं कर सकता, सिवाय इसके, अन्य बातों के साथ

मूल अधिकारिता वाले प्रमुख सिविल न्यायालय की अनुमति। यह

पुनः मध्यस्थता का विषय नहीं हो सकता है। समान रूप से, के तहत

भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 49, जहां एक विवेकाधीन शक्ति विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

किसी न्यासी को प्रदत्त किए जाने का प्रयोग उचित रूप से और सद्भावना से नहीं किया जाता है, केवल मूल अधिकार क्षेत्र का एक प्रमुख सिविल न्यायालय ही ऐसी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, यह फिर से स्पष्ट करता है कि एक निजी सहमति वाले न्यायनिर्णायक का इस अधिनियम की योजना में कोई हिस्सा नहीं है। खंड के तहत

53 , कोई भी न्यासी, मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय की अनुमति के बिना, न्यास संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को खरीद या गिरवी रख सकता है या पट्टेदार नहीं बन सकता है। यहाँ फिर से, ऐसी अनुमति केवल राज्य की एक शाखा, अर्थात् मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 74 के तहत, कुछ परिस्थितियों में, एक लाभार्थी

न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति के लिए मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है और न्यायालय तदनुसार ऐसे न्यासी की नियुक्ति कर सकता है। यहाँ फिर से, इस तरह की नियुक्ति संभवतः एक सहमति वाले निर्णायक द्वारा नहीं की जा सकती है। यह केवल मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख दीवानी न्यायालय में याचिका द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कोई सिविल न्यायालय नहीं है जिसका अधिकार क्षेत्र है, बल्कि केवल एक नामित न्यायालय है, अर्थात् मूल अधिकार क्षेत्र का एक प्रमुख सिविल न्यायालय। यह सब दर्शाता है कि आवश्यक निहितार्थ से, भारतीय संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद

न्यास अधिनियम को संभवतः मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

26. एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड में, खंड पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के पीछे के उद्देश्य और उद्देश्य को एक ऐसे कानून के रूप में संदर्भित किया जो आम आदमी को गलतियों और कुकर्मों से बचाने की लंबे समय से महसूस की जाने वाली आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए सामान्य कानून के तहत उपाय भ्रामक हो गया है क्योंकि प्रवर्तन तंत्र नहीं चलता है, या अप्रभावी या अक्षम रूप से चलता है। इस प्रकार, असहायता को दूर करने और शक्तिशाली व्यवसायों के खिलाफ उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए और सार्वजनिक निकायों की शक्ति, अधिनियम ने उपभोक्ता मंचों का गठन किया है, जिसमें व्यापक और व्यापक शक्तियां हैं, जहां भी उचित हो,

उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति देना और उनके आदेशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उनके आदेशों के निष्पादन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रावधान

हैंकौन सी शक्तियाँ साधारण दीवानी न्यायालय की शक्तियों से कहीं अधिक हैं। संविधान की धारा 8 और 11 में किए गए संशोधनों का उल्लेख करने के बाद

2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, यह देखा गया कि संशोधनों को इतना व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता है कि विशेष विधान की पूरी व्यवस्था को जलमग्न कर दिया जाए जहां ऐसे विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं। यह संशोधन का उद्देश्य गैर-मध्यस्थता पर तय किए गए कानून को दरकिनार या ओवरराइड करना नहीं था। प्रीमियर [2020] 11 एस. सी. आर. में पहले के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम बॉम्बे और अन्य 1 के कमलेकर शांताराम वाडके ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत अधिकारों और उपचारों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 की जांच करते हुए यह पाया कि विधायिका ने श्रमिकों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए प्रावधान किए हैं। अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरणों के पास औद्योगिक विवादों के मामले में व्यापक शक्तियां हैं। श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण औद्योगिक शांति के लिए नई औद्योगिक नीति निर्धारित कर सकते हैं।

और बर्खास्त कर्मचारियों का आदेश या बहाली, जो कोई दीवानी अदालत नहीं कर सकती है। इसके लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान औद्योगिक विवादों के मुकदमे के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से हटा देते हैं। विधायिका का उद्देश्य विशेष अधिकारों के रूप में व्यापक सार्वजनिक हित में श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और ऐसी शक्तियों के साथ एक न्यायिक मंच का गठन करना है जिसका उपयोग दीवानी अदालत या मध्यस्थ नहीं कर सकता है। न तो कर्मचारी और न ही उपभोक्ता मध्यस्थता का विकल्प चुनकर वैधानिक न्यायिक मंचों से संपर्क करने के अपने अधिकार को माफ कर सकते हैं।

27. ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था

कि एक मध्यस्थ विशिष्ट निष्पादन प्रदान कर सकता है क्योंकि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में कोई निषेध नहीं है। इस सवाल पर लिया गया फैसला

मनमानेपन ने देखा है, और हमारी विनम्र राय में सही है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

" 34. हमारी राय में, पंजाब, बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। हमारा विचार है कि बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन का अधिकार

संविदात्मक अधिकार और यह निश्चित रूप से पक्षों के लिए सहमत होने के लिए खुला है

विशिष्ट निष्पादन से संबंधित मुद्दों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए नियमित न्यायालयों में मुकदमेबाजी को छोटा करने की दृष्टि से। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो अचल संपत्ति से संबंधित अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित हो।

संपत्ति को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। न ही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में ऐसा कोई निषेध निहित है जो अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1950 की धारा 15 या अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (5) (बी) के विपरीत है, जिसमें अचल संपत्ति से संबंधित अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित निषेध शामिल है।

35. यह हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, 4 थ एडन में कहा गया है।,

(मध्यस्थता, खंड। 2, पैरा 503) निम्नानुसार है:

19 (1976) 1 एस. सी. सी. 496 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

" 503. विवाद या भिन्नता की प्रकृति। विवाद या अंतर जिस पर मध्यस्थता समझौते के पक्षकार सहमत होते हैं

संदर्भित करने के लिए एक न्यायसंगत मुद्दा होना चाहिए जो नागरिक रूप से परीक्षण योग्य हो। इसकी एक निष्पक्ष परीक्षा यह है कि क्या समझौते और संतुष्टि के माध्यम से अंतर से कानूनी रूप से समझौता किया जा सकता है (सी. एफ. बी. सी. अबर

मध्यस्थता और पुरस्कार ए) "।

28. वी. एच. पटेल एंड कंपनी एंड अदर्स बनाम हिरुभाई

हिमाभाई पटेल और अन्य, 20 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सभी मामलों को शामिल करने वाले मध्यस्थता खंड के संबंध में कानून का कोई सिद्धांत नहीं था।

29. निर्णयों की जांच और विश्लेषण करने के बाद, हम गैर-निर्णयों को निर्धारित करने के लिए कानूनी सिद्धांतों को एकजुट और स्पष्ट करेंगे। निष्पक्षता। हम उन सिद्धांतों को तैयार करने से शुरू करते हैं जो आरईएम में कार्यों के निर्णय और व्यक्तिगत रूप से कार्यों के निर्णय के बीच अंतर करते हैं।

30. एक निर्णय पक्षों के अधिकारों और देनदारियों के निर्णायक निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति है। निर्णय दो तरीकों से काम कर सकता है, रेम या व्यक्तिगत रूप से। भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की

धारा 41 किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की निर्णायकता के संदर्भ में निर्णयों की प्रासंगिकता के प्रश्न पर प्रदान करती है:

" 41. प्रोबेट आदि में कुछ निर्णयों की प्रासंगिकता।

अधिकार क्षेत्र। — प्रोबेट, वैवाहिक नौसेना या दिवालिया अधिकारिता के प्रयोग में किसी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को कोई कानूनी चरित्र प्रदान करता है या उससे छीन लेता है, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे चरित्र का हकदार घोषित करता है, या किसी विशिष्ट चीज़ का हकदार होने के लिए, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से, तब प्रासंगिक होता है जब ऐसे किसी कानूनी चरित्र का अस्तित्व, या ऐसी किसी चीज़ के लिए ऐसे किसी व्यक्ति का खिताब, प्रासंगिक हो।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री निर्णायक प्रमाण है।

कि कोई भी कानूनी चरित्र, जिसे वह उस समय अर्जित करता है जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री लागू हुई थी;

कि कोई भी कानूनी चरित्र, जिसके लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को हकदार घोषित करता है, उस व्यक्ति को उस समय उपार्जित किया गया जब ऐसा निर्णय, [आदेश या डिक्री] उसे उपार्जित होने की घोषणा करता है

व्यक्ति;

20 (2000) 4 एससीसी 368 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टकि कोई भी कानूनी चरित्र जो वह किसी ऐसे व्यक्ति से छीन लेता है, उस समय समाप्त हो गया जब से इस तरह के निर्णय, [आदेश या डिक्री] ने घोषणा की कि वह समाप्त हो गया था या समाप्त होना चाहिए;

और यह कि जिस किसी भी चीज़ के लिए वह किसी व्यक्ति को इस तरह का हकदार घोषित करता है, वह उस व्यक्ति की संपत्ति थी जब से ऐसा निर्णय, [आदेश या डिक्री] घोषणा करता है कि वह उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए।

आर. ई. एम. में एक निर्णय किसी व्यक्ति या चीज़ की स्थिति को निर्धारित करता है जो मुकदमेबाजी के लिए एक पक्ष के विशेष हित से अलग है; और इस तरह का निर्णय सभी व्यक्तियों के पक्ष में और उनके खिलाफ निर्णायक साक्ष्य है, चाहे मामले के पक्षकारों, गोपनीयताधारियों या अजनबियों ने वास्तव में निर्णय लिया हो। इस तरह की

निर्णय "स्वयं निर्णय के भाग्य का निर्धारण करता है" और निर्णय के साथ असंगत संपत्ति में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को बाध्य करता है, भले ही उनकी अनुपस्थिति में घोषित किया गया हो। 21 इसके विपरीत, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय, हालांकि यह एक अधिकार से संबंधित हो सकता है, केवल अधिकारों को निर्धारित करता है।वादियों का आपस में विवाद "। 22 आर. ई. एम. में निर्णयों और व्यक्तिगत रूप से निर्णयों के बीच अंतर उनकी शक्ति को आर. ई. एम. न्यायिकता के रूप में बदल देता है, 23 अर्थात आर. ई. एम. में निर्णय दुनिया के खिलाफ आर. ई. एम. न्यायिकता के रूप में काम करेगा, और आर. ई. एम. में निर्णय केवल विवादित पक्षों के खिलाफ आर. ई. एम. न्यायिकता के रूप में काम करेगा। अभिव्यक्ति "आरईएम में अधिकार" और "व्यक्तिगत रूप से अधिकार" का उपयोग गैर-मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए सही नहीं हो सकता है क्योंकि आरईएम में अधिकार और व्यक्तिगत रूप से अधिकारों के बीच अंतर-खेल है। कई बार, आर. ई. एम. में एक अधिकार के परिणामस्वरूप व्यक्ति में एक प्रवर्तनीय अधिकार होता है। बूज़

एलन एंड हैमिल्टन इंक. मस्टिल और बॉयड के बयान को संदर्भित करता है कि आरईएम में अधिकारों से प्राप्त व्यक्तिगत रूप से अधीनस्थ अधिकारों पर मध्यस्थों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, जो कि उचित है। इसलिए, किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट के उल्लंघन का दावा मध्यस्थता योग्य है।

हालांकि किसी तरह से मध्यस्थ कॉपीराइट के अधिकार की जांच करेगा, जो एक अधिकार है। आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता में कार्यों को शामिल नहीं किया गया है रेम।

31. मध्यस्थता से आर. ई. एम. में कार्रवाई का बहिष्करण, का खुलासा करता है

एक निजी विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की आंतरिक सीमाएँ, जो केवल मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी हैं। द.

21 जी. सी. चेशायर एंड पी. एम. नॉर्थ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ 12 वां संस्करण। उत्तर और फॉसेट द्वारा (लंदन: बटरवर्थ, 1992, पी। 362

22 इबिद

23 जी. सी. चेशायर एंड पी. एम. नॉर्थ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ 12 वां संस्करण। उत्तर और फॉसेट द्वारा (लंदन:

बटरवर्थ, 1992 विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

इसके दायरे और दायरे को रेखांकित करता है। किसी समझौते से प्राप्त होने वाला अधिकार और शक्ति बाध्य नहीं हो सकती है और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ अप्रभावी है। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता उन स्थितियों में सुस्त और अव्यवहारिक होगा जब विषय वस्तु या विवाद तीसरे पक्ष के अधिकारों और हितों को प्रभावित करता है या दूसरों की उपस्थिति के बिना, एक प्रभावी और लागू करने योग्य निर्णय संभव नहीं है। मुख्य उद्देश्यजब मध्यस्थता के लिए सहमति नहीं देने वाले

व्यक्तियों के अधिकार और देनदारियां प्रभावित होती हैं या गैर-पक्षों को शामिल करके विवादों के सामूहिक समाधान की आवश्यकता होती है, तो अनावश्यक देरी के बिना और कम से कम खर्च के साथ विवादों का न्यायसंगत, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता अपंग और विकृत हो जाती है। सार्वजनिक मंचों के विकल्प के रूप में मध्यस्थता समझौते को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब यह निरर्थक, अप्रभावी हो और इसका कोई परिणाम न निकले। 24

32. राज्य के संप्रभु कार्य अविभाज्य और गैर-प्रत्यायोजित होने के कारण गैर-मध्यस्थ हैं क्योंकि अकेले राज्य को ऐसे कार्यों को करने का विशेष अधिकार और कर्तव्य है। 25 उदाहरण के लिए, आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि एकाधिकार अधिकार केवल राज्य द्वारा ही दिए जा सकते हैं। राज्य या संप्रभु कार्यों की शुद्धता और वैधता को निजी न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष विषय नहीं बनाया जा सकता है। मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य के लिए संप्रभु कार्यों का विस्तार वाणिज्य और आर्थिक, सभी रूपों में कानून, कराधान, प्रतिष्ठित क्षेत्र और पुलिस शक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग तक होगा जिसमें कानून और व्यवस्था का रखरखाव, आंतरिक सुरक्षा, क्षमा प्रदान करना आदि शामिल हैं। 24 प्रो. स्टावरोस ब्रेकोलाकिस-'मध्यस्थता पर: निरंतर गलत धारणाएँ और चिंता के नए क्षेत्र '

25 अजार रायब-सार्वजनिक नीति अपवाद की रूपरेखा को परिभाषित करना-मध्यस्थता के लिए एक नया परीक्षण [2020] 11 एस. सी. आर.

वाणिज्यिक गतिविधियों, आर्थिक रोमांच और कल्याणकारी गतिविधियों से अलग। 26 इसी तरह, राज्य के निर्णय और न्यायनिर्णायक कार्य जिनमें विवाह की वैधता, नागरिकता, कंपनियों का समापन, पेटेंट का अनुदान आदि जैसे जनहित तत्व हैं, गैर-मध्यस्थ हैं, जब तक कि किसी नियामक या न्यायनिर्णायक के संबंध में क़ानून न हो।

तंत्र या तो स्पष्ट रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता की अनुमति देता है। इन मामलों में विवाद समाधान में राज्य का एकाधिकार है।

33. गैर-मध्यस्थता के चौथे सिद्धांत का उल्लेख संदर्भ के क्रम में किया गया है, जो विमल किशोर शाह का विशिष्ट संदर्भ देता है।

कौन सा निर्णय धूलाभाई से उद्धृत है, एक ऐसा मामला जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण से संबंधित था। धूलाभाई में दूसरी शर्त इस प्रकार है:

" 32. (2) जहां न्यायालय की अधिकारिता की एक स्पष्ट बाधा है, वहां प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन नागरिक की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।

अदालत।

जहां कोई स्पष्ट बहिष्करण नहीं है, की परीक्षा इरादे का पता लगाने के लिए उपचार और विशेष अधिनियम की योजना आवश्यक हो जाती है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद के मामले में, यह देखना आवश्यक है कि क्या क़ानून

एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और इसके लिए प्रावधान करता हैअधिकार या दायित्व का निर्धारण और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या सिविल न्यायालयों में कार्रवाई से जुड़े उपचार उक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

कानून या नहीं "।

संदर्भ क्रम में कहा गया है कि धुलाभाई वोल्वरहैम्प्टन न्यू वाटरवर्क्स कंपनी में उल्लिखित तीन श्रेणियों को संदर्भित करते हैं।

हॉक्सफोर्ड, 27 निम्नलिखित प्रभाव के लिए:

" तीन प्रकार के मामले हैं जिनमें देयता हो सकती है -एक कानून पर स्थापित। एक है, जहां सामान्य कानून में एक देयता मौजूद थी, और उस देयता की पुष्टि एक क़ानून द्वारा की जाती है जो उपचार का एक विशेष और विशिष्ट रूप देता है।

26 सामान्य कारण वी। भारत संघ, (1999) 6 एस. सी. सी. 667 और कृषि उपज बाजार समिति बनाम। अशोक हरिकुनी और एक अन्य, (2000) 8 एस. सी. सी. 61।

279 [1859] 6 सी. बी. (एन. एस.) 336 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

उस उपचार से जो सामान्य कानून में मौजूद था; वहाँ, जब तक कि क़ानून में ऐसे शब्द न हों जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से हों।

सामान्य कानून उपचार को बाहर करें, और मुकदमा करने वाले पक्ष के पास उस या वैधानिक उपचार को आगे बढ़ाने के लिए अपना चुनाव है। मामलों का दूसरा वर्ग है, जहां कानून केवल मुकदमा करने का अधिकार देता है, लेकिन उपचार का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करता है: वहाँ, पक्ष केवल सामान्य कानून पर कार्रवाई करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक तीसरा वर्ग है, अर्थात, जहां एक देयता जो

सामान्य कानून में मौजूद नहीं है, एक क़ानून द्वारा बनाई जाती है जो एक ही समय में एक विशेष और विशेष उपाय प्रदान करती है।

इसे लागू करने के लिए "।

धुलाभाई का मामला सीधे तौर पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार से संबंधित है, हालांकि हम सम्मानपूर्वक आदेश से सहमत हैं। संदर्भ की कि स्थिति संख्या 2 की जाँच करते समय उपयुक्त है

गैर-मध्यस्थता का प्रश्न। मध्यस्थता को बाहर करने के निहित विधायी इरादे को देखा जा सकता है यदि यह प्रतीत होता है कि कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व पैदा करता है और निर्दिष्ट न्यायालयों या उस ओर से विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए जाने वाले अधिकार और दायित्व के निर्धारण का प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न अदालत या इस तरह से सशक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।और अनन्य अधिकार क्षेत्र के साथ निहित। इसलिए, केवल दीवानी अदालत के विकल्प के रूप में एक विशिष्ट मंच का निर्माण या दीवानी अदालत को निर्दिष्ट करना, अंतर्निहित गैर-मध्यस्थता के निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। एक विशिष्ट न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण या एक सार्वजनिक मंच का निर्माण हालांकि प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, यह जवाब देने और यह तय करने के लिए निर्णायक परीक्षा नहीं हो सकती है कि क्या मध्यस्थता निहित रूप से वर्जित है।

34. अंतर्निहित गैर-मध्यस्थता तब स्थापित होती है जब अनिवार्य कानून द्वारा पक्षों को निर्दिष्ट न्यायालय या निर्दिष्ट सार्वजनिक मंच द्वारा निर्णय लेने और उसे माफ करने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है। कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति उपचार पर जोर देता है, उसे कानून में बताए गए मंच के समक्ष और किसी अन्य मंच के समक्ष अपना उपचार प्राप्त करना चाहिए। ट्रांसकोर वी में। भारत संघ और एक अन्य, 28 इस न्यायालय ने इस संदर्भ में चुनाव के सिद्धांत की जांच की थी कि क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ('डी. आर. टी. अधिनियम') की धारा 19 (1) के प्रावधान के तहत एक आदेश वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण का सहारा लेने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 ('एन. पी. ए. अधिनियम') का प्रवर्तन। दोनों अधिनियमों के तहत दायरे और उपचारों का विश्लेषण करने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

28 (2008) 1 एससीसी 125 [2020] 11 एस. सी. आर.

एन. पी. ए. अधिनियम एक अतिरिक्त उपाय है जो डी. आर. टी. अधिनियम के साथ असंगत नहीं है, और निम्नलिखित में चुनाव के सिद्धांत का संदर्भ दिया गया था। शर्तें:

दो या दो से अधिक उपचारों का अस्तित्व; ऐसे उपचारों और उनमें से एक के चयन के बीच विसंगतियाँ। यदि तीनों तत्वों में से कोई भी नहीं है, तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस के अनुसार, 2 डी, वॉल्यूम। 25 , पी। 652 , यदि वास्तव में केवल एक ही उपाय है, तो चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एन. पी. ए. अधिनियम एक अतिरिक्त है। डी. आर. टी. अधिनियम के लिए उपाय। एक साथ वे एक उपाय का गठन करते हैं और इसलिए, चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां तक कि स्नेल के समानता के सिद्धांतों के अनुसार (31 वां संस्करण, पी। 119), उपचार के चुनाव का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब चुनाव के समय वादियों के लिए दो या दो से अधिक सह-अस्तित्व वाले उपचार उपलब्ध होते हैं जो अप्रिय और असंगत होते हैं। किसी भी स्थिति में, दोनों के बीच कोई असंगति या असंगति नहीं है

उपचार, इसलिए, चुनाव के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है। ”

एक वैकल्पिक उपाय के रूप में मध्यस्थता का अस्तित्व और चुनने की स्वतंत्रता उपलब्ध है। दोनों के बीच कोई विसंगति या असहमति नहीं होनी चाहिए। एक विकल्प के रूप में अनिवार्य कानून और मध्यस्थता के प्रावधान। इसके विपरीत और किसी दिए गए मामले में जब प्रतिकूलता होती है और

असंगति, चयन के अधिकार और मध्यस्थता के लिए चुनाव से इनकार किया जाता है। यह

"कानून के पाठ, विधायी इतिहास, और मध्यस्थता और कानून के अंतर्निहित उद्देश्य के बीच 'अंतर्निहित संघर्ष' की जांच करने की आवश्यकता है" 29 विशेष अधिकारों की प्रकृति और प्रकार के संदर्भ में और अदालतों या सार्वजनिक मंच को इन अधिकारों और पारित आदेशों को प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए दी गई शक्ति और अधिकार। कब

मध्यस्थता ऐसे अधिकारों को लागू और लागू नहीं कर सकती है या पुरस्कार को कानून द्वारा प्रदान और अनिवार्य तरीके से लागू और लागू नहीं किया जा सकता है, अदालतों या सार्वजनिक मंच की वरीयता में मध्यस्थता चुनने के चुनाव के अधिकार को या तो पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है या इसमें कटौती की जा सकती है। में। संक्षेप में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या क़ानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और प्रत्येक अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रदान करता है

29 जेनिफर एल. पेरेसी, मध्यस्थता की धारणा को कम करना।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

विनिर्दिष्ट न्यायालय या इस प्रकार गठित सार्वजनिक मंच, और क्या सिविल न्यायालयों के सामान्य क्षेत्र से परे उपचार निर्धारित किए गए हैं। जब उत्तर सकारात्मक होता है, तो विशेष कारण के अभाव में मध्यस्थता को प्रतिकूल माना जाता है। विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है।

35. एम. डी. फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और

अन्य वी। हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, 3 0 और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम में इस निर्णय के बाद। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य, 3 1 यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व मध्यस्थता कार्यवाही भी एन. पी. ए. अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए बाधा नहीं है। एन. पी. ए. अधिनियम एक त्वरित, प्रक्रियात्मक पद्धति निर्धारित करता है जो वित्तीय संस्थानों को भुगतान न करने पर सुरक्षित संपत्तियों को कब्जा करने और बेचने में सक्षम बनाता है।

देय राशि से। यह स्पष्ट है कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। 36. ट्रान्सकोर में, डी. आर. टी. अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) की शक्तियों पर, यह देखा गया:

इसमें दूसरे और तीसरे के प्रावधान भी शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूचियाँ। इसलिए, वसूली प्रमाण पत्र के तहत देय ऋण की वसूली विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। इसमें उल्लिखित उपचार एक दूसरे के पूरक हैं। डी. आर. टी. अधिनियम न्यायनिर्णयनक प्रावधान करैत अछि। जहाँ तक देय ऋण का संबंध है, यह विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। इसमें सुरक्षित और साथ ही असुरक्षित ऋण शामिल हैं। हालाँकि, यह टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से, धाराओं की प्रयोज्यता से इनकार नहीं करता है।

डी. आर. टी. की कार्यवाही में समय और देरी के कारण गिरवी रखी गई संपत्तियों या गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य हमेशा गिरता है। इसकी वजह सेमुद्रास्फीति, बैंक/वित्तीय संस्थान के हाथों में परिसंपत्तियों का मूल्य

हमेशा कम हो जाता है जो, बदले में, परिसंपत्ति-देयता बेमेल की ओर ले जाता है। इन आकस्मिकताओं पर डी. आर. टी. अधिनियम द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है और, इसलिए संसद को एन. पी. ए. अधिनियम, 2002 लागू करना पड़ा।

उपरोक्त के अनुरूप, बिजली पर ट्रांसकोर में अवलोकन

30 (2017) 16 एस. सी. सी. 741 31 (2018) 14 एससीसी 783 [2020] 11 एस. सी. आर.

डी. आर. टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त डी. आर. टी. और वर्तमान निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत, हमें पूर्ण पीठ के फैसले को रद्द करना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित करता है कि केवल आर. ई. एम. में कार्य गैर-मध्यस्थ हैं, जो ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार सही कानूनी स्थिति है। तथापि, न्यायालयों/सार्वजनिक मंचों द्वारा निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने और सृजित करने वाले कानून में निहित निषेध के मामले में गैर-मध्यस्थता उत्पन्न हो सकती है, जो आदेश/प्रावधानों के प्रवर्तन सहित अधिकार को मध्यस्थता के मामले में लागू और लागू नहीं किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित करना कि डी. आर. टी. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावे मध्यस्थ हैं, इन संस्थानों को डी. आर. टी. अधिनियम में निर्दिष्ट वसूली के तरीकों सहित विशिष्ट अधिकारों से वंचित और वंचित कर देगा। इसलिए, द्वारा कवर किए गए दावेडी. आर. टी. अधिनियम गैर-मध्यस्थ है क्योंकि आवश्यक निहितार्थ द्वारा डी. आर. टी. के अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ निषेध है। कानून ने मध्यस्थता के संविदात्मक अधिकार को अधिलेखित कर दिया है।

37. नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड में, मध्यस्थता के तहत एक मामला

अधिनियम, 1940 में यह देखा गया कि सार्वजनिक नीति पर व्यापक रूप से विचार करने पर विवाद गैर-मध्यस्थ थे। एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद।

इंजीनियरों और अन्य, अब्दुल कादिर समशुद्दीन बुबरे बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों पर 3 3 निर्भरता रखी गई थी। माधव प्रभाकर ओक और एक: 34

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया जाता है

धोखाधड़ी की इच्छाओं का आरोप लगाने वाले पक्ष और पक्ष के खिलाफ

कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए, यह पर्याप्त होगा।

अदालत के लिए मध्यस्थता का आदेश नहीं देने का कारण

दाखिल करने और संदर्भ नहीं देने के लिए समझौता "।

एन. राधाकृष्णन ने आवेदन को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा।

33 (2010) 1 एससीसी 72

34 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 406 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

अधिक सक्षम और एक जटिल मामले को तय करने के साधन हैं। हालांकि, ए. अय्यासामी में धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद, दीवानी अपील की अनुमति दी गई थी, दीवानी मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत मध्यस्थता का संदर्भ दिया गया था। ए. के. सीकरी जे. ने

अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता अधिनियम किसी को भी बाहर करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है।

विवादों की श्रेणी जो उन्हें गैर-मध्यस्थता के रूप में बताती है लेकिन कई हैं

घोषणाएँ जो मानती हैं कि धोखाधड़ी एक ऐसी श्रेणी है जहाँ विवाद को गैर-मध्यस्थ माना जाएगा। बहिष्करण पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि केवल एक पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के आरोप का अनुरोध करना पर्याप्त नहीं है। धोखाधड़ी का आरोप ऐसा होना चाहिए जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बना दे। गैर-मध्यस्थता के सवाल पर

जब धोखाधड़ी के आरोप लगते हैं, तो उन्होंने कहा:

" 25 ..... यह पाया जाता है कि धोखाधड़ी के बहुत गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं या जहां धोखाधड़ी के आरोप इतने जटिल होते हैं कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जटिल मुद्दों पर निर्णय केवल दीवानी अदालत द्वारा विशाल साक्षय की सराहना पर किया जा सकता है जिसे पेश करने की आवश्यकता है, अदालत धारा 8 के तहत आवेदन को खारिज करके समझौते को दरकिनार कर सकती है और गुण-दोष के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकती है। ऐसा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां धोखाधड़ी की याचिका के समर्थन में दस्तावेजों की जालसाजी/मनगढ़ंत रचना के गंभीर आरोप हैं या जहां मध्यस्थता प्रावधान के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है या ऐसी प्रकृति का है जो मध्यस्थता के समझौते सहित पूरे अनुबंध में व्याप्त है, जिसका अर्थ है उन मामलों में जहां धोखाधड़ी पूरे अनुबंध की वैधता तक जाती है जिसमें मध्यस्थता खंड या स्वयं मध्यस्थता खंड की वैधता शामिल है। गैर-मध्यस्थ विषयों की ऐसी श्रेणियां अदालतों द्वारा सामान्य कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि कुछ विवाद जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं, आदि मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और समाधान करने में सक्षम नहीं हैं।

ऐसे विवाद, न्यायालय अर्थात सार्वजनिक मंच, निजी न्यायालय की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं।

मध्यस्थता का मंच "।

डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ने अपने सहमत निर्णय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 की अनिवार्य प्रकृति को उजागर करते हुए कहा किधोखाधड़ी के आरोपों को मध्यस्थता पर रसेल, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर रेडफर हंटर और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में जन्मे गैरी बी. पर भरोसा करके मध्यस्थता का विषय बनाया जा सकता है। निर्भरता को क्षमता-क्षमता के सिद्धांत के पृथक्करण और कानूनी प्रभाव के सिद्धांत पर रखा गया था, जिसका पालन करने के लिए:

दोनों दृष्टिकोण के बीच। एक बार यह ध्यान में लाया जाता है किन्यायालय कि उसके अधिकार क्षेत्र को के संदर्भ में छीन लिया गया है

एक विशेष कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया, दीवानी अदालत को चाहिए

पहले देखें कि क्या संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का निष्कासन है या नहीं।

विशेष कानून के तहत प्रक्रिया का अनुपालन। द.

सामान्य कानून को विशेष कानून सामान्य के अधीन होना चाहिए।

विशेष गैर अपमानजनक। ऐसी स्थिति में, दृष्टिकोण होगा

यह देखने के लिए नहीं है कि क्या सिविल कोर्ट में अभी भी अधिकार क्षेत्र हैसामान्य कानून के तहत। इस तरह के दृष्टिकोण केवल देरी करेंगे

विवादों का समाधान और शिकायतों के निवारण को जटिल बनाना

और निश्चित रूप से अनावश्यक रूप से अदालत में विचाराधीनता बढ़ाएँ।"

XX

XX

XX

43. इसलिए, आपराधिक गलत काम या वैधानिक के आरोपउल्लंघन मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं होगा

दीवानी या संविदात्मक से उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए न्यायाधिकरण

द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के आधार पर संबंध

मध्यस्थता समझौता "। कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना और सारांशित करना, D.Y.Chandrachud

" 53. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, मेरे विचार में होना चाहिए। व्याख्या की जाए ताकि इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को एक पंक्ति में लाया जा सके

इस तरह से व्याख्या जो प्रचलित के अनुरूप है

संस्थागत प्रभावकारिता को मजबूत करने की दिशा में विकास करना मध्यस्थता। पार्टियों द्वारा एक पूर्ण मंच के रूप में चुने गए मंच के लिए बचाव

उनके सभी दावों को हल करने का उपाय उस विकास का हिस्सा है।

अदालतों के हस्तक्षेप को कम करना फिर से एक मान्यता है

एक ही सिद्धांत "। 38. सार में ऊपर देखी गई मध्यस्थता एक राष्ट्रीय मामला है।

y. 3 5 35 एक क़ानून, सार्वजनिक नीति के आधार पर, स्पष्ट रूप से या द्वाराएकर बाद मध्यस्थता पर नज़र डालें: संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यस्थता के दृष्टिकोण,

पैट्रिक एम. बैरन और स्टीफन लिनिगर द्वारा रलैंड और जर्मनी विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

निहितार्थ विवादों की मध्यस्थता को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करता है। इस हद तक एकरूपता और आम सहमति है। हालांकि, एन. राधाकृष्णन ने यह स्वीकार करते हुए कि विवाद लागू होने वाले प्रावधानों के तहत मध्यस्थ हो सकता है

अनिवार्य कानून में कहा गया है कि यदि विवाद धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों से संबंधित है तो सार्वजनिक नीति पर विचार करने पर यह मध्यस्थता योग्य नहीं होगा। ए. अय्यासामी के दो विचार गैर-मध्यस्थता के कानून के सवाल को तय करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका पर संकट को उजागर करते हैं। चाहे किसी विषय वस्तु या विवाद को सार्वजनिक नीति पर गैर-मध्यस्थता के रूप में माना जाना चाहिए, यह खेदजनक है और कठिनाई से मुक्त नहीं है जैसा कि निर्णयों में व्यक्त मजबूत राय में परिलक्षित होता है। वास्तव में, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, धारा 20 और 34 की उप-धारा (4) के तहत वैधानिक विवेकाधिकार को देखते हुए मामला कानून स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति की भूमिका और प्रासंगिकता का समर्थन करता है और स्वीकार करता है। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम के तहत कानूनी स्थिति, जैसा कि 'मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है' शीर्षक के तहत जांच की जाती है, अलग है।

39. हम खंड (बी) के उपखंड (i) और (ii) की जांच करके शुरू करते हैं

धारा 34 की उप-धारा (2), जो निम्नानुसार है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। –

XX

XX

XX

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

(ए)।

(ख) न्यायालय ने पाया कि

कुछ समय के लिए कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा, या((ii) मध्यस्थता पुरस्कार की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव है।

भारत।

स्पष्टीकरण 1. - किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि

एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में है, केवल अगर,

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी से प्रेरित या प्रभावित था।या भ्रष्टाचार या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन किया गया था; या

((ii) यह भारत की मौलिक नीति का उल्लंघन है। कानून; या

((iii) यह नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है या

न्याय।

स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।

धारा 34 (2) (बी) में दो उपखंड हैं जो दोनों न्यायालय को एक पुरस्कार को अलग करने की शक्ति के साथ मान्यता देते हैं। उपखंड (i) के तहतजब विषय वस्तु वर्तमान में लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, तो पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। के तहत

उपखंड (ii) एक पुरस्कार को अलग किया जा सकता है यदि यह भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है। स्पष्टीकरण संख्या 1 के अनुसार, एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ केवल तभी टकराव में है जब वह धोखाधड़ी से प्रेरित या प्रभावित था।

भ्रष्टाचार आदि या यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है या नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है। स्पष्टीकरण 2 न्यायालयों को सावधान करता है कि वे गुण-दोषों की समीक्षा न करें -

इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या कोई पुरस्कार कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है। इसलिए, संघर्ष

भारत की सार्वजनिक नीति और विवाद का एक विषय जो मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, दो अलग-अलग और स्वतंत्र आधार हैं।जिस पर अदालत पुरस्कार को रद्द कर सकती है। बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. में सार्वजनिक नीति का संदर्भ और वर्तमान मामले में और गैर

विषय वस्तु की मध्यस्थता पूरी तरह से अलग है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट भारत की सार्वजनिक नीति के साथ कुछ भी समान नहीं है। गैर-मध्यस्थता के संदर्भ में सार्वजनिक नीति उस सार्वजनिक नीति को संदर्भित करती है जो अधिनियम में परिलक्षित होती है, अर्थात क्या अधिनियम निर्दिष्ट न्यायालय या विशेष मंच को अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है और मध्यस्थता का सहारा लेने से रोकता है। धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (ii) के संदर्भ में सार्वजनिक नीति अधिनियम की सार्वजनिक नीति को संदर्भित करती है, जो अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित और निर्धारित करती है।और मध्यस्थ द्वारा उन अधिकारों और दायित्वों का अनुप्रयोग। क़ानूनों का एक सार्वजनिक उद्देश्य या नीति होती है जो कानून के पीछे का आधार और उद्देश्य है। मामले के गुण-दोष के लिए अनिवार्य कानून के लागू होने का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता का अधिकार छीन लिया गया है। अनिवार्य कानून को लागू करने के लिए एक विशेष मूल नियम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह मध्यस्थता को बाधित नहीं करेगा। निहित गैर-मध्यस्थता के लिए अधिकार क्षेत्र की छूट के खिलाफ निषेध की आवश्यकता होती है, जो तब होता है जब कोई क़ानून विशेष अधिकार या दायित्व देता है और इसके लिए एक विशेष मंच बनाता है या निर्धारित करता है।

न्यायनिर्णयन और प्रवर्तन। एक मध्यस्थ, अदालत की तरह, गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच करते समय क़ानून के पीछे की सार्वजनिक नीति से समान रूप से बाध्य होता है। गैर-मध्यस्थता के मामले में सार्वजनिक नीति न्यायालय या विशेष मंच सेट विद्या ड्रॉलिया और अन्य को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने से संबंधित होगी।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा। गैर-मध्यस्थता प्रश्न का उत्तर इस बात की जांच करके नहीं दिया जा सकता है कि क्या क़ानून का एक सार्वजनिक नीति उद्देश्य है जो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतिमा का होगा। मध्यस्थता के पक्ष में एक सामान्य धारणा है, जिसे केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि विवाद अनिवार्य कानून की प्रयोज्यता से व्याप्त है। मध्यस्थ द्वारा सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारत में कानून की मौलिक नीति का पालन करने में विफलता के आधार पर निर्णय को रद्द कर दिया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य नहीं था।

40. हालाँकि, उपरोक्त चर्चा एन. राधाकृष्णन के लिए एक पूर्ण उत्तर नहीं होगी कि यदि न्याय की आवश्यकता है, तो इसके बावजूद

मध्यस्थता खंड, विवाद की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। इस तर्क को स्वीकार करने के लिए किसी को इस बात से सहमत होना होगा कि मध्यस्थता एक त्रुटिपूर्ण और समझौता विवाद समाधान तंत्र है

जिसे तब माफ किया जा सकता है जब जनहित या सार्वजनिक नीति की मांग हो कि विवाद का मुकदमा चलाया जाए और अदालत में फैसला किया जाए। सार्वजनिक नीति का तर्क आगे बढ़ता है

आधार और सिद्धांत कि मध्यस्थता अदालत के निर्णय से कम है

के रूप में: (i) मध्यस्थता में तथ्य खोजने की प्रक्रिया न्यायिक तथ्य खोजने के बराबर नहीं है, जो कहीं अधिक व्यापक और गहराई में है; (ii) पुरस्कारों में सीमित या तर्क की कमी है; (iii) मध्यस्थ आनंद लेते हैं और प्रयोग करते हैं।

व्यापक और निर्बाध शक्तियाँ और इसलिए मनमाने और निरंकुश निर्णय लेने में प्रवण हैं; (iv) मध्यस्थता में कोई अपील प्रक्रिया नहीं है जो उपरोक्त (iii) और निर्णय के बाद की अदालत की कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार की सीमित समीक्षा के साथ संयुक्त हो, मध्यस्थता के हारने वाले पक्ष के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और न्याय को कमजोर कर सकते हैं।

37 (vii) 2007 के मध्यस्थता निष्पक्षता अधिनियम के विधेयक के पाठ की प्रस्तावना से, जैसा कि प्रायोजक द्वारा लिखा गया था और विचार के लिए सदन को प्रस्तुत किया गया था।38 भारत संघ बनाम। सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट, (2009) 4 एस. सी. सी. 523।

41. जबकि आधारों को केवल आधार के रूप में दूर करना सही नहीं होगा।

अनुमान और आधारहीन, यह सरासर तर्कहीन और पूरी तरह से गलत होगा कि अविश्वास किया जाए और मध्यस्थता को त्रुटिपूर्ण और घटिया निर्णय प्रक्रिया के रूप में माना जाए जो किसी कानून के सार्वजनिक नीति पहलुओं से निपटने के लिए अनुपयुक्त है। अदालतों की तरह मध्यस्थ भी कानून की सार्वजनिक नीति के अनुसार विवादों को हल करने और उनका फैसला करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं। किसी विधान में सार्वजनिक नीति पर विचार का पालन करने में विफलता की संभावना, जो अन्यथा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता को बाहर नहीं करती है, मध्यस्थता समझौते को अधिलेखित करने और रद्द करने का आधार नहीं बन सकती है। यह मध्यस्थता अधिनियम के पीछे सार्वजनिक नीति के उद्देश्य में परिलक्षित विधायी इरादे के विपरीत और विफल होगा। मध्यस्थता के काफी फायदे हैं क्योंकि यह पक्षों को अपनी पसंद का मध्यस्थ चुनने की स्वतंत्रता देता है, और यह अनौपचारिक, लचीला और त्वरित है। सरलता, अनौपचारिकता और अभियान मध्यस्थता की पहचान हैं।

मध्यस्थों को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय का पालन करना चाहिए और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मध्यस्थ आम तौर पर विषय में विशेषज्ञ होते हैं और तथ्यों, साक्षय और प्रासंगिक मामले कानून का उल्लेख करके अपने कार्यों को करते हैं। मध्यस्थता को रोकने के लिए जटिलता पर्याप्त नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधिदेश और

मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य और धारा 8 और 11 की अनिवार्य भाषा के संदर्भ में, पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थता खंडों को लागू किया जाना चाहिए। धारा 8 और 11 की भाषा

मध्यस्थता अधिनियम प्रकृति में आकस्मिक हैं। मध्यस्थता अधिनियम को न्यायालय के निर्णय के पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत विकल्प के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। सार्वजनिक नीति आर्थिक, वाणिज्यिक और नागरिक विवादों को हल करने और निपटाने के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित और मजबूत करना है। समय-समय पर किए गए संशोधनों ने मुद्दों को संबोधित किया है और सुधार किया है मध्यस्थता प्रक्रिया में अपर्याप्तताएँ और खामियाँ। यह मध्यस्थों सहित हितधारकों को आश्वस्त करना है कि मध्यस्थता अदालत के निर्णय की तरह ही निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष है। निर्णय के बाद के स्तर पर न्यायालयों का यह भी कर्तव्य है कि वे स्पष्टीकरण 1 और 2 के साथ पठित धारा 34 (2) (बी) (ii) के चार कोनों के भीतर सीमित अधिकार क्षेत्र का चुनिंदा रूप से लेकिन प्रभावी ढंग से प्रयोग करें और मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी संघर्ष की जांच करें।

लागू कानून की नीति। हम बाद में 'द्वितीय दृष्टि' 39 सिद्धांत का उल्लेख करेंगे जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधिदेश के अनुसार मध्यस्थता से निपटने वाली तीन विशिष्ट स्थितियों में लागू होता है।

39 मित्सुबिशी मोटर्स कार्पोरेशन बनाम। सोलर क्रिसलर प्लाईमाउथ इंक, 473 यू. एस. 614 एस. सी. टी. 3346 (1985) (यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, 2 जुलाई 1985)

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

42. हाल ही में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने टीईएलयूएस में

और अन्य मामले। पक्ष की स्वायत्तता को एक उच्च आधार पर रखते हुए, अधिनियम यह आदेश देता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौते के पक्षों को विवाद समाधान के सहमति और सहमत तरीके का पालन करना चाहिए। न्यायालयों को विशेष रूप से मध्यस्थता समझौतों का उचित सम्मान करना चाहिए।अदालती कार्यवाही पर रोक लगाकर वाणिज्यिक व्यवस्थाएँ, जब तक कि विधायी भाषा इसके विपरीत न हो। पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत सीमित अदालत के हस्तक्षेप के सिद्धांत के साथ-साथ चलता है, यह आधुनिक मध्यस्थता कानून में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत है। पार्टी की स्वायत्तता गैर-बातचीत "इसे लें या छोड़ दें" अनुबंधों में कमजोर है और इसलिए, विधायिका कानूनों के माध्यम से सबसे कमजोर और कमजोर लोगों को बचा सकती है।

उपभोक्ता जैसे संविदाकारी पक्ष। यह बातचीत किए गए समझौतों में या यहां तक कि वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में मध्यस्थता खंड वाले आसंजन अनुबंधों में भी ऐसा नहीं है। वाणिज्यिक और नागरिक मध्यस्थता के गुणों को मान्यता दी गई है और स्वीकार किया गया है और अदालतें मध्यस्थता के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती हैं। 43. एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य बनाम मामले में इस

न्यायालय का हालिया निर्णय। एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड "1 ने जांच की है

'धोखाधड़ी अपवाद' के आह्वान पर कानून बहुत विस्तार से है और यह मानता है कि एन. राधाकृष्णन के पास एक उदाहरण के रूप में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। हम.

उक्त दृष्टिकोण और एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड में निर्णय के पैराग्राफ 14 में की गई टिप्पणियों के साथ सम्मानपूर्वक सहमत हैं, जो राशिद रजा बनाम में टिप्पणियों को उद्धृत करता है। सदफ अखतारा 2:

" 4. इस अपील में निर्धारित कानून के सिद्धांत जालसाजी/मनगढ़ंत के गंभीर आरोपों के बीच अंतर करते हैं। "साधारण आरोपों" के विपरीत धोखाधड़ी की याचिका। पैरा 25 में निर्धारित दो कार्य परीक्षण हैं: (1) क्या यह याचिका पूरे अनुबंध और सबसे बढ़कर, मध्यस्थता के समझौते में व्याप्त है, जिससे यह अमान्य हो जाता है, या (2) क्या धोखाधड़ी के आरोप पक्षों के आंतरिक मामलों को छूते हैं, जिसका कोई निहितार्थ नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में "।

40 (2019) एस. सी. सी. 19 (कैन. एल. आई. आई.) 41 2016 की सिविल अपील सं. 5145 और संबंधित मामले, जो 19.08.2020 42 (2019) 8 SCC 710 [2020] 11 S. C. R. पर तय किए गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोप केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब निर्धारित दो परीक्षणों में से कोई भी संतुष्ट हो और अन्यथा नहीं। पहला परीक्षण केवल तभी संतुष्ट होता है जब यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता खंड या समझौते को स्वयं एक स्पष्ट मामले में मौजूद नहीं कहा जा सकता है जिसमें अदालत ने पाया कि जिस पक्ष के खिलाफ उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसे मध्यस्थता से संबंधित समझौते में प्रवेश करने वाला नहीं कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरा परीक्षण उन मामलों में किया गया है जिनमें राज्य या उसके खिलाफ मनमाने, धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण आचरण के आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकार, एक रिट अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की आवश्यकता होती है जिसमें प्रश्न उठाए जाते हैं जो मुख्य रूप से अनुबंध से उत्पन्न होने वाले प्रश्न या उसके उल्लंघन नहीं होते हैं, बल्कि जनता में उत्पन्न होने वाले प्रश्न होते हैं।

कानून क्षेत्र "।"

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड के फैसले में अनुबंध अधिनियम की धारा 17 की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि धारा 17 लागू होगी यदि अनुबंध स्वयं धोखाधड़ी या धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त अनुबंध और अनुबंध के बाद धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के बीच अंतर किया जाता है। उत्तरार्द्ध अनुबंध अधिनियम की धारा 17 से बाहर होगा और इसलिए, नुकसान के लिए उपाय उपलब्ध होगा न कि अनुबंध को शून्य मानने के लिए उपाय।

44. डेक्कन पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। रीजेंसी महावीर

गुण 4 3, दस्तावेजों को रद्द करने के लिए कानूनी कार्यवाही

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 को व्यक्तिगत रूप से की गई कार्रवाई माना गया था न कि किसी अन्य तरीके से की गई कार्रवाई। महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय आर. एच. ग्रेवसन (कानूनों का टकराव 98,7वां संस्करण) द्वारा आर. एच. ग्रेवसन में कार्रवाई की परिभाषा को संदर्भित करता है। 1974), जो इस प्रकार है:

केवल अपने बीच के रूप में, लेकिन सभी व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी समय उनके साथ या उस संपत्ति के साथ व्यवहार करने के लिए जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया था।

45. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम एक प्रस्ताव रखना चाहेंगे

यह निर्धारित करने के लिए कि मध्यस्थता समझौते में विवाद का विषय कब मध्यस्थता योग्य नहीं है:

43 2016 की सिविल अपील सं. 5147, विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम पर निर्णय लिया गया।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

(1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय वस्तु आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित है, जो अधीन अधिकारों से संबंधित नहीं है

व्यक्ति जो रेम में अधिकारों से उत्पन्न होता है।

(2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है; सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है; केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है, और आपसी निर्णय उचित नहीं होगा।

और लागू करने योग्य;

(3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित हो और इसलिए आपसी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा; और (4) जब विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य क़ानूनों के अनुसार गैर-मध्यस्थता योग्य हो।

ये परीक्षण जलरोधी डिब्बे नहीं हैं; वे डोवटेल और ओवरलैप करते हैं, हालांकि जब समग्र और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है तो यह मदद करेगा और

जब भारत में कानून के अनुसार, कोई विवाद या विषय मध्यस्थता योग्य नहीं है, तो बहुत हद तक निश्चितता के साथ निर्धारित करने और पता लगाने में सहायता करें। केवल तभी जब उत्तर सकारात्मक हो कि विवाद का विषय गैर-मध्यस्थ होगा।

हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए जैसा कि ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में देखा गया है। लि. :

" 35 ..... आपराधिक जैसे कुछ विवादों का वहां उल्लेख किया जाता है।

सार्वजनिक प्रकृति के अपराध, अवैध रूप से उत्पन्न होने वाले विवाद

स्थिति से संबंधित समझौते और विवाद, जैसे कि तलाक, जो मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले, जैसे कि शारीरिक चोट से संबंधित तथ्यों के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाने का अधिकार है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है (कीर बनाम। लीमैन)। इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पति और एक पत्नी मध्यस्थता का उल्लेख उन शर्तों के लिए कर सकते हैं जिन पर वे अलग होंगे, क्योंकि वे उस मामले पर अपने बीच एक वैध समझौता कर सकते हैं (सॉइलक्स v.

हर्बस्ट, विल्सन बनाम। विल्सन और काहिल बनाम। काहिल)। ”

46. गैर-मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि दिवालिया या अंतर-कंपनी विवादों को संबोधित करना होगा।

एक केंद्रीकृत मंच द्वारा, चाहे वह न्यायालय हो या एक विशेष मंच, जो अधिक कुशल होगा और जिसके पास पूरे मामले को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने का पूरा अधिकार क्षेत्र होगा। वे भी रेम में क्रियाएँ हैं।

संप्रभु या सरकारी कार्यों के अंतर्गत आने वाले मामले और जिनका सर्वव्यापी प्रभाव होता है। इस तरह के अनुदान एकाधिकार अधिकार प्रदान करते हैं। वे गैर-मध्यस्थ हैं। आपराधिक मामले फिर से मध्यस्थ नहीं हैं क्योंकि वे राज्य के संप्रभु कार्यों से संबंधित हैं। इसके अलावा, आपराधिक कानून का उल्लंघन राज्य के खिलाफ अपराध है न कि केवल पीड़ित के खिलाफ। विवाह के विघटन, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि से संबंधित वैवाहिक विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं क्योंकि वे संप्रभु कार्यों के दायरे में आते हैं और उनका कोई वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य नहीं है। निर्णयों का सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। प्रोबेट से

संबंधित मामले, वसीयतनामा आदि क्रियाएँ हैं और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए एक घोषणा हैं और इसलिए गैर-मध्यस्थ हैं।

47. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम एन. राधाकृष्णन के अनुपात को अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए खारिज करते हैं कि धोखाधड़ी के आरोप हो सकते हैं।जब वे किसी नागरिक विवाद से संबंधित हों तो उन्हें मध्यस्थता का विषय बनाया जाए। यह इस चेतावनी के अधीन है कि धोखाधड़ी, जो मध्यस्थता खंड को दूषित और अमान्य कर देगी, गैर-मध्यस्थता से संबंधित एक पहलू है। हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि डी. आर. टी. अधिनियम के तहत डी. आर. टी. द्वारा जिन विवादों का निर्णय लिया जाना है, वे मध्यस्थता योग्य हैं। वे गैर-मध्यस्थ हैं।

यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा या किसी केंद्रीय निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा या इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मकान मालिक-किरायेदार विवादों को तय करने वाला एक पुरस्कार निष्पादित किया जा सकता है और दीवानी अदालत के आदेश की तरह लागू किया जा सकता है। मकान मालिक-किरायेदार विवाद अविभाज्य और संप्रभु से संबंधित नहीं हैं। राज्य के कार्य। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा मध्यस्थता को बाधित नहीं करते हैं। का स्थानांतरण

अन्य सभी अधिनियमों की तरह संपत्ति अधिनियम का भी एक सार्वजनिक उद्देश्य है, जो मकान मालिक-किरायेदार संबंधों को विनियमित करना है और मध्यस्थ उन प्रावधानों से बाध्य होगा, जिनमें ऐसे प्रावधान भी शामिल हैं जो किरायेदारों को सुनिश्चित करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं।

49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम हिमांगनी उद्यमों में निर्धारित अनुपात को खारिज करते हैं और मानते हैं कि मकान मालिक-किरायेदार विवाद हैं मध्यस्थता क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम मध्यस्थता को प्रतिबंधित या पूर्वनिर्धारित नहीं करता है। हालांकि, मकान मालिक-किरायेदार विवाद जो किराया नियंत्रण कानून द्वारा कवर और शासित होते हैं, जब विशिष्ट अदालत या विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम मध्यस्थता नहीं होगी।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

फोरम को विशेष अधिकारों और दायित्वों को लागू करने और तय करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है। इस तरह के अधिकारों और दायित्वों को केवल निर्दिष्ट न्यायालय/मंच द्वारा निर्णय और लागू किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता के माध्यम से।

गैर-मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है?

50. लॉर्ड मस्टिल ने अदालतों और मध्यस्थों के बीच संबंधों की रिले रेस से तुलना की है, जिसमें लिखा है:

" आदर्श रूप से, मध्यस्थता विवादों से निपटना एक रिले दौड़ के समान होना चाहिए। प्रारंभिक चरणों में, मध्यस्थों को जब्त करने से पहले

विवाद, लाठी अदालत की पकड़ में है; क्योंकि उस स्तर पर कोई अन्य संगठन नहीं है जो इसे रोकने के लिए कदम उठा सके

अप्रभावी होने के लिए मध्यस्थता समझौता। जब मध्यस्थ कार्यभार संभालते हैं तो वे बैटन को संभाल लेते हैं और इसे तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि वे कोई निर्णय नहीं ले लेते। इस बिंदु पर, अब भरने के लिए कोई कार्य नहीं होने के कारण, मध्यस्थ बैटन को वापस सौंप देते हैं ताकि अदालत आवश्यकता पड़ने पर पुरस्कार को लागू करने के लिए अपनी बलपूर्वक शक्तियां दे सके। ”

इस प्रकार, न्यायालयों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बीच निर्णय लेने के अधिकार के आवंटन की कानूनी समस्या।51. गैर-मध्यस्थता का मुद्दा तीन चरणों में उठाया जा सकता है। सबसे पहले, धारा 11 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन पर अदालत के समक्ष या

की धारा 8 के तहत लंबित न्यायिक कार्यवाही और संदर्भ पर रोक

मध्यस्थता अधिनियम; दूसरा, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष; या तीसरा, न्यायालय के समक्ष पुरस्कार या उसके प्रवर्तन को चुनौती देने के चरण में। इसलिए, सवाल-'गैर-मनमानेपन का फैसला कौन करता है?' और, विशेष रूप से, प्रथम दृष्टि चरण में न्यायालय की अधिकारिता, यानी रेफरल चरण।

52. गैर-मध्यस्थता के सवाल का फैसला कौन करता है? - एक अधिकार क्षेत्र

प्रश्न एक तकनीकी कानूनी मुद्दा है, और बूटस्ट्रैपिंग और भ्रम से बचने के लिए तथ्यों पर लागू होने पर स्पष्टता की आवश्यकता होती है। यह संदेह कि निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र किसके पास है, कई मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा डाल सकता है, भटक सकता है और देरी कर सकता है। दुर्भाग्य से, गैर-मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है, यह एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है, जिसका कोई सीधा सार्वभौमिक जवाब नहीं है, जैसा कि इस विषय पर भारतीय मामलों के कानूनों में अलग-अलग राय से स्पष्ट होगा। कुछ हद तक, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि अधिनियम मध्यस्थ को अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्देश स्तर पर और निर्णय के बाद की कार्यवाही में तय करने के लिए कितना अधिकार क्षेत्र देता है। यह अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। विचाराधीन गैर-मध्यस्थता का पहलू, [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता समझौते का दायरा और उसे प्रदत्त अधिकार

मध्यस्थ।53. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, अस्तित्व, वैधता, दायरे से संबंधित गैर-मध्यस्थता मुद्दों को निपटाने और तय करने का अधिकार क्षेत्र

साथ ही क्या विषय वस्तु समाप्ति, नवीनता, हताशा और तथ्यों पर लड़े जाने पर 'सहमति और संतुष्टि' के मामले में संभावित अपवाद के साथ मध्यस्थता करने में सक्षम थी, यह निर्धारित किया गया था और अदालतों द्वारा पहले या संदर्भ स्तर पर निर्णय लिया गया था। सिद्धांत यह है कि न्यायालय को एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और यह कि मध्यस्थता समझौते के विषय के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए हैं। हालाँकि, इस स्तर पर न्यायालय विवादों के गुण-दोष या स्थिरता से चिंतित नहीं होगा। बाधा डालने वाली रणनीतियों को रोकने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, संदर्भ स्तर पर गैर-मध्यस्थता मुद्दों का निर्णय और अंतिम निर्णय निश्चित रूप से वर्षों तक अदालतों में कार्यवाही को रोक देगा, पटरी से उतार देगा और विफल कर देगा।

54. UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित मध्यस्थता अधिनियम ने बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पूरी तरह से नया नियम पेश किया

वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता जो समकालीन आवश्यकताओं के लिए निष्पक्ष, उत्तरदायी और कुशल हो। मध्यस्थता अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक अदालतों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना और कम करना है। तदनुसार, गैर-मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की वैधानिक शक्तियों को बढ़ाया गया और अलगाव और क्षमता के सिद्धांतों को शामिल किया गया, जबकि अदालतों ने निर्णय के बाद की चुनौती कार्यवाही में 'दूसरा विचार' करने के लिए कुछ शक्ति बरकरार रखी। रेफरल स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर, इस न्यायालय के विचार अलग-अलग हैं और न्यायालय के फैसलों के कानूनी प्रभाव को संशोधित करने और मिटाने के लिए वैधानिक संशोधन किए गए हैं।

55. मध्यस्थता अधिनियम के तहत गैर मध्यस्थता के सवाल का फैसला कौन करता है, इस बारे में कानूनी स्थिति को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण मध्यस्थता अधिनियम के प्रवर्तन से लेकर पटेल इंजीनियरिंग में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय तक था

लिमिटेड 26 अक्टूबर 2005 को। लगभग दस वर्षों तक, यह अनुपात कोंकण रेलवे निगम में व्यक्त किया गया। लिमिटेड और अन्य बनाम। मेहूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, 44 को कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पुष्टि की गई और एक अन्य बनाम। रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड, 45 था

44 (2000) 7 एस. सी. सी 201

45 (2002) 2 एस. सी. सी. 388 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

प्रबल हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में विधायी संशोधनों तक के निर्णय के साथ हुई, जो 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2016 के अधिनियम 3 के माध्यम से अदालत के हस्तक्षेप को काफी कम करने और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के कानूनी प्रभाव को खत्म करने के लिए किए गए थे। तीसरा चरण 23 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ और 9 अगस्त 2019 से 2019 के अधिनियम 33 के अधिनियमन तक जारी रहा, जहां से तदर्थ मध्यस्थता के बजाय संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के स्पष्ट इरादे से चौथा चरण शुरू हुआ। 2019 के अधिनियम 33 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को आंशिक रूप से लागू और लागू किया गया है। वर्तमान मामले में, हम मुख्य रूप से 23 अक्टूबर 2015 से प्रभावी तीसरे चरण में कानूनी स्थिति से चिंतित हैं, जब 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधन लागू हो गए थे।

56. हम प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करके शुरू करते हैं,

अर्थात्, धारा 8,11,16, धारा 34 की उप-धारा (1) और (2) जिसमें खंड (बी) भी शामिल है, जिसे ऊपर पैरा 39 में आंशिक रूप से उद्धृत किया गया है, और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 की उप-धाराएँ (1), (2), (3)।

स्पष्टता और सुविधा के लिए, हम मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के प्रावधानों के नीचे एक सारणीबद्ध में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।

धारा 8 और 11 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था और धारा 11 में 9 अगस्त, 2019 से 2019 के अधिनियम 33 के माध्यम से एक और संशोधन किया गया है।

2016 के अधिनियम 3 से पहले और बाद की धारा 8, निम्नानुसार है:

धारा 8

धारा 8

(2016 के अधिनियम 3 से पहले)

(2016 का अधिनियम 3 के बाद)

8. पक्षों को 8 तक संदर्भित करने की शक्ति। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां मध्यस्थता है

यह एक मध्यस्थता समझौता है।

-

मध्यस्थता समझौता। (1) इससे पहले एक न्यायिक प्राधिकरण

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक कार्रवाई की जाती है

जिसे एक कार्रवाई में लाया जाता है

एक ऐसे मामले में जो मध्यस्थता का विषय है समझौता, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या

जो एक विषय है

मध्यस्थता समझौता होगा, यदि

उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार लागू नहीं होता है

पार्टी इस प्रकार बाद में लागू नहीं होती है

पर अपना पहला बयान जमा करने की तारीख से बाद में

अपना पहला प्रस्तुत करते समय

विवाद का सार, तब, किसी के बावजूद

विषय वस्तु पर वक्तव्य

उच्चतम न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश या कोई

विवाद, पक्षों को संदर्भित करें

न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि वह यह न पाए कि

मध्यस्थता।

प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) (2) में निर्दिष्ट आवेदन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन नहीं होगा। उप-धारा (1) नहीं होगी

मनोरंजन किया जाए जब तक कि यह मूल के साथ न हो

मनोरंजन

जब तक कि

यह है

मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति।

मूल के साथ

[बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या

मध्यस्थता समझौता या विधिवत

पार्टी के पास इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है।उप-धारा के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन

इसकी प्रमाणित प्रति।

आवेदन करने वाले इस तरह के आवेदन की एक प्रति के साथ दाखिल करेंगेमध्यस्थता समझौता और न्यायालय से प्रार्थना करने वाली याचिका

मूल प्रस्तुत करने के लिए दूसरे पक्ष को बुलाना

मध्यस्थता समझौता या उससे पहले इसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिअदालत।]

(3) इसके बावजूद एक

(3) इसके बावजूद कि एक आवेदन किया गया है

के तहत आवेदन किया गया है

उप-धारा (1) के तहत और यह कि मुद्दा पहले लंबित है

उप-धारा (1) और यह कि मुद्दा

न्यायिक प्राधिकरण, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है

न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है

या जारी रखा और एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया गया।

प्राधिकरण, एक मध्यस्थता हो सकती है

शुरू किया या जारी रखा और

मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया।

XX

XX

XX

धारा 11,2016 के अधिनियम 3 और अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले और बाद में

33 2019 का, निम्नानुसार है:

धारा 11

धारा 11

धारा 11

(अधिनियम 3 से पहले

(2016 का अधिनियम 3 के बाद)

(2019 के अधिनियम 33 के बाद)

2016)

में से

11 से।

नियुक्ति

नियुक्ति

11. 11 की नियुक्ति।

मध्यस्थ। -

मध्यस्थ।

मध्यस्थ।

—

—

(1) (1) किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्ति

(1) किसी भी व्यक्ति का

राष्ट्रीयता एक हो सकती है

राष्ट्रीयता एक हो सकती है

राष्ट्रीयता एक हो सकती है

मध्यस्थ, जब तक कि अन्यथा नहीं

मध्यस्थ, जब तक कि अन्यथा नहीं

मध्यस्थ, जब तक कि अन्यथा नहीं

पक्षों ने सहमति व्यक्त की।

पक्षों ने सहमति व्यक्त की।

पक्षों ने सहमति व्यक्त की।

(2) उप-धारा के अधीन

(2) उप-धारा (6) के अधीन,

(2) उप-धारा (6) के अधीन,

(6) ,

पक्ष इस पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

पक्ष इस पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

पक्षकार सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया

नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया

मध्यस्थ या मध्यस्थ।

मध्यस्थ या मध्यस्थ।

मध्यस्थ। (3) किसी भी समझौते में विफल होना

(3) किसी भी समझौते में विफल होना

(3) किसी भी समझौते में विफल होना

उप-धारा में संदर्भित

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट,

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट,

(2) , एक मध्यस्थता में

तीन के साथ एक मध्यस्थता में

तीन के साथ एक मध्यस्थता मेंमध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष करेगा

तीन मध्यस्थ, प्रत्येक

मध्यस्थता, प्रत्येक पक्ष करेगा

पार्टी एक को नियुक्त करेगी

एक मध्यस्थ नियुक्त करें, और

एक मध्यस्थ नियुक्त करें, और

मध्यस्थ, और

दो नियुक्त मध्यस्थ

दो नियुक्त मध्यस्थ

दो नियुक्त मध्यस्थ

तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करें

तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करें

अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा

अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा

करेंगे।

मध्यस्थ।

तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करें

मध्यस्थ।

किसके रूप में कार्य करेगा

(3 - (क) उच्चतम न्यायालय और

पीठासीन मध्यस्थ।

उच्च न्यायालय के पास होगा नामित करने की शक्ति, मध्यस्थता

संस्थान, समय-समय पर, जिनके द्वारा श्रेणीबद्ध किया गया है

धारा 43 के तहत परिषद

I, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

बशर्ते कि के संबंध में

थो से उच्च न्यायालय

क्षेत्राधिकार, जहाँ कोई श्रेणीबद्ध नहीं है

मध्यस्थ संस्था

हैं।

उपलब्ध है, तो, प्रमुख

संबंधित उच्च न्यायालय का न्याय न्यायालय एक पैनल बनाए रख सकता है

मध्यस्थता के कार्य और कर्तव्यसंस्थान और कोई भी संदर्भ

मध्यस्थ के लिए होगा

मध्यस्थ माना जाता है

उद्देश्यों के लिए संस्था

यह धारा और मध्यस्थ

एक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा

दर पर इस तरह के शुल्क का हकदार है

जैसा कि चौथे में निर्दिष्ट हैकार्यक्रम:

बशर्ते कि प्रमुख संबंधित उच्च न्यायालय का न्याय

न्यायालय समय-समय पर,

पैनल की समीक्षा करें

मध्यस्थ।

(4) यदि नियुक्ति (4) यदि नियुक्ति

(4) यदि [नियुक्ति होगी के आवेदन पर

उप-धारा (3) में प्रक्रिया

उप-धारा (3) में प्रक्रिया

लागू होता है और

लागू होता है और

पक्षकार, मध्यस्थ द्वारा

(a) एक पक्ष नियुक्त करने में विफल रहता है

(a) एक पक्ष नियुक्त करने में विफल रहता है

द्वारा नामित संस्था

तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ

तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ

उच्चतम न्यायालय, मामले मेंअंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

अनुरोध की प्राप्ति से

अनुरोध की प्राप्ति से

दूसरे पक्ष से ऐसा करना;

दूसरे पक्ष से ऐसा करना;

मध्यस्थता, या उच्च द्वारा

न्यायालय, मध्यस्थता के मामले में

या

या

अंतर्राष्ट्रीय के अलावा

((b) दोनों नियुक्त किए गए

((b) दोनों नियुक्त किए गए

मध्यस्थ इस पर सहमत होने में विफल रहे

मध्यस्थ इस पर सहमत होने में विफल रहे

वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में

तीस के भीतर तीसरा मध्यस्थ

तीस के भीतर तीसरा मध्यस्थ

मामला हो सकता है]।

उनकी तारीख से दिन

उनकी तारीख से दिन

नियुक्ति, नियुक्ति

नियुक्ति, नियुक्ति

के अनुरोध पर किया जाएगा

के अनुरोध पर किया जाएगा

मुख्य न्यायाधीश द्वारा या

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक पक्षकार

कोई भी व्यक्ति या संस्था

या, जैसा भी मामला हो,

उसके द्वारा निर्दिष्ट।

उच्च न्यायालय या कोई व्यक्ति या

इस प्रकार द्वारा नामित संस्था

अदालत।

(5) किसी भी समझौते में विफल होना

(5) किसी भी समझौते में विफल होना

(5) किसी भी समझौते में विफल होना

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट,

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट,

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट,

एकल के साथ एक मध्यस्थता में

एकल के साथ एक मध्यस्थता में

एकल के साथ एक मध्यस्थता में

मध्यस्थ, यदि पक्षकार विफल हो जाते हैं

मध्यस्थता या, यदि पक्षकार विफल हो जाते हैं

मध्यस्थ, यदि पक्षकार विफल हो जाते हैंमध्यस्थ के साथ आप सहमत हैं

भीतर मध्यस्थ पर सहमत हों

भीतर मध्यस्थ पर सहमत हों

ए की प्राप्ति से तीस दिन

ए की प्राप्ति से तीस दिन

ए की प्राप्ति से तीस दिन

एक पक्ष द्वारा अनुरोध

एक पक्ष द्वारा अनुरोध

एक पक्ष द्वारा अनुरोध

इस पर सहमत होने के लिए अन्य पक्ष

इस पर सहमत होने के लिए अन्य पक्ष

इस पर सहमत होने के लिए अन्य पक्ष [नियुक्ति की जाएगी

नियुक्ति की जाएगी,

नियुक्ति की जाएगी,

एक पक्ष के अनुरोध पर, द्वारा

एक पक्ष के अनुरोध पर, द्वारा

पार्टी का एक आवेदन

मुख्य न्यायाधीश या कोई

उच्चतम न्यायालय या के रूप में

प्रावधानों के अनुसार

या संस्था

मामला हो सकता है, उच्च न्यायालय

उप-धारा (4) में निहित]।

व्यक्तिउसके द्वारा निर्दिष्ट।

या कोई व्यक्ति या संस्था

ऐसे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(6) जहाँ, एक (6) के तहत जहाँ, एक (6) के तहत जहाँ, एक के तहत

प्रक्रिया नियुक्ति

प्रक्रिया

नियुक्ति

प्रक्रिया नियुक्ति

पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई,

पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई,

पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई,

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

इसके तहत आवश्यक

इसके तहत आवश्यक

इसके तहत आवश्यकप्रक्रिया; या

प्रक्रिया; या

प्रक्रिया; या

((ख) पक्षकार, या दोनों

((ख) पक्षकार, या दोनों

((ख) पक्षकार, या दोनों

नियुक्त मध्यस्थ, करने में विफल

नियुक्त मध्यस्थ, करने में विफल

नियुक्त मध्यस्थ, करने में विफल

एक अपेक्षित समझौते पर पहुँचें

एक अपेक्षित समझौते पर पहुँचें

एक अपेक्षित समझौते पर पहुँचें उस प्रक्रिया के तहत उनमें से;

उस प्रक्रिया के तहत उनमें से;

उस प्रक्रिया के तहत उनमें से;

या

या

या

(ग) एक व्यक्ति, जिसमें एक (ग) एक व्यक्ति, जिसमें एक

((c) एक व्यक्ति सहित

संस्थान, संस्थान का प्रदर्शन करने में विफल, प्रदर्शन करने में विफल

संस्थान, प्रदर्शन करने में विफल उसे सौंपा गया कोई भी कार्य

उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपा गया कोई कार्य, या उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपा गया कोई कार्य,

या उस प्रक्रिया के तहत, ए

पार्टी मुख्य पार्टी से अनुरोध कर सकती है

[नियुक्ति होगी

न्याय या कोई व्यक्ति या उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो

एक आवेदन पर किया गया

उसके द्वारा नामित संस्था, उच्च न्यायालय या कोई भी हो सकती है।

पक्षकार, मध्यस्थ द्वारा

या संस्था

द्वारा नामित संस्था

आवश्यक उपाय करने के लिए, व्यक्ति

उच्चतम न्यायालय, मामले में

जब तक कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समझौते पर

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक उपाय करती है, के लिए अन्य साधन प्रदान करता है जब तक कि समझौते पर

मध्यस्थता, या उच्च द्वारा

न्यायालय, मध्यस्थता के मामले में

नियुक्ति सुनिश्चित करना।

नियुक्ति प्रक्रिया

अन्य साधन प्रदान करता है

अंतर्राष्ट्रीय के अलावा

वाणिज्यिक मध्यस्थता के रूप में

नियुक्ति सुनिश्चित करना।

मामला हो सकता है] लेने के लिएआवश्यक उपाय जब तक कि

द.

समझौता

पर

प्रक्रिया

नियुक्ति अन्य साधन प्रदान करता है

नियुक्ति सुनिश्चित करना।

(6 - (क) उच्चतम न्यायालय या,

(6 - ए) [* * *]

जैसा कि मामला हो सकता है, उच्च

न्यायालय, किसी भी पर विचार करते हुए

उप-धारा के तहत आवेदन (4) उप-धारा (5) या उप-धारा

ना.

धारा (6),

करेगा,

इसके बावजूद

किसी भी

का निर्णय, डिक्री या आदेश

एक मध्यस्थता समझौता। (6 - (6-बी) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था का पदनाम

उच्चतम न्यायालय या, मामले के रूप में

उच्चतम न्यायालय या, मामले के रूप में

उच्च न्यायालय के लिए हो सकता है

उच्च न्यायालय के लिए हो सकता है

इस धारा के उद्देश्य

इस धारा के उद्देश्य

ना.

नहीं माना जाएगा

प्रतिनिधि मंडल के रूप में नहीं माना जाता है

न्यायिक शक्ति का प्रत्यायोजन

द्वारा न्यायिक शक्ति का

उच्चतम न्यायालय या

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय।

अदालत।] ए ड्रॉलिया एंड ओथर्स वी। निगम [संजीव खन्ना, जे।]

(7) उप-धारा (4) द्वारा सौंपे गए मामले (7) [* * *] पर निर्णय या उच्चतम न्यायालय की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) या,

जैसा कि मामला हो सकता है, उच्च

इस प्रकार द्वारा नामित संस्थाअदालत अंतिम है और कोई अपील नहीं

लेटर्स पेटेंट सहित

इसके खिलाफ अपील की जाएगी।

ऐसा निर्णय।

(8) [मध्यस्थ संस्था

(8) उच्चतम न्यायालय या, जैसा कि मामला हो सकता है, उच्च

उप-धारा (4) में निर्दिष्ट,

न्यायालय या व्यक्ति या

(5) और (6)], नियुक्ति से पहले

इस प्रकार द्वारा नामित संस्था

एक मध्यस्थ, एक की मांग करेगा

से लिखित में प्रकटीकरण

न्यायालय, एक नियुक्त करने से पहले

संदर्भ में संभावित मध्यस्थ

मध्यस्थ, एक की मांग करेगा

से लिखित में प्रकटीकरण

धारा की उप-धारा (1)

संदर्भ में संभावित मध्यस्थ

12 , और उचित सम्मान रखें

धारा की उप-धारा (1)

((a) कोई भी आवश्यक योग्यताएँ

12 , और उचित सम्मान रखें

द्वारा मध्यस्थ के लिए

((a) कोई भी आवश्यक योग्यताएँ

पक्षकारों का समझौता; और

द्वारा मध्यस्थ के लिए

((b) विषय-वस्तु

पक्षकारों का समझौता; और

प्रकटीकरण और अन्य

((b) विषय-वस्तु

जिन पर विचार किए जाने की संभावना है

एक की नियुक्ति सुनिश्चित करें

प्रकटीकरण और अन्य

जिन पर विचार किए जाने की संभावना है

स्वतंत्र और निष्पक्ष

मध्यस्थ।]

एक की नियुक्ति सुनिश्चित करेंस्वतंत्र और निष्पक्ष

मध्यस्थ।

(9) नियुक्ति के मामले में

(9) नियुक्ति के मामले में

एक में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ का

एक में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ का

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

मध्यस्थता, सर्वोच्च न्यायालय

मध्यस्थता, [मध्यस्थता

या व्यक्ति या संस्था

द्वारा नामित संस्था सर्वोच्च न्यायालय] नियुक्त कर सकता है

उस न्यायालय द्वारा नामित हो सकता है

एक राष्ट्रीयता का मध्यस्थ

एक का मध्यस्थ नियुक्त करें

राष्ट्रीयताओं के अलावा

इसके अलावा अन्य राष्ट्रीयता

दलों की राष्ट्रीयताएँ

पार्टियाँ जहाँ पार्टियाँ

पार्टियाँ कहाँ से संबंधित हैं

अलग-अलग

के अंतर्गत आता है

विभिन्न राष्ट्रीयताएँ।

राष्ट्रीयताएँ।

(10) उच्चतम न्यायालय या, जैसा कि

(10) [***

मामला हो सकता है, उच्च

ऐसा कर सकते हैं

लेन-देन के लिए उपयुक्त विलेखउप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के साथ।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(11) जहाँ एक से अधिक

(11) जहाँ एक से अधिक

(11) जहाँ एक से अधिक

अनुरोध किया गया है

अनुरोध किया गया है

अनुरोध किया गया है

उप-धारा (4) या उप-धारा

उप-धारा (4) या उप-धारा

उप-धारा (4) या उप-धारा

(5) या उप-धारा (6)

(5) या उप-धारा (6) से 3 तक

(5) या उप-धारा (6) से

विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश

विभिन्न उच्च न्यायालय या उनके

विभिन्न मध्यस्थ संस्थान,

मध्यस्थ संस्था को

नामित करता है, उच्च न्यायालय या

अदालतें या उनके

ऊँचा।

नामित, मुख्य न्यायाधीश

यह किसके लिए नामित है

जो अनुरोध किया गया है

या उसका नामित जिसे

पहले अनुरोध किया गया है

पहले संबंधित के तहत बनाया गया

संबंधित उप-धारा के तहत

उप-धारा होगी

पहले अनुरोध किया गया है

संबंधित उप-धारा के तहत

अकेले सक्षम होगा

नियुक्त करने के लिए सक्षम।

अकेले सक्षम होगा

अनुरोध पर निर्णय लें

अनुरोध पर निर्णय लें।

(12) ((a) जहाँ मामले हैं

(12) ((a) जहाँ मामले हैं

(12) मामला कहां का है।

उप-धारा (4) में निर्दिष्ट,

उप-धारा (4) में निर्दिष्ट,

उपखंडों में संदर्भित(4) , (5) , (6) और (8) एक में उत्पन्न होता है

(5) , (6) , (7) , (8) और (10) उत्पन्न होता है (5), (6), (7), (8) और उप

अंतर्राष्ट्रीय

धारा (10) एक में उत्पन्न होती है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

में

अ.

वाणिज्यिक मध्यस्थता,

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

मध्यस्थता या कोई अन्यमध्यस्थता, संदर्भ

मध्यस्थता, संदर्भ

में मुख्य न्यायाधीश का संदर्भ

वे उप-धाराएँ होंगी

सर्वोच्च न्यायालय या के रूप में

मध्यस्थ संस्था में

एक संदर्भ के रूप में माना जाता है

मामला हो सकता है, उच्च न्यायालय

वे उप-धाराएँ होंगी

भारत के मुख्य न्यायाधीश

उन उप-धाराओं में होगा

एक संदर्भ के रूप में समझा गया

(ख) जहां मामले निर्दिष्ट किए गए हैं।

एक संदर्भ के रूप में माना जाता है

मध्यस्थ संस्था

उप-धारा के तहत नामित

उप-धाराओं (4), (5), (6),। उच्चतम न्यायालय; और (ख) जहाँ

उप। (3-क) में निर्दिष्ट मामले।

(7) , (8) और (10) उठें

किसी अन्य मध्यस्थता में,

धारा (4), (5), (6),

में मुख्य न्यायाधीश का संदर्भ

(7) , (8) और उप-धारा (10)

वे उप-धाराएँ होंगी

किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होता है,

एक संदर्भ के रूप में माना जाता है

सर्वोच्च का संदर्भ

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

न्यायालय या, जैसा भी मामला हो,

उन में उच्च न्यायालय

न्यायालय जिसके भीतर स्थानीय

प्रमुख सिविल को सीमित करता है

उपखंडों का अर्थ लगाया जाएगा

खंड (ङ) में निर्दिष्ट न्यायालय

उच्च के संदर्भ में

धारा 2 की उप-धारा (1)

न्यायालय जिसके भीतर स्थानीय

स्थित है और, जहाँ उच्च

प्रमुख सिविल को सीमित करता है

न्यायालय स्वयं न्यायालय है।

खंड (ङ) में निर्दिष्ट न्यायालय

उस खंड में निर्दिष्ट,

धारा 2 की उप-धारा (1)

उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

स्थित है, और जहाँ उच्च हैन्यायालय स्वयं न्यायालय है।

अदालत।

उस खंड में निर्दिष्ट,

वह उच्च न्यायालय।

(13) एक आवेदन किया गया

(13) एक आवेदन किया गया

इस धारा के तहत

इस धारा के तहत

मध्यस्थ की नियुक्ति

मध्यस्थ की नियुक्ति

या मध्यस्थ होंगे

या मध्यस्थ होंगे

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया

मध्यस्थ द्वारा निपटाया गयाएक अवधि के भीतर संस्था

न्यायालय या उच्च न्यायालय या

या संस्था

तारीख से तीस दिन

व्यक्ति

ऐसे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट, जैसे कि

पर सूचना की सेवा

ना.

मामला हो सकता है, जैसे

विरोधी पक्ष।

साठ दिनों की अवधि सेनोटिस की सेवा की तारीख

विरोधी पक्ष।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। उर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

(14) मध्यस्थ संस्था

(14) के उद्देश्य के लिए

शुल्क का निर्धारण

शुल्क निर्धारित करेगा

मध्यस्थ न्यायाधिकरण और

मध्यस्थ न्यायाधिकरण और

भुगतान करने का तरीका

भुगतान करने का तरीका

मध्यस्थता न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय

के अधीन मध्यस्थ न्यायाधिकरण

न्यायालय इस प्रकार के नियम बना सकता है:

चौथे में निर्दिष्ट दरें

अनुसूची.

लेने के बाद आवश्यक हो सकता है

चौथे में निर्दिष्ट अनुसूची. स्पष्टीकरण। के लिए

शंकाओं को दूर करना, यह है

ना.

एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह उप

धारा लागू नहीं होगी

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिकमध्यस्थता और मध्यस्थता में

(अंतर्राष्ट्रीय के अलावा वाणिज्यिक मध्यस्थता) में

तय करने के लिए सहमत हुएनियमों के अनुसार शुल्क

मध्यस्थ संस्था।

XX

XX

XX

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार है:

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। - (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय देना शामिल है, और उसके लिए

उद्देश्य, -

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालाँकि, एक पक्ष को केवल इस कारण से ऐसी याचिका उठाने से रोका नहीं जाएगा कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है। (3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने दायरे से अधिक है

जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, प्राधिकरण को उठाया जाएगा।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4) माध्यस्थम न्यायाधिकरण, में निर्दिष्ट मामलों में से किसी एक में,

उप-धारा (2) या उप-धारा (3), बाद में याचिका स्वीकार करें यदि वह विचार करता है

देरी उचित है।

याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय, मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखें और एक मध्यस्थ पुरस्कार दें।

(6) इस तरह के एक मध्यस्थता पुरस्कार से व्यथित एक पक्ष कर सकता है

इस तरह के एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन

धारा 34 के साथ।

XX

XX

XX

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) और (2) पढ़ें

देर:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। -

(1) मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।

केवल उस अनुसार ऐसे पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन द्वारा

((i) कोई दल किसी असमर्थता के अधीन था, या((ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए

पक्षों ने इसके अधीन किया है या, किसी भी असफल

उस पर कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत संकेत; या

((iii) आवेदन करने वाले पक्ष को उचित सूचना नहीं दी गई थी।

मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही

या अन्यथा अपना मामला पेश करने में असमर्थ था; या ((iv) मध्यस्थता पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या यह

प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता के लिए: बशर्ते कि, यदि मामलों पर निर्णय मध्यस्थता को प्रस्तुत किए जाते हैं

उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस तरह से प्रस्तुत नहीं हैं, केवल विद्या ड्रॉलिया और अन्य का वह हिस्सा v।

उर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

माध्यस्थम् अधिनिर्णय जिसमें माध्यस्थम् को प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग रखा जा सकता है; या

(ख) न्यायालय ने पाया कि - ((i) विवाद का विषय-मामला उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है, या

स्पष्टीकरण 1-किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, केवल तभी जब -(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या

((iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है। स्पष्टीकरण 2-संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा।

XX

XX

XX

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 की उप-धाराएँ (1), (2) और (3) निम्नानुसार हैं:

" 43. सीमाएँ। — (1) सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36), मध्यस्थताओं पर लागू होगा जैसा कि यह न्यायालयों में कार्यवाही पर लागू होता है। (2) इस धारा और सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रयोजनों के लिए, एक मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि को शुरू हुई मानी जाएगी।

(3) जहां मध्यस्थता के लिए भविष्य के विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि कोई भी दावा जिस पर समझौता लागू होता है, तब तक वर्जित होगा जब तक कि समझौता और कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है जिस पर समझौता लागू होता है, न्यायालय, यदि यह राय है कि [2020] 11 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले की परिस्थितियों में अनुचित कठिनाई अन्यथा होगी

कारण, और इसके बावजूद कि इस प्रकार निर्धारित समय समाप्त हो गया है, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है,

समय को उस अवधि के लिए बढ़ाएं जो उसे उचित लगे।57. रानी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. लिमिटेड संविधान पीठ

मेहूल कंस्ट्रक्शन कंपनी में व्यक्त किए गए पहले के विचार को दोहराया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जो दूसरे पक्ष को नोटिस और सुनवाई को अनिवार्य नहीं करता है। एक प्रशासनिक आदेश होने के कारण, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति किसी भी प्रारंभिक मुद्दे, या मध्यस्थता समझौते की गैर-मध्यस्थता, वैधता और अस्तित्व के मुद्दे पर निर्णय नहीं लेते हैं, जिनका निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है -

पहली बार में मध्यस्थ।

58. हालांकि, सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में बहुमत के फैसले के माध्यम से इस अनुपात को खारिज कर दिया और कहा:

" 38 ..... लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बुनियादी आवश्यकता

धारा 11 (6), अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदक को इस तरह के समझौते में एक पक्षकार दिखाया जाता है। इसमें उसके अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व का सवाल भी शामिल होगा -अनुरोध पर विचार करें और जांच करें कि क्या कार्रवाई के कारण का कम से कम एक हिस्सा संबंधित राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ है। इसलिए, अधिकार क्षेत्र और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर और उस समझौते का एक पक्ष होने के नाते अनुरोध करने

वाले व्यक्ति और मध्यस्थता विवाद के अस्तित्व पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और इन पहलुओं पर निर्णय इस बात की प्रस्तावना है -

मुख्य न्यायाधीश इस बात पर विचार करते हुए कि क्या धारा 11 की उप-धारा (4), उप-धारा (5) या उप-धारा (6) की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

जब नियुक्ति के अनुरोध के साथ संपर्क किया गया

39. यह परिभाषित करना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधीश वास्तव में क्या हैं, अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के साथ संपर्क किया जाता है, उस स्तर पर निर्णय लेना है। जाहिर है, उसे इस मायने में अपना अधिकार क्षेत्र तय करना होगा कि क्या प्रस्ताव देने वाली पार्टी ने संपर्क किया है

सही उच्च न्यायालय। उसे तय करना है कि क्या कोई

अधिनियम में परिभाषित मध्यस्थता समझौता और क्या व्यक्ति

जिसने अपने सामने अनुरोध किया है, वह इस तरह का एक पक्ष है

समझौता। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह भी निर्णय ले सकता है सवाल यह है कि क्या दावा एक मृत था; या एक लंबे समय से प्रतिबंधित विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पक्षों ने अपने आपसी अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या अंतिम भुगतान प्राप्त करके लेनदेन का समापन किया है

बिना किसी आपत्ति के। उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है कि क्या किया गया एक लाइव दावा, वह है जो मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है। उस प्रश्न को मध्यस्थता में शामिल दावों के गुण-दोष के साथ साक्षय लेने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ना उचित होगा। मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना होता है कि क्या आवेदक ने संतुष्ट किया है

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए शर्तें। इन पहलुओं पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, मुख्य न्यायाधीश या तो हलफनामों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं या ऐसा साक्षय ले सकते हैं या ऐसा साक्षय दर्ज करा सकते हैं, जो आवश्यक हो। हम समझते हैं कि अधिनियम के संदर्भ में इस प्रक्रिया को अपनाने से प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की सर्वोत्तम पूर्ति होगी।

मध्यस्थता, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के विभिन्न चरणों में अदालत में बहुत अधिक दृष्टिकोण के बिना।पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि

मध्यस्थता अधिनियम स्पष्ट करता है, जो अन्यथा निहित है, कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें शामिल हैं -मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता पर आपत्तियों पर निर्णय, लेकिन यह प्रावधान तब लागू होगा जब पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 का सहारा लिए बिना मध्यस्थता न्यायाधिकरण में गए हों, न कि जब न्यायालय ने संदर्भ स्तर पर अधिकार क्षेत्र के मुद्दों का फैसला किया हो। रेफरल स्तर पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी होगा। बहुमत के फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि जब अदालत के आदेश का सहारा लिए बिना पक्षों द्वारा एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 द्वारा विचार किए गए सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

59. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड ने पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड पर स्पष्टीकरण देते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान की थी और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया था। ((i) वे मुद्दे जिनका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य करने के लिए बाध्य है; (ii) वे मुद्दे जिनका वह निर्णय भी ले सकता है, अर्थात वे मुद्दे जो वह तय करने के लिए चुन सकता है या इसे मध्यस्थ पर छोड़ सकता है।

46 (2009) 1 एससीसी 267 [2020] 11 एस. सी. आर.

निर्णय लेने के लिए; और (iii) ऐसे मुद्दे जिन्हें तय करने के लिए मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए, और उसके बाद उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया था:

"22.1 जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैं:

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने संपर्क किया है

उपयुक्त उच्च न्यायालय। (ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है, वह एक पक्ष है

इस तरह का समझौता।

22.2 जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है (या उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ सकता है) वे हैं:

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या एक जीवित दावा है।

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके।

22.3 जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:

(i) क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो किसी मध्यस्थ के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है।

विभागीय प्राधिकारी और इसके अपवाद या बहिष्कृत

मध्यस्थता)।

((ii) मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा।

23. अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है जैसा कि इसके द्वारा समझाया गया है।

एस. बी. पी. एंड कंपनी में न्यायालय ने कहा कि दूसरी श्रेणी के तहत आने वाले मुद्दों के संबंध में, यदि अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी भी आवेदन में उठाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, तो साक्षय लेकर उनका निर्णय ले सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह उन मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेने के निर्देश के साथ खुला छोड़ सकता है। यदि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति इस मुद्दे की जांच करने का विकल्प चुनता है और इसका फैसला करता है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण उसी मुद्दे की फिर से जांच नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति, यह चुनने में कि क्या वह इस तरह के मुद्दे का निर्णय करेगा या इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देगा, अधिनियम के उद्देश्य (जो मध्यस्थता में तेजी लाना है) द्वारा निर्देशित होगा।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के साथ प्रक्रिया)। जहां पूर्ण और अंतिम समझौते द्वारा अनुबंध के निर्वहन को दर्ज करने वाले दस्तावेज़ के संबंध में जालसाजी/मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं, यह उचित होगा यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति इस मुद्दे का फैसला करते हैं।

24. हालाँकि जो बात स्पष्ट है वह यह है कि जब कोई प्रतिवादी तर्क देता है कि

या तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा/अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही में उनके नामित या अधिनियम की धारा 11 के तहत आदेश द्वारा निर्देशित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा। मध्यस्थता के लिए एक दावे को केवल या पूरी तरह से इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि एक निपटान समझौते या निर्वहन वाउचर द्वारा निष्पादित किया गया था दावेदार, यदि उसकी वैधता दावेदार द्वारा विवादित है।

60. पहली श्रेणी में शामिल मुद्दे थे: क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था,

अर्थात्, अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय; क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह व्यक्ति जिसने धारा 11 के तहत आवेदन किया था, वह ऐसे समझौते का एक पक्ष है। इसमें यह सवाल भी शामिल होगा कि क्या

प्रतिवादी या विरोधी पक्ष मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते से बाध्य है। दूसरी श्रेणी के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, तो साक्षय लेकर इस मुद्दे पर निर्णय ले सकता है या वैकल्पिक रूप से मुद्दों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को इसका निर्णय करने के निर्देश के साथ खुला छोड़ सकता है। जहां मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य इस मुद्दे की जांच करता है और इसका फैसला करता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस मुद्दे की फिर से जांच नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित सदस्य मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य से निर्देशित होकर इस विकल्प का प्रयोग करेगा, यानी न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया में तेजी लाना। जहां निपटान समझौते के कारण विवाद उत्पन्न होता है,निर्वहन वाउचर, निर्वहन या सहमति और संतुष्टि के बराबर कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं, और दूसरा पक्ष तर्क देता है कि ऐसे प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किए गए थे, इस मुद्दे पर या तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा धारा 11 के तहत कार्यवाही में या अधिनियम की धारा 11 के तहत आदेश द्वारा निर्देशित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेना होगा। मध्यस्थता के दावे को केवल या केवल अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर कि निपटान समझौते या निर्वहन वाउचर में [2020] 11 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि इसकी वैधता विवादित है तो निष्पादित किया गया है। तीसरी श्रेणी में मध्यस्थता खंड के भीतर अन्य सभी प्रश्न शामिल होंगे, जो अदालत का मानना है कि पहले चरण में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। विभागीय प्राधिकारी के अंतिम निर्धारण के लिए कथित रूप से आरक्षित मामले का एक उदाहरण देकर इसे समझाया गया था या

61. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के पैराग्राफ 22 में, यदि ध्यान से पढ़ा जाए, तो कहा गया है कि निर्णय लेते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिएमध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत आवेदन के लिए इस बात की जांच की आवश्यकता होगी कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है, अर्थात -

समझौते में उन विवादों के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही का प्रावधान है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए हैं। बाद वालाइस भाग के लिए न्यायालय को अपने दिमाग को लागू करने की आवश्यकता होती है कि क्या उत्पन्न हुए विवादों को मध्यस्थता समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। उपरोक्त टिप्पणियां, हमारी राय में, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में संविधान पीठ के बहुमत निर्णय के अनुरूप होंगी, जिसमें यह कहा गया था कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पूरक प्रकृति की हैं और न्यायालय, दोनों धाराओं के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात पर कि क्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए, समान शक्तियां प्राप्त करता है, अन्यथा, यह एक विसंगत स्थिति का कारण बन जाएगा कि एक न्यायिक प्राधिकरण के पास धारा 8 के तहत व्यापक शक्ति है, लेकिन धारा 11 के तहत परीक्षा की कम शक्ति है।

62. अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और

एक अन्य वी। लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 47 इस न्यायालय ने जांच की थी कि क्या पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच कोई संघर्ष है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय जांच के दायरे के सवाल पर बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड। अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में डिवीजन बेंच। लिमिटेड नेपटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में पैराग्राफ 47 के पैराग्राफ 39 और उप-पैरा (iv) को यह देखने के लिए संदर्भित किया गया है:

" 18. पैरा 39 और निष्कर्ष (iv) को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, जैसा कि एस. बी. पी. मामले के पैरा 47 में दिया गया है। पटेल एंग। लिमिटेड,(2005) 8 एस. सी. सी. 618], यह सीमित है कि मध्यस्थता प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, अर्थात्, (i) क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, (ii)

47 (2013) 15 एस. सी. सी. 414 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, (iii) जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, और (iv) मध्यस्थ की योग्यता के संबंध में शक्ति के प्रयोग और आगे संतुष्टि के लिए शर्तों का अस्तित्व। इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है।

यह देखने के लिए कि क्या लंबे समय से प्रतिबंधित दावे को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है और क्या पक्षों ने आपसी अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या प्राप्त करके लेनदेन का समापन किया था

बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान।

इसके बाद, श्री राम मिल्स लिमिटेड बनाम में निर्णय में व्यक्त राय का संदर्भ दिया गया। यूटिलिटी प्रिमाइसेस (पी) लिमिटेड, 48, जिसे संतुष्ट माना गया था, ने बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड से अलग दृष्टिकोण अपनाया था। असहमत होते हुए, अदालत ने क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख किया, जिसने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या श्री राम मिल्स लिमिटेड और बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के बीच कोई अंतर था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि कोई भी नहीं था और दोनों निर्णय पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में घोषित कानून के अनुरूप लाने के लिए सामंजस्य में पढ़ने में सक्षम हैं। विशेष रूप से, श्री राम मिल्स लिमिटेड के पैराग्राफ 27 और क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पैराग्राफ 119 के निम्नलिखित भाग का संदर्भ दिया गया था जो नीचे दिया गया है:

समझौते के पक्ष ने समझौते के दायरे में आने वाले मुद्दों पर आंदोलन करने के लिए कानून द्वारा अनुमत समय से अधिक अपने अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि उपरोक्त पैराग्राफ में यह बताया गया था कि कभी-कभी इसे छोड़ना उचित होगा मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने वाले लाइव दावे के संबंध में प्रश्न

48 (2007) 4 एससीसी 599 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण। उसे बस इतना करना है कि अपनी संतुष्टि दर्ज करनी है कि

पक्षों ने अपने अधिकारों को बंद नहीं किया है और मामला नहीं हुआ है सीमा द्वारा प्रतिबंधित। इस प्रकार, जहां मुख्य न्यायाधीश एक

यह पता लगाना कि एक जीवित मुद्दा मौजूद है, तो स्वाभाविक रूप से यह खोज

इसमें एक निष्कर्ष शामिल होगा कि पक्षों के संबंधित दावेवे सीमितता से बाधित नहीं हुए हैं।

XX

XX

XX

" 119. इस प्रकार, पीठ ने इस न्यायालय के फैसले की व्याख्या करते हुएएस. बी. पी. [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एससीसी 618] है

कहा कि मुख्य न्यायाधीश अंत में कुछ मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते हैं और संतोष दर्ज करने पर कि प्रथम दृष्टया मुद्दा नहीं है

मृत होने पर भी इसे निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दें।अरास्मेटा कैप्टिव पावर कं. (पी) लिमिटेड में, स्पष्ट करते हुए

क्या विवाद के दायरे में मध्यस्थता थी

खंड का निर्णय मुख्य न्यायाधीश/नामित न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए।

मध्यस्थ, इस न्यायालय ने कहा है:

[एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] की आवश्यकता हैविवाद का निर्णय करने के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति जब

विवादों की मध्यस्थता के संबंध में उठाया गया। या एक व्यक्त करने के लिए

अपवादित मामलों पर राय। सिलोजिस्टिक द्वारा ऐसा अनुमान

इस प्रक्रिया से विकसित न्यायशास्त्र में तबाही आने की संभावना है

इस क्षेत्र में। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह उचित नहीं है

निर्णय से यहाँ और वहाँ से एक पंक्ति उठाएँ या चुनें

इसे इस स्थिति तक बढ़ाने के लिए यहाँ या वहाँ से एक अवलोकन

" अनुपात तय करता है "। इससे मार्ग प्रशस्त होने की सबसे अधिक संभावना है

खतरा है और इससे सावधानीपूर्वक बचा जाना चाहिए। प्रस्तावों एस. बी. पी. में निर्धारित, हमारी राय में, द्वारा सही ढंग से समझा गया है

दोनों-बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड में न्यायाधीश पीठ और

इन्हें तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने मंजूरी दे दी है।

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड में और हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं

उसी के साथ। हम प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं पाते हैं कि

कहा गया है कि कुछ टिप्पणियों के लिए निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता होती है एस. बी. पी. में बनाया गया, ध्यान नहीं दिया गया। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि

तीन-न्यायाधीश पीठ संतुष्ट हुई है कि अनुपात का निर्णय

एस. बी. पी. में निर्णय वास्तव में निर्णय के पैरा 39 में निहित है।"

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

63. शिन-एत्सु केमिकल कंपनी में बी. एन. श्रीकृष्णा, जे. लिमिटेड वी. अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड और एक अन्य, 49, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित एक मामले में, पूर्व के सिद्धांत को लागू किया गया थामध्यस्थता अधिनियम की व्याख्या के लिए विसेरिबस एक्टस। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसी स्थिति में भी जहां न्यायालय में एक लंबित कार्यवाही में एक आवेदन किया गया है, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो सकती है और जारी रह सकती है और यहां तक कि एक पुरस्कार भी दिया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 16 में पृथक्करण और क्षमता-क्षमता के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मध्यस्थ मुख्य अनुबंध या मध्यस्थता समझौते की वैधता को चुनौती दिए जाने पर भी अपना अधिकार क्षेत्र तय कर सकता है। धारा 34 में कहा गया है कि न्यायालय तीन अलग-अलग पहलुओं में जा सकता है -

पुरस्कार के बाद के चरण में मनमानेपन। इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम में ही यह परिकल्पना की गई है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को निर्णय के बाद अदालत के दूसरे निरीक्षण के अधीन गैर-मध्यस्थता के प्रश्नों पर निर्णय देना चाहिए। यह पहले चरण में अदालत के समक्ष मामलों के त्वरित और त्वरित निपटान में मदद करता है, जबकि तीसरे चरण में मध्यस्थता के तीन पहलुओं की जांच करने के लिए अदालत की शक्ति को सुरक्षित रखता है। यह मुकदमों की बहुलता की संभावना को भी रोकता है, एक पहलू जिसे सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में उजागर किया गया है। संदर्भ स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में, यह देखा गया कि मध्यस्थता समझौते की समीक्षा के लिए सही दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने तक सीमित होगा कि एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है जो अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ नहीं है। यह अभिनिर्धारित करने का प्रमुख तर्क कि मध्यस्थता समझौते की अदालतों की समीक्षा प्रथम दृष्टया मानक तक सीमित होनी चाहिए, सक्षमता का सिद्धांत है। इसके अलावा, यदि अदालतों को मध्यस्थता समझौते की पूरी तरह से जांच करने का अधिकार दिया जाता है, तो मध्यस्थता कार्यवाही पर तब तक रोक लगानी होगी जब तक कि मामले को जब्त करने वाली अदालत मध्यस्थता समझौते पर निर्णय न दे। यदि न्यायालयों का निष्कर्ष एक अंतिम और निर्धारक निष्कर्ष होगा, तो यह स्पष्ट है कि जब तक ऐसी घोषणा नहीं की जाती, तब तक मध्यस्थता कार्यवाही को स्थगित करना होगा। यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम के विश्वास और लोकाचार को विफल कर देगा, जो न्यायिक अधिकारियों द्वारा परिहार्य हस्तक्षेप के बिना त्वरित मध्यस्थता को सक्षम करने के लिए है। नतीजतन, संदर्भ स्तर पर अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण यह है कि क्या यह 'स्पष्ट रूप से तर्क योग्य' है कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है। फैसले में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि मध्यस्थों के पक्ष में प्राथमिकता का नियम अदालतों की समीक्षा करने की शक्ति द्वारा संतुलित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के अंत में मध्यस्थता समझौते की वैधता

सभी प्रक्रियाएँ। यह स्पष्ट किया गया था:

" भले ही अदालत का विचार है कि मध्यस्थता समझौता दूषित नहीं है या यह अमान्य, निष्क्रिय या अप्रवर्तनीय नहीं है,

विशुद्ध रूप से एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर, कुछ भी नहीं रोकता है

मध्यस्थ इस मुद्दे का पूरी तरह से परीक्षण करने और अंतिम निर्णय देने से

इसके बाद भी न्यायालय प्रथम दृष्टया यह विचार रखता है कि

मध्यस्थता समझौता कारकों के कारण दूषित नहीं होता है

धारा 45 में गणना की गई है और एक पूर्ण परीक्षण पर मध्यस्थ का मानना है कि मध्यस्थता समझौते में कोई दूषित करने वाला कारक नहीं है और एक निर्णय देता है, इस तरह के पुरस्कार को धारा के तहत चुनौती दी जा सकती है।

48 (1) (ए)। पुरस्कार को अलग कर दिया जाएगा यदि वह पक्ष जिसके खिलाफ इसे लागू किया जाता है, अन्य बातों के साथ अदालत को संतुष्ट करता है कि समझौता था

उस देश के कानून के तहत जहां पुरस्कार दिया गया था। दो बुनियादी आवश्यकताएँ, अर्थात्, पूर्व-संदर्भ चरण में अभियान, और पूर्ण परीक्षण के बाद पुरस्कार का मुकाबला करने का एक उचित अवसर, धारा 45 की व्याख्या से पूरी तरह से संतुष्ट होगा क्योंकि यह अदालत को प्रथम दृष्टया कार्य करने में सक्षम बनाता है।[टी] अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अदालत में लंबित रहती है

मध्यस्थता। ठीक इसी कारण से मेरा यह विचार है कि धारा 45 द्वारा विचार किए गए पूर्व-निर्देश स्तर पर, न्यायालय को निर्देश देने के लिए केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है, जिससे पक्षकारों को या तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष या निर्णय के बाद के स्तर पर न्यायालय के समक्ष पूर्ण परीक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है।

डी. एम. धर्माधिकारी, जे. ने अपनी आंशिक सहमति वाली राय में सहमति व्यक्त की

उपरोक्त में से अधिकांश पर बी. एन. श्रीकृष्णा, जे. द्वारा व्यक्त विचार

निम्नलिखित आरक्षण के साथ:

" 112. न्यायिक प्राधिकारी का ऐसा निर्णय हो या न्यायालय का,

अधिनियम की धारा 45 के तहत अनुमेय आधारों पर निर्देश देने से इनकार करने की मध्यस्थ न्यायाधिकरण या उस न्यायालय के समक्ष पुनः जांच की जाएगी जिसमें अंततः निर्णय दिया जाता है।

अधिनियम की धारा 48 (1) (ए) के अनुसार प्रवर्तन के लिए आता है, यह पर्याप्त जटिलता का एक कानूनी प्रश्न है और मेरी सुविचारित राय में चूंकि यह प्रश्न वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधे उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे विचार के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

एक उपयुक्त मामले में जहां इस तरह का प्रश्न सीधे उठाया जाता है और अदालत द्वारा निर्णय लिया जाता है।जबकि Y.K.Sabharwal, जे. (उनके प्रभु के रूप में तब) असहमत थे।

64. अब हम 23 अक्टूबर, 2015 से 2016 के अधिनियम 3 के प्रवर्तन के बाद इस अदालत के फैसलों का उल्लेख करेंगे। संदर्भ आदेश

यह मत व्यक्त करता है कि "एक विवादास्पद प्रश्न जो इसलिए उत्पन्न होता है, और जिसे तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से तय करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 'अस्तित्व' शब्द में समझौतों में मध्यस्थता खंडों को हटाना शामिल होगा जो इंगित करते हैं कि विषय मध्यस्थता में असमर्थ है"। इसके बाद डुरो फेलगुएरा एस. ए. से अनुच्छेद 59 के रूप में

धारा 11 (6-ए) के दायरे में उद्धृत किया गया है।

65. मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। प्रद्युत देब

बर्मन, 50 तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि विधायिका ने धारा 11 में उप-धारा (6-ए) जोड़कर और 2016 के अधिनियम 3 द्वारा धारा 8 में संशोधन करके विधायी रूप से एक नई व्यवस्था शुरू की है ताकि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के प्रभाव और अनुपात को कमजोर और विधायी रूप से खारिज किया जा सके। रिलायंस को डुरो फेलगुएरा एस. ए. में पैराग्राफ 48 और 59 पर रखा गया था। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड रिकॉर्ड में समापन पैराग्राफः

" 10. यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें यह जाना शामिल होता कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। यह स्थिति होने के कारण, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि धारा 11 (6-ए) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना है जैसा कि इसमें निर्धारित किया गया है।

डुरो फेलगुएरा, एसए में निर्णय "।

66. ऊपर निर्दिष्ट एस. ए. डचूरो फेलगुएरा के पैराग्राफ 48 और पैराग्राफ 59 को नीचे पढ़ा गया हैः

" 48 ..... धारा 11 (6-ए) के अध्ययन से, विधायिका का इरादा स्पष्ट है अर्थात न्यायालय को केवल देखना चाहिए और इसकी आवश्यकता है।एक पहलू में मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। अगला सवाल यह है कि यह तय करने के लिए कौन से कारक हैं कि मध्यस्थता समझौता है या नहीं। इसका समाधान सरल है।

50 (2019) 8 एससीसी 714 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखने की आवश्यकता है कि क्या समझौते में कोई खंड है जो

उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है

समझौते के पक्षों के बीच।

XX

XX

XX

59. 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का दायरा

एस. बी. पी. एंड कंपनी में लिए गए निर्णयों को देखते हुए यह काफी व्यापक था।

और बोघारा पॉलीफैब। यह स्थिति संशोधन तक जारी रही।

2015 में लाया गया। संशोधन के बाद, यह सब कि अदालतें

यह देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी नहीं अधिक, कुछ कम नहीं। विधायी नीति और उद्देश्य अनिवार्य रूप से है

नियुक्ति के स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप को कम करने के लिए

मध्यस्थ और धारा 11 (6-ए) में शामिल यह इरादा इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

67. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. इन ए. अय्यासामी ने कहा कि

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 ने यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल कानून के अनुच्छेद 8 से अलग कर दिया है क्योंकि पूर्व में न्यायिक अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

अनुच्छेद 8 में उल्लिखित "न्यायालय के बजाय प्राधिकरण और शब्द" जब तक कि यह नहीं पाता है कि समझौता अमान्य है, निष्क्रिय है और निष्पादित करने में असमर्थ है "धारा 8 में जगह नहीं पाते हैं। धारा 16 माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निर्णय सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार देती है।

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में।

धारा 16 (1) के आगे खंड (बी) में कहा गया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय कि मुख्य अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। मध्यस्थता समझौता जीवित रहता है

यह निर्धारित करना कि क्या वह अनुबंध जिसमें मध्यस्थता खंड है

मूर्त रूप शून्य और शून्य है, जिसमें शून्यता शामिल होगी। मध्यस्थता में पृथकता सिद्धांत का महत्वपूर्ण महत्व है। फियोना ट्रस्ट एंड होल्डिंग कॉर्प में यू. के. कोर्ट ऑफ अपील के फैसले का संदर्भ दिया गया था। वी. प्रीवालोव, 5 1 जिस निर्णय की पुष्टि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा फिल्ली शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम में की गई थी। प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 52 इस बात को उजागर करने के लिए कि मध्यस्थता खंड को एक-स्टॉप मध्यस्थता के पक्ष में उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। केवल यह आरोप कि अभिकर्ता के पास मुख्य अनुबंध में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था, आवश्यक रूप से मध्यस्थता समझौते पर हमला नहीं है। पृथकता का सिद्धांत मध्यस्थता समझौते को एक अलग समझौते के रूप में मानता है जो केवल रद्द या अमान्य हो सकता है।

वह आधार जो मध्यस्थता समझौते से संबंधित है। संदर्भ भी था

51 (2007) 1 सभी ई. आर. (कम) 891: 2007 बस एलआर 686 (सीए) 52 2007 यूकेएचएल 40: 2007 बस एलआर 1719 (एचएल)

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

बकये चेक कैशिंग इंक. बनाम में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जे. स्कैलिया की राय के अनुसार किया गया। कार्डेग्ना 3 3 कि मध्यस्थता समझौता अनुबंध के शेष भाग से अलग किया जा सकता है और जब तक कि चुनौती स्वयं मध्यस्थता खंड के लिए नहीं है, अनुबंध की वैधता के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा पहली बार में विचार किया जाना चाहिए। अंत में, यह देखा गया:

" 48. मूल सिद्धांत जो न्यायिक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक होना चाहिएयह है कि मध्यस्थता अनिवार्य रूप से एक स्वैच्छिक धारणा है

संविदाकारी पक्षों द्वारा अपने विवादों को उनके माध्यम से हल करने का दायित्व एक निजी न्यायाधिकरण। पार्टियों के इरादे में व्यक्त किया जाता है

उनके समझौते की शर्तें। जेराव फालांगियारि फसंथानफोर आरो सुबुंफ्रा

व्यवसाय इस तरह के लेन-देन में प्रवेश करते हैं, वे ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं मध्यस्थ प्रक्रिया की प्रभावकारिता। द कमर्शियल

समझ समझौते की शर्तों में परिलक्षित होती हैदलों को। न्यायालय का कर्तव्य उस वाणिज्यिक को प्रदान करना है।

व्यावसायिक प्रभावकारिता की भावना को समझना।

XX

XX

XX

53. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, मेरे विचार में होना चाहिए।

व्याख्या की जाए ताकि इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को एक पंक्ति में लाया जा सके

इस तरह से व्याख्या जो प्रचलित के अनुरूप है

सामान्य कानून की दुनिया में दृष्टिकोण। भारत में न्यायशास्त्र का होना आवश्यक है

संस्थागत प्रभावकारिता को मजबूत करने की दिशा में विकास करना

मध्यस्थता। पार्टियों द्वारा एक पूर्ण मंच के रूप में चुने गए मंच के लिए बचाव

उनके सभी दावों को हल करने का उपाय उस विकास का हिस्सा है।

अदालतों के हस्तक्षेप को कम करना फिर से एक मान्यता है

एक ही सिद्धांत "। 68. गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री

कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, 54 मुख्य अनुबंध में निहित एक मध्यस्थता खंड के प्रभाव से संबंधित प्रश्न, जिस पर मुहर लगाने की आवश्यकता थी। धारा 7 (2) का दूसरा भाग लागू था। मुद्दा यह था कि क्या धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को मुख्य अनुबंध को जब्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्तव्य औरदंड, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाता है या धारा 11 की उप-धारा (6-ए) को देखते हुए इस मुद्दे की जांच की जानी चाहिए और मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। तर्क

वैधता और अस्तित्व के बीच अंतर करना पहले उठाया गया था

53 163 एल एड 2 डी 1038: 546 यूएस 440 (2006): 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन यूएस एस. सी. 14 54 (2019) 9 एस. सी. सी. 209 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऑर्ट (पैराग्राफ 5 देखें जो विवाद को दर्ज करता है) लेकिन खारिज कर दिया गया था

पटेल इंजीनियरिंग में दिए गए तर्क सहित वास्तविक कारण

यह अभिनिर्धारित करना कि इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि धारा 16

ई मध्यस्थता अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि एक मध्यस्थता समझौता है

अपने स्वयं के आश्रित अस्तित्व। दूसरा, मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच संबंध पर, यह देखा गया:

" 20. थोड़ा अलग कोण से देखा गया, एक मध्यस्थता

समझौता जो किसी समझौते या हस्तांतरण में निहित है 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) में वर्णित है। हम चिंतित हैं

वर्तमान मामले के तथ्यों पर धारा 7 (2) का पहला भाग, और

इसलिए, मध्यस्थता खंड जो उप-अनुबंध में निहित है विचाराधीन विषय वर्तमान अपील का विषय है। यह है।

महत्वपूर्ण है कि एक मध्यस्थता समझौता एक के रूप में हो सकता है

मध्यस्थता खंड "एक अनुबंध में"।

21. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (ए), 2 (बी), 2 (जी) और 2 (एच)

(अनुबंध अधिनियम) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

(क) जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए अपनी इच्छा का संकेत देता हैया कुछ भी करने से बचना, प्राप्त करने की दृष्टि से

इस तरह के कार्य या संयम के लिए उस अन्य की सहमति, वह कहा जाता है

एक प्रस्ताव बनाएँ;(ख) जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है, सूचित करता है

कहा जाता है कि उसकी सहमति से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। एक प्रस्ताव, जब स्वीकार किया जाता है, तो यह एक वादा बन जाता है।

XX

XX

XX

(छ) कानून द्वारा लागू नहीं किए जाने वाले समझौते को अमान्य कहा जाता है;

(ज) कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है;

22. जब एक मध्यस्थता खंड "एक अनुबंध में" निहित होता है, तो यह है

समझौता एक अनुबंध नहीं बन जाता है, अर्थात्, यह नहीं है कानून में लागू करने योग्य, जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगे। इसलिए, एक

धारा 11 (6-ए) का सादा पाठ, जब धारा 7 (2) के साथ पढ़ा जाता है

1996 के अधिनियम और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच), इसे विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम बना देगी।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

स्पष्ट करें कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं होगाजब यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय न हो। यह भी एक संकेतक है कि धारा 11 (6-ए) के संशोधन ने किसी भी तरह से एस. एम. एस. टी एस्टेट को प्रभावित नहीं किया है।

इसके बाद, एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम में अनुच्छेद 83 का संदर्भ दिया गया था। एनरकॉन जीएमबीएच "जिसमें मध्यस्थता खंड या समझौते को अंतर्निहित अनुबंध से अलग करने की अवधारणा थी

और यह देखा गया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जब अंतर्निहित अनुबंध की वैधता, वैधता, अंतिमता या उल्लंघन के लिए कोई चुनौती हो तो पक्षों का इरादा हवा में वाष्पित न हो। यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 का अधिदेश है जो इस अवधारणा को स्वीकार करता है कि मुख्य अनुबंध और मध्यस्थता समझौता दो अलग-अलग अनुबंध बनाते हैं। यह सच है कि मध्यस्थता की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालयों के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह संपार्श्विक मध्यस्थता समझौते की वैधता या स्वतंत्रता से विचलित नहीं होगा, भले ही यह किसी अनुबंध में निहित हो, जिसे अमान्य या अमान्य या अनिर्णित होने का दावा किया जाता है। हालाँकि, यह निर्णय था

गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में इस विवाद से संबंधित एक मामले के रूप में प्रतिष्ठित किया गया कि क्या कोई मध्यस्थता खंड लागू होना था, भले ही कोई निष्कर्षित अनुबंध न हो, लेकिन निष्कर्ष इसके विपरीत था जैसा कि मामला था।यह दूसरे भाग के भीतर था और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले भाग के तहत नहीं था। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड में, तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

मध्यस्थता खंड मुख्य अनुबंध से अलग था क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार लाइसेंस समझौते से संबंधित विवाद मध्यस्थ थे। इसके बाद, संयुक्त भारत में निर्णय का संदर्भ दिया गया

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंग। & निर्माण कंपनी Ltd.56 और यह देखा गया कि मध्यस्थता खंड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v के समान था। नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड "इरादे की सशर्त अभिव्यक्ति के साथ केवल तभी जब बीमाकर्ता द्वारा देयता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था और विवाद पॉलिसी के तहत भुगतान की जाने वाली मात्रा से संबंधित था। 'अस्तित्व' और 'वैधता' के सवाल पर पीठ ने कहा:

" 29. हुंडई इंग में यह निर्णय। मामला इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से विचाराधीन एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता देयता स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने

55 (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. 59 56 (2018) 17 एस. सी. सी. 607: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 530 57 (2018) 6 एस. सी. सी. 534 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावा, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड जो निहित हैउप-अनुबंध में कानून के मामले के रूप में तब तक "अस्तित्व" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर माना गया है। यह तर्क कि धारा 11 (6-ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो "वैधता" से संबंधित है।

एक मध्यस्थता समझौते का जवाब इस न्यायालय द्वारा दिया जाता है

हुंडई इंग में अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की समझ। मामला, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया। "69. नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड में, तीन

इस न्यायालय की न्यायाधीशों की पीठ ने एक बीमा अनुबंध में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन से उत्पन्न दीवानी अपील का फैसला किया था। मुख्य रूप से वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा करना। महाराज सिंह और एक अन्य, 58 ने यह अभिनिर्धारित किया कि विवाद मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थ नहीं थे क्योंकि बीमाकर्ता ने विवाद

किया था और दायित्व को स्वीकार नहीं किया था। मध्यस्थता खंड केवल तभी लागू होता है जब इससे संबंधित कोई विवाद हो

मात्रा। यह निर्णय, हालांकि दिनांक 2 मई 2018 को लिया गया था, इसका उल्लेख नहीं था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) और उसी की व्याख्या करें। सिविल अपील के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से उत्पन्न हुई थी

वर्ष 2013 और 2014 में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति। हालाँकि, ए. अय्यासामी में डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. की सहमति वाली राय का संदर्भ दिया गया था, और यह देखा गया था कि निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं था। क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय को उक्त मामले में एल. आई. एस. तय करने के लिए दूर से प्रासंगिक नहीं माना गया था।

70. नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड में इस निर्णय का पालन हुंडई इंग में किया गया था। & निर्माण कंपनी लिमिटेड, जिसमें ए

इसी तरह का मध्यस्थता खंड विचार के लिए आया था। हालाँकि, इस मामले में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) का संदर्भ दिया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि दो मौकों पर नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में

कंपनी लिमिटेड, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ सकारात्मक रूप सेऔर स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया कि गैर-मध्यस्थता का प्रश्न

58 (1976) 1 एस. सी. सी. 943 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

जांच कि क्या विवाद मध्यस्थता खंड द्वारा शासित था, न्यायालयों द्वारा संदर्भ स्तर पर जांच की जा सकती है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जांच और निर्णय लेने के लिए अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है। ये तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय हैं और जैसा कि ऊपर देखा गया है, गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में पुष्टि के साथ उद्धृत किया गया था।

दो न्यायाधीशों की पीठ।

71. एम/एस में। पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई। सीमित वी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल और इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ, 59 ने योग्यता के लिए अनुरोध के वैश्विक निमंत्रण और प्रस्ताव के अनुरोध का विस्तार से उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि योग्यता के अनुरोध में मध्यस्थता खंड है।

दस्तावेज़ लागू नहीं होंगे और विवादों को नियंत्रित करेंगे। इसलिए, प्रतिवादी को कानून के अनुसार, एक उपयुक्त मंच के समक्ष अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया था। निर्णय पहले या रेफरल पर किया गया था

स्टेज।

72. इस स्तर पर हम इस विषय पर विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों का उल्लेख करना चाहेंगे, जो विभिन्न देशों में कानूनी स्थिति का भी उल्लेख करते हैं। स्टावरोस ब्रेकोलाकिस ने अपने पेपर ऑन आर्बिट्रेबिलिटी में कहा:निरंतर गलत धारणाएँ और चिंता के नए क्षेत्र स्वीकार करते हैं कि प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार-विषय वस्तु की मध्यस्थता

मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता समझौते को अमान्य बनाता है। हालाँकि, उनका तर्क है कि विषय की मध्यस्थता मध्यस्थता समझौते की वैधता के बजाय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दा है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (a) और अनुच्छेद V (2) (a) का उल्लेख करते हुए, वह मध्यस्थता और मध्यस्थता के बीच अंतर करते हैं। अयोग्यता। मध्यस्थता समझौते संविदात्मक और क्षेत्राधिकार दोनों विशेषताओं के साथ अपने आप में सामान्य अनुबंध हैं। उत्तरार्द्ध का दायरा व्यापक है। रेफरल स्तर पर अदालतें केवल वही समीक्षा कर सकती हैं जो एक मूल अनुबंध के रूप में मध्यस्थता समझौते के गठन से संबंधित है, यानी मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलुओं और मध्यस्थता समझौते के क्षेत्राधिकार पहलुओं को मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, निर्देश के स्तर पर, न्यायालय केवल वही समीक्षा कर सकते हैं जो मध्यस्थता समझौते (मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलुओं) के गठन से संबंधित है और मध्यस्थता समझौते के क्षेत्राधिकार पहलुओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें लेखक के अनुसार दावों की गैर-मध्यस्थता से संबंधित प्रश्न शामिल है, मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के तहत होना चाहिए। इस प्रकार, भेद

59 2018 की सिविल अपील संख्या 9352 पर 11 सितंबर 2018 को निर्णय लिया गया।

संविदात्मक पहलुओं के रूप में मध्यस्थता समझौते की मूल और औपचारिक वैधता के संदर्भ में वैधता के बीच खींचा जाता है; और क्या कोई दावा गैर-मध्यस्थ है। बाद वाला प्रश्न मध्यस्थता योग्य होगा और अदालतों के लिए रेफरल स्तर पर निर्णय लेने के लिए नहीं होगा। हालांकि, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II (1) और II (3) का उल्लेख करने पर लेखक ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें आवश्यक के भीतर विषय वस्तु की मध्यस्थता शामिल है।

मध्यस्थता समझौते का अर्थ।

73. इमैनुएल गेलार्ड और यास बैनिफेटेमी इन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कम्पीटेंस-कम्पीटेंसः के पक्ष में प्राथमिकता का नियम

मध्यस्थों का मानना है कि यह बुनियादी आवश्यकता है कि मध्यस्थता समझौते के पक्षों को समझौते में शामिल किसी भी विवाद को मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत करने के अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। इसका परिणाम यह है कि अदालतों को ऐसे विवादों की सुनवाई करने से प्रतिबंधित किया जाता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II (3) के संदर्भ में संदर्भ स्तर पर अदालतों के हस्तक्षेप के सवाल पर, उनकी राय है कि इस तरह के निर्धारण के लिए लागू किए जाने वाले मानक के रूप में कोई संकेत प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि क्या अदालतों को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के गुण-दोष की गहन जांच करने और प्रश्न पर अंतिम निर्णय जारी करने की आवश्यकता है, या अदालत को खुद को प्रथम दृष्टया सत्यापन तक सीमित रखना चाहिए कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है और वैध है, और उस समय तक अपनी पूरी समीक्षा सुरक्षित रखनी चाहिए।

जब मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने या अलग रखने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है। वास्तव में, प्रश्न समय का है और इस हद तक कि अदालतें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता की समीक्षा करने की हकदार हैं।

जवाब, वे देखते हैं, योग्यता की धारणा में पाया जाता हैक्षमता, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के संस्थापक सिद्धांतों में से एक

मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र की जांच में शामिल होने से पहले मध्यस्थों को स्वयं ऐसा करने का अवसर मिलता है। वे कहते हैं कि यह किसी भी तरह से यह नहीं बताता है कि घरेलू अदालतें अपनी शक्ति को छोड़ देती हैं एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता की समीक्षा करें जो पहले मध्यस्थों पर शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद अदालतों को जांच की शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने स्विट्जरलैंड, 60 इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और भारत (शिन) के उच्च न्यायालयों के फैसलों का उल्लेख किया है।

60 कॉनकॉर्ड (घरेलू कानून) के अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान है कि पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटाये जाने वाले अधिकारों से संबंधित कोई भी विवाद मध्यस्थता द्वारा हल करने में सक्षम है, जब तक कि विवाद का विषय अनिवार्य कानून के आधार पर राज्य प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

ईत्सु केमिकल कं. लिमिटेड) यह अवलोकन करने के लिए कि पहले चरण में अदालत की समीक्षा प्रश्न का विस्तार से विश्लेषण किए बिना मध्यस्थता खंड के अस्तित्व और वैधता के प्रथम दृष्टया सत्यापन तक सीमित है, जिसे न्यायाधिकरण को आवश्यकता पड़ने पर तय करने का अधिकार है। संदर्भ स्तर पर, न्यायालय अधिकारिता को अस्वीकार कर देगा यदि मध्यस्थता समझौते की संक्षिप्त जांच यह पता लगाने की अनुमति नहीं देती है कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय और निष्पादित करने में असमर्थ है। कनाडाई

अदालतें, सामान्य नियम को लागू करती हैं कि मध्यस्थता खंड से जुड़े किसी भी मामले में, मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का समाधान पहले मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए और न्यायालय मध्यस्थता के व्यवस्थित संदर्भ के इस नियम से तभी अलग होगा जब मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती पूरी तरह से कानून के प्रश्न पर आधारित हो। बाद के मामले में अदालत के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित होगा क्योंकि अदालत वह मंच है जिस पर पक्ष रेफरल के लिए अनुरोध करते समय पहले आवेदन करते हैं और यह कि अदालत द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा, यह अदालत को एक बार और हमेशा के लिए कानूनी तर्क पर निर्णय लेने की अनुमति देता है और सख्ती से कानूनी बहस के दोहराव से बचाता है। एक अन्य शर्त यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना विलंब की रणनीति नहीं है और यह मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को अनुचित रूप से बाधित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि न्यायालय, अपवादों में से किसी एक पर विचार करते समय, मध्यस्थ को अपनी क्षमता पर निर्णय लेने की अनुमति दे सकता है जो मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा होगा।

74. प्रीमियम नाफ्टा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का उल्लेख करते हुए

प्रोडक्ट्स लिमिटेड, लेखकों ने देखा है कि निर्णय एक मध्यस्थता समझौते की पृथकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है और उचित दृष्टिकोण मध्यस्थता के पक्ष में अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाना है। प्रभु।

प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए बोलते हुए हॉफमैन ने कहा है:

" न्यायालय के समक्ष साक्षय पर यह निर्धारित करने के लिए कि [एक मध्यस्थता

समझौता] किस मामले में मौजूद है (यदि विवाद इसके अंतर्गत आते हैं)

उस समझौते की शर्तों के आलोक में) एक रोक दी जानी चाहिए।

प्रावधान जो सुसंगत अनुच्छेद का वैधानिक अधिनियमन हैन्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिसके लिए यूनाइटेड किंगडम एक है

पार्टी "।

XX

XX

XX

" मध्यस्थ, 'सामान्य रूप से', होने के अधिकार को मान्यता देते हैं

पहला न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या उनके पास [2020] 11 एस. सी. आर. निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवाद 'इस आवश्यकता से सीमित है कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है, साथ ही साथ आगे की आवश्यकताएं कि मध्यस्थता समझौता' प्रासंगिक विवाद को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक 'हो और यह कि मध्यस्थता समझौते पर' सीधे किसी भी आधार से महाभियोग नहीं चलाया जाए. अनुबंध की अयोग्यता पर हमला करने के लिए जिसमें मध्यस्थता खंड निहित है '। दूसरे शब्दों में, इस हद तक कि अंग्रेजी अदालतें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, वैधता और दायरे के संबंध में कुछ हद तक जांच करती हैं, यह सवाल कि अंग्रेजी अदालतें क्षमता के नकारात्मक प्रभाव को किस हद तक प्रभावित करेंगी।

योग्यता अनिश्चित बनी हुई है।

75. जॉन जे. बार्सिलोना III ने अपने पेपर 'हू डिसाइड्स द आर्बिट्रेटर' स ज्यूरिस्डिक्शन? 'में लिखा है। पृथकता और योग्यता-योग्यता

'अन्तरराष्ट्रीय परिप्रेक्षय' में, यह देखा गया है कि चरण I में पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए आवश्यक मुद्दों की संख्या जितनी अधिक होगी, मध्यस्थता के लिए एक वास्तविक समझौते के मामले में भी एक अवरोधक पक्ष द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बिना किसी या न्यूनतम न्यायिक जांच के एक अत्यंत मध्यस्थता समर्थक दृष्टिकोण सभी प्रश्नों को मध्यस्थों को भेज सकता है। साथ ही मध्यस्थता कोई पवित्र अधिकार नहीं है और मध्यस्थता का विरोध करने वाले सभी पक्ष अवरोधक नहीं हैं। एक पक्ष को अदालत में अपनी बात रखनी चाहिए, जब तक कि वह मध्यस्थता करने के लिए सहमत न हो जाए। एक अच्छी कानूनी व्यवस्था को यह तय करना चाहिए कि इन प्रतिस्पर्धी मूल्यों को क्या महत्व दिया जाए और उचित रूप से त्वरित न्यायिक निर्णय के लिए वैध दावों को संरक्षित करते हुए बाधाओं के अवसरों को कम करके समग्र मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रक्रिया को कैसे संरचित किया जाए। योग्यता क्षमता और पृथकता सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए लेखक ने कहा है: -

" सक्षमता-सक्षमता इस प्रकार "कौन निर्णय करता है" को संबोधित करती है

व्यापक स्तर पर प्रश्न और एक ओर मध्यस्थता को बाधा से बचाने और दूसरी ओर त्वरित अदालत की सुनवाई के लिए मध्यस्थ अधिकार क्षेत्र पर वैध विवादों को संरक्षित करने के बीच नीतिगत तनाव को हल करने के लिए अधिक केंद्रीय है। जबकि पृथकता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, योग्यता-क्षमता है

विवादास्पद और विभिन्न राष्ट्रीय श्रेणियों को जन्म दिया है

प्रतिक्रियाएँ "।

फ्रांसीसी दृष्टिकोण, जैसा कि पेपर नोट करता है, यह है कि यदि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण पहले से ही मामले को जब्त कर चुका है, तो अदालत अधिकार क्षेत्र से इनकार कर देगी और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, वैधता और दायरे के बारे में सवाल मध्यस्थों पर छोड़ देगी। तथापि, यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अभी तक विद्या द्रोलिया और अन्य नहीं है।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

मामले को देखते हुए, अदालत चुनौती की सीमित जांच करेगी और केवल तभी अधिकार क्षेत्र बनाए रखेगी जब मध्यस्थता समझौता स्पष्ट रूप से अमान्य हो। 1998 के नए जर्मन मध्यस्थता अधिनियम से पहले कॉम्पेटेंज़-कॉम्पेटेंज़ का जर्मन कानून अपेक्षाकृत अनूठा था, या यकीनन ऐसा ही था, क्योंकि कुछ टिप्पणियों में कहा गया है कि जब मध्यस्थ को अपनी अधिकारिता तय करने की व्यक्त शक्ति प्रदान की जाती है, तो यह राज्य 1 और चरण 3 में न्यायिक जांच को बाहर कर देगा। हालांकि, UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित 1998 के जर्मन मध्यस्थता अधिनियम में कहा गया है कि अदालत केवल तभी मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र का फैसला कर सकती है जब मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले ऐसा करने का अनुरोध किया जाए। जर्मन कानून एक अंतरिम निर्णय में अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए मध्यस्थ के लिए वरीयता को उजागर करता है।

UNCITRAL मॉडल कानून का उल्लेख करते हुए, अनुच्छेद 8 (1) में उल्लिखित योग्यता-क्षमता का संदर्भ दिया गया है जो सीधे चरण I में न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, जो एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक सीमित है। यह अभिनिर्धारित करता है कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जब तक कि अदालत यह नहीं पाती कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है। लेखक को लगता है कि ऐसा हो सकता है।पूर्ण न्यायिक निर्धारण और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के निपटान को अधिकृत करने के रूप में पढ़ा जाए। अनुच्छेद 16 (1) सकारात्मक क्षमता-क्षमता अवधारणा का प्रतीक है और अनुच्छेद 16 (3) और 8 (2) आंशिक नकारात्मक क्षमता-क्षमता सिद्धांत को लागू करते हैं। बाद वाला मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र पर अदालत के विचार के बावजूद मध्यस्थता कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 (3) प्रोत्साहित करता है

एक प्रारंभिक प्रश्न के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थों को स्पष्ट रूप से सशक्त करके परिणाम। आदर्श कानून पर आधारित 1996 के ब्रिटिश मध्यस्थता अधिनियम में अदालत से कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने की आवश्यकता है, 'जब तक कि यह संतुष्ट न हो' कि मध्यस्थता समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्क्रिय है। प्रदर्शन करने में असमर्थ "। जब तक संतुष्ट नहीं होता है, लेखक का मानना है कि यह "जब तक यह प्रकट नहीं होता है" के करीब है, बजाय इसके कि यह मॉडल लॉ शब्दावली के लिए है "जब तक कि यह नहीं पाता है"। ब्रिटिश अधिनियम मध्यस्थ को प्रारंभिक निर्णय या अंतिम निर्णय में अधिकार क्षेत्र पर अपना निर्णय देने की अनुमति देता है, लेकिन पक्षकारों को व्यर्थ की कार्यवाही के खिलाफ जांच के रूप में प्रारंभिक और शीघ्र निर्णय के लिए मध्यस्थों पर जोर देने की अनुमति देता है। पेपर घरेलू और अमेरिकी दृष्टिकोण से भी संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। घरेलू कानून में मध्यस्थता के मुद्दे हैं

प्रक्रियात्मक और महत्वपूर्ण आपत्तियों में विभाजित किया गया। प्रक्रियात्मक मध्यस्थता मुद्दों में शामिल है कि क्या दावा लाने के लिए एक समय सीमा देखी गई है या क्या किसी पक्ष ने मध्यस्थता करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है और छूट या रोक जैसे मुद्दे भी हैं जिससे किसी पक्ष को [2020] 11 एस. सी. आर. का दावा करने से वंचित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता आदि के आह्वान के लिए अधिकार या कोई पूर्व शर्त नहीं की गई है। ये मुद्दे 'प्रवेश द्वार प्रश्न' 6 1 हैं जो अनुमानित रूप से मध्यस्थ को निर्णय लेना है न कि अदालतों को, कम से कम पहले चरण में। मूल पहलू वे हैं जिनमें न्यायालय पहले चरण में प्रथम दृष्टया जाँच में जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दे।

मध्यस्थता समझौते की वैधता और अस्तित्व से संबंधित (बकये चेक कैशिंग इंक. के बाद घरेलू कानून में कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई है।

नीचे)। उनका मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अक्सर घरेलू समझौतों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय के प्रति अधिक ग्रहणशील रहा है।

एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं -

वाणिज्यिक और परिष्कृत, आम तौर पर अच्छी तरह से सलाह दी गई पार्टियों को शामिल करना और न्यूयॉर्क के तहत व्याख्या की एकरूपता की आवश्यकता है।

सम्मेलन।

कोनक्लिन एम. एफ. जी. Co.62 और साउथलैंड कॉर्प. वी. कीटिंग, 6 3 ने घरेलू अमेरिकी कानून के संबंध में स्थापित करने के रूप में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। निम्नलिखित प्रस्तावः

" सबसे पहले, मूल संघीय मध्यस्थता कानून के मामले में, एक

मध्यस्थता प्रावधान अनुबंध के शेष भाग से अलग किया जा सकता है। दूसरा, जब तक कि चुनौती स्वयं मध्यस्थता खंड के लिए नहीं है, अनुबंध की वैधता के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा पहली बार में विचार किया जाता है। इस मामले में उन्हें लागू करते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्योंकि उत्तरदाता समझौते को चुनौती देते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसके मध्यस्थता प्रावधानों को नहीं, वे प्रावधान अनुबंध के शेष भाग के अलावा लागू करने योग्य हैं। इसलिए चुनौती होनी चाहिए एक मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाए, न कि एक अदालत द्वारा।

हालाँकि, इन टिप्पणियों को सावधानी के साथ पढ़ना होगा क्योंकि अमेरिकी कानून में कहा गया है किः

" (क) कथित विफलता से व्यथित पक्ष. दूसरे की

मध्यस्थता. (द) न्यायालय पक्षकारों को सुनेगा, और यह संतुष्ट होने पर कि मध्यस्थता के लिए समझौता करना या करने में विफलता

इसका पालन करना कोई मुद्दा नहीं है, अदालत पक्षों को मध्यस्थता का निर्देश देते हुए एक आदेश देगी। यदि मध्यस्थता की जा रही है

61 शिकागो के पहले विकल्प बनाम। केपलान, 514 यू. एस. 938 (1995) और हौसम बनाम। डीन विटर रेनॉल्ड्स, इंक., 537 यू. एस. 79 (2002)।

62 18 एल एड 2 डी 1270: 388 यूएस 395 (1967): 1967 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 160 63 3 79 एल एड। 2 डी 1: 465 यूएस 1 (1984):

1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 19 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

समझौता या विफलता, उपेक्षा या उसी को करने से इनकारविवादग्रस्त होने पर, न्यायालय संक्षेप में उसके मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा।

इसलिए, मुद्दे के मामले में, यदि मुकदमे में अदालत यह निर्धारित करती है कि मध्यस्थता समझौता नहीं किया गया था, तो यह पक्षों को आदेश नहीं देता है कि

मध्यस्थता। हालाँकि, यह सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब मध्यस्थता खंड 'कंटेनर अनुबंध' में 'पृथक्करण' सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा निहित होता है। बकये चेक कैशिंग इंक. में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पृथक्करण सिद्धांत एक मध्यस्थता समझौते के साथ अमान्य और अमान्य 'कंटेनर अनुबंध' दोनों पर लागू होता है। भेद किया जाता है और एक मध्यस्थता खंड के साथ 'कंटेनर अनुबंध' और अकेले मध्यस्थता समझौते पर अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं। 64 बकये

चेक कैशिंग इंक. ने फैसला सुनाया कि अदालतों को किसी भी मध्यस्थ को भेजना चाहिए

" समग्र रूप से अनुबंध की वैधता को चुनौती देना, जबकि अदालतों को स्वयं "विशेष रूप से मध्यस्थता खंड" के लिए निर्देशित किसी भी चुनौती का समाधान करना चाहिए। जब मध्यस्थ कंटेनर अनुबंध की वैधता के लिए किसी भी चुनौती को सुनते हैं, तो बकये चेक कैशिंग इंक ने आगाह किया:

" अनुबंध की वैधता का मुद्दा इस मुद्दे से अलग है कि क्या कथित बाध्य और बाध्य के बीच कोई समझौता कभी किया गया था।

77. प्रो. एलन स्कॉट राउ 65 "अयोग्यता और अस्तित्व के बीच अमूर्त अंतर" को "कुछ भी नहीं" के रूप में प्रश्न करता है। लेखक पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इस तर्क को खारिज करता है कि

अनुबंध का गठन अनुबंध के प्रवर्तन से अलग है क्योंकि जब समझौता अमान्य होता है तो किसी भी चीज़ के लिए कोई समझौता नहीं होता है। वह देखता है:

" लेकिन यह वास्तव में कितना सुधार है "शून्य और अमान्य" अनुबंधों के बीच वैचारिक अंतर-केवल इसे दोनों के बीच समान रूप से अमूर्त अंतर के साथ बदलने के लिए।

" अयोग्यता "और" अस्तित्वहीन "? ये सब हैं, जैसा कि मेरे एक सहयोगी को कहना पसंद है, शब्द गुब्बारों के अलावा कुछ नहीं।

अनुबंध "अयोग्यता" और अनुबंध "अस्तित्वहीन" के बीच इस आध्यात्मिक अंतर पर सरल मतभेद लंबे समय से महाद्वीपीय कानूनी शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। यह दायित्वों के कानून पर विद्वान ग्रंथों में एक सदी से अधिक समय से अच्छी तरह से स्थापित है। इसकी प्रवृत्ति

64 प्रो. स्टीफन जे. वेयर इन आर्बिट्रेशन लॉज़ सेपेरेबिलिटी डॉक्ट्रिन आफ्टर बकये चेक कैशिंग, इंक. कार्डेगना 65 संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अलगाव में एलन स्कॉट राउ [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तविकता के लिए रूपक लेने के लिए, इसकी कानूनी अवधारणाओं का अवतार, "अकल्पनीय" या "असंभव" के संदर्भ में सिद्धांत का लक्षण वर्णन. इन सभी में औपचारिकता की सबसे खराब ज्यादतियों का उदाहरण है। लेकिन "शून्य/शून्य" अंतर की तरह जो यह निकटता से मिलता-जुलता है. जिससे यह वास्तव में समान भी हो सकता है. यह न केवल फिसलन है, बल्कि किसी भी वाद्य कार्य को पूरा नहीं करता है। खुशी की बात यह है कि कुछ आधुनिक विद्वान अब इस बात की सराहना करते प्रतीत होते हैं कि

"अस्तित्वहीन" की पूरी धारणा न केवल निर्जंतुक और विशुद्ध रूप से मौखिक है. बल्कि जो बदतर है, वह पूरी तरह से अनावश्यक है। और विशेष रूप से जब हम "पृथकता" के सिद्धांत पर आते हैं, तो यह

एक अंतर है जो सटीक रूप से नेतृत्व करता है।

फुट नोट 50 इस प्रकार है:" क्रिश्चियन लारोमेट, 3 ड्रोइट सिविल देखें। लेज़ ऑब्लिगेशंस, ले

कॉन्ट्रैट 539-540,580-81 (5 वाँ संस्करण। 2003) (फ्रांसीसी मामला कानून ने अक्सर एक अनुबंध की "अस्तित्वहीन" और इसकी "अयोग्यता" की धारणाओं को मिला दिया है; यदि कानून द्वारा लगाई गई एक आवश्यक शर्त गायब है तो क्या समझौते को शून्य [शून्य] या अस्तित्वहीन कहा जाता है "उसी चीज़ के बराबर है, क्योंकि जो शून्य है उसे सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं था", अस्तित्वहीन और अस्तित्वहीन।

" शून्यता "एक और एक ही धारणा" हैं)।78. प्रो. मध्यस्थता कानून की पृथकता में स्टीफन जे. वेयर

राइन आफ्टर बकये चेक कैशिंग, इंक., के संदर्भ में

रिकान लॉ एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है:

" मध्यस्थता कानून के लिए संविदात्मक दृष्टिकोण के तहत, मुकदमेबाजी का अधिकार (अन्य अधिकारों की तरह) लागू करने योग्य कानून के माध्यम से अलग किया जा सकता है।

एक मध्यस्थता खंड शामिल है, भले ही वह अनुबंध हैअप्रभावी। इस समस्या को ठीक करने का एकमात्र तरीका पृथक्करण सिद्धांत को निरस्त करना और अदालतों को मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के प्रवर्तन के लिए बचाव सुनने की अनुमति देना है। अदालतों को किसी भी मामले को खारिज करने के बाद ही मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजना चाहिए।

इस तरह के बचाव।"

79. 2016 तक किए गए संशोधनों के प्रभाव की सराहना करने के लिए, विधि आयोग के विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम को संदर्भित करना उचित होगा।

उर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

रिपोर्ट जिसमें धारा 8 में संशोधन के कारण दिए गए थे

1 मध्यस्थता अधिनियम, जिसमें उप-धारा (6-ए) को सम्मिलित करना शामिल है

11 पर। उक्त कारण नीचे दिए गए हैं:

" 24. इसमें दो और संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

धारा 11 के तहत आवेदनों के रूप में कार्यवाही के लिए लंबित रखा जाता है कई साल। इस संदर्भ में आयोग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं -

संशोधन। आयोग ने मौजूदा व्यवस्था को बदलने का प्रस्ताव दिया है।नियुक्ति की शक्ति की योजना "प्रमुख" में निहित है

"उच्च न्यायालय" और "सर्वोच्च न्यायालय" को न्याय और है

स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि "नियुक्ति" की शक्ति का प्रत्यायोजन (के अस्तित्व/शून्यता के संबंध में एक निष्कर्ष के विपरीत

मध्यस्थता समझौता) को न्यायिक कार्य नहीं माना जाएगा। यह

कानून को तर्कसंगत बनाएगा और इसके लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा उच्च न्यायालय और/या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए

नियुक्ति (एक गैर-न्यायिक अधिनियम होने के नाते) विशेष, बाहरी

व्यक्ति या संस्थान। आयोग ने आगे सिफारिश की है

धारा 11 (7) में संशोधन ताकि उच्च न्यायालय के निर्णय(मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व/निरर्थकता के संबंध में) अंतिम हैं

जहाँ एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, और इस तरह गैर हैं अपील योग्य। आयोग ने आगे जोड़ा है -

धारा 11 (13) जिसके लिए न्यायालय से प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है -

नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर मामले का निपटारा करें।विपरीत पक्ष में।

XX

XX

XX

31. आयोग का विचार है कि, इस संदर्भ में, समान

न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति के संबंध में परीक्षण, जैसे -

धारा 11 के संदर्भ में लागू होने वाली धाराओं पर भी लागू होनी चाहिए।8 और न्यायपालिका के दायरे और प्रकृति के कारण अधिनियम के 45

हस्तक्षेप इस बात पर नहीं बदलना चाहिए कि क्या कोई पक्ष (करने का इरादा रखता है)

मध्यस्थता समझौते को विफल करना) एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता हैमध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, या पहले एक कार्यवाही आगे बढ़ाता है

इस तरह के मध्यस्थता समझौते के सामने एक न्यायिक प्राधिकरण। 32. हस्तक्षेप की प्रकृति के संबंध में, का प्रदर्शन

शिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून पाया जाना है

एत्सु केमिकल्स कं. लिमिटेड बनाम। अक्ष इष्टतम, (2005) 7 एस. सी. सी. 234,

(अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में), जहां सर्वोच्च [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत ने केवल मुद्दों/विवाद को देखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

प्रथम दृष्टया।

33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल इन तक सीमित है -

ऐसी स्थितियाँ जहाँ न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि

मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टयामध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व छोड़ देगा।

अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि मध्यस्थता समझौता अमान्य है या नहीं। यदि न्यायिक प्राधिकारी क्रमशः धारा 8 और 11 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है और/या मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो ऐसा निर्णय अंतिम और गैर-अपील योग्य होगा। याचिका दायर की जा सकती है

धारा 37 के तहत केवल मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने या मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करने की स्थिति में रखा जाता है।

विधि आयोग की रिपोर्ट विशेष रूप से शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड में निर्णय के न्यायालय को संदर्भित करती है, जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित निर्णय है। 80. 2016 के अधिनियम 3 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

***

6. मध्यस्थता और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 पेश करने का प्रस्ताव है।(संशोधन) अध्यादेश, 2015, जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम के लिए प्रावधान करता है।

उर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

निम्नलिखित, अर्थात् (i) "न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, न्यायालय उच्च न्यायालय होना चाहिए;

((ख) यह सुनिश्चित करना कि कोई भारतीय न्यायालय अंतरिम उपाय आदि प्रदान करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर हो।

((ग) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए -

साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करना;((iv) किसी भी आवेदन पर विचार करते समय यह प्रावधान करना कि -

मध्यस्थ की नियुक्ति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा।

और अन्य मुद्दे नहीं;

उच्च न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस के निर्धारण के उद्देश्य से नियम बना सकते हैं, जहां एक उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति करता है; ((vii) यह प्रावधान करना कि विवाद करने वाले पक्ष किसी भी स्तर पर सहमत हो सकते हैं।

लिखित रूप में कि उनके विवाद को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाए और ऐसे मामलों में निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए;

(viii) मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना, जब किसी व्यक्ति से संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है। मध्यस्थ; (ix) पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उस आवेदन को न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना है।

7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी हो और मामलों के त्वरित निपटान की ओर ले जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. अब हम पृथकता के सिद्धांतों की जांच करेंगे और

योग्यता-योग्यता। धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) मध्यस्थता समझौते को अलग करने के सिद्धांत को अधिनियमित करते हैं।अंतर्निहित या पात्र अनुबंध से। खंड (ए), कानूनी कल्पना द्वारा, एक मध्यस्थता खंड को एक स्वतंत्र दर्जा देता है जैसे कि यह एक स्वतंत्र समझौता है, भले ही यह केवल एक खंड हो और अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध का एक अभिन्न अंग हो। खंड (बी) एक कानूनी नियम तैयार करता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का एक निर्णय जो यह मानता है कि मुख्य अनुबंध अमान्य है, वह न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। मुख्य अनुबंध के अस्तित्व या अयोग्यता या निरसन के लिए सफल चुनौती में आवश्यक रूप से मध्यस्थता समझौते के समान निष्कर्ष शामिल नहीं है, बशर्ते कि अदालत संतुष्ट हो कि मध्यस्थता खंड पर सहमति हो गई थी। मध्यस्थता समझौते को केवल उस आधार पर टाला जा सकता है जो सीधे मध्यस्थता समझौते से संबंधित है। अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध की चुनौती के बावजूद, विवादों के निर्धारण के लिए अंतर्निहित या कंटेनर अनुबंध में मध्यस्थता खंड बना रहता है। सिद्धांत बूट-स्ट्रैपिंग को रोकता है क्योंकि यह मुख्य रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए है और अंतर्निहित अनुबंध के अस्तित्व, वैधता और निरसन के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अदालत के लिए नहीं है। पृथक्करण का सिद्धांत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को रेफरल अदालत द्वारा प्रश्नों के पूर्व निर्णय के बिना अंतर्निहित अनुबंध के अस्तित्व, वैधता या निरसन पर शासन करने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है।

82. एक दिलचस्प और प्रासंगिक व्याख्या, जब एक पक्ष द्वारा अस्वीकृति, निरसन या 'समझौते और संतुष्टि' का दावा किया जाता है। विरोधाभासी संदर्भ दामोदर घाटी निगम बनाम में पाया जाता है। के. के. कर, 66, जिसने भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय का उल्लेख किया था। किशोरीलाल गुप्ता और ब्रदर्स। , 67 गौर करने के लिए:

" 11. संबंधित मामला कानून की समीक्षा के बाद, जे. सुब्बा राव ने

तब, बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था: (1) एक मध्यस्थता खंड एक अनुबंध की संपार्श्विक अवधि है जो इसकी मूल शर्तों से अलग है; लेकिन यह इसका एक अभिन्न अंग है; (2) मध्यस्थता खंड की शर्तें कितनी भी व्यापक हों, अनुबंध का अस्तित्व इसके संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त है; यह इसके साथ नष्ट हो जाता है -

अनुबंध; (3) अनुबंध इस अर्थ में गैर-निहित हो सकता है कि यह

66 (1974) 1 एस. सी. सी. 141 67 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1362 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

कानूनी रूप से कभी अस्तित्व में नहीं आया या यह शुरू से ही अमान्य था; (4) हालांकि अनुबंध को वैध रूप से निष्पादित किया गया था, पक्षकार इसे समाप्त कर सकते हैं जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था और

इसके लिए एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो केवल अपने अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करता है।

इसके साथ। चूंकि अनुबंध कुछ उद्देश्यों के लिए रहता है, इसलिए मध्यस्थता खंड इन उद्देश्यों के संबंध में काम करता है। उन मामलों में, जैसा कि हमने पहले कहा है, यह अनुबंध का प्रदर्शन है जो समाप्त हो गया है लेकिन अनुबंध अभी भी कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में हैइसके तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद। हम सोचते हैं कि जैसा कि अनुबंध कुछ उद्देश्यों के लिए रहता है, मध्यस्थता खंड इन उद्देश्यों के संबंध में काम करता है।

सरकार के अल्पमत निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था,किशोरीलाल गुप्ता एंड ब्रदर्स में जे। यह देखने के लिए कि उसने केवल

मध्यस्थता खंड पर समझौते के प्रभाव पर बहुमत से असहमत थे, क्योंकि उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया था कि मध्यस्थता खंड इस विवाद को निपटाने के लिए जीवित है कि क्या कोई 'समझौता और संतुष्टि' थी या नहीं। यह आगे देखा गया कि सरकार, जे. द्वारा निर्धारित यह सिद्धांत कि 'समझौता और संतुष्टि' मध्यस्थता खंड को समाप्त नहीं करता है, बहुमत द्वारा असहमत नहीं था। दूसरी ओर, प्रस्ताव (6) सरकार, जे. के विचारों पर भार डालता प्रतीत होता है। ये निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत थे। विशेष रूप से मध्यस्थता अधिनियमपृथक्करण और क्षमता-क्षमता के सिद्धांतों को शामिल करता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार देता है।

83. सक्षमता के सिद्धांत-सक्षमता में सकारात्मक और

नकारात्मक अर्थ। एक सकारात्मक निहितार्थ के रूप में, मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने और गैर-मध्यस्थता प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा सक्षम और अधिकृत घोषित किया जाता है। नकारात्मक व्यक्त किए जाने के मामले में

प्रभाव से, कानून शासित होगा और इसका पालन किया जाना चाहिए। निहित नकारात्मक प्रभाव रेफरल [2020] 11 एस. सी. आर. में अदालत द्वारा हस्तक्षेप को कम करता है और बाधित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालतों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण की प्राथमिकता आंशिक और सीमित हो सकती है जब कानून 'फर्स्ट लुक' रेफरल चरण में कुछ या प्रतिबंधित जांच का प्रावधान करता है। इसलिए हम योग्यता के सिद्धांतों की जांच करेंगे-कानून के संदर्भ में क्षमता, यानी मध्यस्थता अधिनियम।

84. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 (1) स्वीकार करती है और उसे सशक्त बनाती है

मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते की वैधता सहित गैर-मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में आपत्तियों पर निर्णय सहित अपनी स्वयं की अधिकारिता पर निर्णय लेगा। उप-धारा (2) के अनुसार, मध्यस्थता का विरोध करने वाले पक्ष को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर आपत्ति उठानी चाहिए, बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं। हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी या मध्यस्थ की नियुक्ति किसी भी पक्ष को अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति उठाने से नहीं रोकेगी और पूर्वाग्रह नहीं करेगी। जाहिर है, इरादा विलंब को कम करना और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति में तेजी लाना है। खंड अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के मुद्दे और प्रश्न से अलग है। उप-धारा (3) के अनुसार, कोई भी आपत्ति कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे से अधिक है, मामला उठते ही उठाई जानी चाहिए। हालांकि, मध्यस्थ

उप-धारा (4) के अनुसार, न्यायाधिकरण को उप-धारा (2) और (3) में निर्दिष्ट अवधि से परे अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में याचिका स्वीकार करने का अधिकार है यदि वह मानता है कि देरी उचित है। उप-धारा (5) के अधिदेश के अनुसार जब उप-धारा (2) और (3) के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही जारी रख सकता है और मध्यस्थता पुरस्कार पारित कर सकता है। एक व्यथित पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 8 की उप-धारा (3) विशिष्ट शब्दों में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने और निर्णय देने की अनुमति देती है, भले ही धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन अदालत/मंच के विचार के लिए लंबित हो। इसलिए, न्यायालय के समक्ष भी न्यायिक कार्यवाही का लंबित रहना स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए आगे बढ़ने और निर्णय देने के लिए एक बाधा नहीं है। क्या न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए या मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उचित सम्मान स्पष्ट रूप से अलग-अलग पहलू हैं और हमें इसमें विस्तार से नहीं बताना चाहिए।

उपस्थित

संदर्भ।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

85. अधिनियम की धारा 34 पुरस्कार के बाद तीसरे चरण में लागू होती है जब पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है। के तहत धारा 34, एक पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है-(i) यदि मध्यस्थता समझौता

कानून के अनुसार वैध नहीं है जिसके अधीन पक्षकार है; (ii) यदि पुरस्कार उन विवादों से संबंधित है जिन पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे में नहीं आते हैं, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामले पर निर्णय शामिल है; और (iii) जब विवाद का

विषय उस समय लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, सक्षमता-सक्षमता सिद्धांत, अपने नकारात्मक प्रभाव में, पक्षों के लिए तीन मुद्दों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए द्वार खुला छोड़ देता है। नकारात्मक प्रभाव पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन केवल तीन मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्राथमिकता देता है। अदालतों का मध्यस्थता Act.68 की धारा 34 के तहत तीन पहलुओं पर 'दूसरा विचार' है।86. रेफरल स्तर पर अदालतें मंत्रिस्तरीय कार्य नहीं करती हैं। जब वे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के संदर्भ में आपत्तियों का निर्णय लेते हैं तो वे न्यायिक कार्यों का अभ्यास और प्रदर्शन करते हैं। धारा 8 अदालतों को मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने के लिए निर्धारित करती है, यदि की गई कार्रवाई एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, जब तक कि यह नहीं पाता है कि

प्रत्यक्षतः कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। निर्मला जे. झाला बनाम में 'प्रथम दृष्टया' शब्द की जांच करना। गुजरात राज्य और एक अन्य, 69 इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी:

" 48. एक प्रथम दृष्टया मामले का मतलब यह नहीं है कि एक मामला पूरी तरह से साबित हो गया है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसे स्थापित कहा जा सकता है यदि मामले के समर्थन में दिए गए सबूतों पर विश्वास किया जाए। यह निर्धारित करते समय कि क्या एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं, प्रासंगिक विचार यह है कि क्या साक्षय के आधार पर प्रश्नगत निष्कर्ष पर पहुंचना संभव था और क्या यह एकमात्र निष्कर्ष था जो उस साक्षय पर पहुँचा जा सकता था।

धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामले को पक्षों द्वारा रखे गए मामले के गुण-दोष के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित। यह एक वैध मध्यस्थता के तहत मुकदमे के प्रथम दृष्टया मध्यस्थ होने के विषय तक ही सीमित है।

68 इस संदर्भ में धारा 34 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति की प्रकृति और विस्तार की जांच और उत्तर नहीं दिया गया है।69 (2013) 4 एससीसी 301 [2020] 11 एस. सी. आर.

समझौता। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है कि इन पहलुओं पर दावे प्रामाणिक हैं। जब अलगाव के सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है और

योग्यता-योग्यता और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34, रेफरल अदालत बिना उलझी हुई पक्षकारों को पालन करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि इसके विपरीत अच्छे और ठोस कारण न हों।

87. प्रथम दृष्टया परीक्षा पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि प्राथमिक परीक्षा है।

समझौता मौजूद है या विवाद/विषय मध्यस्थ नहीं हैं, धारा 8 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर, अदालत को झंझटों में नहीं फंसना चाहिए और तथ्यों के विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय नहीं करना चाहिए। रेफरल कार्यवाही प्रारंभिक और संक्षिप्त होती है न कि लघु परीक्षण। यह अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और इस संदर्भ में, शिन-एत्सु केमिकल कंपनी में 'स्पष्ट रूप से बहस योग्य' मामले के बी. एन. श्रीकृष्णा, जे. की टिप्पणियों को दर्शाता है। लिमिटेड महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। इसी तरह के विचार इस न्यायालय द्वारा विमल मामले में व्यक्त किए गए हैं। किशोर शाह जिसमें परीक्षण पूर्व-मध्यस्थता चरण में लागू किया गया था

क्या मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए कोई "अच्छा तर्क योग्य मामला" है। इंग्लैंड और वेल्स उच्च न्यायालय ने सिल्वर ड्राई बल्क कंपनी लिमिटेड बनाम में "अच्छे तर्क योग्य मामले" के परीक्षण को विस्तार से बताया है। होमर हुल्बर्ट मैरीटाइम कंपनी लिमिटेड, "1 निम्नलिखित शब्दों में:

" अच्छा तर्क योग्य मामला "एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे पवित्र माना गया है।

लंबे उपयोग से, लेकिन इसका मतलब अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग चीजें हैं।धारा 18 के तहत एक आवेदन के उद्देश्य के लिए, मैं मानूंगा

कि जो दिखाया जाना चाहिए वह एक ऐसा मामला है जो इससे कुछ अधिक है

" जहां किसी मध्यस्थता समझौते के किसी भी पक्ष ने किसी अदालत में किसी भी उपाय से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू कर दी है, अनुबंध करने वाले राज्यों की अदालतों को बाद में उसी विषय से निपटने के लिए कहा गया है-उसी पक्षकारों के बीच का मामला या इस सवाल के साथ कि क्या मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं था या अमान्य था या समाप्त हो गया था, मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने तक मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र पर अपने फैसले पर रोक लगाएंगे, जब तक कि उनके पास इसके विपरीत अच्छे और ठोस कारण न हों।71 (2017) ई. डब्ल्यू. एच. सी. 44 (कम.)

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। उर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

केवल बहस योग्य, लेकिन ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है जो सफल न होने की तुलना में अधिक संभावना प्रतीत हो। यह उस अर्थ में "अच्छा तर्क योग्य मामला" शब्द का उपयोग करेगा। यह एक अपेक्षाकृत कम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जो बरकरार है।

न्यायालय के लिए न्यायपूर्ण कार्य करने के लिए लचीलापन, उन मामलों को छोड़कर जहां अधिकार क्षेत्र के गुण इतने कम थे कि अनिच्छुक उत्तरदाताओं को मध्यस्थता कार्यवाही से कैसे निपटना है, यह तय करने के लिए खर्च और परेशानी में नहीं डाला जाना चाहिए।

बहुत संभावना थी कि न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसमें

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि "अच्छे तर्क योग्य मामले" की सीमा को पार करने का मतलब है कि न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति है

धारा 18 (3) में सूचीबद्ध आदेशों में से एक। इसके लिए रहता है

इस बात पर विचार करें कि क्या इसे विवेक के मामले के रूप में ऐसा करना चाहिए।

इस स्तर पर उपयुक्त एन. सी. सी. लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 72 में यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

"59.1 मेरे विचार में, दर्ज किए गए दावे अधिसूचित दावे हैं या नहीं, इस बारे में जांच का दायरा कम हो गया है

1996 के अधिनियम की धारा 11 (6ए) की भाषा को ध्यान में रखते हुए। मेरे विचार से, एक बार जब न्यायालय को यह समझाया जाता है कि उसके पास धारा 11 की याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, तो इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं जो विवाद से संबंधित है। द.

पक्षकारों के बीच प्राप्त मध्यस्थता समझौते के साथ विवाद को सहसंबंधित करना, एक ऐसा पहलू है जो 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6ए) में निहित है, जो, अन्यथा, न्यायालय से अपनी जांच को केवल अस्तित्व तक ही सीमित रखने की अपेक्षा करता है। मध्यस्थता समझौते का। इसलिए, यदि समझौते के केवल अवलोकन पर यह पाया जाता है कि कोई विशेष विवाद संबंधित नहीं है

मध्यस्थता समझौते के लिए, तब, शायद, न्यायालय धारा 11 याचिका में किसी पक्ष द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर सकता है। हालाँकि, यदि इस मुद्दे के संबंध में कोई विवाद है कि क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है, तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मध्यस्थ को मामले में एक विचार बनाने की अनुमति दी जाए।

59.2 इस प्रकार, जब तक कि यह बोलने के तरीके से न हो, एक चाक और पनीर

2018 की त्रासन याचिका संख्या 115,08.02.2019 [2020] 11 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 11 याचिका की सुनवाई करने वाले संबंधित न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी बात रखने की अनुमति देने के अधिक रूढ़िवादी पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए।

88. गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू भी रेफरल स्तर पर अदालत द्वारा जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं। स्ट्रावोस ब्रेकोलाकिस ने मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलुओं के बीच अंतर किया है, जिसकी अदालत रेफरल स्तर पर जांच कर सकती है और मध्यस्थता समझौते के क्षेत्राधिकार संबंधी पहलुओं को, जो उन्हें लगता है कि मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलुओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। जॉन जे. बार्सिलोना तृतीय ने कुछ अमेरिकी निर्णयों का उल्लेख करते हुए गैर-मध्यस्थता के मुद्दे को प्रक्रियात्मक और ठोस आपत्तियों में विभाजित किया था। प्रक्रियात्मक प्रश्न 'प्रवेश द्वार प्रश्न' हैं जो अनुमानित रूप से मध्यस्थ के लिए कम से कम पहले चरण में निर्णय लेने के लिए होंगे। भारतीय संदर्भ में, हम सम्मानपूर्वक बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड में तीन श्रेणियों को अपनाएंगे। मुद्दों की पहली श्रेणी, अर्थात्, क्या पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है, दूसरी और तीसरी श्रेणियों/मुद्दों की तुलना में अधिक गहन जांच के अधीन होगा जो संभवतः, असाधारण मामलों को छोड़कर, मध्यस्थ को निर्णय लेने के लिए हैं। पहली श्रेणी में, हम जोड़ेंगे और

इसमें यह प्रश्न या मुद्दा शामिल है कि क्या कार्रवाई का कारण व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई से संबंधित है या नहीं; क्या विवाद की विषय वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करती है, सर्वव्यापी प्रभाव डालती है, केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है; क्या विषय वस्तु राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित है; और क्या विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा है

अनिवार्य मूर्तियों के अनुसार मध्यस्थता। इस तरह के सवाल शायद ही कभी उठते हैं और जब वे उठते हैं, तो ज्यादातर मौकों पर कानून के सवाल होते हैं। दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को संबंधित विवादों/दावों के गुण-दोष के अंतर्निहित मुद्दों के साथ जोड़ा और जोड़ा जाएगा। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेना होगा। हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, हालांकि यह देखते हुए कि न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा करने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है, जबकि इस बात से अवगत रहते हुए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करने के लिए है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़पने के लिए नहीं है। एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या रेफरल स्तर पर एक लंबी समीक्षा करने से विवाद के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता को कम करने में बाधा आएगी और देरी होगी।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

समाधान तंत्र। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और मध्यस्थता दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है।

अदालत। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। अदालत की चुनौती सही राशि और संदर्भ का पता लगाने की है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगी।

89. तदनुसार, जब यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक होगी, या अपर्याप्त विचार पर क्योंकि इसके लिए विस्तृत विवरण की आवश्यकता होती हैपरीक्षण, मामले को पक्षों द्वारा सहमति से चुने गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतर्निहित तर्क देरी या स्थगित नहीं करना और पक्षों को रेफरल का उपयोग करने से हतोत्साहित करना है।

देरी और बाधा के लिए एक कारण के रूप में आगे बढ़ना। ऐसे मामलों में इस स्तर पर अदालतों द्वारा पूरी समीक्षा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। प्राथमिक और प्रथम न्यायनिर्णायक के रूप में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ मुकदमे का केंद्रीकरण लाभकारी है क्योंकि यह विवादों के त्वरित और कुशल समाधान में मदद करता है।

90. न्यायालय विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा और विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा जब यह संतुष्ट हो जाएगा कि प्रतियोगिता के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहले विवादों का निर्णय लेना चाहिए और गैर-मध्यस्थता पर निर्णय देना चाहिए। इसी तरह,विवेकाधिकार का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष देरी की रणनीति अपना रहा हो और रेफरल कार्यवाही को बाधित कर रहा हो। इस संबंध में उपयुक्त, डेल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन बनाम में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं। यूनियन डेस कॉन्समेटर्स और ओलिवियर डुमोलिन, 74 जो पढ़ते हैं:

" 85. यदि चुनौती के लिए तथ्यात्मक साक्षय के उत्पादन और समीक्षा की आवश्यकता होती है, तो अदालत को आम तौर पर मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए मध्यस्थों के पास अदालतों के समान संसाधन और विशेषज्ञता होती है। जहां मिश्रित कानून और तथ्य के प्रश्नों का संबंध है, रेफरल आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय को मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए जब तक कि तथ्य के प्रश्नों को रिकॉर्ड में दस्तावेजी साक्षय के केवल सतही विचार की आवश्यकता न हो।

73 ओज़लेम सुस्लर-'द इंग्लिश अप्रोच टू कम्पीटेंस-कम्पीटेंस' 74 [2007] 2 एस. सी. आर. 801,2007 एस. सी. सी. 34 [2020] 11 एस. सी. आर.

86. रेफरल के सामान्य नियम से हटने से पहले, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना विलंब की रणनीति नहीं है और यह मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को अनुचित रूप से बाधित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जब भी

अपवादों में से एक पर विचार करते हुए, अदालत यह निर्णय ले सकती है कि मध्यस्थ को अपनी क्षमता के आधार पर पहले निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए

मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा होगा।

डेल के मामले में निर्णय को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईएलयूएस कम्युनिकेशंस इंक. बनाम में स्पष्ट और कमजोर किया गया है। अब्राहम

वेलमैन, अर्थात। मध्यस्थता अधिनियम, 1991 की धारा 7 (5) की व्याख्या, एक ऐसा पहलू जिससे हम संबंधित नहीं हैं। 91. अब हम मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की जांच करेंगे। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उप-धारा (6-ए) को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा 23 अक्टूबर, 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था और 2016 के अधिनियम 33 द्वारा हटा दिया गया था।

2019. धारा 11 (6) अदालत से एक मध्यस्थ नियुक्त करने की अपेक्षा करती है

एक पक्ष द्वारा किया गया आवेदन। धारा 11 की धारा (6-ए) में कहा गया है कि न्यायालय, उप-धारा (4), (5) या (6) के तहत नियुक्ति के स्तर पर, मध्यस्थता के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगा।

समझौता। 2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) को हटा दिया गया था, लेकिन

न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट, दिनांक 30.07.2017 के अनुसार संस्थागत मध्यस्थता की एक नई व्यवस्था की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए चूक की गई है। इस तरह से छूट की सिफारिश करना:

" इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 2019 के संशोधन अधिनियम के बाद, धारा 11 (6-ए) को हटा दिया गया है क्योंकि मध्यस्थों की नियुक्ति संस्थागत रूप से की जानी है, जिस मामले में पुरानी वैधानिक व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं हैं।

अधिक समय तक मध्यस्थों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं।

जैसा कि पहले देखा गया है, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बताती है और मानती है कि धारा 8 और 11 प्रकृति में पूरक हैं क्योंकि दोनों मध्यस्थता के संदर्भ से संबंधित हैं। धारा 8 तब लागू होती है जब न्यायिक कार्यवाही लंबित होती है और न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने और मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है। 2016 के अधिनियम 3 के तहत धारा 8 में संशोधन को हटा नहीं दिया गया है। धारा 11 उस स्थिति को शामिल करती है जहाँ पक्षकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत से संपर्क करते हैं। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, हमारी विनम्र राय में, सही मानता है कि पटेल

इंजीनियरिंग लिमिटेड को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है और इसलिए विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम भी लागू नहीं होगा।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6-ए) को हटाए जाने के बाद। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस उद्देश्य पर विस्तार से बताया है औरधारा 11 में संशोधन के उद्देश्य और इतिहास, के संदर्भ में

उप-धारा (6-ए) यह स्पष्ट करने के लिए कि धारा, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. मॉडल ऑफ लॉ के अनुच्छेद 11 के साथ प्रतिकृति थी

मध्यस्थता जिसके आधार पर मध्यस्थता अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया और अधिनियमित किया गया। धारा 11 की विधायी योजना, विभिन्न व्याख्याओं और विधि आयोग की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की छोड़ी गई उप-धारा (6-ए) न्यायालयों को पहले चरण, यानी मध्यस्थता से पहले के चरण में अपनी अधिकारिता के दायरे पर लागू और मार्गदर्शन करती रहेगी। 2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) का लोप विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ था और इसका संबंध निम्नलिखित से है - 2019 के अधिनियम 33 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धाराओं (12), (13) और (14) का प्रतिस्थापन, जो उप-धारा (3ए) के माध्यम से निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को उन मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-I के तहत इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, बशर्ते कि जहां एक श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध न हो, संबंधित उच्च न्यायालय मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखेगा।

कार्य का निर्वहन और उसके बाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के संदर्भ के लिए एक मध्यस्थ संस्था के कर्तव्य का पालन करेगा। इसलिए, यह स्वीकार करना गलत होगा कि उप-धारा (6-ए) से धारा 11 को हटाने के बाद पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में अनुपात लागू हो जाएगा।

92. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 11 में 'अस्तित्व' शब्द केवल अनुबंध गठन को संदर्भित करता है (क्या

एक मध्यस्थता समझौता है) और के सवाल को बाहर करता है

प्रवर्तन (वैधता) और इसलिए बाद वाला निर्देश स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या "अस्तित्व" शब्द के स्पष्ट अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर यह मानना भी समान रूप से संभव है कि किसी समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि वह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे अदालत द्वारा पक्षों को खारिज करके लागू किया जाएगा

मध्यस्थता। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या परिभाषा खंड सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे। 'अस्तित्व' की एक उचित और न्यायपूर्ण व्याख्या के लिए संदर्भ, उद्देश्य और [2020] 11 एस. सी. आर. को समझने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाध्यकारी और प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौते के लिए लागू प्रासंगिक कानूनी मानदंड। लिखित रूप में प्रमाणित समझौते का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक पक्ष एक अप्रवर्तनीय दस्तावेज़ के आधार पर अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक ऐसा मध्यस्थता समझौता जो वैधानिक प्रावधानों को पूरा करता है और संतुष्ट करता है।

मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की आवश्यकताएँ और जब यह कानून में लागू करने योग्य हो। हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और आगे देंगे।कारण:

(i) गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में, इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया था, हालांकि मध्यस्थता समझौते के 'अस्तित्व' और 'वैधता' के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियों को उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण, हम पैराग्राफ 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे:

" 29. हुंडई इंग में यह निर्णय। मामला इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से विचाराधीन एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। दायित्व। चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड जो निहित है

उप-अनुबंध में कानून के मामले के रूप में तब तक "अस्तित्व" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर माना गया है। यह तर्क कि धारा 11 (6-ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो "वैधता" से संबंधित है।

एक मध्यस्थता समझौते का जवाब इस न्यायालय द्वारा दिया जाता है

हुंडई इंग में अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की समझ।

मामला, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया। " ;

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी संतुष्टि नहीं करता है। आवश्यकताएँ। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

((ii) न्यायालय संदर्भ स्तर पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

' 'परीक्षा', आम बोलचाल में एक साधारण अभिव्यक्ति के रूप में, खोज करने के लिए किसी चीज़ को ध्यान से देखने या विचार करने के कार्य को संदर्भित करता है।

कुछ (कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार)। इसके लिए व्यक्ति को बारीकी से निरीक्षण करने, स्थिति का परीक्षण करने या सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है (मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार)। न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना और यह कहना अजीब होगा कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, हालांकि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौता कानून में अमान्य है और विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और अधिकार क्षेत्र से परे कार्य नहीं करेगा, यदि वह संदर्भ के लिए एक आवेदन को अस्वीकार कर देता है, जब मध्यस्थता

खंड स्वीकार्य रूप से या बिना किसी संदेह के एक नाबालिग, पागल के साथ है या एकमात्र दावा एक वसीयत का प्रोबेट चाहता है। (iii) अधिकांश विद्वान और न्यायविद स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता समान है। यहां तक कि स्टारवोस

ब्रेकोलाकिस स्वीकार करते हैं कि वैधता, मूल और औपचारिक वैधता के संदर्भ में, अनुबंध के प्रश्न हैं और इसलिए अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए।(iv) अधिकांश क्षेत्राधिकार स्वीकार करते हैं और रेफरल स्तर पर गैर-मध्यस्थता पहलुओं पर अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया समीक्षा की आवश्यकता होती है।

(v) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पूरक हैं।

पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में रखे गए प्रावधानों का उद्देश्य और

दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य पार्टियों को अपनी संविदात्मक समझ का पालन करने के लिए मजबूर करने और मजबूर करने के लिए समान है। ऐसा होने के कारण, दोनों प्रावधानों को समान मानक निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग मापदंड निर्धारित करने के रूप में। धारा 11 यह निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करती है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। धारा 8 में कहा गया है कि संदर्भ के स्तर पर न्यायिक समीक्षा प्रथम दृष्टया अंतिम नहीं है। प्रथम दृष्टया मानक समान रूप से तब लागू होता है जब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, हम धारा 8 में वैध मध्यस्थता समझौते के अधिदेश को धारा 11 के अधिदेश में पढ़ सकते हैं, अर्थात 'मध्यस्थता का अस्तित्व'।

समझौता '। (vi) वैधता को शामिल करते हुए अस्तित्व की प्रथम दृष्टया न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना उचित है क्योंकि न्यायालय पहला मंच है जो जांच करता है।

और रेफरल के लिए अनुरोध तय करता है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पूर्ण "हैंड्स ऑफ" दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और मध्यस्थता को नुकसान पहुंचाएगा। सीमित, फिर भी प्रभावी हस्तक्षेप स्वीकार्य है क्योंकि यह मध्यस्थता में बाधा नहीं डालता है लेकिन इसे प्रभावी बनाता है।

(vii) सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा का अभ्यास किसी भी तरह से क्षमता-क्षमता के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता है और

मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा डालने के लिए पृथक्करण लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि परेशान करने वाले और तुच्छ मामले प्रारंभिक चरण में समाप्त हो जाएं।

(viii) मध्यस्थता समझौते की वैधता के बारे में न्यायिक समीक्षा की प्रथम दृष्टया शक्ति का प्रयोग करने से लागत और नियंत्रण की बचत होगी। आपत्ति करने वाले पक्षों का उत्पीड़न जब स्पष्ट रूप से कोई औचित्य नहीं है और गैर-मध्यस्थता की याचिका को स्वीकार नहीं करने का एक अच्छा कारण है। सुब्रत राय सहारा बनाम। भारत संघ ", इस न्यायालय ने टिप्पणी की है:

" 191. भारतीय न्यायिक प्रणाली तुच्छ मुकदमों से बुरी तरह पीड़ित है। वादियों को मूर्खतापूर्ण और बीमार लोगों के प्रति उनके बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता हैदावों पर विचार करें। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया में

मुकदमेबाजी में, हर गैर-जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण दावे के दूसरी तरफ एक निर्दोष पीड़ित होता है। वह लंबे समय से घबराहट और बेचैनी की चिंता से पीड़ित है, जबकि मुकदमा बिना किसी गलती के लंबित है। वह मुकदमे का भुगतान अपनी बचत (या अपने उधार से) से इस चिंता के साथ करता है कि दूसरा पक्ष उसे

बिना किसी गलती के हार के लिए धोखा दे सकता है। वह सलाह देने और उन्हें तैयार करने में अमूल्य समय बिताता है।

उसका दावा। जो समय उसे काम पर या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वह बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाता है। क्या एक वादी को बिना किसी गलती के खोए हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जानी चाहिए? विधायिका के लिए सुझाव यह है कि एक वादी जो सफल हुआ है, उसे उस व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए जो हार गया है। विधायिका को सुझाव है कि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जो कोई भी व्यक्ति जो मुकदमेबाजी शुरू करता है और जारी रखता है, उसके लिए समझदारी से भुगतान करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि विधायिका को पेश करने पर विचार करना चाहिए

एक "अनिवार्य लागत संहिता"।

(ix) डचूरो फेलगुएरा में भी, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने पैराग्राफ 52 में धारा 7 (5) का उल्लेख किया था और उसके बाद पैराग्राफ 53 में एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट मामले में इस अदालत के फैसले का उल्लेख किया गया था।

सीमित वी। सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड "यह अवलोकन करने के लिए कि उक्त मामले में विश्लेषण इस अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करता है कि उक्त मामले में समझौता ज्ञापन में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था।

75 (2014) 8 एस. सी. सी. 470 76 (2009) 7 एस. सी. सी. 696 विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

इसके बाद, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड को विशेष रूप से यह देखने के लिए संदर्भित किया गया कि मध्यस्थता से पहले के चरण में अदालत के हस्तक्षेप को कम करने के लिए विधायी नीति आवश्यक है और यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) का इरादा था। डचूरो फेलगुएरा के पैराग्राफ 48 में विशेष रूप से कहा गया है कि प्रस्ताव मध्यस्थता समझौते में मौजूद होना चाहिए, और यह अदालत को देखना है कि क्या समझौते में कोई खंड है जो प्रदान करता है

पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए विवादों का मध्यस्थता। पैराग्राफ 59 अधिक प्रतिबंधात्मक है और अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। दूसरे के साथ पढ़ें।

प्राइवेट लिमिटेड को इस बात पर प्रकाश डालना था कि संदर्भ स्तर पर, 2016 के अधिनियम 3 के संशोधनों के बाद, अदालत उन विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं करेगी जो दोनों निर्णयों में उजागर किए गए थे।(x) गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड मामले के अलावा, यह अदालत नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और हुंडई इंग में है।

& कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तीन न्यायाधीशों के दोनों निर्णयों ने बीमा अनुबंधों में संदर्भ के लिए आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि दावा मध्यस्थता समझौते से परे था और इसमें शामिल नहीं था। अदालत ने महसूस किया कि कानूनी स्थिति संदेह से परे थी क्योंकि मध्यस्थता खंड का दायरा पूरी तरह से वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कथन द्वारा कवर किया गया था। इसी तरह, एम/एस में। पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई। सीमित रूप से, यह न्यायालय रेफरल स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा और विवादों को नियंत्रित करेगा। तदनुसार, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के संदर्भ को दरकिनार कर दिया गया और प्रतिवादी को एक उपयुक्त मंच के समक्ष अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया।

(xi) व्याख्या उचित रूप से आवंटन को संतुलित करती है

निर्णय लेने का अधिकार-निर्देश के स्तर पर न्यायालय और गुण-दोष के आधार पर विवादों का निर्णय करने के लिए मध्यस्थों के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के बीच। पहली बार के न्यायिक मंच के रूप में न्यायालय प्रथम दृष्टया परीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है ताकि बिना किसी योग्यता, तुच्छ और बेईमान मुकदमे की जांच की जा सके और उसे खारिज किया जा सके। अदालतों का सीमित अधिकार क्षेत्र रेफरल में आवश्यकता पड़ने पर त्वरित, संवेदनशील और कुशल निपटान सुनिश्चित करता है।

स्टेज।

93. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 (1) में कहा गया है कि सीमा अधिनियम, 1963 मध्यस्थता पर लागू होगा जैसा कि यह अदालती कार्यवाही पर लागू होता है।

उप-धारा (2) में कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम और सीमा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि मध्यस्थता धारा 21 में निर्दिष्ट तिथि से शुरू हुई थी। सीमा कानून प्रक्रियात्मक है और आम तौर पर विवाद, तथ्यात्मक होने के कारण, मध्यस्थ को पाए गए तथ्यों और लागू कानून द्वारा निर्देशित निर्णय लेना होगा। रेफरल स्तर पर अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब यह स्पष्ट हो कि दावे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित और मृत हैं, या कोई विवाद नहीं है। अन्य सभी मामलों को गुण-दोष पर निर्णय के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। विवादित 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' या नोवेशन और 'समझौते और संतुष्टि' के अनुरोध पर बचाव के मामले में भी यही स्थिति होगी। जैसा कि प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड में देखा गया है, यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वाणिज्यिक लोग लेनदेन करते समय जानबूझकर एक प्रणाली का निर्माण करेंगे।

जिसके लिए आवश्यक होगा कि न्यायालय को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या अनुबंध को ठीक किया जाना चाहिए या टाल दिया जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और

फिर यदि अनुबंध को वैध माना जाता है, तो मध्यस्थ को उन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होगी जो उत्पन्न हुए हैं।

94. हम इन पर लागू सिद्धांतों के प्रश्न का भी समाधान करेंगे -

मध्यस्थता खंड की व्याख्या। यह महत्वपूर्ण है और सीधे मध्यस्थता समझौते के दायरे से संबंधित है। प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड में, मध्यस्थता खंड की व्याख्या और निर्माण के सवाल पर, यह देखा गया है:

मध्यस्थता खंड के उद्देश्य की जांच करना आवश्यक है। के रूप मेंमुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। पक्षों ने एक संबंध, एक समझौता या एक समझौता होने का आरोप लगाया है या जो एक समझौते के रूप में दिखाई देता है, जो विवादों को जन्म दे सकता है। वे चाहते हैं कि वे विवाद एक न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाएं, जिसे उन्होंने चुना है, आमतौर पर इसकी तटस्थता, विशेषज्ञता और गोपनीयता, मध्यस्थता के स्थान पर कानूनी सेवाओं की उपलब्धता और इसके पर्यवेक्षी कानून की विनीत दक्षता जैसे मामलों के आधार पर। विशेष रूप से मामले में

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, वे एक त्वरित और कुशल निर्णय चाहते हैं और देरी का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और, बहुत सारे मामलों में,

एक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के समक्ष कार्यवाही में पक्षपात।

नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड में, इस न्यायालय ने बीमा समझौते में मध्यस्थता खंड पर विचार करते हुए विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

कि मध्यस्थता खंड का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए,

सख्त व्याख्या के सिद्धांत जो बीमा अनुबंधों पर लागू होते हैं। इन टिप्पणियों को अन्य मामलों में दोहराया गया है।जो वाणिज्य और व्यवसाय के पुरुषों के लिए सच और लागू होता है वह समान रूप से सच नहीं हो सकता है और आम लोगों और उन लोगों के मामले में लागू होता है जो मध्यस्थता खंड के प्रभाव से पूरी तरह से अवगत नहीं हैं या जिनके पास मानक प्रपत्र अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा बहुत कम विकल्प थे। चौड़े या संकीर्ण

एक मध्यस्थता समझौते की व्याख्या, काफी हद तक, एक पूर्वव्यापी मध्यस्थता समझौते के कवरेज को प्रभावित कर सकती है। मध्यस्थता समर्थक व्यापक व्याख्या, जो आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों पर लागू होती है, और

किसी विशेष मामले में मध्यस्थता समझौते की व्याख्या के बारे में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, यह भाषा, पक्षों, संबंधों की प्रकृति, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें मध्यस्थता समझौता किया गया

था, आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा। शुद्ध वाणिज्यिक विवादों के मामले में, व्याख्या का अधिक उपयुक्त सिद्धांत उदार निर्माण का होगा क्योंकि एक-स्टॉप निर्णय के पक्ष में एक धारणा है।95. तदनुसार, हमारा मानना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में 'मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व' अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि रेफरल स्तर पर अदालत इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगी। बहस योग्य और विवादास्पद तथ्यों और उचित तर्क योग्य मामले आदि के मामलों में, अदालत पक्षों को [2020] 11 एस. सी. आर. के लिए मजबूर करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता समझौते द्वारा जैसा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास प्राथमिक है

के प्रश्न सहित विवादों को तय करने का अधिकार और अधिकार

बोलचाल और गैर-मनमानेपन।

96. 'मध्यस्थता कौन तय करता है?' शीर्षक के तहत चर्चा।

ई नीचे के रूप में क्रिस्टलीकृत है:

(क) पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में निर्णय का अनुपातन्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11, द्वारा संशोधनों को पोस्ट करें

2016 का अधिनियम 3 (23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और

(ख) न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और क्षेत्राधिकार का दायरा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 समान लेकिन अत्यधिक है।

(ग) 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश और पृथकता और क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थतान्यायाधिकरण सभी को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है।

गैर-मध्यस्थता के प्रश्न। न्यायालय को निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी नज़र" की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या उपखंडों की शर्तें

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ख) का खंड (i)।

(घ) शायद ही कभी न्यायालय धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि -मध्यस्थता समझौता गैर-मौजूद, अमान्य या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा जाँच और सुरक्षा के लिए है।

पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर किया जाना जब मामला है

स्पष्ट रूप से 'गैर-मनमाना' और डेडवुड को काटना। द.

जब विवाद संबंधित होते हैं तो अदालत डिफ़ॉल्ट रूप से मामले को संदर्भित करती है।गैर-मध्यस्थता के लिए स्पष्ट रूप से तर्क योग्य हैं; जब विचार किया जाता है

संक्षिप्त कार्यवाही अपर्याप्त और अनिर्णायक होगी; जब

तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष अपनाता है

रणनीतियों में देरी या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में बाधा। यह न्यायालय के लिए एक लघु विचारण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अधिकारिता को हड़प लिया जा सके, बल्कि विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [संजीव खन्ना, जे.]

मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि और उसे बनाए रखना

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।

97. तदनुसार, संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।

98. उपरोक्त निष्कर्षों और अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हम निपटाते हैं

सिविल अपील और विशेष अनुमति याचिकाएं निम्नलिखित तरीके से:

2019 की सिविल अपील संख्या 2402

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई कर रहा है,

हम मध्यस्थता का मुद्दा न्यायाधिकरण पर छोड़ते हैं कि वह निर्णय ले और उसी पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इसके अलावा, पक्षकारों को कानून के अनुसार पुरस्कार को निष्पादित करने या चुनौती देने की स्वतंत्रता है। यह निर्देश कि इस न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन किए बिना पुरस्कार का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, एतद्द्वारा खाली है।

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 5605-5606 2019 का

इस मामले में मध्यस्थता निर्णय 24 अगस्त 2019 को पारित किया गया है। इस पीठ के समक्ष यह सूचित किया जाता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर आपत्ति। इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता धारा 34 के तहत उपलब्ध उपचार को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

मध्यस्थता अधिनियम।

2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11877

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई कर रहा है, हम मध्यस्थता के मुद्दे को न्यायाधिकरण पर छोड़ देते हैं कि वह निर्णय ले और उस पर आएउसी पर एक निष्कर्ष। इसके अलावा, यदि पक्ष इस संबंध में संतुष्ट नहीं हैं तो वे पुरस्कार को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

एन. वी. रमना, जे.

1. मुझे अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की राय को पहले से पढ़ने का लाभ मिला है। वर्तमान मामले निपटते हैं

इस देश में मध्यस्थता न्यायशास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के साथ, जिसके लिए एक अलग राय की आवश्यकता है।

2. हाल ही में, श्री फली एस. नरीमन ने अपने एक व्याख्यान में संकेत दिया था कि भारत में मध्यस्थता का विकास मध्यस्थता में सफलता के कारण नहीं है, बल्कि न्यायालय की विफलताओं के कारण है। यह दर्शाता है कि

असुविधाजनक संबंध जो इन सभी दिनों मुकदमेबाजी के साथ मध्यस्थता का रहा है। न्यायाधिकरण के प्रति अदालतों की न्यायिक हिचकिचाहट और मध्यस्थता पुरस्कारों का सम्मान करने की आवश्यकता [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में 2015 के संशोधन के बाद आगे बढ़ाने के लिए मांगे गए उदार इरादे के अनुरूप न्यायालय के न्यायशास्त्र को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करने और लाने की आवश्यकता है।

कुछ इमारतों का सम्मान। समझौते के खंड 23 में शामिल था - विवाद समाधान खंड। वर्ष 2012 में, किरायेदारी प्रत्यर्थी को दी गई थी, जिसके बाद अपीलकर्ताओं ने उन्हें मासिक किराया देना शुरू कर दिया था।

प्रतिवादी (मकान मालिक)। 24.08.2015 पर, प्रत्यर्थी (मकान मालिक) ने संपत्ति के खाली कब्जे की मांग करते हुए एक पत्र लिखा क्योंकि पट्टे की अवधि 01.02.2016 पर समाप्त हो रही थी। अपीलार्थी (किरायेदार) खाली नहीं हुए। पीड़ित, प्रत्यर्थी (मकान मालिक) ने अनुबंध के तहत प्रदान किए गए विवाद समाधान तंत्र के तहत मध्यस्थता का आह्वान किया। 28.04.2016 पर, प्रतिवादी ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान धारा 11 याचिका दायर की। 07.09.2016 पर, उच्च न्यायालय ने विवाद की मध्यस्थता पर अपीलार्थी की आपत्तियों को खारिज करने के बाद, एक मध्यस्थ नियुक्त करने का विवादित आदेश पारित किया।

4. उसी से व्यथित, अपीलकर्ताओं (किरायेदारों) ने वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इस कारण से कि, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नियुक्त किया गया था

मध्यस्थ, यह न्यायालय हिमांगनी उद्यम बनाम। कमलजीत सिंह

अहलूवालिया, (2017) 10 एस. सी. सी. 706 [जिसे इसके बाद 'हिमांगनी उद्यम' के रूप में संदर्भित किया गया है] ने अभिनिर्धारित किया कि जहां संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 उक्त पक्षों के बीच मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद लागू होता है, वह मध्यस्थ नहीं होगा।

5. जब 2019 की सिविल अपील संख्या 2402 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था

28.02.2019 , फिर उक्त मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया:

" 7. यह ध्यान दिया जाएगा कि मध्यस्थता समझौते की "वैधता" है,

इसलिए, इसके "अस्तित्व" के अलावा। एक विवादास्पद प्रश्न जो इसलिए उत्पन्न होता है, और जिसे तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से तय करने की आवश्यकता होती है, वह यह है कि क्या यह शब्द" अस्तित्व "में विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम में मध्यस्थता खंडों को हटाना शामिल होगा।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

ऐसे समझौते जो इंगित करते हैं कि विषय-वस्तु मध्यस्थता में असमर्थ है।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

30. मामले के इस दृष्टिकोण में, इस मामले को एक पीठ को भेजा जाता है

तीन माननीय न्यायाधीश। 31. इस मामले के तथ्यों और इस तथ्य को देखते हुए कि 18 सुनवाई हुई हैं, हमारे दिनांकित आदेश द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को दी गई रोक हटा दी गई है, और कार्यवाही जारी रह सकती है और एक पुरस्कार में समाप्त हो सकती है। पुरस्कार निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय में आवेदन किए बिना। याचिका का निपटारा किया जाता है

तदनुसार "।6. संदर्भ क्रम मुख्य रूप से इंगित करता है कि दो हैं

इस न्यायालय द्वारा हल किए जाने वाले प्रासंगिक मुद्दे, अर्थात्:

न्यायालय किस हद तक इस प्रश्न का निर्णय करता है

आई.

अधिनियम की धारा 11 के तहत गैर-मध्यस्थता?

क्या किरायेदारी विवाद हल करने में सक्षम हैं

II.

मध्यस्थता के माध्यम से?

ई मामले।8. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन एसएलपी (सी) में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। 2019 का सं. 5605-5606, के रूप में प्रस्तुत किया गया

आर:

अधिनियम की धारा 11 (6ए) एक अनूठा प्रावधान है, जिसका न तो UNCITRAL मॉडल कानून में पता लगाया जा सकता है और न ही किसी अन्य में।

घरेलू कानून।

अन्य में विधायी प्रावधान के अभाव के बावजूद देशों में, न्यायालयों ने स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर निर्णय लिया है।

'अच्छे तर्क योग्य मामले' का मानक जैसा कि नोबल डेंटन मिडिल ईस्ट बनाम में समझाया गया है। नोबल डेंटन इंटरनेशनल लिमिटेड,

[2010] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2574 (कम.), एक वैध मध्यस्थता के अस्तित्व की जांच करने के लिए न्यायालयों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

समझौता।

इसलिए, संदर्भ/नियुक्ति के स्तर पर न्यायिक जांच का दायरा केवल उपस्थिति तक सीमित नहीं है। मध्यस्थता खंड।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकुल दीवानएस. एल. पी. (सी.) में प्रतिवादी 2019 की सं. 5605-5606 ने तर्क दिया कि:

धारा 11 (6ए) पहले की मौजूदा न्यायिक व्याख्या से सचेत रूप से अलग थी, जिसने न्यायिक प्रक्रिया को व्यापक बना दिया था।

न्यायिक जाँच का दायरा। 246वें विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा 11 (6ए) न्यायिक जांच के दायरे को एक के निर्धारण तक सीमित करती है

प्रथम दृष्टया अस्तित्व।

धारा 11 (6ए) के तहत 'अस्तित्व' शब्द का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य अस्तित्व और अनुबंध में केवल उपस्थिति नहीं।

धारा 11 के तहत एक आवेदन में अस्तित्व के मुद्दे की जांच करते हुए, यह न्यायालय केवल एक नियुक्ति के रूप में काम कर रहा है।

प्राधिकरण।

10. एस. एल. पी. (सी.) में आयनर की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप। 2020 की सं. 11877 ने प्रस्तुत किया है कि:

पट्टा के निर्धारण पर एक संविदात्मक किरायेदार एक वैधानिक किरायेदार बन जाता है और वैधानिक संरक्षण का हकदार होता है। इसलिए, उस मामले में मध्यस्थता को हटा दिया जाएगा।धारा 11 उन मामलों में मध्यस्थता के मुद्दे के निर्धारण के लिए चरण नहीं है जहां धारा 89, सी. पी. सी. का परीक्षण लागू किया जाना है।

11. एस. एल. पी. (सी.) में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण। 2019 की सं. 5605-5606 ने प्रस्तुत किया कि:

धारा 11 (6ए) 'मध्यस्थता समझौते के साक्षय की जांच' को अनिवार्य करती है।

धारा 11 (6) में प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई है।मायावती ट्रेडिंग प्रा. लि. में निर्णय। लिमिटेड वी. प्रद्युत

देब बर्मन, (2019) 8 एस. सी. सी. 714 लागू नहीं है।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

12. विद्वान वकील, श्री सौरव अग्रवाल की ओर से

2019 की सिविल अपील संख्या 2402 में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि:

अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय, के रूप में कार्य नहीं करता है

केवल एक डाकघर।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थियों ने भाग लिया है

मध्यस्थता कार्यवाही।

विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, जिनमें उच्च न्यायालय के कुछ निर्णय शामिल हैं, जो हिमांगनी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में निर्णय के बाद पारित किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि तथ्यों के आधार पर, हिमांगनी एंटरप्राइजेज (उपर्युक्त) पूरी तरह से अलग था जैसा कि उसने किया था।

समय के प्रवाह से समाप्त होने वाले पट्टे की स्थिति पर लागू नहीं होता है।

उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों ने, हिमांगनी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) में निर्णय के बाद, इस और अन्य आधारों पर उक्त निर्णय को अलग किया था। एक वैकल्पिक निवेदन के रूप में, उन्होंने कहा कि, किसी भी मामले में, हिमांगनी एंटरप्राइजेज (उपरोक्त) को पुनर्विचार की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि

कानून सही है।

13. हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्रमिक रूप से देते हैं।14. मध्यस्थता सर्वसम्मति का एक रूप है। यह पूरी तरह से

यह पार्टी की स्वायत्तता और समझौते में व्यक्त इरादे पर निर्भर करता है। एक अनुबंध, जिसमें मध्यस्थता समझौतों सहित कई खंड होते हैं, को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वाणिज्यिक संबंधों से संबंधित खंडों, अर्थात प्रत्येक पक्ष के दायित्वों और कर्तव्यों को 'मुख्य अनुबंध' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। कहने के लिए मध्यस्थता समझौता अपने आप में एक अलग अनुबंध है।15. मुख्य अनुबंध से मध्यस्थता समझौते की पृथकता, ऐतिहासिक रूप से रोमन कानून में मौजूद थी। प्रारंभिक काल से, मध्यस्थता को संदेह के साथ देखा जाता था, जिसने विकास की अनुमति दी

पृथकता। विडंबना यह है कि वर्तमान समय में पृथकता का 'मध्यस्थता समर्थक' कार्य 19वीं और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का विकास है, जिसका पता जर्मन और स्विस न्यायशास्त्र से लगाया जा सकता है।

16. भारत में मध्यस्थता को पहले 1899 के मध्यस्थता अधिनियम और बाद में 1940 द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वर्तमान में, मध्यस्थता द्वारा नियंत्रित किया जाता है1996 का अधिनियम, बाद के संशोधनों के साथ। विधायी इतिहास का सरसरी अध्ययन इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विधायिका का इरादा शासन को 'मध्यस्थता समर्थक' बनाना है। जब भी इस न्यायालय ने [2020] 11 एस. सी. आर. का प्रावधान किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके विपरीत, कुछ मध्यस्थता में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए परिवर्तनों को पूर्ववत करने की प्रवृत्ति रही है।

सिंगापुर, लंदन और हांगकांग जैसे आश्रय स्थल।

17. इससे पहले कि हम मामले के विश्लेषण की ओर बढ़ें, हमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की संरचना का संक्षेप में वर्णन करने की आवश्यकता है।

संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता दोनों की स्थापना अधिनियम के भाग I, IA और II के तहत निहित है। अधिनियम की प्रस्तावना में प्रावधान है कि इसे विवादों को हल करने के लिए एक निष्पक्ष और कुशल तंत्र स्थापित करने के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कानून की एकरूपता रखने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था।

18. धारा 2 'मध्यस्थता समझौते' की परिभाषा प्रदान करती है जिसकी व्याख्या अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में की जानी है, जिसमें कहा गया है निम्नानुसार:

7. मध्यस्थता समझौता। -

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो सभी या कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। (4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज;(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान, जिसमें संचार के माध्यम से संचार भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक साधन जो समझौते का अभिलेख प्रदान करते हैं;

यादावा और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें

((ग)

समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे ने इनकार नहीं किया।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि

अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि

मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

19. धारा 5 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देती है, कि न्यायिक

मध्यस्थता कार्यवाही में हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और उन उदाहरणों तक सीमित होना चाहिए जहां यह अधिनियम के तहत विशेष रूप से प्रदान किया गया है। यद्यपि इस प्रावधान में व्यापक विस्तार की परिकल्पना की गई है, लेकिन इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों ने इसकी उपयोगिता को सीमित कर दिया है। [आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर लिमिटेड, (2006) 10 एस. सी. सी. 452]

20. अधिनियम की धारा 8 अपने वर्तमान और पूर्ववर्ती रूप में,

नीचे निकाला गया है:

धारा 8 से पहले

अधिनियम के बाद धारा 8

अधिनियम के बाद धारा 8

3 2016 का

2016 का अधिनियम 3

33 2019 का

पक्षों को संदर्भित करने की शक्ति

शक्ति

उल्लेख करने के लिए

पक्षों को संदर्भित करने की शक्ति

मध्यस्थता के पक्षकार

मध्यस्थता जहाँ एक है

मध्यस्थता जहाँ एक है

मध्यस्थता समझौता। - (1) ए.

मध्यस्थता समझौता (1) ए

जहाँ एक

न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष

न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष

मध्यस्थता

एक मामले में कार्रवाई की जाती है

कार्रवाई

समझौता। - (1)

लाया जाता है

ए.

न्यायिक

विषय कौन सा है

जो एक विषय है

प्राधिकरण

किसी मध्यस्थता समझौते का,

मध्यस्थता समझौता होगा, यदि

जिनसे पहले एक कार्रवाई

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार

एक मामले में लाया जाता है

यदि मध्यस्थता का कोई पक्षकार

जिसका विषय है

समझौता या कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है

या इसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति या

मध्यस्थता

उसके माध्यम से या उसके तहत, इसलिए लागू होता है

उसके अधीन, इसलिए बाद में लागू नहीं होता है

अ.

अपना पहला जमा करने की तारीख से अधिक

तारीख से बाद में नहीं

समझौता होगा, यदि ए

पार्टी इसलिए लागू नहीं होती है

विषय वस्तु पर वक्तव्य

अपना पहला बयान प्रस्तुत करते हुए

विवाद, फिर, किसी भी बावजूद

कब से बाद में

विवाद का सार, तब,

का निर्णय, डिक्री या आदेश

सबसे पहले प्रस्तुत करें

किसी भी निर्णय के बावजूद,सर्वोच्च का आदेश या आदेश

उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय का संदर्भ लें।

के बारे में बयान का पदार्थ

मध्यस्थता के पक्षकार

न्यायालय या किसी भी न्यायालय का संदर्भ लें

विवाद, संदर्भ दें

मध्यस्थता के पक्षकार जब तक यह नहीं पाते हैं

जब तक कि यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया नहीं वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

मध्यस्थता के पक्षकार।

कि प्रथम दृष्टया कोई वैध नहीं है

मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

(2) आवेदन

(2) में निर्दिष्ट आवेदन

(2) में निर्दिष्ट आवेदन

उप-धारा (1) नहीं होगी

उप में संदर्भित

धारा (1) नहीं होगी

उप-धारा (1) नहीं होगी

मनोरंजन जब तक कि यह नहीं है

मनोरंजन जब तक कि यह नहीं है

मूल के साथ

मनोरंजन जब तक कि यह नहीं है

मध्यस्थता समझौता या विधिवत

मूल के साथ

के साथ

मध्यस्थता समझौता या विधिवत

इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि: प्रदान किया गया

मूल मध्यस्थता

इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि:

कि जहाँ मूल मध्यस्थता

समझौता या विधिवत

समझौता या प्रमाणित प्रति

प्रमाणित

बशर्ते कि जहाँ मूल

नक़ल करें

वहाँ से।

मध्यस्थता समझौता या प्रमाणित

इसके साथ उपलब्ध नहीं है

इसकी प्रति उपलब्ध नहीं है।

पक्ष संदर्भ के लिए आवेदन कर रहा है

(3) इसके बावजूद

उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता,

पक्ष संदर्भ के लिए आवेदन कर रहा है

कि एक आवेदन है

उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता

और उक्त समझौता याप्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा रखी जाती है

और उक्त समझौता या प्रमाणित

के तहत बनाया गया है

उस समझौते के अन्य पक्षकार,

प्रतिलिपि दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है

उप-धारा (1) और

उस समझौते के लिए, फिर, पार्टी

तब, इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्ष

मुद्दा यह है किसे पहले लंबित

इसलिए आवेदन इस तरह से दायर किया जाएगा

एक के साथ इस तरह का आवेदन दाखिल करें

एक प्रति के साथ आवेदन

मध्यस्थता समझौते की प्रति

न्यायिक प्राधिकरण, एक

मध्यस्थता समझौता और ए

और अदालत से प्रार्थना करने वाली एक याचिका

मध्यस्थता हो सकती है

या अदालत को बुलाने की प्रार्थना करने वाली याचिका

शुरू किया।

दूसरे पक्ष को बुलाओ

जारी रखा और एक

मूल मध्यस्थता उत्पन्न करें

उत्पादन करने के लिए दूसरे पक्ष पर

समझौता या उसका विधिवत प्रमाणित

मूल मध्यस्थता समझौता या

मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया।

उस न्यायालय के समक्ष प्रतिलिपि।

उससे पहले इसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिअदालत।

(3) इसके बावजूद एक

(3) इसके बावजूद एक

के तहत आवेदन किया गया है

के तहत आवेदन किया गया है

उप-धारा (1) और यह कि मुद्दा है

उप-धारा (1) और यह कि मुद्दा

न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है

न्यायपालिका के समक्ष लंबित

प्राधिकरण, एक मध्यस्थता हो सकती है

प्राधिकरण, एक मध्यस्थता हो सकती है

शुरू किया या जारी रखा और

शुरू किया या जारी रखा औरएक मध्यस्थ पुरस्कार दिया गया।

मध्यस्थता पुरस्कार दिया गया।

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने का विवेकाधिकार था, हालांकि ऐसा विवेकाधिकार किया जाता है

1996 के अधिनियम के लागू होने के बाद। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, विशिष्ट शब्दों में, दीवानी या वाणिज्यिक विवादों की किसी भी श्रेणी को मध्यस्थता से बाहर नहीं करता है। आंतरिक विधायी सामग्री वास्तव में इसके विपरीत है। धारा 8 में यह आदेश है कि जहां किसी मामले में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई की जाती है, जो मध्यस्थता समझौते का विषय है, तो पक्षकारों को उसके द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, यदि कोई पक्षकार या उसके माध्यम से दावा करने वाला व्यक्तिमध्यस्थता समझौते का पक्ष विवाद के सार पर पहला बयान जमा करने की तारीख से बाद में लागू नहीं होता है। एकमात्र अपवाद यह है कि प्राधिकरण प्रथम दृष्टया पाता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। धारा 8 में एक सकारात्मक अधिदेश है और न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने के लिए बाध्य करता है

मध्यस्थता समझौता। न्यायिक विवेकाधिकार के तत्व के साथ वितरण करते हुए, क़ानून प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण पर एक सकारात्मक दायित्व लगाता है कि वे विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए उनके बीच किए गए समझौते की शर्तों के पक्षकारों को रोकें। UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 8 ने एक अदालत को मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने में सक्षम बनाया यदि यह पाया जाता है कि मध्यस्थता समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने में असमर्थ है। अधिनियम की धारा 8 ने UNCITRAL कानून से एक प्रस्थान किया है जो व्यापक पहुंच का संकेत देता है और वैधानिक अधिदेश की परिधि। धारा 8 में "अदालत" के बजाय "न्यायिक प्राधिकरण" की

विस्तृत अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और "जब तक यह नहीं पाया जाता है" शब्दों का उपयोग किया गया है।

यह कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय और निष्पादित करने में असमर्थ है, धारा 8 में जगह नहीं पाता है।

21. धारा 8 में 2015 के संशोधन पर, न्यायमूर्ति इंदु

मल्होत्रा, नीचे टिप्पणी करते हैं:

धारा 8 को स्पष्ट करने के लिए 2015 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था

पूर्व-निर्देश पर न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जाँच का दायरा

स्टेज। अदालत को प्रथम दृष्टया ऐसा करने की आवश्यकता होगी

यह निर्धारित करना कि क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता है। 77

हमें यह बताना होगा कि हम उपरोक्त के साथ आंशिक रूप से सहमत हैं, जिसके लिए न्यायिक अधिकारियों को एक स्पष्ट जनादेश दिया गया है

पूर्व-संदर्भ चरण में हस्तक्षेप, हालाँकि, सीमा मानक को अलग तरीके से लिखा गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है।

77 न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, मध्यस्थता के कानून पर टिप्पणी, खंड। I, चौथा संस्करण।, पी। 317 .

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

22. अधिनियम की धारा 11 अपने वर्तमान और पूर्ववर्ती रूपों में,

नीचे निकाला गया है:

अधिनियम 11 से पहले की धारा 11

2016 के अधिनियम 3 के बाद धारा 11

अधिनियम 33 के बाद धारा 11

2016

2016 का

नियुक्ति

नियुक्ति

में से

नियुक्ति

मध्यस्थ। - (1) एक व्यक्ति

मध्यस्थ। - (1) ए.

मध्यस्थ। - (1) ए.

किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति

किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है

में से

किसी भी

व्यक्ति

मध्यस्थ हो सकता है,

राष्ट्रीयता एक हो सकती है

मध्यस्थ, जब तक

अ.

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो

जब तक कि

अन्यथा सहमत हुए

मध्यस्थ,

दलों द्वारा।

पार्टियाँ।

अन्यथा सहमत हुए

पार्टियाँ।

(2) उप के अधीन

(2) उप के अधीन

धारा (6), पक्षकार हैं

धारा (6), पक्षकार हैं

(2) उप के अधीन धारा (6), पक्षकार

ए पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र

ए पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र

नियुक्ति की प्रक्रिया

नियुक्ति की प्रक्रिया

ए पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं

नियुक्ति की प्रक्रिया

मध्यस्थ

या मध्यस्थ

या

मध्यस्थ।

या मध्यस्थ।

मध्यस्थ

मध्यस्थ।

(3) किसी भी समझौते में विफल होना

(3) विफलता।

किसी भी

(3) विफलता।

संदर्भित

में उल्लिखित समझौते में

को

किसी भी

निर्दिष्ट समझौता

उप-धारा (2)। एक में

उप-धारा (2) में

उप-धारा (2) में

तीन के साथ मध्यस्थता

तीन के साथ मध्यस्थता

मध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष

मध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष करेगा

तीन के साथ मध्यस्थता

एक को नियुक्त करेगा

मध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष

एक मध्यस्थ नियुक्त करें, और

एक को नियुक्त करेगा

दो नियुक्त

मध्यस्थ, और दोनों

द.

मध्यस्थ नियुक्त करेंगे

नियुक्त मध्यस्थ

मध्यस्थ, और दोनों

नियुक्त मध्यस्थ

तीसरा मध्यस्थ जो

तीसरे को नियुक्त करेगा

मध्यस्थ जो कार्य करेगा

नियुक्त करेंगे

अध्यक्ष के रूप में कार्य करें

तीसरा मध्यस्थ जो

मध्यस्थ।

अध्यक्षता करने वाला

के रूप मेंमध्यस्थ।

के रूप में कार्य करेगा

पीठासीन मध्यस्थ।

(4) अगर नियुक्ति उप-धारा (3) में प्रक्रिया

(3(A) उच्चतम न्यायालय

लागू होता है और -

(4) अगर नियुक्ति

और उच्च न्यायालय करेगा

प्रक्रिया में

(क) एक पक्ष नियुक्त करने में विफल रहता है।

करने की शक्ति है

उप

धारा (3) लागू होती है और -

मध्यस्थता

तीस के भीतर एक मध्यस्थ

नामित करें,

((a) एक पक्ष विफल रहता है

प्राप्ति के कुछ दिन बाद

संस्थान, समय-समय पर

एक मध्यस्थ नियुक्त करें

जो समय था

ऐसा करने का अनुरोध

परिषद द्वारा श्रेणीबद्ध

से तीस दिनों के भीतर

अन्य पक्षकार; या

एक अनुरोध की प्राप्ति

धारा 43-1 के तहत, के लिए

दूसरे से ऐसा करें

((b) दोनों नियुक्त किए गए

इस अधिनियम के उद्देश्य:

मध्यस्थ सहमत होने में विफल रहे

पार्टी; या

तीसरा मध्यस्थ। बशर्ते कि संबंध में उन उच्च न्यायालय की तारीख से तीस दिन

((b) दोनों नियुक्त किए गएमध्यस्थ सहमत होने में विफल रहे

उनकी नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, जहाँ नहीं

तीसरे मध्यस्थ पर

नियुक्ति की जाएगी, श्रेणीबद्ध

मध्यस्थता

एक पक्ष के अनुरोध पर, संस्थान द्वारा उपलब्ध हैं,

से तीस दिनों के भीतर

उच्चतम न्यायालय या, तब के रूप में, के मुख्य न्यायाधीश

उनकी तिथि

मामला हो सकता है, उच्च। संबंधित उच्च

नियुक्ति, नियुक्ति होगी

न्यायालय या कोई व्यक्ति या

न्यायालय एक बनाए रख सकता है

द्वारा नामित संस्था

मध्यस्थों का पैनल

ए के अनुरोध पर

ऐसा न्यायालय।

कार्यों का निर्वहन करना

पार्टी, प्रमुख द्वारा न्याय या कोई व्यक्ति या

मध्यस्थता के कर्तव्य

द्वारा नामित संस्था

संस्था और कोई भी

उसे।

मध्यस्थ का संदर्भ [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) किसी भी प्रकार की विफलता

(5) किसी भी समझौते में विफल होना

माना जाएगा कि

संदर्भित

में निर्दिष्ट समझौता

में

के लिए मध्यस्थ संस्था

को

इस धारा के उद्देश्य

उप-धारा (2) में

उप-धारा (2) में

और मध्यस्थ

एकल के साथ मध्यस्थता

एकल के साथ मध्यस्थता

मध्यस्थ, यदि पक्षकार

मध्यस्थ, यदि पक्षकार

एक पार्टी द्वारा नियुक्त

इस तरह के लिए हकदार होगा

इस पर सहमत होने में विफल

इस पर सहमत होने में विफल

के रूप में दर पर शुल्क

तीस के भीतर मध्यस्थ

तीस के भीतर मध्यस्थ

चौथे में निर्दिष्ट

प्राप्ति के कुछ दिन बाद

प्राप्ति के कुछ दिन बाद

एक पक्ष द्वारा अनुरोध

कार्यक्रम:

एक पक्ष द्वारा अनुरोध दूसरे पक्ष से तो

ऐसा करने के लिए दूसरा पक्ष सहमत है नियुक्ति होगी

बशर्ते कि

नियुक्ति के लिए सहमत हों किया जाएगा, उस पर

ए के अनुरोध पर

के मुख्य न्यायाधीश

पार्टी, सुप्रीम द्वारा

द्वारा एक पक्ष का अनुरोध

संबंधित उच्च न्यायालय समय-समय पर हो सकता है,

मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य

न्यायालय या, जैसा भी मामला हो

व्यक्ति या संस्था

उच्च न्यायालय हो या कोई

पैनल की समीक्षा करें

उसके द्वारा निर्दिष्ट।

व्यक्ति या संस्था

मध्यस्थ।

ऐसे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट।

(6) कहाँ, एक के तहत

(4) अगर नियुक्ति

नियुक्ति प्रक्रिया

उप में प्रक्रिया

(6) कहाँ, एक के तहत

धारा (3) लागू होती है और -

द्वारा सहमत

नियुक्ति प्रक्रिया

((a) एक पक्ष विफल रहता है

पार्टियाँ, -

द्वारा सहमत

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

पार्टियाँ, -

एक मध्यस्थ नियुक्त करें

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

से तीस दिनों के भीतर

इसके तहत आवश्यक

इसके तहत आवश्यक

प्रक्रिया; या

अनुरोध की प्राप्ति ऐसा करने के लिए दूसरे

((ख) पक्षकार, या दोनों

प्रक्रिया; या

नियुक्त मध्यस्थ, असफल

पार्टी; या

एक समझौते पर पहुंचने के लिए

((ख) पक्षकार, या दोनों

उनसे अपेक्षा की जाती है

नियुक्त मध्यस्थ, असफल

((b) दोनों नियुक्त किए गए

मध्यस्थ सहमत होने में विफल रहे

वह प्रक्रिया; या

एक समझौते पर पहुंचने के लिए

((c) एक व्यक्ति सहित

उनसे अपेक्षा की जाती है

तीसरे मध्यस्थ पर

संस्था विफल रही

वह प्रक्रिया; या

से तीस दिनों के भीतर

कोई भी कार्य करें

उनकी तिथि

((c) एक व्यक्ति सहित

उसे या उसे सौंपा गया

नियुक्ति,

द.

उस प्रक्रिया के तहत, ए

नियुक्ति होगी

संस्था विफल

को

कोई भी कार्य करें

किया गया, एक आवेदन पर

पार्टी अनुरोध कर सकती है

मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य

उसे या उसे सौंपा गया

पार्टी द्वारा

उस प्रक्रिया के तहत, ए

मध्यस्थता

संस्था

व्यक्ति या

द्वारा नामित संस्था

द्वारा निर्दिष्ट

पार्टी अनुरोध कर सकती है

उसे आवश्यक लेने के लिए

उच्चतम न्यायालय या, के रूप में

उच्चतम न्यायालय, मामले में

माप, जब तक कि

मामला हो सकता है, उच्च

में से

अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता,

इस पर समझौता

न्यायालय या कोई व्यक्ति या

द्वारा नामित संस्था

नियुक्ति प्रक्रिया

या उच्च न्यायालय द्वारा,

अन्य साधन प्रदान करता है

अन्य मध्यस्थताओं का मामला

ऐसा न्यायालय

आवश्यक उपाय, जब तक कि

अंतर्राष्ट्रीय

सुरक्षित करना

की तुलना में

वाणिज्यिक मध्यस्थता,

नियुक्ति।

इस पर समझौता

मामला हो सकता है।

नियुक्ति प्रक्रिया

के रूप में

अन्य साधन प्रदान करता है

(7) ए पर निर्णय

द्वारा सौंपा गया मामला

नियुक्ति सुनिश्चित करना।

(5) विफलता।

किसी भी

में निर्दिष्ट समझौता

उप-धारा (4) या उप खंड (5)

(6(A) उच्चतम न्यायालय

उप-धारा (2) में

उप

या

प्रधान को धारा (6)

या, जैसा भी मामला हो,

एकल के साथ मध्यस्थता

न्याय या व्यक्ति या

उच्च न्यायालय, जबकि

मध्यस्थ, यदि पक्षकार

द्वारा नामित संस्था

सहमत होने में विफल

विचार करें

उस पर

किसी भी

आवेदन के तहत

तीस के भीतर मध्यस्थ

वह अंतिम है।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

(8) मुख्य न्यायाधीश या

उप-धारा (4)

या प्राप्त होने के कुछ दिन बाद

व्यक्ति या संस्था

एक पक्ष द्वारा अनुरोध

उप-धारा (5)

या

उप-धारा (6),

दूसरे पक्ष से

उसके द्वारा नामित, में

करेगा,

इसके बावजूद

इसलिए नियुक्ति के लिए सहमत हों

एक मध्यस्थ की नियुक्ति,

किसी भी

उचित सम्मान होगा

निर्णय, डिक्री या आदेश

एक पर किया जाएगा

किसी भी न्यायालय के लिए सीमित

पार्टी का आवेदन

की जाँच

(क) कोई भी योग्यता

के अनुसार में निहित प्रावधान

मध्यस्थ की आवश्यकता

मध्यस्थता का अस्तित्व

समझौते के अनुसार

उप-धारा (4)।

समझौता।

पक्षकार; और

(6 ख) पदनाम

(6) कहाँ, एक के तहत

(ख) अन्य विचार

कोई भी व्यक्ति या संस्था

नियुक्ति प्रक्रिया

जिससे सुरक्षा मिलने की संभावना है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा या,

द्वारा सहमत

जैसा कि मामला हो सकता है

पार्टियाँ, -

एक की नियुक्ति

(a) एक पक्ष के रूप में कार्य करने में विफल रहता है

स्वतंत्र

और

उच्च न्यायालय के लिए

निष्पक्ष मध्यस्थ।

इस धारा के उद्देश्य

इसके तहत आवश्यक

नहीं माना जाएगा

प्रक्रिया; या

(9) के मामले में

न्यायपालिका का प्रतिनिधिमण्डल

एकल की नियुक्ति या

सर्वोच्च द्वारा शक्ति

((ख) पक्षकार, या दोनों

में तीसरा मध्यस्थ

नियुक्त मध्यस्थ,

न्यायालय या उच्च न्यायालय।

पहुँचें

असफल

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

को

अ.

मध्यस्थता, प्रमुख

(7) किसी विषय पर निर्णय

अपेक्षित समझौता

भारत का न्याय या

सौंपा गया

द्वारा

उनके तहत

व्यक्ति या संस्था

उप-धारा (4)

प्रक्रिया; या

या

उसके द्वारा नामित किया जा सकता है

उप-धारा (5)

या

उप-धारा (6) से

((c) एक व्यक्ति सहित

एक का मध्यस्थ नियुक्त करें

एक संस्था, विफल रहता है

उच्चतम न्यायालय या, के रूप में

इसके अलावा अन्य राष्ट्रीयता

मामला हो सकता है, उच्च

राष्ट्रीयताएँ

कोई भी कार्य करें

न्यायालय या व्यक्ति या

पार्टियाँ जहाँ पार्टियाँ

उसे या उसे सौंपा गया उस प्रक्रिया के तहत,

द्वारा नामित संस्था

अलग-अलग से संबंधित

ऐसा न्यायालय अंतिम है और नहीं

नियुक्ति होगी

राष्ट्रीयताएँ।

पत्रों सहित अपील

किया गया, एक आवेदन पर

(10) मुख्य न्यायाधीश

पेटेंट अपील होगी

पार्टी द्वारा

इस फैसले के खिलाफ

ऐसी योजना बना सकते हैं

मध्यस्थता

संस्था

द्वारा निर्दिष्ट

जैसा कि वह समझ सकता है सौदा करने के लिए उपयुक्त

(8) सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय, मामले में

द्वारा सौंपे गए मामलों के साथ

या, जैसा भी मामला हो,

अंतर्राष्ट्रीय

से

वाणिज्यिक मध्यस्थता,

उप-धारा (4) या

उच्च न्यायालय या व्यक्ति या नामित संस्था

खंड (5)

उप

या उच्च न्यायालय द्वारा,

या

धारा (6) उसे।

ऐसे न्यायालय द्वारा, इससे पहले

अन्य मध्यस्थताओं का मामला

एक मध्यस्थ की नियुक्ति,

अंतर्राष्ट्रीय

की तुलना में

(11) जहाँ से अधिक

में एक प्रकटीकरण की मांग करेगा

वाणिज्यिक मध्यस्थता,

से लिखना

द.

एक अनुरोध किया गया है

जैसा कि मामला हो सकता है

संभावित मध्यस्थ

उप के तहत बनाया गया

ले लो

आवश्यक

माप, जब तक कि

धारा (4) या उप

की उप-धारा (1) की शर्तें

द.

खंड (5)

या धारा 12, और देय है

समझौता

उप-धारा (6) से

का ध्यान रखें

नियुक्ति प्रक्रिया

((a) कोई भी योग्यताएँ

के मुख्य न्यायाधीश

अन्य साधन प्रदान करता है

मध्यस्थ के लिए आवश्यक

विभिन्न उच्च न्यायालय या

सुरक्षित करना

द.

उनके पदनाम,

समझौते के अनुसार

नियुक्ति।

मुख्य न्यायाधीश या उनके पक्षकार; और किसे नामित करें [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुरोध पहले किया गया है (बी) की सामग्री

(6 ख) पदनाम कोई भी व्यक्ति या संस्था

प्रासंगिक प्रकटीकरण के तहत किया गया और अन्य

उच्चतम न्यायालय द्वारा

केवल उप-धारा ही इस पर विचार करेगी

सुरक्षित होने की संभावना तय करने में सक्षम होना

या, जैसा भी मामला हो,

अनुरोध पर।

की नियुक्ति

उच्च न्यायालय, के लिए

अ.

इस धारा के उद्देश्य

स्वतंत्र और निष्पक्ष

नहीं माना जाएगा

(12) ((क) जहाँ

मध्यस्थ।

न्यायपालिका का एक प्रतिनिधिमंडल

में उल्लिखित मामलेउप-धाराएँ (4), (5), (6),। (9) के मामले में

सर्वोच्च द्वारा शक्ति

(7) , (8) और (10) में उत्पन्न होता है

एकल की नियुक्ति या

न्यायालय या उच्च न्यायालय।

अंतर्राष्ट्रीय

में तीसरा मध्यस्थ

अ.वाणिज्यिक मध्यस्थता,

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

(8) मध्यस्थ

"प्रमुख" का संदर्भ

मध्यस्थता, सर्वोच्च

में संदर्भित संस्था

न्यायालय या व्यक्ति या

उप-धाराएँ (4), (5) और

न्याय "उन उप में

द्वारा नामित संस्था

(6) , नियुक्ति से पहले

खंड होंगे

कि न्यायालय एक नियुक्त कर सकता है

मध्यस्थ, एक की मांग करेगा

एक संदर्भ के रूप में समझा गया

के मुख्य न्यायाधीश को

राष्ट्रीयता का मध्यस्थ

लिखित में खुलासा

भारत "

अन्य

की तुलना में

द.

भविष्य से

दलों की राष्ट्रीयताएँ

के संदर्भ में मध्यस्थ

पार्टियाँ कहाँ से संबंधित हैं

धारा की उप-धारा (1)

(ख) जहाँ मामले हैं

12 , और उचित सम्मान रखें

उप में संदर्भित

विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए।

धारा (4), (5), (6),

को

(7) , (8) और (10) में उत्पन्न होता है।

(10) सुप्रीम कोर्ट

((a) कोई भी योग्यताएँ

कोई अन्य मध्यस्थता,

या, जैसा भी मामला हो,

"प्रमुख" का संदर्भ

उच्च न्यायालय, कर सकता है

द.

के लिए आवश्यक

ऐसी योजना जैसा कि कहा गया है

उनमें न्याय "

द्वारा मध्यस्थ

द.

उप-धाराएँ होंगी

दीम

द.

का समझौता

अदालत

हो सकता है

एक संदर्भ के रूप में समझा गया

पक्षकार; और

सौदा करने के लिए उपयुक्त

के मुख्य न्यायाधीश को

द्वारा सौंपे गए मामलों के साथ

((b) विषय-वस्तु

उप-धारा (4)

उच्च न्यायालय के भीतर

या

जिसकी स्थानीय सीमाएँ

उप-धारा (5) या उप

प्रकटीकरण और अन्य

प्रमुख सिविल न्यायालय

धारा (6), इसके लिए।

विचार इस प्रकार हैं -

संभव है कि

खंड में संदर्भित

(11) जहाँ एक से अधिक

एक की नियुक्ति

(ई) की उप-धारा (1)

अनुरोध किया गया है

स्वतंत्र

और

निष्पक्ष मध्यस्थ।

उप-धारा (4) के अधीन या

धारा 2 स्थित है और,

जहाँ उच्च न्यायालय

उप-धारा (5) या उप

स्वयं न्यायालय है

धारा (6) से भिन्न तक

(9) के मामले में

उच्च न्यायालय या उनके

उस खंड में निर्दिष्ट,

एकल की नियुक्ति या

के मुख्य न्यायाधीश को

नामित, उच्च

में तीसरा मध्यस्थ

न्यायालय या उसके द्वारा नामित

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

वह उच्च न्यायालय।

अनुरोध किसके पास है

मध्यस्थता, मध्यस्थता द्वारा नामित संस्था

पहले किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है

सुसंगत उप-धारा

अकेले सक्षम होना

एक का मध्यस्थ नियुक्त करें इसके अलावा अन्य राष्ट्रीयता

अनुरोध पर निर्णय लें।

राष्ट्रीयताएँ

(12) ((a) जहाँ मामले हैं

पार्टियाँ जहाँ पार्टियाँ

उपखंडों में संदर्भित

अलग-अलग से संबंधित

(4) , (5) , (6) , (7) , (8) और

राष्ट्रीयताएँ।

उप-धारा (10) एक में उत्पन्न होती है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक या ड्रोलिया और अन्य बनाम।

आई. एन. जी. निगम [एन. वी. रमना, जे.]

मध्यस्थता, संदर्भ

(11) जहाँ से अधिक

एक अनुरोध किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय या,

के तहत बनाया गया

जैसा कि मामला हो सकता है

उप

उच्च न्यायालय "उनमें

धारा (4) या

उप

उप-धाराएँ होंगी

धारा (5) या उपधारा (6) से भिन्न तक

एक संदर्भ के रूप में समझा गया

मध्यस्थ संस्थाएँ,

"सर्वोच्च न्यायालय" के लिए;

और

मध्यस्थ संस्था को

जिसे अनुरोध किया गया है पहले किया गया था

(ख) जहाँ मामले हैंउप में संदर्भित

प्रासंगिक उप-धारा

धारा (4), (5), (6), (7),

के लिए सक्षम होगा

(8) और उप-धारा (10)

नियुक्त करें।

में उठें

अन्य

किसी भी

मध्यस्थता, संदर्भ

(12) मामला कहां का है।

संदर्भित

में

सर्वोच्च न्यायालय या,

को

उप-धाराएँ (4), (5), (6)

जैसा कि मामला हो सकता है

और (8) एक में उत्पन्न होता है

उच्च न्यायालय "उनमें

उप-धाराएँ होंगी

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिकमध्यस्थता या कोई अन्य

एक संदर्भ के रूप में समझा गया

मध्यस्थता, संदर्भ

"उच्च न्यायालय" में

जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर

मध्यस्थ संस्था के लिए

प्रमुख सिविल न्यायालय

उन उपखंडों मेंएक के रूप में माना जाएगा

के खंड (ई) में निर्दिष्ट

धारा की उप-धारा (1)

मध्यस्थ का संदर्भ

2 कहाँ स्थित है, और कहाँ

नामित संस्थानउप-धारा (3-ए) के तहत।

स्वयं उच्च न्यायालय है

उस में संदर्भित न्यायालय

(13) एक आवेदन

खंड, उस उच्च न्यायालय को।

इस धारा के तहत बनाया गया

(13) एक आवेदन किया गया

नियुक्ति के लिएमध्यस्थ या मध्यस्थ

इस धारा के तहत

द्वारा निपटाया जाएगा

की नियुक्ति

अ.

मध्यस्थ संस्था

मध्यस्थ या मध्यस्थ

द्वारा निपटाया जाएगा

तीस की अवधि के भीतर

तारीख से दिन

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या व्यक्ति

पर सूचना की सेवा

या नामित संस्था

विरोधी पक्ष।

ऐसे न्यायालय द्वारा, जैसा कि मामला है

शायद, जल्द से जल्द

(14) द.

मध्यस्थता

यथासंभव और

संस्था

करेंगे।

प्रयास किया जाएगा।

शुल्क निर्धारित करें

मामले को निपटाने के लिए

मध्यस्थता न्यायाधिकरण और

साठ की अवधि के भीतर

इसके भुगतान का तरीका

तारीख से दिन

मध्यस्थ न्यायाधिकरण

पर सूचना की सेवा

दरों के अनुसारचौथे में निर्दिष्ट

विरोधी पक्ष।

अनुसूची.

(14) के उद्देश्य के लिए

स्पष्टीकरण। - इसके लिए

शुल्क का निर्धारण

मध्यस्थ न्यायाधिकरण और

शंकाओं को दूर करना, यह हैएतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि

इसके भुगतान का तरीका [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता न्यायाधिकरण को,

उप-धारा नहीं होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करें

उच्च न्यायालय तय कर सकता है

ऐसे नियम जो हो सकते हैं

वाणिज्यिक मध्यस्थता

और मध्यस्थताओं में (अन्य

आवश्यक, लेने के बाद

इसे ध्यान में रखते हुए

अंतर्राष्ट्रीय

की तुलना में वाणिज्यिक मध्यस्थता)

में निर्दिष्ट दरें

चौथी अनुसूची।

पार्टियाँ कहाँ हैं

स्पष्टीकरण। इसके लिए

सहमत हुए।

के लिए

शंकाओं को दूर करना, यह है

शुल्क का निर्धारण

नियमों के अनुसार

एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है किउप-धारा नहीं होगी

मध्यस्थ संस्था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंवाणिज्यिक मध्यस्थता

और मध्यस्थताओं में (अन्य

अंतर्राष्ट्रीय

की तुलना में

मामला जहाँ पक्षों के पास हैसंकल्प के लिए सहमति

नियमों के अनुसार शुल्क

एक मध्यस्थ संस्था।

23. धारा 12, मध्यस्थ होने के लिए संपर्क किए गए व्यक्ति पर, पक्षकारों को लिखित रूप में खुलासा करने का दायित्व अधिरोपित करती है।

ऐसी परिस्थिति जो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा कर सकती है। एक मध्यस्थ को चुनौती दी जा सकती है यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं या यदि उसके पास पक्षों द्वारा सहमत योग्यताएँ नहीं हैं, लेकिन ऐसी चुनौती केवल उन कारणों से दी जा सकती है जिनके बारे में चुनौती देने वाला पक्ष नियुक्ति के बाद जागरूक हो जाता है। धारा 13 चुनौती प्रक्रिया की बात करती है। इसमें कहा गया है कि पार्टियां स्वतंत्र हैं

इस तरह की प्रक्रिया पर सहमत हैं। ऐसा न करने पर, चुनौती देने वाली पार्टी

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन या धारा 12 में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति के बारे में जागरूक होने के पंद्रह दिनों के भीतर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित बयान भेजना होगा। जब तक चुनौती दी गई मध्यस्थता वापस नहीं लेती है या मध्यस्थता का दूसरा पक्ष चुनौती के लिए सहमत नहीं होता है, तब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण चुनौती पर निर्णय लें और यदि चुनौती सफल नहीं होती है तो यह मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखेगी और एक निर्णय देगी। उस पुरस्कार को धारा 34 के तहत अलग रखने की मांग की जा सकती है।

24. धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने दम पर निर्णय लेने का अधिकार देती है।

अधिकार क्षेत्र। धारा 16 की उप-धारा (1) प्रासंगिक है, और इस प्रकार है:

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

" 16. (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय दे सकता है,

अस्तित्व के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय सहित या

मध्यस्थता समझौते की वैधता और उस उद्देश्य के लिए -

(ए) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है

अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाता है

अनुबंध; और

(ख) मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय कि अनुबंध अमान्य है औरशून्य में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता खंड की अयोग्यता निहित नहीं होगी।

25. अधिनियम की धारा 34 इस प्रकार है:

धारा 34 पूर्व

धारा 34 के बाद

धारा 34 के बाद

2019 का अधिनियम 33

2016 का अधिनियम 3

2016 का अधिनियम 3

सेटिंग के लिए आवेदन

सेटिंग के लिए आवेदन

सेटिंग के लिए आवेदन

एक तरफ मध्यस्थता पुरस्कार।

एक तरफ मध्यस्थता पुरस्कार।

एक तरफ मध्यस्थता पुरस्कार।

(1) अदालत का सहारा लें

(1) अदालत का सहारा लें

(1) अदालत का सहारा लें

एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ

एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ

एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ

केवल एक द्वारा किया जा सकता है

| केवल एक द्वारा बनाया जा सकता है। केवल एक द्वारा बनाया जा सकता है

सेटिंग के लिए आवेदन

सेटिंग के लिए आवेदन

सेटिंग के लिए आवेदन

इस तरह के पुरस्कार के अलावा

इस तरह के पुरस्कार के अलावा

इस तरह के पुरस्कार के अलावा

के साथ

के अनुसार

के साथ

के अनुसार

के साथ

के अनुसार

उप-धारा (2) और

उप-धारा (2) और

उप-धारा (2) और

उप-धारा (3)।

उप-धारा (3)।

उप-धारा (3)।

(2) एक मध्यस्थ पुरस्कार

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार हो सकता है

मध्यस्थता

(2) अ.

न्यायालय द्वारा अलग रखा जाए

पुरस्कार अलग रखा जा सकता है

द्वारा अलग किया जा सकता है

अदालत केवल तभी करे जब -

केवल अगर

न्यायालय द्वारा केवल यदि -

((a) पार्टी बना रही हैआवेदन प्रस्तुत करता है

((a) पार्टी बनाना

(ए) द

पार्टी

कि

आवेदन

आवेदन करें

द.

(i) एक दल के अधीन था

के आधार पर स्थापित

इस बात का प्रमाण देता है कि

कुछ अक्षमता, या

के अभिलेख से

((ii) मध्यस्थता

मध्यस्थता न्यायाधिकरण

(i) एक दल के अधीन था

समझौता वैध नहीं है

कि -

कुछ अक्षमता, या

जिस कानून के तहत

पक्षों ने अधीन किया है

(i) एक दल के अधीन था

((ii) मध्यस्थता

यह या, किसी भी संकेत में विफल

समझौता कुछ अक्षमता मान्य नहीं है, या

उस पर, कानून के तहत

जिस कानून के तहत

लागू होने का समय; या

द.

पक्षकारों ने अधीन किया है (ii)

मध्यस्थता

((iii) पार्टी बना रही है

यह किसी भी समझौते में विफल होना वैध नहीं है या,

आवेदन नहीं दिया गया था

उस पर कानून के तहत संकेत, जिसके लिए

उचित सूचना

में से

पक्षों ने अधीन किया है

इस समय का कानून

की नियुक्ति

अ.

या, असफल

यह

बल में; या

किसी भी

मध्यस्थ या

उस पर संकेत, नीचे

मध्यस्थता कार्यवाही या

उस समय के लिए कानून

अन्यथा असमर्थ था

बल में होना; या

अपना मामला प्रस्तुत करें; या [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार (iii) बनाने वाला पक्ष

((iii) पार्टी बना रही है

किसी विवाद से निपटने के लिए आवेदन नहीं दिया गया था

आवेदन नहीं दिया गया था

उचित सूचना द्वारा विचार किया गया या नहीं

उचित सूचना

द.

नियुक्ति की शर्तों के अंतर्गत आने वाला

की नियुक्ति

अ.

मध्यस्थ को प्रस्तुत करना या

मध्यस्थ या

यह मध्यस्थता कार्यवाही या

मध्यस्थता कार्यवाही या

मध्यस्थता, या इनमें निर्णय शामिल हैं -

अन्यथा असमर्थ था

अन्यथा असमर्थ था

दायरे से बाहर के मामले

अपना मामला प्रस्तुत करें; या

अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए; या

प्रस्तुत करने के लिए

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार

मध्यस्थता:

किसी विवाद से निपटना नहीं

किसी विवाद से निपटना नहीं

बशर्ते कि, यदि

द्वारा सोचा गया या नहीं

द्वारा सोचा गया या नहीं

मामलों पर निर्णय

शर्तों के अंतर्गत आता है

शर्तों के भीतर गिरना

प्रस्तुत करने के लिए

मध्यस्थता को प्रस्तुत किया गया

प्रस्तुत करना

से अलग किया जा सकता है

मध्यस्थता, या इसमें शामिल हैं

मध्यस्थता, या इसमें शामिल हैं

मामलों पर निर्णय

जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल

मामलों पर निर्णय

मध्यस्थता का वह भाग

के दायरे से परे

के दायरे से परे मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतिकरण:

पुरस्कार जिसमें शामिल हैं -

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतिकरण:

मामलों पर निर्णय नहींमध्यस्थता को प्रस्तुत किया गया

बशर्ते कि, यदि

बशर्ते कि, यदि

अलग रखा जा सकता है; या

मामलों पर निर्णय

मामलों पर निर्णय मध्यस्थता को प्रस्तुत किया गया

मध्यस्थता को प्रस्तुत किया गयासे अलग किया जा सकता है

(v) की संरचना

से अलग किया जा सकता है जिन्हें ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है,

जिन्हें ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण यामध्यस्थता प्रक्रिया थी

केवल उस भाग को

केवल उस भाग को

के अनुसार नहीं

मध्यस्थता पुरस्कार

माध्यस्थम पुरस्कार जो

इनमें निर्णय शामिल हैं -

जिसमें निर्णय शामिल हैं

का समझौता

पार्टियाँ, जब तक कि ऐसा न हो

प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर

जिन मामलों को प्रस्तुत नहीं किया गया

मध्यस्थता में हो सकता है

मध्यस्थता निर्धारित की जा सकती है

समझौता

था।

एक प्रावधान के साथ टकराव

अलग रखें; या

एक तरफ; या

जिस भाग से

की संरचना

(v) की संरचना

पार्टियाँ नहीं कर सकतीं

मध्यस्थ न्यायाधिकरण या

मध्यस्थ न्यायाधिकरण या

अवमूल्यन करना, या ऐसा करने में असफल होना

समझौता नहीं था

मध्यस्थता प्रक्रिया थी

मध्यस्थता प्रक्रिया थीके अनुसार नहीं

के अनुसार नहीं

इसके अनुसार

पक्षों की सहमति,

का समझौता

भाग; या

जब तक कि ऐसा समझौता न हो

पार्टियाँ, जब तक कि ऐसा न हो

(ख) न्यायालय ने पाया कि

एक के साथ संघर्ष में था

समझौता विवाद में था

((i) विषय वस्तु

इस भाग का प्रावधान

इस प्रावधान के साथ

जिन दलों से

जिस भाग से

विवाद सक्षम नहीं है

अपमानित नहीं कर सकते हैं,

या, पक्ष अवमूल्यन नहीं कर सकते हैं,

बंदोबस्त का

कानून के तहत मध्यस्थता

इस तरह के समझौते में विफल रहने पर,

या, इस तरह के असफल

इस समय के लिए

के अनुसार नहीं था

समझौता नहीं था

बल, या

इस भाग के साथ; या

इसके अनुसार

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार है -

भाग; या

जनता के साथ संघर्ष में

भारत की नीति।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

बिना (ख) न्यायालय ने पाया कि-(ख) न्यायालय ने पाया कि

स्पष्टीकरण।

व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह

((i) विषय-वस्तु

उपखंड (ii) का यह है

0 विषय वस्तु

एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि

विवाद सक्षम नहीं है

विवाद का नहीं है

में से

किसी भी संदेह से बचना,

द्वारा समझौता

द्वारा निपटान करने में सक्षम

कानून के तहत मध्यस्थता

कि एक पुरस्कार संघर्ष में है

कानून के तहत मध्यस्थता

सार्वजनिक नीति के साथ

इस समय के लिए

इस समय के लिए

भारत अगर का निर्माण

बल, या

बल, या

पुरस्कार प्रेरित किया गया था या धोखाधड़ी से प्रभावित या

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार है -

भ्रष्टाचार हुआ था या

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार है -

जनता के साथ संघर्ष में

धारा 75 का उल्लंघन या

जनता के साथ संघर्ष में

भारत की नीति।

भारत की नीति।

धारा 81।

व्याख्या 1: के लिए

(3) के लिए आवेदन

किसी भी संदेह से बचना, यह

अलग रखना नहीं हो सकता है

स्पष्टीकरण 1. — के लिए

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक पुरस्कार

तीन महीने बाद बनाया गया

किसी भी संदेह से बचना, यह

के साथ संघर्ष में है

से चला गया है

यह स्पष्ट किया जाता है कि एक पुरस्कार

भारत की सार्वजनिक नीति,

जिस तारीख को पार्टी

के साथ संघर्ष में है

केवल अगर,--

भारत की सार्वजनिक नीति,

उस आवेदन को बनाना

मध्यस्थता प्राप्त की थी

केवल अगर

((i) निर्माण

पुरस्कार या, यदि कोई अनुरोध है

पुरस्कार प्रेरित किया गया था

या

धोखाधड़ी से प्रभावित लोगों का निर्माण या

के तहत बनाया गया था

पुरस्कार प्रेरित किया गया था

धारा 33, तारीख से

या भ्रष्टाचार या था

जिस पर वह अनुरोध

धोखाधड़ी से प्रभावित या

धारा 75 का उल्लंघन

द्वारा निकाल दिया गया था

भ्रष्टाचार हुआ था या

या धारा 81; या

धारा 75 का उल्लंघन या

मध्यस्थ न्यायाधिकरण: बशर्ते कि यदि न्यायालय

धारा 81; या

((ii) यह उल्लंघन है।

संतुष्ट हैं कि

मूल के साथ

आवेदक को रोका गया था

((ख) वह

भारतीय कानून की नीति में है; या

के साथ उल्लंघन

पर्याप्त कारण से आवेदन करें

मौलिक नीति

((iii) इसके साथ विरोधाभास है

भारतीय कानून; या

उक्त अवधि के भीतर

सबसे बुनियादी धारणाएँ

तीन महीने हो सकते हैं

नैतिकता या न्याय।

आवेदन का मनोरंजन करें

((iii) इसके साथ विरोधाभास है

एक और अवधि के भीतर

सबसे बुनियादी धारणाएँ

व्याख्या 2: के लिए

तीस दिन, लेकिन नहीं

नैतिकता या न्याय।

संदेह से बचना,

इसके बाद।

जाँच करें कि क्या वहाँ के साथ एक उल्लंघन है

स्पष्टीकरण 2. — के लिए

(4) एक प्राप्त होने पर

मौलिक

आवेदन के तहत

संदेह से बचना,

भारतीय कानून की नीति

जाँच करें कि क्या वहाँ

उप-धारा (1),

ए का अर्थ नहीं होगा

के गुणों पर समीक्षा

न्यायालय जहाँ हो सकता है

के साथ एक उल्लंघन है

उचित है और ऐसा है

मौलिक नीति

विवाद।

भारतीय कानून नहीं करेगा

एक पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया,

(2 ए) एक मध्यस्थ पुरस्कार

कार्यवाही स्थगित करें

एक समीक्षा की आवश्यकता है

कुछ समय के लिए

विवाद के गुण।

से बाहर

उठ रहा है

इसके द्वारा क्रम में निर्धारित किया गया

इसके अलावा अन्य मध्यस्थताएँ

मध्यस्थ देने के लिए

(24) एक मध्यस्थ

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

से उत्पन्न होने वाला पुरस्कार

न्यायाधिकरण को एक अवसर

मध्यस्थताएँ भी हो सकती हैं

इसके अलावा अन्य मध्यस्थताएँ

मध्यस्थता फिर से शुरू करें

[2020] 11 एस. सी. आर. द्वारा अलग रखा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेने के लिए

न्यायालय, यदि न्यायालय पाता है

कि पुरस्कार दूषित हो गया है

ऐसी अन्य कार्रवाई जैसे कि

मध्यस्थताएँ भी हो सकती हैं

मध्यस्थ की राय

के द्वारा अलग रखा जाए

पेटेंट अवैधता द्वारा

न्यायाधिकरण समाप्त कर देगा

न्यायालय, यदि न्यायालय पाता है

दिखाई दे रहा है

चेहरे पर

अलग रखने के लिए आधार

कि पुरस्कार दूषित हो गया है

पुरस्कार के बारे में:

मध्यस्थ पुरस्कार।

पेटेंट अवैधता द्वारा

बशर्ते कि एक

चेहरे पर दिखाई देता है

पुरस्कार निर्धारित नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार:

केवल एक तरफ

बशर्ते कि एक पुरस्कार

एक गलत का आधार

अलग नहीं किया जाएगा

कानून का अनुप्रयोग या

केवल जमीन पर

के पुनर्मूल्यांकन द्वारा

सबूत।

एक गलत अनुप्रयोग कानून या द्वारा

पुनर्मूल्यांकन

सेटिंग के लिए एक आवेदन

सबूत।

एक तरफ नहीं किया जा सकता है तीन महीने बाद

(3) के लिए आवेदन

तारीख से चला गया

अलग रखना नहीं हो सकता है

जिस पर पार्टी

तीन महीने बाद बनाया गया

उस आवेदन को बनाना

से चला गया है

मध्यस्थता प्राप्त की थी

जिस तारीख को

पुरस्कार या, यदि कोई अनुरोध है

पार्टी ऐसा बना रही है

के तहत बनाया गया था

आवेदन प्राप्त हुआ था

धारा 33, तारीख से

मध्यस्थता पुरस्कार या, यदि

जिस पर वह अनुरोध

अनुरोध किया गया था

द्वारा निकाल दिया गया था

धारा 33 के अधीन,

मध्यस्थ न्यायाधिकरण:

जिस तारीख को अनुरोध किया था

हो चुका है

बशर्ते कि यदि न्यायालय

द्वारा निकाल दिया गया

संतुष्ट हैं कि

मध्यस्थता न्यायाधिकरण:

आवेदक को रोका गया था

बशर्ते कि यदि

पर्याप्त कारण से

न्यायालय संतुष्ट है कि

आवेदन करें

आवेदक

था।

उक्त अवधि के भीतर

रोका गया

द्वारा

तीन महीने हो सकते हैं

से पर्याप्त कारण

आवेदन का मनोरंजन करें

आवेदन करें

एक और अवधि के भीतर

उक्त अवधि के भीतर

तीस दिन, लेकिन नहीं

तीन महीने हो सकते हैं

इसके बाद।

आवेदन का मनोरंजन करें

(4) तीस दिनों की प्राप्ति पर, लेकिन नहीं

के तहत

आवेदन

इसके बाद।

द.

उप-धारा (1),

न्यायालय जहाँ हो सकता है

(4) एक प्राप्त होने पर

उचित है और ऐसा है

के तहत

आवेदन

एक पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया।

उप-धारा (1), न्यायालय

कार्यवाही स्थगित करें

वह कहाँ है?

हो सकता है,

कुछ समय के लिए

उचित है और ऐसा है

इसके द्वारा क्रम में निर्धारित किया गया

एक पक्ष द्वारा अनुरोध किया गया,

मध्यस्थ को ए ड्रॉलिया और अन्य v देने के लिए।

एनजी निगम [एन. वी. रमना, जे.]

कार्यवाही न्यायाधिकरण को एक अवसर के लिए स्थगित करें

मध्यस्थ

फिर से शुरू करें

कार्यवाही या लेने के लिए

अवधि

समय की बात

इसके द्वारा क्रम में निर्धारित। ऐसी अन्य कार्रवाई जैसे कि

मध्यस्थ की राय

देना है

मध्यस्थता

न्यायाधिकरण एक। न्यायाधिकरण को समाप्त कर देगा

अलग रखने के लिए आधार

मौका मिलता है

द.

मध्यस्थ पुरस्कार।

फिर से शुरू करें

मध्यस्थता कार्यवाही

(5) इसके तहत एक आवेदन

ऐसा लेने के लिए

या

अन्य कार्रवाई

यह धारा दाखिल की जाएगी

एक पार्टी द्वारा केवल उसके बाद

में

के रूप में

मध्यस्थ की राय

पूर्व सूचना जारी करना

करेंगे।

दूसरे पक्ष और

न्यायाधिकरण

इस तरह का आवेदन

द.

हटा दें।

अलग रखने के लिए आधार

साथ में होगा

द्वारा एक शपथ पत्र

मध्यस्थ

आवेदक का समर्थन

पुरस्कार।

उक्त का अनुपालन

(5) एक आवेदन

आवश्यकताएँ।

इस धारा के तहत केवल एक पक्ष द्वारा दाखिल किया जाए

(6) इसके तहत एक आवेदनयह खंड होगा

ए जारी करने के बाद

में से

निपटाया गया

दूसरे को पूर्व सूचना

पार्टी और इस तरह

शीघ्रता से, और

आवेदन करना होगा

कोई भी हो

घटना, एक के भीतर

उस तारीख से आवेदक द्वारा एक वर्ष की अवधि के शपथ पत्र के साथ

जिस सूचना का उल्लेख किया गया है

अनुपालन

समर्थन करना

उक्त आवश्यकता के साथ।

उप-धारा (5 5)) में है

दूसरे की सेवा करते हुए

(6) इसके तहत एक आवेदन

पार्टी।

यह खंड होगा निपटाया गया

में से

शीघ्रता से, और

कोई भी घटना,

एक अवधि के भीतर

तारीख से वर्ष

जिसे नोटिस में संदर्भित किया गया था उप-धारा (5) में है

दूसरे की सेवा करते हुए

पार्टी।

च विधायिकाओं को धारा 34 का प्रावधान करने के लिए

एक सफलता के बजाय पुरस्कार की सीमित समीक्षा करें। एक पक्ष जो एक पुरस्कार पर आपत्ति करने का इरादा रखता है, वह धारा 34 (1) के तहत आवेदन है जो [2020] 11 एस. सी. आर. को दर्शाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार और अन्य आवश्यक प्रतियों के साथ आपत्तियाँदस्तावेज़, जो निम्नलिखित आधारों को पूरा करने के लिए प्रमाण के रूप में आवश्यक हैं

अधिनियम, जिसमें विफल रहने पर अपील को निरर्थक माना जाता है। सीमा। धारा 34 (3) के तहत निर्धारित आपत्ति दर्ज करने के अधिकार के साथ बाध्य है। धारा 34 के तहत दायर आपत्तियां अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधारों से संबंधित होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 34 के तहत कई सीमाओं का प्रावधान करना विधायी इरादा है, जिनका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है ताकि भारतीय मध्यस्थता को समयबद्ध और उसी का विकल्प चुनने के लिए व्यावसायिक रूप

से विवेकपूर्ण बनाया जा सके। अधिनियम की धारा 37, धारा 34 के आदेश के साथ-साथ कुछ अन्य निर्दिष्ट आदेशों के खिलाफ सीमित अपील का प्रावधान करती है।

26. अधिनियम की धारा 45 का पालन करना महत्वपूर्ण है, जो प्रदान करता है

एक न्यायिक प्राधिकरण जिसके पास अधिनियम का भाग II लागू होने पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने की शक्ति है, निम्नलिखित तरीके से:

धारा 45 पूर्व में

धारा 45 के बाद

धारा 45 के बाद

2016 का अधिनियम 3

2016 का अधिनियम 3

2019 का अधिनियम 33

न्यायपालिका की शक्ति

न्यायपालिका की शक्ति

न्यायपालिका की शक्ति

संदर्भित करने का अधिकार

संदर्भित करने का अधिकार

संदर्भित करने का अधिकार

मध्यस्थता के पक्षकार।

मध्यस्थता के पक्षकार।

मध्यस्थता के पक्षकार।

किसी भी बात के बावजूद

किसी भी बात के बावजूद

किसी भी बात के बावजूदभाग I या में निहित

भाग I या में निहित

भाग I या में निहित

सिविल संहिता

सिविल संहिता

सिविल संहिता

प्रक्रिया, 1908 (के 5)

प्रक्रिया, 1908 (प्रक्रिया, 1908 का 5)

1908) , एक न्यायिक

1908) , एक न्यायिक

1908) , एक न्यायिक

अधिकार, जब जब्त किया जाता है

अधिकार, जब जब्त किया जाता है

अधिकार, जब जब्त किया जाता है

किसी मामले में कार्रवाई

किसी मामले में कार्रवाई

किसी मामले में कार्रवाई

जिनका सम्मान करते हुए

जिनका सम्मान करते हुए

जिसके संबंध में

दलों ने एक

दलों ने एक

दलों ने एक

में निर्दिष्ट समझौता

में निर्दिष्ट समझौता

में निर्दिष्ट समझौताधारा 44 में,

धारा 44 में,

धारा 44 में,

एक का अनुरोध

एक का अनुरोध

एक का अनुरोध

पार्टियाँ या कोई भी व्यक्ति

पार्टियाँ या कोई भी व्यक्ति

पार्टियाँ या कोई भी व्यक्ति

के माध्यम से या उसके तहत दावा करना

के माध्यम से या उसके तहत दावा करना

के माध्यम से या उसके तहत दावा करना

उसे, पक्षों को संदर्भित करें

उसे, पक्षों को संदर्भित करें

उसे, पक्षों को संदर्भित करें

मध्यस्थता, जब तक कि यह न पाए

मध्यस्थता, जब तक कि यह न पाए

मध्यस्थता, जब तक कि यह

कि उक्त समझौता है

कि उक्त समझौता है

प्रथम दृष्टया पता चलता है कि

शून्य और शून्य, निष्क्रिय

शून्य और शून्य, निष्क्रिय

कहा गया समझौता अमान्य है और

शून्य, निष्क्रिय

या होने में असमर्थ

या होने में असमर्थ

या

प्रदर्शन किया।

होने में असमर्थ

प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन किया।

विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

27. मध्यस्थता की वर्तमान संरचना ऐसी है कि न्यायालयों को मध्यस्थता में सहायता और समर्थन करना है और निर्णय का मूल हिस्सा मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि कानून के शासन के अनुरूप न्यायिक तंत्र मूल रूप से गैर-न्यायिक/मध्यस्थ तंत्र के विपरीत हो सकता है जो इसलिए कम औपचारिक है। लेकिन हमारी समझ यह है कि कानून के शासन के साथ तनाव कम है

आलोचकों की कल्पना की तुलना में मध्यस्थता, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही लक्षय की पूर्ति करना है- न्याय की खोज।

28. अधिनियम के एक स्पष्ट अध्ययन पर, जब भी पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वे अपने विवाद को हल करने के लिए एक उपयुक्त न्यायिक मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि पक्षों ने विचार किया है

मध्यस्थता समझौता, फिर वे मामले को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब वे गैर-न्यायिक तरीका चुन लेते हैं, तो एक पक्षकार

पुरस्कार से व्यथित व्यक्ति को धारा 34 और 37 (अपील अधिकार क्षेत्र) के तहत न्यायिक संस्थानों से संपर्क करने का मौका मिलता है, यदि पुरस्कार इसके तहत दिए गए आधारों का उल्लंघन करता है।29. इस समझ के साथ, हमें विवाद को समझने के लिए इस न्यायालय के कुछ उदाहरणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। द.

बहस शुरू करने वाला मामला कोंकण रेलवे निगम का था। लिमिटेड वी. मेहूल कंस्ट्रक्शन कं., (2000) 7 एस. सी. सी. 201, जिसमें इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 'मुख्य न्यायाधीश' की उपयोगिता पर जोर दिया कि मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति एक प्रशासनिक कार्रवाई थी। द.

उपरोक्त मामले में निर्धारित प्रस्ताव की पुष्टि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने की थी।वी. रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2002) 2 एस. सी. सी. 388। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी को उद्धृत करना प्रासंगिक हो सकता है:

" 21. यह भी हो सकता है कि किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश ने एक मध्यस्थ को नामित किया हो, हालांकि तीस दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। यदि ऐसा है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुचित रूप से गठित किए गए हैं और अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके बाद यह पीड़ित पक्ष के लिए खुला होगा कि वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण से अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की अपेक्षा करे। धारा 16 में इसका प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में फैसला दे सकता है। कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण किसी भी आपत्ति पर निर्णय दे सकता है

मध्यस्थता के अस्तित्व या वैधता के संबंध में समझौता "दर्शाता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार

धारा 16 के तहत इसके [2020] 11 एस. सी. आर. की चौड़ाई तक सीमित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्राधिकार, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था

अपीलार्थी, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के मूल तक जाता है। वहाँ

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा कि इसका गठन गलत तरीके से किया गया थाइस तथ्य का कि मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश ने नामित किया था

एक मध्यस्थ हालांकि तीस दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई थी

और इसलिए, इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(जोर दिया गया)

30. पुनः, उपरोक्त निर्णय को सात में संदर्भित किया गया।

ई. एस. बी. पी. एंड कंपनी में बेंच v. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2005) 8 एससीसी

जिसमें बहुमत न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन ने लिखा था।

एक अल्पमत असहमति न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर की थी।

31. बहुमत की राय ने निष्कर्ष निकाला कि संदर्भ की शक्ति

धारा 11 निम्नलिखित कारणों से एक न्यायिक कार्य है:

सबसे पहले, धारा 11 की उप-धारा (7) निर्णय करती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अंतिम। सामान्य रूप से इस तरह का अंतिम निर्णय

निश्चित रूप से यह एक न्यायिक निर्धारण होगा।दूसरा, सर्वोच्च को शक्ति सौंपने का कारण

राज्य या देश में न्यायिक प्राधिकरण, विश्वसनीयता प्रदान करना है।

प्रक्रिया के लिए। तीसरा, किसी व्यक्ति पदनाम की शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

जब तक कि ऐसी शक्ति न्यायिक शक्ति न हो।

चौथा, धारा 8 और 11 पूरक हैं और इसका दायरा

शक्ति एक ही है।

पाँचवाँ, कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत, जैसा कि नीचे निहित है

धारा 16, केवल तभी खेलेगी जब पक्ष संपर्क करेंगे

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत जांच की जा रही हैसंविधान का अनुच्छेद 226।

मुख्य न्यायाधीश की सीमा संतुष्टि, उसी से पहले है एक मध्यस्थता के लिए संदर्भित।

आठवाँ, पक्षों के लिए विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम पर मध्यस्थता करना एक व्यर्थ की कवायद होगी।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

अधिकारिता, केवल यह पता लगाने के लिए कि न्यायाधिकरण के पास पर्याप्त नहीं था

मध्यस्थता का मनोरंजन करने के लिए अधिकारिता।

32. अल्पमत का मानना है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्य न्यायिक के बजाय प्रशासनिक था, निम्नलिखित कारणों से:

पहला, केवल इसलिए कि कोई निर्णय किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, यह निष्कर्ष निकालने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि कार्य न्यायिक है। दूसरा, धारा 11 (7) के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय की अंतिमता केवल मध्यस्थ की योग्यता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता जैसे मामलों को संदर्भित करती है। उपरोक्त करता है

यह आवश्यक नहीं है कि निर्धारण न्यायिक या अर्ध-न्यायिक हो। तीसरा, धारा 16 कालानुक्रमिक प्राथमिकता के नियम को बताती है।

पुरस्कार प्रदान करने के बाद। पाँचवाँ, धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश पर एक कर्तव्य डाला गया है

11 (6) ' निष्पक्ष रूप से कार्य करना '।

हमारे विचार में, उपरोक्त मामला न्यायिक या प्रशासनिक कर्तव्य की अस्पष्ट अवधारणा में बहुत अधिक फंस गया था, और इसकी कमी है।

न्यायिक जांच के उपयुक्त मानकों पर अवलोकन या किसी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते समय न्यायालय को किन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

33. शिन में-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम। अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड,

(2005) 7 एस. सी. सी. 234, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 45 के दायरे का फैसला किया, जो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के प्रावधान से संबंधित है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अधिनियम की धारा 45 के दायरे को तय करते हुए, न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल, जैसा कि वे उस समय थे, ने अपनी राय में कहा कि मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से पहले, मामले को जब्त करने वाले न्यायिक मंच को समझौते की वैधता और अस्तित्व पर पूरी तरह से निर्णय लेना चाहिए। प्रथम दृष्टया मानक, जिसे न्यायालय ने दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त करते हुए पाया, धारा 45 की वैधानिक भाषा के रूप में लागू नहीं किया जा सका, जैसा कि यह मौजूद था, इस तरह के मानक का समर्थन नहीं करता था। आवश्यक हो सकता है कि

न्यायमूर्ति सभरवाल की राय के कुछ अंशों का अवलोकन करें:

" 55. मैं अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए इस तर्क पर भी विचार कर सकता हूं कि धारा 45,48 और 50 के संयुक्त पठन पर केवल प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दिए जाने की आवश्यकता है जिससे वह [2020] 11 एस. सी. आर. कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह माना जा सकता है कि एक पार्टी जिसे हमेशा एक पुरस्कार का सामना करना पड़ा है

धारा 48 के तहत इस आधार पर चुनौती दें किमध्यस्थता समझौता अमान्य है। यह धारा 50 के तहत दिए गए अपील के अधिकार और की शक्ति के संयोजन में पढ़ा जाता है

अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थ स्पष्ट रूप से दर्शाता है देरी से बचने के लिए विधायिका का इरादा जो अपरिहार्य होगा यदि यह एक अंतिम निर्णय होना है और यह जल्द ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सभी सामग्री रखने के उद्देश्य को विफल कर देगा। मुझे डर है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 48 का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी स्तर पर चाहे वह पूर्व-निर्णय हो, पद-निर्णय हो या दोनों, एक न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता समझौते की वैधता, संचालन, प्रदर्शन की क्षमता तय करनी चाहिए। विभिन्न मामलों में पार्टियां पहली जगह में धारा 45 का सहारा नहीं ले सकती हैं, और ऐसी संभावना को दूर करने के लिए, विधायिका ने धारा को अधिनियमित किया है

यह कहने का आधार है कि अदालत को धारा 45 के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रथम दृष्टया समझौते की वैधता का फैसला करना चाहिए। विधायिका ने इस स्थिति में अपील करने का अधिकार प्रदान किया हैसंदर्भित करने से इनकार लेकिन आदेश दिए जाने की स्थिति में नहीं

मध्यस्थता के लिए पक्षों का संदर्भ। अपील के लिए यह प्रावधान है

धारा 45 के दायरे का निर्धारक नहीं है जिसका अर्थ है कि

इसके तहत निर्धारण केवल प्रथम दृष्टया होना चाहिए।

दूसरी ओर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा ने कहा कि भाषा

धारा 8 और 45 अलग-अलग हैं, जिसमें न्यायिक प्राधिकरण है -

धारा 45 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए कहा गया है, यदि वह विद्या ड्रॉलिया और अन्य v पाता है।

उर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

यह समझौता 'अमान्य, निष्क्रिय या निरस्त होने में असमर्थ' है। उन्होंने आगे कहा कि की पूर्व विसेरिबस व्याख्या45 स्पष्ट रूप से एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी, यदि कुछ कारण हों, तो न्यायमूर्ति बी. एन. के तर्क से सहमत थे।

इशना, निम्नलिखित तरीके से:

" 111. उन दोनों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं सहमत होने के लिए इच्छुक हूं।विद्वान भाई श्रीकृष्ण, जे. द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के साथ, लेकिन केवल एक सवार और आंशिक रूप से अलग कारण के साथ जो मैं बता सकता हूं

नीचे:

मुख्य मुद्दा धारा 45 के तहत एक नियमित दीवानी अदालत सहित किसी भी न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति के दायरे के बारे में है। विवाद के संदर्भ को बनाने या अस्वीकार करने में अधिनियम

प्रावधानों द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता

1996 के अधिनियम के भाग III अध्याय I में निहित। मैं विद्वान भाई श्रीकृष्णा, जे. से सम्मानपूर्वक इस हद तक सहमत हूं कि यदि मध्यस्थता समझौते सहित अभिलेख पर दस्तावेजों और सामग्री की प्रथम दृष्टया जांच करने पर, जिस पर किसी एक पक्ष द्वारा संदर्भ के लिए अनुरोध किया जाता है, न्यायिक प्राधिकरण या अदालत एक संदर्भ देने का निर्णय लेती है, तो वह केवल पक्षों की दलीलों और दलीलों का उल्लेख कर सकती है और कथित शून्यता, शून्यता पर उठाई गई आपत्ति पर संक्षेप में निर्णय ले सकती है।

मध्यस्थता समझौते की निष्क्रियता या अक्षमता। हालाँकि, मामले के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के मामले में, जिसे सामग्री के आधार पर निष्पक्ष रूप से लिया जाना आवश्यक है और

मामले के अभिलेख पर पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्षय, एक नियमित दीवानी अदालत सहित न्यायिक प्राधिकरण, अस्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

इस आधार पर संदर्भ के लिए अनुरोध कि समझौता अधिनियम की धारा 45 के अर्थ के भीतर "अमान्य" या "निष्क्रिय" या "निष्पादित करने में असमर्थ" है, न्यायिक प्राधिकरण या न्यायालय को पक्षों को जो भी दस्तावेजी या मौखिक साक्षय का नेतृत्व करने का पूरा अवसर देना चाहिए और

फिर प्रारंभिक मुद्दे के परीक्षण जैसे प्रश्न का निर्णय करेंएक नियमित दीवानी मुकदमे में अधिकार क्षेत्र या सीमा और एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। जहां कोई न्यायिक प्राधिकरण या अदालत अधिनियम की धारा 45 के तहत उपलब्ध आधारों पर निर्देश देने से इनकार करती है, तो न्यायिक प्राधिकरण या अदालत के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना आवश्यक है क्योंकि यह [2020] 11 एस. सी. आर. की धारा 50 (1) (ए) के तहत अपीलीय अदालत में अपील के अधीन है।

34. , (2007)

उर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

उपरोक्त पैरा में इंगित किया गया था कि यह उचित होगा

कभी-कभी लाइव दावे के बारे में सवाल छोड़ने के लिए

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया। उसे बस रिकॉर्ड करना है।

उनका संतोष कि पक्षों ने अपने अधिकारों को बंद नहीं किया है और

मामले को सीमा द्वारा बाधित नहीं किया गया है। इस प्रकार, जहाँ प्रमुख

न्याय एक निष्कर्ष पर आता है कि एक जीवित मुद्दा मौजूद है, तो स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष में एक निष्कर्ष शामिल होगा कि संबंधित दावे

पक्षकार सीमितता से वर्जित नहीं हुए हैं।

35. अगली न्यायशास्त्रीय छलांग राष्ट्रीय न्यायपालिका द्वारा प्रदान की गई थी।

रेंस कंपनी लिमिटेड v. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड, 9) 1 एस. सी. सी. 267, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 19. एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड [(2005) 8 एससीसी 618], ए सात-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने धारा के दायरे पर विचार किया

11 अधिनियम की और यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 11 की योजना

मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को यह तय करने की आवश्यकता थी कि क्या

इससे पहले अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता है

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना और प्रभाव। ... .इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पीपी। 660-61 & 663 , पैरा

39 & 47)

" 39 ..... उसे तय करना है कि कोई मध्यस्थता है या नहीं।

अधिनियम में परिभाषित समझौते और क्या वह व्यक्ति जो

उसके सामने अनुरोध किया है, इस तरह के एक पक्ष है

समझौता। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह भी निर्णय ले सकता है।सवाल यह है कि क्या दावा एक मृत था; या

क्या पक्षों ने लेन-देन का समापन किया है अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करना

या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके। ..... के लिए

इन पहलुओं पर निर्णय लेने का उद्देश्य, प्रमुख

न्याय या तो शपथपत्रों के आधार पर आगे बढ़ सकता है और

ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं या ऐसे सबूत लेते हैं या ऐसे दस्तावेज प्राप्त करते हैं साक्षय, जो आवश्यक हो, अभिलिखित किया जाए। .....

(जोर दिया गया)

22. जहाँ नियुक्ति के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा जाता है।

धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के कर्तव्य को एस. बी. पी. एंड कंपनी [(2005) 8 एस. सी. सी. [2020] 11 एस. सी. आर. में परिभाषित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

618] इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक मुद्दों की पहचान की और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात्, (i) ऐसे मुद्दे जिनका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति करने के लिए बाध्य है; (ii) ऐसे मुद्दे जिनका वह निर्णय भी कर सकता है, यानी ऐसे मुद्दे जिनका वह निर्णय करने का विकल्प चुन सकता है; और (iii) ऐसे मुद्दे जिन्हें निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

22.1 जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैं:(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है, इस तरह के समझौते का एक पक्ष है। 22.2 जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है (या उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ सकता है) वे हैं:

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या एक जीवित दावा है।

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

23. अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है जैसा कि इसके द्वारा समझाया गया है।एस. बी. पी. एंड कंपनी. [(2005) 8 एस. सी. सी. 618] में न्यायालय ने कहा कि दूसरी श्रेणी के तहत आने वाले मुद्दों के संबंध में, यदि अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी भी आवेदन में उठाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति निर्णय ले सकता है।

यदि आवश्यक हो, तो सबूत लेकर। वैकल्पिक रूप से, वह उन मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय लेने के निर्देश के साथ खुला छोड़ सकता है। यदि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति चुनता है -

इस मुद्दे की जांच करें और इसका फैसला करें, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

एक ही मुद्दे की फिर से जांच नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश/उनके

यह चुनने में कि क्या वह इस तरह के मुद्दे का फैसला करेगाया इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दें, के उद्देश्य से निर्देशित हों

अधिनियम (जो न्यूनतम न्यायिक प्रक्रिया के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया में तेजी ला रहा है)

हस्तक्षेप)। जहाँ जालसाजी/मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। पूर्ण रूप से अनुबंध के निर्वहन को दर्ज करने वाले दस्तावेज़ के संबंध में

और अंतिम समझौता, यह उचित होगा यदि मुख्य न्यायाधीश / उसका नामित व्यक्ति इस मुद्दे का फैसला करता है।

(जोर दिया गया)

36. क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर

, (2013) 1 एस. सी. सी. 641, इस न्यायालय को व्याख्या करनी पड़ी

एक बहु-पक्षीय मध्यस्थता में धारा 45। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 84. यह मुद्दा कि क्या अदालतों को समीक्षा करने का अधिकार है इससे पहले मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता

संदर्भ अधिक विवादास्पद है। अधिकांश देश स्वीकार करते हैं

कोम्पेटेंज़कोम्पेटेंज़ सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव के लिए, जो यह आवश्यक है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को इस पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व या वैधता रोक नहीं पाएगीमध्यस्थ न्यायाधिकरण सुनवाई और निर्णय के साथ आगे बढ़ने से

इसकी अधिकारिता। यदि यह अधिकार क्षेत्र बनाए रखता है, तो उस पर एक पुरस्कार देनाबिना प्रतीक्षा किए विवाद का सार स्वीकार्य होगा।

के मुद्दे को तय करने के उद्देश्य से किसी भी अदालती कार्रवाई का परिणाम

अधिकार क्षेत्र। कोम्पेटेंज़कोम्पेटेंज़ का नकारात्मक प्रभाव

सिद्धांत यह है कि मध्यस्थ निर्धारित करने वाले पहले व्यक्ति होने के हकदार हैं

उनकी अधिकारिता जिसकी बाद में न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, जब

मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने या अलग रखने की कार्रवाई है। कहाँ का विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं है, अदालत को भी होना चाहिए

अधिकारिता को अस्वीकार करें जब तक कि मध्यस्थता समझौता नहीं है

स्पष्ट रूप से शून्य, निष्क्रिय या प्रदर्शन करने में असमर्थ।"

(जोर दिया गया)

37. अरास्मेटा कैप्टिव पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

फ़ार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड, (2013) 15 एस. सी. सी. 414, इस न्यायालय को जवाब देना था

क्लोरो नियंत्रण मामले के बीच संघर्ष के बारे में मुकदमा आर. ए.) और एस. बी. पी. मामला (ऊपर), जिसे न्यायालय ने

पंखों का ढंग:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 2. हमने कानून के उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनी राय शुरू की है क्योंकि अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने अभिनव बौद्धिक एनीमेशन के साथ बहस का प्रचार किया है कि कैसे क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड में तीन-न्यायाधीशों की पीठ बनाम। सेवर्न ट्रेंट जल शोधन आई.

एन. सी., (2013) 1 एस. सी. सी. 641 ने एस. बी. पी. एंड कंपनी. v. में एक बड़ी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के प्रमुख भाग में बताए गए सिद्धांतों को अनुचित और गलत तरीके से समझा है। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618 और, इसके विरोध में, श्री हरीश साल्वे और डॉ. ए. एम. सिंघवी, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील, ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बाद में व्यक्त किए गए विचार का बचाव करते हुए, कानून की स्थिरता और निश्चितता पर बहुत जोर दिया है जो जनता का विश्वास बढ़ाता है, विशेष रूप से मध्यस्थता के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और न्यायशास्त्र की अवधारणाओं और मध्यस्थता की व्यावहारिक प्रक्रिया की स्थिरता के संबंध में जो मध्यस्थता की प्रक्रिया को जगमगाती है।

हम अपने वर्णन के क्रम में भूलभुलैया को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि निश्चितता "एक निश्चित" बनी रहे और अंतिमता "अंतिम" हो।इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने इस प्रकार उत्तर दिया:

" 40. उपरोक्त अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट है कि एस. बी. पी. [एस. बी. पी. एंड कंपनी. वी.] में बड़ी पीठ। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] ने मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद, अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए, निर्णय के पैरा 39 में इसका सटीक अर्थ क्या है, इसे परिभाषित करना उचित समझा है। बहुमत, अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो पूरी तरह से सचेत था कि यह

ऐसा कहने की आवश्यकता थी और इसलिए, उसने ऐसा किया। कोंकण रेलवे निगम में निर्णय के रूप में विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। लिमिटेड वी. रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड [(2002) 2 एस. सी. सी. 388] जहाँ संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि द्वारा पारित एक आदेश

धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश एक प्रशासनिक आदेश है।

और न्यायिक नहीं और उस संदर्भ में, पीठ ने कई पैराग्राफ में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका के बारे में बताया।

या उसका पदनाम। श्री रंजीत कुमार ने जिन वाक्यांशों पर जोर दिया है, यह अपरिवर्तनीय रूप से कहा जा सकता है कि उन्हें निर्णय के अनुपात निर्णय के प्रमुखता में नहीं लाया जा सकता है। उस पर जो जोर दिया गया है वह अभिनव हो सकता है लेकिन जब विद्वान न्यायाधीश विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

स्वयं ने पैरा 39 में अनुपात का निर्धारण किया है, यह है

विवादों की मध्यस्थता से संबंधित। या बहिष्कृत मामलों पर अपनी राय व्यक्त करना। सिलोजिस्टिक प्रक्रिया द्वारा इस तरह के निष्कर्ष से इस में विकसित न्यायशास्त्र में तबाही की शुरुआत होने की संभावना है। मैदान। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि एक चुनना उचित नहीं है

निर्णय से यहाँ और वहाँ से पंक्ति या एक चुनने के लिए

इसे "अनुपात निर्णय" की स्थिति तक बढ़ाने के लिए यहाँ या वहाँ से अवलोकन। यह सबसे अधिक संभावना है कि किसी को रास्ते पर खड़ा कर देगा

एस. बी. पी. [एस. बी. पी. एंड कंपनी। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618], हमारी राय में, दोनों द्वारा सही ढंग से समझा गया है-न्यायाधीशबोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड [राष्ट्रीय बीमा कंपनी।

लिमिटेड वी. सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641] और हम सम्मानपूर्वक उसी से सहमत हैं। हम इस निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि एस. बी. पी. [एस. बी. पी. एंड कंपनी. वी.] में की गई कुछ टिप्पणियों के लिए उक्त निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] पर ध्यान नहीं दिया गया। हम जल्दबाजी में जोड़ सकते हैं

कि तीन न्यायाधीशों की पीठ का समाधान हो गया है कि अनुपात

एस. बी. पी. [एस. बी. पी. एंड कंपनी. v. में निर्णय का निर्णय। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] वास्तव में अनुच्छेद 39 में निहित है।

फैसला "।

38. डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम में यह न्यायालय। गंगावरम बंदरगाह,

7) 9 एस. सी. सी. 729, निम्नानुसार आयोजित किया गया:

(न्यायमूर्ति भानुमति)

" 20 ..... चूंकि 2016 में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए धारा 11 की उप-धारा (6-ए) का कटौती प्रावधान उन प्रावधानों को नियंत्रित करेगा जिनके अनुसार न्यायालय की शक्ति केवल जांच करने तक ही सीमित है।

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ)

" 59. 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का दायरा एस. बी. पी. और कंपनी में निर्णयों को देखते हुए काफी व्यापक था।

[एस. बी. पी. एंड कं. वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] और बोघारा पॉलीफैब [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा

पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267]। यह स्थिति बनी रही। 2015 में लाए गए संशोधन तक। इसके बाद

संशोधन, अदालतों को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्यामध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं।

विधायी नीति और उद्देश्य अनिवार्य रूप से कम करना है।

नियुक्ति के चरण में न्यायालय का हस्तक्षेप मध्यस्थ और यह इरादा धारा 11 (6) में शामिल है।

ए) सम्मान किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

39. हालांकि, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

नरभेरम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ("ओरिएंटल इंश्योरेंस") (2018) 6 एस. सी. सी. 534, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, वल्कन इंश्योरेंस बनाम. महाराज सिंह, (1976) 1 एस. सी. सी. 943 ने विवाद की मध्यस्थता की जांच करने के बाद अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन को खारिज कर दिया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय ने इस मामले में अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

40. इसी तरह, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,

(" हुंडई इंजीनियरिंग ") (2018) 17 एस. सी. सी. 607, न्यायालय ने विवाद की मध्यस्थता के साथ-साथ यह भी जांच की कि क्या विवाद इसके दायरे में आता है।

ओरिएंटल बीमा (ऊपर) में निर्णय पर भारी निर्भरता रखते हुए एक अपवादात्मक मामले का दायरा। ये दोनों मामले, आवश्यक रूप से, तथ्यों और परिस्थितियों तक ही सीमित होने चाहिए मामला।

41. इसके अलावा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।

एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("एंटीक आर्ट्स"), (2019) 5 एस. सी. सी. 362, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक कार्यवाही में डचूरो फेलगुएरा (ऊपर) में होल्डिंग को इस आधार पर अलग किया कि वही

संशोधित के प्रभाव के बारे में केवल एक सामान्य अवलोकन था

प्रावधान और यह कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर अलग था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामितों के साथ धारा 11 के तहत शक्ति एक न्यायिक शक्ति है न कि एक प्रशासनिक शक्ति।

कार्य, इसलिए कुछ हद तक न्यायिक हस्तक्षेप छोड़ते हैं। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब प्रथम दृष्टया विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम की जांच करने की बात आती है।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, यह सुनिश्चित करना हमेशा आवश्यक है

ताकि विवाद समाधान प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो। इस आधार पर, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक कार्यवाही में, निर्वहन वाउचर के निष्पादन और समझौते और संतुष्टि द्वारा दावे के निपटारे के प्रभाव का विश्लेषण किया। यह पता लगाने पर कि दावे का निपटारा सहमति और संतुष्टि से किया गया है, न्यायालय ने कहा कि समझौते के तहत कोई विवाद नहीं था जिसे निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजा जाना था।

42. मायावती ट्रेडिंग प्रा. लि. लिमिटेड वी. प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एस. सी. सी. 714, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने प्राचीन कला मामले (उपरोक्त) को खारिज करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 10. यह स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें यह जानना शामिल होता कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। यह स्थिति होने के कारण, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v.

एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 362], धारा 11 (6-ए) के रूप में एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थों में समझा जाना चाहिए जैसा कि डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. [डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729]-पैरा 48 और 59 देखें। : डचूरो फेलगुएरा का उक्त पैरा 48 और 59, एसए बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729, तैयार संदर्भ के लिए, निम्नानुसार है: 48 . 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 11 (6-ए) इस प्रकार है: 11 . (6- ए) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, जबकि

उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते हुए, किसी भी निर्णय के बावजूद, किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश, एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित है। (जोर दिया गया)

धारा 11 (6-ए) के अध्ययन से, विधायिका का इरादा स्पष्ट है अर्थात न्यायालय को केवल एक पर विचार करना चाहिए और इसकी आवश्यकता है।

पहलू-एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। अगला सवाल यह है कि यह तय करने के लिए कौन से कारक हैं कि मध्यस्थता समझौता है या नहीं। इसका समाधान सरल है-यह देखने की आवश्यकता है कि क्या समझौते में एक खंड है जो [2020] 11 एस. सी. आर. के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है।

*** 59. ”] .

11.

(

43.

1 .

2 .

3 .

44.

45.

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहले स्वयं न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बारे में किसी भी आपत्ति पर गौर करने की आवश्यकता होती है। यह इस तथ्य के कारण है कि यदि कोई गेटकीपिंग तंत्र नहीं है तो पक्षकार कार्यवाही का दुरुपयोग और विस्तार कर सकते हैं, कि विधायिका को एक संतुलन मिला है, जिसमें न्यायालय को प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की वैधता की जांच करने की आवश्यकता है।

46. इस संदर्भ में, हमें अधिनियम की धारा 8 के तहत होने वाले 'मध्यस्थता समझौते की वैधता' के अर्थ की जांच करने की आवश्यकता है। वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत जांच की जाने वाली 'वैधता' की व्याख्या अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यक्त औपचारिक वैधता के रूप में की जा सकती है। इस तरह की व्याख्या धारा 16 के नकारात्मक पहलू के पूर्ण अनुप्रयोग के रूप में काम करेगी, क्योंकि न्यायालय की अधिकारिता संदर्भ स्तर पर कदम उठाने के लिए सीमित होगी। हालांकि, पूर्ववर्तियों का बोझ हमें इस तरह की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार करने से रोकता है।

47. यह हमें इस मुद्दे पर लाता है कि क्या 'मध्यस्थता' के मुद्दे का न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत विश्लेषण किया जा सकता है?

48. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'मनमानेपन' ने दुनिया भर में विभिन्न अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय को भारतीय संदर्भ में इसके अर्थ को पहचानने के लिए पहले उपरोक्त शब्द के विभिन्न अर्थों की पहचान करने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, "मध्यस्थता" शब्द का एक उचित रूप से सटीक और सीमित अर्थ है, जो इस बात से संबंधित है कि क्या राष्ट्रीय कानून या न्यायिक प्राधिकरण के कारण विवादों के विशिष्ट वर्गों को मध्यस्थता से रोक दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, मध्यस्थता अदालतों और मध्यस्थों के बीच जटिल संतुलन को भी संदर्भित करती है कि मध्यस्थता समझौते की वैधता जैसे मुद्दों पर प्रारंभिक निर्णय निर्माता कौन होना चाहिए। इन दो अर्थों में से, हम अंतरराष्ट्रीय स्वाद को स्वीकार करते हैं, जो कि एक पोषित विधायी इरादा है, अर्थात मध्यस्थता अधिनियम को लाने के लिए।

वैश्विक मार्च को सुनें। मध्यस्थता के अर्थ का पता लगाने के बाद, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

न्यायालय संदर्भ स्तर पर।

49. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता मध्यस्थता समझौते की वैधता के साथ एक करीबी संबंध पाती है, फिर भी हमें इसकी अनूठी प्रकृति का पालन करने की आवश्यकता है।

मध्यस्थता समझौता, जो संविदात्मक और क्षेत्राधिकार तत्वों का एक समूह है। भले ही एक न्यायाधिकरण यह समझ में आता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ विषय मामले स्वयं मध्यस्थ हैं। इस अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

[2020] 11

50.

51.

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

मामला मध्यस्थता द्वारा हल करने में असमर्थ था। न्यायालय ने उपरोक्त आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि:

मेरे विचार में यह परिच्छेद एक निष्कर्ष के बराबर है कि एक दोषसिद्धि कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न तत्व नहीं है। भेद यह है कि

महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई दोषसिद्धि बीमाकर्ता के खिलाफ वसूली के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त थी, लेकिन इस बात का कोई कारण नहीं होगा कि मध्यस्थ को इस तरह के दावे का निर्धारण नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या शर्त पूरी हो गई है या नहीं। दूसरी ओर, वह औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता है।

आपराधिक अपराध।

यह न्यायालय क्षेत्राधिकार संबंधी मतभेदों को पहचानता है और

इंग्लैंड और भारत के बीच विशिष्टता, उसी पर निर्भरता रखते हुए। हालांकि, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सार्वजनिक नीति की याचिका को विशेष रूप से पहचाना जाना चाहिए, अनुरोध किया जाना चाहिए और इस संबंध में दिखाया जाना चाहिए कि पुरस्कार कैसे सार्वजनिक नीति के विपरीत है। यह संभव हो सकता है कि एक प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित कुछ दावे हो सकते हैं, जो विशेष रूप से सार्वजनिक नीति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं या जिनका सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है, तो संदर्भ के स्तर

पर इसका निर्धारण करना बहुत जल्दी होगा क्योंकि इसके लिए वर्तमान मुद्दे की पूरी जांच की आवश्यकता होगी, जो पहले न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए जाने और उसके बाद प्रवर्तन के स्तर पर देखे जाने के लिए अधिक उपयुक्त है।

52. इस हद तक, यहां तक कि यह न्यायालय भी एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड बनाम। एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड, सिविल अपील सं. 5145 2016 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

" 16. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, अनुच्छेद 27 (vi)

कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड, (2010) 8 एस. सी. सी. 24] और पैराग्राफ 36 (i)बूज़ ऐलन [बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस

लिमिटेड, (2011) 5 एस. सी. सी. 532, को अब राइडर के अधीन पढ़ा जाना चाहिए कि तथ्यों के एक ही सेट से दीवानी और आपराधिक कार्यवाही हो सकती है।

और यदि यह स्पष्ट है कि किसी नागरिक विवाद में धोखाधड़ी के प्रश्न शामिल हैं,

गलत निरूपण, आदि जो अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के तहत ऐसी कार्यवाही का विषय हो सकता है, और/या अपकृत्य छल, केवल यह तथ्य कि एक ही विषय वस्तु के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है या की गई है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी कि एक विवाद जो अन्यथा मध्यस्थता योग्य है,

ऐसा नहीं होगा। "[2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों ने पहले ही एक वैधानिक ढांचे के माध्यम से बौद्धिक संपदा आदि से संबंधित अधिकारों के संबंध में अंतर-पक्षीय मध्यस्थता की अनुमति दे दी है। यह सार्थक है।

यदि हम मध्यस्थता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए।

54. एक अलग नोट पर, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक मध्यस्थता समझौता, एक आवश्यक निहितार्थ के रूप में, अपने साथ एक धारणा ले जाएगा।

एक-स्टॉप तंत्र। जब पक्ष मध्यस्थता समझौता करने का निर्णय लेते हैं, तो वे मध्यस्थता से पहले अपने सभी विवादों को लेने के लिए सहमत होते हैं। यह धारणा एक खंडन योग्य धारणा है। इसलिए, धारा 8 और 11

इसकी व्याख्या पर्याप्त सख्ती के साथ की जानी चाहिए, जिसमें मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय की अधिकारिता कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए मुद्दों तक सीमित होनी चाहिए।

55. इस न्यायालय ने मध्यस्थता के मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है, जिन पर इस बिंदु पर चर्चा करने की आवश्यकता है। पहला मामला बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम का है। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड, (2011) 5 एस. सी. सी. 532, जिसमें एक खंड पीठ ने धारा 8 और 11 (संशोधन से पहले) के दायरे से निपटा, वह विषय मध्यस्थता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 32. मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों की प्रकृति और दायरा, अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों की तुलना में बहुत कम है, जो मध्यस्थता के लिए एक मुकदमे में पक्षों का संदर्भ चाहते हैं। अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश इस पर विचार नहीं करेंगे।

"मध्यस्थता" के मुद्दे की जांच पर या

एक निजी मंच द्वारा निर्णय की उपयुक्तता, एक बार जब वह पाता है कि पक्षों के बीच या उनके बीच एक मध्यस्थता समझौता था, और मध्यस्थता के मुद्दे को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ देगा। यदि मध्यस्थ गलत तरीके से मानता है कि विवाद मध्यस्थता योग्य है, तो पीड़ित पक्ष को उस धारा की उप-धारा (2) (बी) (आई) पर भरोसा करते हुए अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करके पुरस्कार को चुनौती देनी होगी।

न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि 2015 के संशोधन से पहले, धारा 11 धारा 8 की तुलना में न्यायालयों के लिए एक सीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, जो एक अलग स्तर पर होती है। इस संदर्भ में, पैराग्राफ 33 और 36 को उद्धृत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:

33. लेकिन जहां "मध्यस्थता" का मुद्दा एक लंबित मुकदमे में अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन के संदर्भ में उत्पन्न होता है, मध्यस्थता के सभी पहलुओं को अदालत द्वारा तय किया जाना होगा।

XXXXXX 36. गैर-मध्यस्थ विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं: (i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) संबंधित वैवाहिक विवाद

तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवाला और समापन के मामले; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट, पत्रों का अनुदान)प्रशासन और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र); और (vi) विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली किरायेदारी मामले जहां

किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त है और केवल निर्दिष्ट अदालतों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है।

न्यायालय दो मुख्य कारणों से कुछ विषयों को गैर-मध्यस्थता के रूप में सुनिश्चित करने के उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा, (1.) कि कुछ मामलों को एक निजी मंच द्वारा जांच के लिए बाहर रखा गया है; (2) कि आरईएम अधिकारों में मध्यस्थता नहीं की जा सकती है।

56. ए. आयसामी बनाम। ए. परमशिवम, (2016) 10 एस. सी. सी. 386, इस न्यायालय को धोखाधड़ी की मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे से निपटना था।

अधिनियम के तहत, 2015 के संशोधन से पहले। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दी गई दो अलग-अलग रायों द्वारा न्यायालय ने माना है कि न्यायालय संदर्भ स्तर पर किसी मामले को वर्गीकृत कर सकता है और तदनुसार किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है जिसमें धोखाधड़ी के गंभीर आरोप नहीं हैं।

57. एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम। आफताब सिंह, (2019) 12

एस. सी. सी. 751, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामले मध्यस्थ नहीं हैं। फैसले के अवलोकन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भरोसा [2020] 11 एस. सी. आर. रखा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बूज़ ऐलन मामले (ऊपर) पर और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के दायरे पर कुछ चर्चा है। हालांकि, तर्क का जोर मध्यस्थता के सवाल पर नहीं है, बल्कि यह इस तथ्य पर था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक विशेष कानून होने के नाते किसी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक निहित प्रतिबंध था। अंतर सूक्ष्म है, फिर भी यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, निहित रूप से मध्यस्थता अधिनियम के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

58. उपरोक्त पूर्ववर्तियों के अध्ययन से, धारा के तहत विषय-विषय मध्यस्थता के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है।

8 या अधिनियम के 11, प्रासंगिक हैं:

अ)

पहले के निर्णय द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुरूपबोधारा पॉलीफैब (ऊपर) के मामले में, न्यायालय पूर्व-मध्यस्थता स्तर पर 'विषय-वस्तु मध्यस्थता' की जांच कर रहे थे।

2015 का संशोधन।

ख)

2015 के संशोधन के बाद, न्यायिक हस्तक्षेप

संदर्भ चरण में काफी कटौती की गई है।

(ग)

हालांकि विषय वस्तु मध्यस्थता और सार्वजनिक नीति

आपत्तियाँ धारा 34 के तहत अलग से प्रदान की जाती हैं

अधिनियम, न्यायालयों ने इसे अधिनियम के तहत विनिमेय समझा है। इसके अलावा, विषय वस्तु

मध्यस्थता इन-रेम अधिकारों के साथ परस्पर जुड़ी हुई है।

(घ)

अधिकारों और विशेषाधिकारों के विशेष वर्ग हैं, जो सुनिश्चित करते हैं

एक नागरिक के लाभ के लिए, संवैधानिक या विधायी साधन के आधार पर, जो एक की मध्यस्थता को प्रभावित कर सकता है

विषय वस्तु।

59. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम स्वयं विवादों की किसी भी श्रेणी को गैर-मध्यस्थता के रूप में बाहर नहीं करता है। हालाँकि, न्यायालयों ने उपयोग किया है

' सार्वजनिक नीति 'कुछ विषय मामलों के संबंध में मध्यस्थता को प्रतिबंधित करने का कारण। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुरूप, न्यायालयों ने पूर्व-संदर्भ चरण में विषय वस्तु मध्यस्थता में हस्तक्षेप किया है। 60. हालाँकि, 2015 के संशोधन के बाद, अधिनियम की संरचना को मध्यस्थता के दृष्टिकोण के अनुरूप लाने के लिए बदल दिया गया था। संशोधित प्रावधान के तहत, न्यायालय केवल एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर प्रथम दृष्टया राय दे सकता है। संशोधित भाषा और सांविधिक योजना के अनुरूप, विषय वस्तु मध्यस्थता की जांच धारा विद्या ड्रॉलिया और अन्य v के तहत संदर्भ के स्तर पर उचित नहीं हो सकती है।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

8 मध्यस्थता अधिनियम। द्वारा लिया जाना अधिक उपयुक्त है

अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रवर्तन के चरण में न्यायालय। ऐसा कहने के बाद, स्पष्ट मामलों में जहां विषय वस्तु की मध्यस्थता स्पष्ट रूप से वर्जित है, न्यायालय मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रभावशीलता को संरक्षित करने के लिए गतिरोध में कटौती कर सकता है।

61. इस स्तर पर मध्यस्थों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है

निष्पक्षता। उन्हें विषय वस्तु मध्यस्थता निर्धारित करने के लिए विशिष्ट सार्वजनिक नीति की पहचान करने की आवश्यकता होती है। केवल इसलिए कि कोई मामला एक निषिद्ध क्षेत्र में आता है, मध्यस्थ को अपने आप में नहीं रोकना चाहिएमामले को तय करने से। उसे गैर-मध्यस्थता के प्रश्न पर विचार करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

62. यह हमें इस सवाल पर लाता है कि प्रथम दृष्टया मामले का क्या अर्थ है,

जैसा कि अधिनियम की धारा 8 के तहत एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। 'प्रथम दृष्टया' का अर्थ और दायरा सामान्य कानून के साथ-साथ नागरिक कानून प्रणालियों में भी बहुत भिन्न है। तत्काल, इस शब्द के लिए कम से कम दो अर्थों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले, इसका मतलब है कि एक पक्ष ने प्रथम दृष्टया एक मामला स्थापित किया है जब उसने सबूत पेश करने के अपने बोझ को पूरा कर लिया है। दूसरा अर्थ यह है कि एक पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला तभी स्थापित किया है जब उसने इतना मजबूत प्रदर्शन किया है कि वह अपने पक्ष में अनुमान लगाने का हकदार है। शिन-एत्सु केस (ऊपर), ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया

अधिनियम की धारा 45 (2015 के संशोधन से पहले) के तहत परीक्षण को अपनाया जाना है। न्यायालय की राय थी कि प्रथम दृष्टया निर्धारण को न्यायालय के दृष्टिकोण के रूप में देखा गया था, जिसे फिर से समाप्त किया जा सकता है

न्यायाधिकरण द्वारा।

63. एंटीक आर्ट्स (ऊपर) में (बाद में एक अलग बिंदु पर फैसला सुनाया गया), इस न्यायालय ने न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी का अनुसरण करते हुए।

लिमिटेड वी. जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, (2015) 2 एस. सी. सी. 424 ने अभिनिर्धारित किया कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष याचिका दायर करता है, उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके समक्ष सामग्री प्रस्तुत करके प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना चाहिए।

नामित करें। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि प्रथम दृष्टया मामला साक्षय के बजाय प्रारंभिक अनुमान की स्थापना से संबंधित है।

मानक।

64. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट, दायरे और

पूर्व-मध्यस्थ न्यायिक हस्तक्षेप की प्रकृति, निम्नानुसार बताती है:

[2020] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. अधिनियम उन स्थितियों को मान्यता देता है जहां न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना मध्यस्थता से पहले के चरण में की जाती है, अर्थात मध्यस्थता से पहले।मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन, जिसमें भाग I मध्यस्थता के मामले में धारा 8,9,11 और भाग II मध्यस्थता के मामले में धारा 45 शामिल हैं। धारा 8,45 और धारा 11 से संबंधित

" मध्यस्थता "और" न्यायाधिकरण की नियुक्ति "का संदर्भ, न्यायाधिकरण के गठन और मध्यस्थता कार्यवाही के कामकाज को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए, उनके संचालन का मध्यस्थता के "आचरण" पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धारा 9, केवल अंतरिम राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से होने के कारण, हालांकि पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने की क्षमता होने के कारण, इन अन्य प्रावधानों की तरह मध्यस्थता के "आचरण" को प्रभावित नहीं करती है। इस संदर्भ में आयोग ने इन प्रावधानों के कार्यकरण की जांच और विचार-विमर्श किया है और कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।

29. सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अनुमेय मध्यस्थता पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है। दुर्भाग्य से, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सवाल इस संदर्भ में तैयार किया गया था कि क्या ऐसी शक्ति एक "न्यायिक" या एक "प्रशासनिक" शक्ति है-जो इस तरह के अंतर्निहित वास्तविक मुद्दे को अस्पष्ट करती है।

के रूप में नामकरण/विवरण

-ऐसी शक्तियों का दायरा - अर्थात। तर्कों का दायरा जिस पर एक अदालत (मुख्य न्यायाधीश) यह तय करते समय विचार करेगी कि मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए या नहीं, अर्थात क्या मध्यस्थता

समझौता मौजूद है, चाहे वह अमान्य हो, चाहे वह अमान्य हो, आदि। ; और इनमें से किसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए।

- इस तरह के हस्तक्षेप की प्रकृति-यानी क्या न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) एक विस्तृत परीक्षण पर मुद्दों पर विचार करेगा और क्या उनका अंत में निर्णय लिया जाएगा या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाएगा।

30. एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में निर्णय में समाप्त होने वाले मामलों की एक श्रृंखला के बाद। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति एक है -" न्यायिक "शक्ति। इस निर्णय में हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित अंतर्निहित मुद्दों को बाद में विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम द्वारा स्पष्ट किया गया था।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में रवींद्रन, जे. वी. बोघारा

पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267,

32. हस्तक्षेप की प्रकृति के संबंध में, का प्रदर्शन

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड वी. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 234] में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कानून पाया जाना है।

(अधिनियम की धारा 45) के संदर्भ में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दों/विवाद को केवल प्रथम दृष्टया देखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायपालिका का दायरा

हस्तक्षेप केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां अदालत/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को संदर्भित नहीं करेगा

मध्यस्थता केवल तभी की जाती है जब यह पाया जाता है कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता

हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि क्यामध्यस्थता समझौता अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी धारा 8 और 11 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है और/या मध्यस्थ की नियुक्ति करता है

इस तरह का निर्णय क्रमशः अंतिम और गैर-अपील योग्य होगा।

धारा 37 के तहत ही अपील की जा सकती है।

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने या करने से इनकार करने की घटना

एक मध्यस्थ नियुक्त करें। "

(जोर दिया गया)

65. के तहत प्रदान की गई वैधानिक भाषा का अंतर

धारा 8 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित किया जाता है जब तक कि

यह पाता है कि प्रथम दृष्टया संशोधित धारा 11 (6ए) की तुलना में कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, जिससे असमानता पैदा होती है।

इस्त्री करने की आवश्यकता है। जबकि शिन-एत्सु मामले (ऊपर) और डचूरो फेलगुएरा मामले (ऊपर) में अदालत ने धारा 11 के तहत प्रथम दृष्टया आधार पर एक वैध मध्यस्थता समझौते का पता लगाने की सिफारिश की,

हालाँकि, संशोधित धारा 8 के तहत उपयोग की जाने वाली नकारात्मक भाषा किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने का आदेश देती है जब तक कि न्यायालय प्रथम दृष्टया

प्रत्यक्षतः पता चलता है कि कोई वैध मध्यस्थता मौजूद नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व न होने का निष्कर्ष केवल अपील प्रक्रिया के अधीन अंतिम है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए निर्णय लेने की और गुंजाइश नहीं है।

कुछ भी आगे कोई संदर्भ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो

'प्रथम दृष्टया' वाक्यांश का उपयोग स्थापित के विपरीत हैप्रथम दृष्टया मानकों पर पूर्ववर्ती। इस संदर्भ में, हम केवल समाप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण विधायी प्रारूपण प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर दे सकते हैं

ऐसी जटिलताएँ।

66. उपरोक्त चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि

यह चित्रित किया गया कि एक पक्ष इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है। यदि कोई पक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उसी के न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सकता है, और इसके बजाय मौखिक और दस्तावेजी की व्यापक जांच की आवश्यकता है उत्पादन, तब मामले को अनिवार्य रूप से पूर्ण परीक्षण के लिए न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। न्यायालय के पास निहित ऐसी सीमित अधिकारिता आवश्यक है।

की शक्ति को उचित रूप से संतुलित करने के लिए पूर्व-संदर्भ स्तर पर

न्यायिक हस्तक्षेप के साथ न्यायाधिकरण।

67. उपरोक्त प्रावधान में संशोधन का उद्देश्य कटौती करना था

अत्यंत सीमित परिस्थितियों में मृत लकड़ी, जिसमें प्रतिवादी वैध मध्यस्थता समझौते के गैर-अस्तित्व को चित्रित करने में सक्षम है,

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिवचनों पर। सबसे पहले

प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, जिसने शिन-एत्सु मामले (उपरोक्त) के माध्यम से धारा 45 के तहत अपना अस्तित्व शुरू किया, को घरेलू विद्या ड्रॉलिया और अन्य बनाम के तहत भी स्पष्ट रूप से समायोजित किया गया है।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

उचित संशोधनों के साथ 2015 के संशोधन द्वारा मध्यस्थता।

68. इस पहलू से अलग होने से पहले, हमारे सामने यह व्यापक रूप से तर्क दिया गया था कि न्यायालय के लिए परीक्षण यह देखना है कि क्या कोई पक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक 'अच्छा तर्क योग्य मामला' स्थापित करने में सक्षम है। हालांकि, धारा 8 और 11 के तहत वैधानिक भाषा विपरीत स्थापित करने के लिए एक पक्ष के लिए सीमा आवश्यकता पर जोर देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त दृष्टिकोण हो सकता है

गुण। हालांकि, अगर 'अच्छे तर्क योग्य मामले के मानक' को एक ऐसे पक्ष के लिए एकीकृत किया जाता है जिसे अस्तित्वहीन दिखाने की आवश्यकता होती है, तो यह न्यायिक सक्रियता के बराबर होगा। अधिनियम में विदेशी सूत्रीकरणों को एकीकृत करने के ऐसे प्रयासों, जो पहले से ही पर्याप्त न्यायिक व्यक्तिवाद का सामना कर चुके हैं, को रोकने की आवश्यकता है।

69. मध्यस्थता समझौते की वैधता की सीमा की जांच करने के लिए न्यायालय के लिए सीमा मानक स्थापित करने के बाद, एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, डचूरो फेलगुएरा (सुप्रा) पर वापस जाना आवश्यक है, जो निर्धारित करता है

नीचे:

" 48 ..... धारा 11 (6-ए) के अध्ययन से, विधायिका का इरादा स्पष्ट है अर्थात न्यायालय को केवल एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए और उसकी आवश्यकता है-एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। अगला सवाल यह है कि यह तय करने के लिए कौन से कारक हैं कि मध्यस्थता समझौता है या नहीं। इसका समाधान सरल है-यह देखने की आवश्यकता है कि क्या समझौते में एक खंड है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है।

पहली बार में, ऐसा लगता है कि न्यायालय ने परीक्षा को एक परीक्षा तक सीमित करके मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को पढ़ा है

इसका वास्तविक अस्तित्व। हालाँकि, ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है जब तक कि ऐसा समझौता संविदात्मक रूप से मान्य न हो। इस दृष्टिकोण की पुष्टि डचूरो फेलगुएरा मामले (उपरोक्त) द्वारा की गई है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के संविदात्मक पहलू का संदर्भ धारा 7 के विश्लेषण के तहत निहित है। एक मात्र समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जब तक कि यह सहमति, विचार, कानूनी संबंध आदि से संबंधित मुख्य संविदात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मायावती ट्रेडिंग केस (ऊपर) और गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में v. तटीय मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, [2019] 9 एस. सी. सी. 209, उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की गई है। इसलिए, मध्यस्थता समझौते की प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के दायरे में [2020] 11 एस. सी. आर. शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल निम्नलिखित का निर्धारण:

92. क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था? या

93. क्या मध्यस्थता समझौता बदले में निहित था

पत्रों, दूरसंचार, आदि का?

94. क्या मुख्य संविदात्मक तत्व मध्यस्थता के लिए आवश्यक हैं

क्या समझौता पूरा हुआ?

दुर्लभ अवसरों पर, क्या विवाद का विषय है

95 .

मनमाने ढंग से?

पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान देते हैं कि अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि किसी मामले को कानून की अदालत द्वारा मध्यस्थता के लिए तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। अनुभाग में उपयोग की जाने वाली नकारात्मक भाषा होना आवश्यक है अनुभाग का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखा जाता है। न्यायालय को एक मामले को संदर्भित करना चाहिए यदि मध्यस्थता समझौते की वैधता नहीं हो सकती है

जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, प्रथम दृष्टया आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए, न्यायालय के लिए नियम है 'जब संदेह हो, तो संदर्भ दें'।

मध्यस्थता समझौते का। यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता पर निर्णय नहीं दे सकता है, तो न्यायालय को किसी भी आगे के विश्लेषण को रोक देना चाहिए और सभी मुद्दों को मध्यस्थता के लिए केवल तय हो जाएँ।

72. धारा 11 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे पर आते हुए,

246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि:

" 31. आयोग का विचार है कि, इस संदर्भ में, न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति के संबंध में वही परीक्षण, धारा 11 के संदर्भ में लागू होने वाली धारा विद्या द्रोह और अन्य धाराओं पर भी लागू होनी चाहिए।

दुर्गा व्यापार निगम [एन. वी. रमना, जे.]

मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, या पहले एक कार्यवाही आगे बढ़ाता हैइस तरह के मध्यस्थता समझौते के सामने एक न्यायिक प्राधिकरण।

73. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वैधानिक भाषा

आयन 8 और 11 अलग-अलग हैं, हालांकि भौतिक रूप से वे भिन्न नहीं हैं और धाराएँ संदर्भ स्तर पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप का प्रावधान करती हैं,

ऊपर नहीं।

74. प्रश्न संख्या पर हमारी धारणा के अनुरूप। 1 , आम तौर पर यह होगा

हमारे लिए दूसरे प्रश्न में गहराई से जाना उचित रहा है।

कभी भी, यह देखते हुए कि कानून का एक प्रश्न हमें संदर्भित किया गया है, हम

ई हमारे विद्वान भाई द्वारा किए गए निष्कर्षों के साथ।

75. हमारे अलग होने से पहले, निष्कर्ष पर पहुंचे, के संबंध में

टियोन नं. 1 , ये हैं:

अधिनियम की धारा 8 और 11 का संबंध में समान दायरा है।

ए।

न्यायिक हस्तक्षेप।

आम तौर पर, विषय वस्तु मध्यस्थता पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है

बी।

अधिनियम की धारा 8 या 11 का चरण, जब तक कि यह एक स्पष्ट मामला न हो डेडवुड से।

न्यायालय को धारा 8 और 11 के तहत एक मामले को

सी।

मध्यस्थता या मध्यस्थ नियुक्त करना, जैसा भी मामला हो,

जब तक कि किसी पक्ष ने प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया है (सारांश)निष्कर्ष) वैध मध्यस्थता का अस्तित्व न होने का मामला

समझौता, संक्षेप में एक मजबूत मामले को चित्रित करके कि वह है इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है।

डी।

यदि मध्यस्थता की वैधता है तो न्यायालय को किसी मामले को संदर्भित करना चाहिए।

समझौते को प्रथम दृष्टया निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

ऊपर निर्धारित किया गया है, अर्थात, 'जब संदेह हो, तो संदर्भ लें'।

प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय का दायरा

ई.

मध्यस्थता समझौते में केवल निम्नलिखित शामिल हैं:

ए। क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था? या

बी। क्या मध्यस्थता समझौता इसमें निहित था

पत्रों, दूरसंचार आदि का आदान-प्रदान?

सी। क्या मुख्य संविदात्मक सामग्री आवश्यक है

ए.

मध्यस्थता समझौता पूरा हुआ?

डी। दुर्लभ अवसरों पर, क्या विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य है?

कल्पना के. त्रिपाठी

संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और अपीलों और एस. एल. पी. का निपटारा किया गया।